प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल के
समक्ष दिनांक को प्रस्तुत
किया गया। 24 MAR 2006

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

वाणिज्यिक

बिहार सरकार

http:\\www.cag.gov.in.\states\bihar\2005

विषय–सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		ix
विहंगावलोकन		xi-xiv
अध्याय–I		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन	1	
प्रस्तावना	1.1	1
कार्यशील सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	1.2–1.14	1–9
अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1.15 से 1.20	9–10
सा.क्षे. उपक्रमों को बन्द करने के संबंध में अनुशंसा	1.21	10–11
सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति	1.22	11
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण और पुर्नगठन	1.23	12
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए सा.क्षे.उ. की लेखापरीक्षा के परिणाम	1.24	12
सरकारी कंपनियों के मामलों में पाये गये भूल–चूक	1.25	12
सांविधिक निगमों के मामालों में पाए गए भूल–चूक	1.26	13
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यचालन परिणामों का लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकन	1.27	13
आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण	1.28	14
लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर विचार विमर्श की स्थिति	1.29	14–15
619–ब कम्पनियाँ	1.30	15
अध्याय–II		
सरकारी कम्पनियों से संबंधित समीक्षाएँ		
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड तथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की निर्माण गतिविधियाँ	2	
मुख्य अंश	–	16–17
प्रस्तावना	2.1	17–19
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	2.2	20
लेखापरीक्षा का उद्देश्य	2.3	20
लेखापरीक्षा का मापदंड	2.4	20
लेखापरीक्षा की कार्य प्रणाली	2.5	20
लेखापरीक्षा का निष्कर्ष	2.6	20–21
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड		
लक्ष्य एवं प्राप्ति	2.6.1	21–22
संरचना रूप रेखा से विचलन	2.6.2–3	22

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राथमिकता सूची का अनुपालन नही होना	2.6.4	22
अग्रिम का अनियमित संवितरण	2.6.5	22–23
दोषपूर्ण ठेका प्रबंधन	2.6.6	23
कार्य का आवंटन	2.6.7	23
अपूर्ण कार्य	2.6.8	23–24
निर्गत सामग्रियों के मद में ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान	2.6.9	24
ठेकेदारो को अनाधिकृत भुगतान	2.6.10	24
हजारिबाग में पुलिस अकादमी भवन का निर्माण	2.6.11	25
विभाग को आवासीय भवनो के हस्तान्तरण में विलम्ब	2.6.12	25
सामग्रियों की अनियमित प्राप्ति	2.6.13	26
उच्चतर दर पर क्रय	2.6.14	26
आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ	2.6.15	26–27
आंतरिक नियंत्रण	2.7	27–30
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड		
सरकार से कार्य की प्राप्ति	2.8.1	30
लागत वृद्धि	2.8.2	30–31
कार्य चालन की प्रक्रिया	2.8.3	31–32
वभनौल अड्डा पुल	2.8.4	32
मोतिहारी–ढाका–वेलवाघाट मार्ग के 29, 30 एवं 35 कि.मी. पर पुल	2.8.5	32–33
दरभगा–समस्तीपुर मार्ग के 38 कि.मी. पर उच्चस्तरीय पुल (मगरदही पुल)	2.8.6	33
नावानगर में काव II पुल	2.8.7	33
पुलों के उपयोग में बिलम्ब	2.8.8	33–34
वित्तीय प्रबन्धन	2.9	34–35
पुल विकास निधि	2.10	35
निष्कर्ष एवं अनुशंसायें		35–36
अध्याय III		
सांविधिक निगमों से सम्बन्धित समीक्षाएँ	**3**	
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का लम्बित बकाया	**3.1**	37
मुख्य अंश		37–38
परिचय	3.1.1	38
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3.1.2	38–39
लेखापरीक्षा का उद्धेश्य	3.1.3	39
लेखापरीक्षा का मापदण्ड	3.1.4	39
लेखापरीक्षा की कार्य प्रणली	3.1.5	39
लेखापरीक्षा का निष्कर्ष		40

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
ऊर्जा व्रिकय के लिए लम्बित बकायें	3.1.6	40–41
बकायों का श्रेणीवार विवरण	3.1.7	41
सरकार/निजी संस्थाओं के विरुद्ध बकायें	3.1.8	41–42
केन्द्रीय सरकार के विभागों के विरुद्ध बकायें	3.1.9	42
राज्य सरकार के विभागों के विरूद्ध बकायें	3.1.10	42'–43
केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के विरुद्ध बकायें	3.1.11	43
राज्य सरकार के उपक्रमों के विरुद्ध बकायें	3.1.12	43–44
निजी संस्थाओं के विरुद्ध बकायें	3.1.13–16	44–45
कालातीत दावे	3.1.17	46
न्यायालय/बोर्ड के आदेशों से स्थगन मे रखी गयी राशि	3.1.18	47
औद्योगिक नीति, 1995 के अधीन औद्योगिक उपभेक्ताओ को दी गई छूट का दावा राज्य सरकार से नही किया गया	3.1.19	47–48
उच्च विभव उपभाक्ताओं के साथ किये गये अनुबन्ध के बन्ध –13 के अन्तर्गत लम्बित छूट के मामलों के कारण स्थगन में रखी गयी राशि	3.1.20	48–49
इन्डक्सन फरनेस रखने वाले उच्च विभव उपभोक्ताओं के प्राप्तव्य इंधन अधिभार का लम्बित बकाया	3.1.21	49–50
उपभोक्ता के एक विद्युत संयोजन कें बकाये की वसूली उसी उपभोक्ता के दूसरे विद्युत संयोजन से नही किया गया	3.1.22	50–51
आपूर्तिकर्त्ताओं के विरूद्ध बकाये का असमायोजन	3.1.23	51
अपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों पर अग्रिमों का बकाया	3.1.24	51
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ		51–52
बिहार राज्य भंडारण निगम की भंडारण गतिविधियाँ	**3.2**	
मुख्य अंश		53
परिचय	3.2.1	53–54
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3.2.2	54
लेखापरीक्षा का उद्धेश्य	3.2.3	55
लेखापरीक्षा का मापदंड	3.2.4	55
लेखापरीक्षा की कार्य प्रणाली	3.2.5	55
लेखापरीक्षा का निष्कर्ष		55
भंडारण गतिविधियाँ	3.2.6	56
क्षमता का उपयोग	3.2.7	56–57
हानियों के लिये उत्तरदायित्व निर्धारण में विफलता	3.2.8	57–58
दोषपूर्ण भंडारण के कारण हानि	3.2.9	58
बि.रा.व.वि.नि. से दावे का अनुसरण	3.2.10	58
निगम की गतिविधिवार लाभप्रदता	3.2.11	58–59

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
गोदामों का निर्माण		3.2.12	59–60
गोदामों को किराये पर लेना और छोड़ना		3.2.13	60
घाटा उठानेवाले भण्डारण केन्द्र		3.2.14	60–61
भंडारण केन्द्रों का अलाभकारी संचालन		3.2.15	61
आन्तरिक नियन्त्रण एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा		3.2.16	61–62
निष्कर्ष एवं अनुशंसायें			62
अध्याय–IV			
कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण		4	
सरकारी कम्पनियाँ			
बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड			
मानक से अधिक छीजन के कारण हानि		4.1	63–64
निगमीय अभिशासन		4.2	64–69
सांविधिक निगम			
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड			
समाग्रियों की बिलम्बित आपूर्ति पर दन्ड शूल्क की वसूली नहीं होने एवं अवरूद्ध निधि पर ब्याज नुकसान के कारण हानी		4.3	69–70
अविवेकी निर्णय के कारण ट्रांसफर्मर क्रय में हानि		4.4	70–71
प्रीस्ट्रेस्ड कंकीट (पी.एस.सी.) खम्भों के क्रय पर अधिकाई व्यय		4.5	72
उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण से हानि		4.6	72–73
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के तापीय विद्युत गृहों में अप्रभावी प्रदूषण नियंत्रण		4.7	73–76
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम			
बसों के क्रय पर अधिक व्यय		4.8	77–78
सामान्य			
निरिक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रतिकिया		4.9	78–79
परिशिष्ट			
1.	31 मार्च 2005 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में अद्यतन प्रदत्त पूंजी, बजट से वर्हिगमन, बजट से दिये गए ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाने वाली विवरणी	1.3, 1.4, 1.5 एवं 1.16	83–91
2.	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों, जिनकी लेखायें सम्पूर्ण हो गयी थी, उनके अद्यतन वर्षों का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	1.6, 1.7, 1.13 1.18 एवं 1.19	92–100
3.	वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थ साहाय्य, प्राप्त प्रतिभूतियाँ, बकाए की माफी, ऋण जिस पर मोहलत दी गई एवं वर्ष के दौरान ऋणों का संघारण पूँजी में रूपान्तरण तथा मार्च 2005 के अंत तक प्राप्य अर्थ साहाय्य तथा बकाये प्रतिभूतियों को दर्शाने वाली विवरणी *	1.5 एवं 1.16	101–102

	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
4.	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी	1.7	103–105
5.	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम की विवरणी	1.7	106–107
6.	सांविधिक निगमों के परिचालन निष्पादन को दर्शाने वाली विवरणी	1.12	108–111
7.	बंद की जाने वाली बिहार की सरकारी कम्पनियों के नाम	1.21	112–113
8.	कम्पनियों जिनके परिसंपत्तियों, दायित्वों और प्रबंधन के बंटवारे के संदर्भ में निर्णय लिया गया है, को दर्शाने वाली विवरणी	1.23	114
9.	कम्पनियों के आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रेक्षण	1.28	115
10.	अद्यतन अंतिमीकरण किये हुए लेखाओं के अनुसार 619 (ब) कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी	1.30	116–117
11.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड की प्राप्त निधि की स्थिति और नगद शेष को दर्शाती विवरणी	2.7.2	118
12.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति	2.7.4	119
13.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का संगठनात्मक ढॉचा	3.1.1	120
14.	31 मार्च 2005 को राज्य सरकार के उपक्रमों के विरूद्ध लम्बित बकायों को दर्शानेवाली विवरणी	3.1.12	121
15.	लम्बित बकायों के बढ़ाये हुए अंकों को दर्शानेवाली विवरणी	3.1.13	122
16.	विच्छेदित उच्च विभव उपभोक्ताओं के विरूद्ध लम्बित बकायों को दर्शानेवाली विवरणी	3.1.17	123
17.	न्यायालय के आदेश पर स्थगित रखी गई बकायों को दर्शानेवाली विवरणी	3.1.18	124
18.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारियों के आदेश पर स्थगित रखे गये बकाये को दर्शाने वाली विवरणी	3.1.18	125
19.	औद्योगिक नीति के अन्तर्गत औद्योगिक उपभोक्ताओं को दी गई छूट का दावा राज्य सरकार से नहीं करने के कारण हुई क्षति को दर्शाने वाली विवरणी	3.1.19	126–130
20.	वार्षिक न्यूनतम गारंटी (ए.एम.जी.) विपत्रों के छूट की राशि के 50 प्रतिशत राशि को स्थगन में रखे गये लंम्बित मामलों को दर्शाने वाली विवरण	3.1.20	131
21.	वार्षिक न्यूनतम गारंटी (ए.एम.जी.) विपत्रों की राशि की 100 प्रतिशत राशि को स्थगन में रखे गये छूट के लम्बित मामलों को दर्शाने वाली विवरणी	3.1.20	132

	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
22.	छूट के मामले का निपटारा लम्बित रहने के कारण स्थगन में रखी गई वार्षिक न्यूनतम गारंटी की राशि को दर्शाने वाली विवरणी	3.1.20	133
23.	उच्च विभव उपभाक्ताओं की छूट की दावों का निपटारा करने के बाद जारी नहीं किए गये/कम जारी किए गये समयोजन विपत्र	3.1.20	134
24.	कोसी एरिया बोर्ड के अधीन उच्च विभव उपभोक्ताओं को अधिक छूट दिये जाने सम्बन्धी विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.1.20	135
25.	इन्डक्शन फरनेस के मालिकों के विरूद्ध लम्बि इंधन अधिभार को दर्शाने वाली विवरणी	3.1.21	136
26.	उपभोक्ता के एक संयोजन से सम्बन्धित बकायों को उसी उपभोक्ता के दूसरे संयोजन पर स्थानान्तरण किये जाने वाले बकाये के विवरण को दर्शाने वाली विवरणी	3.1.22	137
27.	आपूर्तिकर्त्ताओं की देयताओं के विरूद्ध उनके असमायोजित बकायों को दर्शानेवाली ववरणी	3.1.23	1.38
28.	बोर्ड मुख्यालय द्वारा आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को दिए गये अग्रिम को दर्शानेवाली विवरणी	3.1.24	139–142
29.	31.03.2005 को बी.टी.पी.एस. के आपूर्तिकर्तओं/ठीकेदारों के पास लंबित अग्रिमों को दर्शाने वाली विवरणी	3.1.24	143–144
30.	मई 2001 से मार्च 2006 की अवधि में जिन भंडारण केन्द्रों का क्षमता उपयोग 120 प्रतिशत से अधिक था उन भंडारण केन्द्रों का नाम एवं महीने की संख्या दर्शाने वाली विवरणी	3.2.7	145
31.	निगम की गतिविधिवार लाभप्रदता	3.2.11	146–147
32.	केन्द्र के नाम, सात वर्षो की गारंटी योजना के अधीन भारत सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनुमोदित क्षमता एवं कार्य के प्रगति को दर्शानेवाली विवरणी	3.2.12	148
33.	सात वर्षीय गारंटी योजना के अधीन बिहार में गोदामों के निर्माण की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी	3.2.12	149–150
34.	वर्ष 2001–06 की अवधि में मुजफ्फरपुर, भागलपुर और सीवान के भंडारण केन्द्रों में उपलब्ध क्षमतायें, क्षमता का उपयोग एवं खाली पड़ी क्षमता के संबंध में एक सारांशित स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी	3.2.13	151
35.	वर्ष 2001–02 से 2005–06 तक के लिए आठ भंडारण केन्दों की कुल आय के साथ साथ गोदाम किराया और स्थापना पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	3.2.15	152–154
36.	आठ भंडार केन्द्रों की क्षमतायें, औसत मासिक भंडारण क्षमतायें तथा औसत मासिक उपोग को दर्शानेवाली विवरणी	3.2.15	155
37.	निदेशक मंडल की आयोजित की गई बैठकों की संख्या को दिखाने वाली विवरणी	4.2.5	156

	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
38.	लेखों के अंतिमीकरण में हुए बिलम्ब को दर्शाती विवरणी	4.2.8	157
39.	सा.क्षे.उ. के निदेशकों की रिक्तियों को दर्शाती विवरणी	4.2.9	158
40.	वार्षिक आम सभा के निदेशकों की उपस्थिति को दर्शाती विवरणी	4.2.14	159
41.	खम्भों की आपुर्ति की विवरणी	4.3	160
42.	बोर्ड को हुई हानि की गणना	4.5	161
43.	उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण से बोर्ड को हुई हानि को दर्शाती विवरणी	4.6	162–163
44.	467 बसों की कीमत (डीलक्स+351 सेमी डीलक्स) की गणना को दर्शाती विवरणी	4.8	164–165
45.	विभागवार बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी	4.9	166
46.	विभागवार प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं की संख्या, जिनके जबाव अप्राप्त है, को दर्शाती विवरणी	4.9	167

प्रस्तावना

सरकारी वाणिज्यिक संस्थायें, जिनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :

(i) सरकारी कम्पनियाँ

(ii) सांविधिक निगमें, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम।

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सहित सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंध रखता है तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (भा.के.नि.म.ले.प.) के (कर्त्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्त्तो) अधिनियम, 1971 यथा समय–समय पर संशोधित धारा 19–क के अधीन बिहार सरकार के समक्ष प्रस्तुति हेतु तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा का परिणाम भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षा के प्रतिवेदन (सिविल) बिहार सरकार में अन्तर्निष्ट है।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जो सांविधिक निगमें है, के संबंध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुरूप बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित सूची में से सनदी लेखाकारों को नियुक्त कर लेखापरीक्षा कराने के अतिरिक्त नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। बिहार राज्य भंडारण निगम के संबंध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को उनकी सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। इन निगमों की वार्षिक लेखाओं के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से राज्य सरकार को भेजे जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो वर्ष 2004–05 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये, साथ–साथ वे जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलत नहीं किये जा सके। 2004–05 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी जहाँ आवश्यक समझे गये, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

- 31 मार्च 2004 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उतनी ही संख्याओं के विरूद्ध 31 मार्च 2005 को राज्य में 50 सरकारी कम्पनियों एवं 4 सांविधिक निगमों सहित 54 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। 50 सरकारी कम्पनियों में से 16 सरकारी कम्पनियाँ कार्यशील थीं जबकि 34 सरकारी कम्पनियाँ अकार्यशील थीं। सभी 4 सांविधिक निगम कार्यशील थे। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2005 को 8 कम्पनियाँ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ब के अधीन थीं।

(कंडिका 1.1 और 1.30)

- कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 2004 को 6,435.14 करोड़ रुपये का कुल निवेश घटकर 31 मार्च 2005 को 4,708.36 करोड़ रुपये हो गया। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 706.71 करोड़ रुपये का कुल निवेश ऋण में वृद्धि के कारण उक्त अवधि के दौरान बढ़कर 709.07 करोड़ रुपये हो गया।

(कंडिका 1.2 और 1.15)

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पूँजी, ऋण एवं अर्थ साहाय्य/अनुदानों के रूप में दी गई बजट सहायता 2003–04 में 724.87 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004–05 में 778.25 करोड़ रुपये हो गयी। 31 मार्च 2005 को सरकार द्वारा कार्यशील सा.क्षे.उ. को प्रत्याभूत ऋणों की कुल बकाए की राशि 269.63 करोड़ रुपये थी।

(कंडिका 1.5 और 1.16)

- कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं कार्यशील सांविधिक निगमों में से किसी ने वर्ष 2004–05 के लिए अपनी लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया था। 16 कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं 4 कार्यशील सांविधिक निगमों की लेखाएँ 30 सितम्बर 2005 को एक से 22 वर्षों के परास में बकाये में थीं। सभी अकार्यशील सरकारी कम्पनियों की लेखाएँ 30 सितम्बर 2005 को दस से 28 वर्षों के परास के बकाए में थीं।

(कंडिका 1.6 एवं 1.18)

- अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार छः कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पाँच सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम) ने कुल 16.08 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इसके विपरीत 13 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (10 सरकारी कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगमों) ने अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार कुल 741.27 करोड़ रुपयों की हानि उठाई। अद्यतन लेखाओं के अनुसार हानि उठानेवाली सात कार्यशील सरकारी कम्पनियों ने कुल 167.69 करोड़ रुपयों की संचित हानि उठाई थी जो उनकी कुल प्रदत्त–पूँजी 33.85 करोड़ रुपयों से अधिक थी। तीन हानि उठाने वाले सांविधिक निगमों में से दो सांविधिक निगमों ने 1,079.84 करोड़ रुपयों की संचित हानि उठाई थीं जो उनकी 179.11 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी से अधिक थी।

(कंडिका 1.7, 1.9 एवं 1.11)

- बिहार सरकार ने 17 कम्पनियों (पाँच कार्यशील एवं 12 अकार्यशील), जिनमें सरकार का पूंजी एवं ऋण में कुल निवेश 548.43 करोड़ रूपये था, को बन्द करने का निर्णय लिया।

(कंडिका 1.21)

2. सरकारी कम्पनियों से संबंधित समीक्षा

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड तथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की निर्माण गतिविधियाँ

- बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बि.पु.भ.नि.नि.) ने सरकार की स्वीकृति के बिना दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों का प्लिंथ भाग बढ़ा दिया तथा 15.30 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय किया। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की स्वीकृति के बिना 64 क्वाटर्स के निरूपण में परिवर्त्तन कर 32 बड़े आकार के क्वाटर्स का निर्माण किया।

(कंडिका 2.6.2 तथा 2.6.3)

- प्रभावी पर्यवेक्षण, आकलनों के पुनरीक्षित न करने तथा दोषपूर्ण निर्माण के कारण 2.78 करोड़ रूपये मूल्य के कार्य 1.05 करोड़ रूपये के व्यय के पश्चात् पाँच वर्षो से अधिक अवधि से लंबित थे।

(कंडिका 2.6.8)

- बि.पु.भ.नि.नि. ने मुख्य सचिव, बिहार सरकार के निर्णय की अवहेलना कर तत्काल आवश्यक नहीं होने पर भी स्टील/सिमेंट का क्रय जारी रखा तथा 2000–05 की अवधि में 1.86 करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय किया।

(कंडिका 2.6.13)

- बिहार राज्य पुल निर्माण निगम (बि.रा.पु.नि.नि) ने 329 आवंटित पुलों के विरूद्ध 252 पुलों का निर्माण पूरा किया तथा 61 पुलों पर 137.19 करोड़ रूपये के व्यय के बाद भी वे एक से 22 वर्षो की अवधि के परास में निर्माणधीन थे।

(कंडिका 2.8.1)

- बि.रा.पु.नि.नि. ने 37 पुलों पर स्वीकृति से 48.71 करोड़ रूपये का अधिक व्यय किया। इनमें से 4.92 करोड़ रूपयों का दावा सरकार को प्रस्तुत किया गया तथा 43.79 करोड़ रूपये के दावे अप्रस्तुत रह गए। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा पुनरीक्षित आकलनों को अस्वीकार कर देने के परिणामस्वरूप बि.रा.पु.नि.नि. ने छः अधूरे पुलों के निर्माण पर 11.68 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय किया।

(कंडिका 2.8.2)

- बि.रा.पु.नि.नि. को दरभंगा–समस्तीपुर मार्ग में 38 कि.मि. पर अवस्थित उच्चस्तरीय पुल के निर्माण पर अनाधिकृत कार्यों पर तथा अनुसूचित दरों से ऊपर व्यय करने से 1.10 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(कंडिका 2.8.6)

3. सांविधिक निगमों से संबंधित समीक्षाएँ

3.1 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का लम्बित बकाया

- ऊर्जा विक्रय के लिये विविध देनदार वर्ष 2000–01 में 2,819.83 करोड़ रूपयों से बढ़कर वर्ष 2002–03 में 3,698.17 करोड़ रूपये हो गये जबकि संग्रहण वर्ष 2000–01 में

1,011.35 करोड़ रूपयों से घट कर वर्ष 2002–03 में 786.76 करोड़ रूपये हो गया।

(कंडिका 3.1.6)

- 31 मार्च 2004 को राज्य सरकार के विभागों के विरूद्ध 1,844.68 करोड़ रूपयों का बकाया लम्बित था। राज्य सरकार के विभागों के साथ बकायों का समाधान नहीं किये जाने के कारण सरकार बजट में केवल 134.71 करोड़ रूपयों का प्रावधान कर सकी।

(कंडिका 3.1.10)

- दोषयुक्त विपत्रीकरण के फलस्वरूप तीन उच्च विभव उपभोक्ताओं के विरूद्ध 92.06 करोड़ रूपयों के बकाये को 90.41 करोड़ रूपयों से बढ़ा दिया गया।

(कंडिका 3.1.13)

- उपभोक्ताओं के विरूद्ध समय पर नीलामवाद के मुकदमे दायर नहीं किये जाने के कारण 41.81 करोड़ रूपये के बकाए कालातीत हो गये।

(कंडिका 3.1.17)

- उच्च विभव उपभोक्तओं, जिन्होने अप्रील 1993 से अगस्त 2000 के दौरान औद्योगिक इकाईयॉ स्थापित की है, को दिये गये छूट की माँग राज्य सरकार से नहीं किये जाने के कारण बोर्ड को 5.60 करोड़ रूपयों की हानि हुई।

(कंडिका 3.1.19)

- त्रुटिपूर्ण शुल्क अधिसूचना के निर्गत होने के कारण ईंधन अधिभार वापस लेने से बोर्ड को 11.86 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(कंडिका 3.1.21)

3.2 बिहार राज्य भंडारण निगम की भंडारण गतिविधियाँ

- भंडारण क्षमता की उपलब्धता/उपयोग से संबंधित निगम का कार्य–कलाप अवअनुकूलित पाये गये। वर्ष 2000–05 की अवधि में इसकी वार्षिक उपलब्ध क्षमता 17 *प्रतिशत* से अधिक घटकर 31.47 लाख मे.ट. से 25.94 लाख मे.ट. हो गयी जबकि उपलब्ध क्षमता का उपयोग 23 *प्रतिशत* से अधिक घटकर 26.71 लाख मे.ट. से 20.45 लाख मे.ट. हो गया।

(कंडिका 3.2.6)

- क्षमता उपयोग के अव्यवसायिक प्रबन्धन ने निगम को वर्ष 2000–01 में अर्जित 15 लाख रूपये के लाभ से वर्ष 2004–05 में 29 लाख रूपये के घाटे की ओर अग्रसर किया। समीक्षा के लिये चयनित 25 भंडारण केन्द्रो में निगम को वर्ष 2000–05 की अवधि में 89.15 लाख रूपये का समेकित घाटा झेलना पड़ा। वर्ष 2000–05 के दौरान व्यय वृद्धि 13.57 रूपये से 20.05 रूपये प्रति मे.ट. प्रति वर्ष होकर भी हानियों का बढ़ाया।

(कंडिकाएँ 3.2.6, 3.2.11 और 3.2.14)

- आन्तरिक नियन्त्रणों की एक प्रभावशाली प्रणाली की उचित व्यवस्था करने में निगम विफल रहा जिसके कारण 2000–05 की अवधि में 1.33 करोड़ रूपयों के मूल्य के भंडार में कमी, भंडारण–घाटा तथा भंडार का दुर्विनियोग हुआ।

(कंडिका 3.2.8 और 3.2.16)

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण

प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण, लोक उपक्रमों के प्रबन्धन की कमियाँ जिसके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े, को मुख्य रूप से दर्शाती है। इंगित की गयी मुख्यतः निम्न प्रकार की त्रुटियाँ पाई गईं:

- सामग्रियों की विलम्बित आपूर्त्ति पर दण्ड शुल्क की वसूली नहीं होने और अवरूद्ध निधि पर ब्याज हानि के कारण बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 1.98 करोड़ रूपए की हानि हुई।

(कंडिका 4.3)

- चार मामलों में 5.82 करोड़ रुपये का परिहार्य घाटा/परिहार्य व्यय।

(कंडिका 4.1, 4.4, 4.5 एवं 4.8)

- एक मामले में 5.26 करोड़ रूपये का राजस्व हानि।

(कंडिका 4.6)

कुछ महत्त्वपूर्ण प्रेक्षाओं का सारांश निम्न प्रकार है :

बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड

- प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था नहीं होने के कारण कंपनी को 1.03 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(कंडिका 4.1)

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

- उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण के कारण बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 5.26 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(कंडिका 4.6)

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

- बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विलम्बित निर्णय एवं अविवेकपूर्ण कर प्रबंधन के कारण 1.61 करोड़ रूपये तथा इसके प्रयोजनार्थ एक अध्ययन की अनुशंसा के विपरीत क्रय के कारण 2.69 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(कंडिका 4.8)

अध्याय–I

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना:

1.1 31 मार्च 2005 को 50 सरकारी कम्पनियों (16 कार्यशील एवं 34 अकार्यशील कम्पनियाँ*) तथा चार सांविधिक निगमों (सभी कार्यशील) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन थे। 31 मार्च 2004 से कार्यशील एवं अकार्यशील कम्पनियों की स्थिति और संख्या अपरिवर्तित है। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुसार) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है, जो नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्त किए जाते हैं। इन लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा भी नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत) की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था अधोदर्शित है।

क्रम सं.	सांविधिक निगम का नाम	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षण का प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि.रा.वि.बो.)	विद्युत (आपूर्त्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत।	नियंत्रक–महालेखपरीक्षक द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि.रा.प.प.नि.)	पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 (2) के अन्तर्गत।	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा।
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम (बि.रा.वि.नि.)	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 (6) के अन्तर्गत।	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा एवं नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा।
4.	बिहार राज्य भण्डारण निगम (बि.रा.भ.नि.)	राज्य भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (8) के अन्तर्गत	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा एवं नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा।

कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा.क्षे.उ.)

कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.2 मार्च 2004 एवं मार्च 2005 की समाप्ति तक 20 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (16 सरकारी कम्पनियाँ एवं 4 सांविधिक निगमें) में कुल निवेश क्रमशः निम्नलिखित थे :

* *अकार्यशील कम्पनियाँ वह है जो कि परिसमापन/बंदी/विलयन की प्रक्रिया में है।*

(राशिः रुपये करोड़ में)

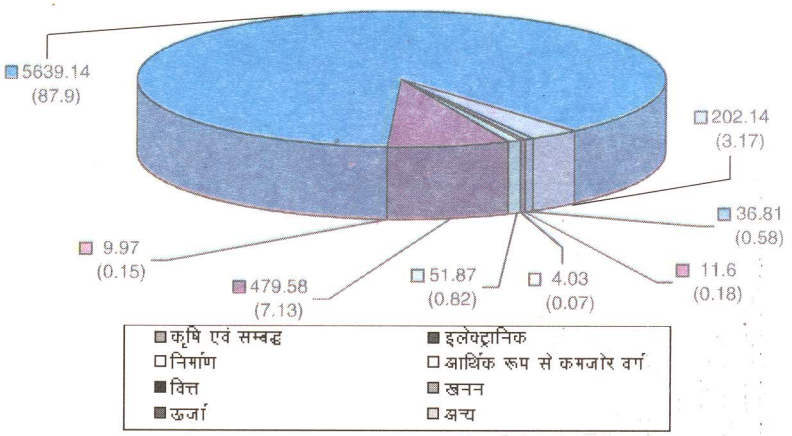
वर्ष	कार्यशील सा. क्षे. उ. की संख्या	कार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों में निवेश			
		साधारण पूँजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	कुल
2003–04	20	454.07	3.66	5,977.41	6,435.14
2004–05	20	454.07	3.66	4,250.63	4,708.36♣

31 मार्च 2005 तक कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में साधारण पूँजी तथा ऋण में निवेश कुल निवेश का क्रमशः 9.72 *प्रतिशत* तथा 90.28 *प्रतिशत* था। इसकी तुलना में 31 मार्च 2004 की समाप्ति पर यह निवेश कुल निवेश का क्रमशः 7.10 *प्रतिशत* तथा 92.89 *प्रतिशत* था। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड में सम्पत्तियों एवं दायित्वों में बंटवारे के कारण ऋण रकम वर्ष 2003–04 में 5,977.41 करोड़ रूपये से घटकर वर्ष 2004–05 में 4,250.63 करोड़ रूपये हो गई। कार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों में निवेश का विश्लेषण अधोलिखित कंडिकाओं में दिया गया है:

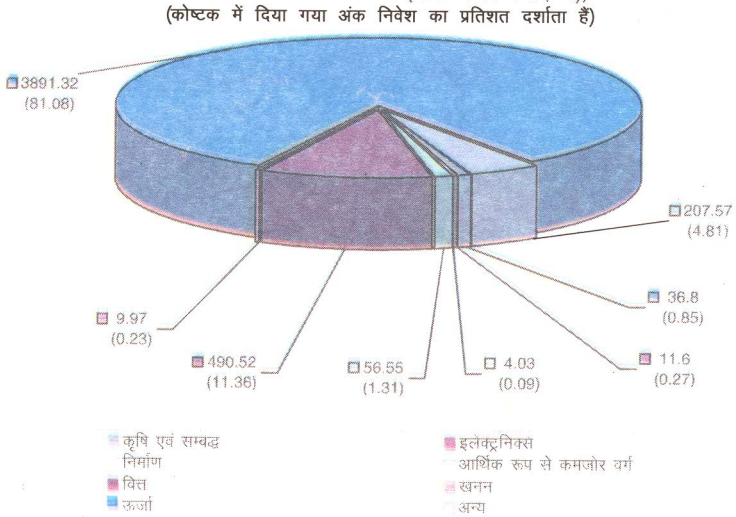
कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में प्रक्षेत्रवार निवेश

31 मार्च 2004 एवं 31 मार्च 2005 के अंत में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश (साधारण पूँजी तथा दीर्घ कालीन ऋण) तथा उनका *प्रतिशत* निम्नांकित पाई चार्ट में दर्शाए गए है :

31 मार्च 2004 तक का निवेश (राशिः रुपये करोड़ में)
(कोष्टक में दिया गया अंक निवेश का *प्रतिशत* दर्शाता है)



31 मार्च 2005 तक का निवेश (राशिः रूपये करोड़ में))
(कोष्टक में दिया गया अंक निवेश का प्रतिशत दर्शाता हैं)



♣ *कार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों के राज्य सरकार का निवेश 3,925.05 करोड़ (अन्य रूपए 783.31) था। वित्त लेखा के अनुसार यह आंकड़ा 10,292.40 करोड़ था। अंतर का समाधान हो रहा है।*

कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ

1.3 मार्च 2004 तथा मार्च 2005 के अंत में 16 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश क्रमशः निम्न था।

(राशिः रुपये करोड़ में)

वर्ष	कार्यशील सरकारी कम्पनियों की संख्या	कार्यशील सरकारी कम्पनियों में निवेश			
		साधारण पूँजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	कुल
2003–04	16	273.59	3.66	918.89	1,196.14*
2005–05	16	273.59	3.66	925.62	1,202.88*

कार्यशील सरकारी कम्पनियों में साधारण पूँजी एवं ऋण के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–1** में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2004 तक कार्यशील सरकारी कम्पनियों में साधारण पूँजी तथा ऋण में निवेश कुल निवेश का क्रमशः 23.18 *प्रतिशत* तथा 76.82 *प्रतिशत* के विरूद्ध 31 मार्च 2005 की समाप्ति पर यह निवेश कुल निवेश का क्रमशः 23.05 *प्रतिशत* तथा 76.95 *प्रतिशत* था।

कार्यशील सांविधिक निगम

1.4 मार्च 2004 एवं मार्च 2005 के अंत तक चार कार्यशील सांविधिक निगमों में कुल निवेश निम्नलिखित था :

(राशिः रुपये करोड़ में)

निगम का नाम	2003–04		2004–05	
	पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि.रा.वि. बोर्ड.)	–	4,668.44	–	2,917.59
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि.रा.प.प.नि.)	101.27	79.41	101.27	81.02
बिहार राज्य वित्तीय निगम (बि.रा.वि.नि.)	77.84	310.67	77.84	322.58
बिहार राज्य भण्डारण निगम (बि.रा.भ.नि.)	1.37	–	1.37	3.81
कुल योग	**180.48**	**5,058.52**	**180.48**	**3,325.00**

कार्यशील सांविधिक निगमों में साधारण पूँजी तथा ऋण के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है।

31 मार्च 2004 तक कार्यशील सांविधिक निगमों में साधारण पूँजी तथा ऋण में निवेश कुल निवेश का क्रमशः 3.44 *प्रतिशत* तथा 96.56 *प्रतिशत* के विरूद्ध 31 मार्च 2005 की समाप्ति पर यह निवेश कुल निवेश का क्रमशः 5.15 *प्रतिशत* तथा 94.85 *प्रतिशत* था। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड में संपत्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे के कारण ऋण के रकम में कमी हुई।

* *इसमें 100 करोड़ रुपये पूँजी तथा 608.89 करोड़ रुपये ऋण का निवेश तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड में सम्मिलित है, जिसके स्वामित्व के स्थानांतरण को लेकर बिहार राज्य तथा झारखंड राज्य के बीच एक मुकदमा हाई कोर्ट पटना तथा रांची में लंबित है।*

बजट से वर्हिगमन, अनुदान/आर्थिक सहायता, प्रतिभूतियाँ, देय राशि का अधित्याग तथा ऋणों का साधारण पूँजी में रूपांतरण

1.5 राज्य सरकार द्वारा कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों को बजट से वर्हिगमन, अनुदान/आर्थिक सहायता, निर्गत प्रतिभूतियाँ, देय राशि का अधित्याग तथा ऋणों का साधारण पूँजी में रूपांतरण की विस्तृत विवरणी **परिशिष्ट–1 एवं 3** में दी गई है।

मार्च 2005 तक तीन वर्षों की अवधि में, साधारण पूँजी, ऋण एवं अनुदानों/आर्थिक सहायता के रूप में, कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों को राज्य सरकार द्वारा बजट में सहायता प्रदान की गई, जिसकी विवरणी अधोदर्शित है :

(राशिः रूपये करोड़ में)

	2002–03				2003–04				2004–05			
	सरकारी कम्पनी		सांविधिक निगम		सरकारी कम्पनी		सांविधिक निगम		सरकारी कम्पनी		सांविधिक निगम	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बजट से बहिर्गमन साधारण पूँजी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बजट से दिया गया ऋण	1	5.00	3	513.04	2	23.38	3	701.39	1	3.02	3	775.23
आर्थिक साहाय्य	–	–	–	–	–	–	1	0.10	–	–	–	–
कुल वहिर्गमन	**1**	**5.00**	**3**	**513.04**	**2**	**23.38**	**4**	**701.49**	**1**	**3.02**	**3**	**775.23**

वर्ष 2004–05 के दौरान सरकार ने किसी भी ऋण को प्रत्याभूत नहीं किया। वर्ष के अंत तक दो कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (रुपये 31.27 करोड़) तथा दो कार्यशील सांविधिक निगमों (रुपये 236.29 करोड़) पर कुल प्रत्याभूत राशि 267.56 करोड़ बकाया थी। वर्ष 2004–05 के दौरान प्रत्याभूत ऋण 43.78 करोड़ रूपये न लौटाने के मामले में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड दोषी था। सरकारी कम्पनियों द्वारा सरकार को भुगतान/भुगतेय किया गया प्रत्याभूति कमीशन शून्य था तथा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बिहार सरकार को भुगतेय प्रत्याभूति शुल्क 28.75 लाख रूपये बकाया था।

कार्यशील सा. क्षे. उ. द्वारा लेखाओं का अंतिमीकरण

1.6 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619, और 619-ब, जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पढ़ा गया, के अनुसार कंपनियों के प्रत्येक वर्ष की लेखाओं को उस वर्ष की समाप्ति के छः माह के अंदर अन्तिमीकरण कर लेना होता है। उसे वर्ष की समाप्ती के नौ माह के अन्दर ही राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामलों में उनसे संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उनकी लेखाओं का अन्तिमीकरण, लेखा परीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है।

जैसा की **परिशिष्ट–2** से देखा जा सकता है, 16 कार्यशील सरकारी कम्पनियों तथा 4 सांविधिक निगमों में से किसी ने भी अनुबंधित अवधि वर्ष 2004–05 की लेखाओं का अंतिमीकरण नहीं किया था। अक्टूबर 2004 से सितम्बर 2005 के दौरान 13 कार्यशील सरकारी कम्पनियों ने पिछले वर्षों के 23 लेखाओं का अंतिमीकरण किया। इसी प्रकार इस अवधि में 2 कार्यशील सांविधिक निगमों ने पिछले वर्षों के 4 लेखाओं का अंतिमीकरण किया।

16 कार्यशील सरकारी कम्पनियों के बकाये लेखाओं के परास 3 से 22 वर्षों की अवधि में थे। इसके अतिरिक्त 30 सितम्बर 2005 को 4 कार्यशील सांविधिक निगमों के बकाये लेखाओं के परास एक से चार वर्षों की अवधि में थे।

क्रम सं.	कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ / सांविधिक निगमों की संख्या		वर्ष जिसके लेखे बकाए है	वर्षों की संख्या जिसके लेखे बकाए है	परिशिष्ट–2 का संदर्भित क्रमांक	
	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगमें			सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगमें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1	–	1983–84 से 2004–05	22	अ–10	–
2	1	–	1990–91 से 2004–05	15	अ–6	–
3	1	–	1992–93 से 2004–05	13	अ–16	–
4	1	–	1993–94 से 2004–05	12	अ–2	–
5	2	–	1994–95 से 2004–05	11	अ–7, अ–13,	–
6	4	–	1995–96 से 2004–05	10	अ–1, अ–3 अ–9, अ–11	–
7	2	–	1996–97 से 2004–05	9	अ–12, अ–15	–
8	1	–	1999–2000 से 2004–05	6	अ–4	
9	2	1	2001–2002 से 2004–05	4	अ–5, अ–14	ब–4
10	1	2	2002–03 से 2004–05	3	अ–8	ब–1, ब–2
11	–	1	2004–05	1	–	ब–3
कुल	**16**	**4**				

प्रशासनिक विभागों को सुनिश्चित करना है कि निर्धारित अवधि में लेखाओं का अन्तिमीकरण हो जाय और स.क्षे. उपक्रमों द्वारा उन्हें अंगीकृत किया जाय। यद्यपि बकाये लेखाओं के अंतिमीकरण से संबंधित जानकारी संबद्ध प्रशासनिक विभागों तथा सरकारी पदाधिकारियों को प्रत्येक तिमाही में प्रधान महालेखाकार द्वारा दी गई थी पर सरकार द्वारा कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाये गए फलस्वरूप स.क्षे. उपक्रमों में निवेश का निर्धारण लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

कार्यशील सा.क्षे.उ. की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम

1.7 कार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों (सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमें) के उपलब्ध नवीनतम लेखाओं पर आधारित संक्षिप्त वित्तीय परिणाम **परिशिष्ट–2** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्यशील सांविधिक निगम की पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम **परिशिष्ट–4 और 5** में क्रमशः# दिए गए हैं।

निगम द्वारा दिए गए सूचना के आधार पर

अंतिमीकरण किये गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार 15* कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ और 4 कार्यशील सांविधिक निगमों में से 10 सरकारी कम्पनियों को एवं 3 सांविधिक निगमों को क्रमशः 57.19 करोड़ एवं 684.08 करोड़ रुपये की कुल हानि हुई। पाँच सरकारी कम्पनियों एवं एक सांविधिक निगम ने क्रमशः 14.12 करोड़ एवं 1.96 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया।

कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ

लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियाँ तथा लाभांश

1.8 नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के अनुसार (सितम्बर 2005) 16 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में से पाँच कम्पनियों[1] ने 14.12 करोड़ रुपये का संचित लाभ अर्जित किया। तथापि इन कम्पनियों ने लाभांश घोषित नहीं किया। राज्य सरकार ने न तो न्यूनतम लाभांश के भुगतान हेतु कोई नीति बनाई और ना ही कम्पनियों को कोई मार्गदर्शन जारी किया।

घाटा देने वाली कम्पनियाँ

1.9 नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार 10[2] हानिदायी कम्पनियों ने कुल 57.19 करोड़ रुपये की हानि उठाई। सात[3] घाटा देने वाली कम्पनियों की कुल संचित हानि 167.69 करोड़ रुपये थी जो कि इन कम्पनियों की कुल प्रदत्त पूँजी से 33.85 करोड़ रुपये अधिक है।

कार्यशील सांविधिक निगम

लाभ अर्जित करने वाले सांविधिक निगम तथा लाभांश

1.10 चार कार्यशील सांविधिक निगमों में से केवल बिहार राज्य भण्डारण निगम ने वितीय वर्ष 2000–01 में 1.96 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। निगम ने वर्ष में कुल 96.44 लाख रूपए के वितरणीय अधिशेष में से 13.70 लाख रूपये का लाभांश घोषित किया।

घाटा देने वाले सांविधिक निगम

1.11 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में कुल निवेश (ऋण) 2917.79 करोड़ रूपये (31 मार्च 2005 को) की तुलना में 3,755.50 करोड़ रुपये (31 मार्च 2002 को) की संचित हानि थी।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम की संचित हानियाँ क्रमशः 624.43 करोड़ रुपये तथा 455.41 करोड़ रुपये थी तथा कुल प्रदत्त पूँजी 101.27 करोड़ रुपये एवं 77.84 करोड़ रुपये का क्रमशः अपक्षरण हो गया।

सांविधिक निगमों का परिचालन निष्पादन

1.12 सांविधिक निगमों का परिचालन निष्पादन **परिशिष्ट–6** में दिया गया है। यद्यपि, निगमों के परिचालन निष्पादन पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, उपर वर्णित परिशिष्ट में दिए गए आंकड़े पर आधारित है, नीचे दी गई है:

बिहार राज्य भण्डारण निगम

1.12.1 उपयोग क्षमता का औसत 22.42 लाख टन (2002–03) से घटकर 20.28 लाख टन (2004–05) हो गया।

* *टी. भी. एन. एल. को छोड़कर*

1 *परिशिष्ट–2 के क्रमांक अ–4, अ–5, अ–9, अ–11, एवं अ–16*

2 *परिशिष्ट–2 के क्रमांक अ–1, अ–2, अ–3, अ–6, अ–7, अ–8, अ–10, अ–12, अ–14 एवं अ–15*

3 *परिशिष्ट–2 के क्रमांक अ–1, अ–2, अ–3, अ–6, अ–7, अ–10 एवं अ–14*

बिहार राज्य वित्तीय निगम

1.12.2 वसूली योग्य देय राशि (मूलधन तथा ब्याज) वर्ष 2001–02 में 1,557.61 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2003–04 में 2,386.35 करोड़ रूपये हो गया।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.13 नवीनतम अंतिमीकरण किए गये लेखाओं (सितम्बर 2005 तक प्राप्त) के अनुसार 16 कार्यशील सरकारी निगमों में नियोजित पूँजी* की गणना 1,017.41 करोड़ रुपये की गयी थी तथा नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल पिछले वर्ष सितंबर 2004 तक अंतिमीकरण किय गये लेखाओं के ऋणात्मक प्रतिफल# 20.68 करोड़ की तुलना में 11.19 करोड़ रुपये का ऋणात्मक प्रतिफल था। इसी प्रकार, कार्यशील सांविधिक निगमों में नवीनतम सम्पूर्ण लेखाओं (सितम्बर 2005 तक) के अनुसार नियोजित पूंजी एवं उस पर कुल ऋणात्मक प्रतिफल क्रमशः 487.05 करोड़ रुपये तथा 201.99 करोड़ रुपये था। जबकि पिछले वर्ष (सितम्बर 2004 तक सम्पूर्ण लेखाओं के अनुसार) कुल ऋणात्मक प्रतिफल 2,644.12 करोड़ रुपये था। कार्यशील सरकारी निगमों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित नियोजित पूंजी तथा उस पर कुल प्रतिफल **परिशिष्ट–2** दिये गये हैं।

ऊर्जा प्रक्षेत्र में सुधार

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच मेमोरंडम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग (एम.ओ.यू.) के कार्यान्वयन की स्थिति

1.14 भारत सरकार (भा.स.) और बिहार सरकार (बि.स.) के बीच में एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर (सितम्बर 2001) किया गया, जिसमें ऊर्जा प्रक्षेत्र में सुधार कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया गया। मुख्य मंत्रियों/उर्जा मंत्रियों के सम्मेलन जो मार्च 2001 में हुआ, में उर्जा प्रक्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों को राजनीति से दूर रखने तथा इनके कार्यान्वयन को तेज करने पर सर्वसम्मति हुई। एम.ओ.यू. के अनुसार सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा उसपर वचनबद्धता की स्थिति निम्न प्रकार है :

क्रम सं.	एम. ओ. यू. के अनुसार वचनबद्धता	लक्ष्य पूर्ण करने की समय सीमा	स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)
	राज्य सरकार की वचनबद्धता		
1	राज्य विद्युत नियामक आयोग (एस.ई.आर.सी.)	दिसम्बर 2001	कार्यरत
2	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	2006 तक	मार्च 2005 तक बिहार के 45,098 गाँवों में से 20,006 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया।

* *वित्तीय कंपनियों एवं निगमों जहाँ नियोजित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, मुक्त संरक्षित बाण्डों, जमा एवं उधारों (पुनर्वित सहित) के समग्र योग के औसत का द्योतक है, को छोड़कर नियोजित पूंजी, निवल अचल परिसंपत्तियों (पूंजीगत कार्य प्रगति सहित) एवं कार्यचालन पूँजी के योग का द्योतक है।*

\# *नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की गणना निवल लाभ/हानि (लाभ–हानि लेखानुसार) में उधार ली गई निधि पर ब्याज को जोड़कर/घटाकर की गई है।*

			9,253 गाँव जिनका विद्युतीकरण पहले हो गया था, चोरी अथवा लाईनों में खराबी के कारण विद्युत प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।
3	बोर्ड का पुनर्गठन	दिसम्बर 2001	यह बिहार सरकार के स्तर पर किया जा रहा है। इस संदर्भ में उर्जा वित्त निगम (पी.एफ.सी.) को सलाहकार नियुक्त किया गया है।
4	केन्द्रीय ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों के बकाया देय का प्रतिभूतिकरण	तय नहीं	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का 30 सितम्बर 2001 तक केन्द्रीय ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों पर बकाया 1733.43 करोड़ रुपये था। इसमें से 1,593.52 करोड़ रुपये बकाया प्रतिभूतिकृत कर लिया गया। (सितंबर 2005)
5	11 के. भी. वितरण फीडर्स का 100 *प्रतिशत* मापन तथा सभी उपभोक्ताओं का 100 *प्रतिशत* मापन	दिसम्बर 2001	बिहार के 16 अचलों में से चार अंचलों का मापन बोर्ड द्वारा किया जाना है जबकि अन्य सात अंचलों का कार्य भारत के पॉवर ग्रीड कारपोरेशन लिमिटेड (पी.जी.सी. आई.एल.) द्वारा किया जाना है। बाकी बचे पाँच अंचलों में कार्य 2005–06 तक पूर्ण करना है। (पी.जी.सी.आई.एल.) द्वारा मापन की वर्त्तमान स्थिति निम्न है:– **योजना का प्रकार** — **वर्त्तमान स्थिति** सिस्टम मीटर — कुल 8,900 मीटरों के कार्यक्षेत्र के विरूद्ध, तीन अंचलों में कार्य अगस्त 2005 में आरंभ हुआ जिनकी समापन सीमा दिसंबर 2005 थी। बाकि बचे चार अंचलों में कार्य नवंबर 2005 में आरंभ होना निर्धारित है जिसकी समापन तिथि मार्च 2006 है। तीन स्तरीय उपभोक्ता मीटर — कुल 11,265 मीटरों के कार्यक्षेत्र के विरूद्ध, मीटरों की आपूर्त्ति, जिनका समापन कार्यक्रम दिसंबर 2005 है, आरंभ हो गया है। फिर भी बोर्ड द्वारा मीटरों के बक्सों की निकासी के अभाव में कार्य रूका हुआ है। एक स्तरीय उपभोक्ता मीटर — कुल 2,12,006 मीटरों के कार्यक्षेत्र के विरूद्ध 81,847 मीटरों की आपूर्त्ति की जा चुकी है तथा

			6,000 मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। फिर भी बोर्ड द्वारा मीटरों के बक्सों की निकासी के अभाव में कार्य रूका हुआ है।
			बोर्ड के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उर्जा मापन की वर्त्तमान स्थिति निम्न है:–
			योजना का प्रकार — **वर्त्तमान स्थिति**
			सिस्टम मीटर — ठेकेदारों के चयन के लिए निविदा खोलने की तिथि 27 अक्टूबर 2005 निर्धारित थी।
			तीन स्तरीय उपभोक्ता मीटर — कुल 58,700 मीटरों के कार्य क्षेत्र के विरूद्ध 6,000 मीटरों की आपूर्त्ति की जा चुकी है तथा 10,000 मीटरों की जांच हो चुकी है। समापन की निर्धारित तिथि सितंबर 2005 थी।
			एक स्तरीय उपभोक्ता मीटर — चार आपूर्त्तिकर्त्ताओं को नवम्बर 2003 में कुल 2,46,300 मीटरों को लगाने के लिए आदेश दिया गया। फिर भी 15 अक्टूबर 2005 तक केवल 1,76,805 मीटर ही ठेकेदारों द्वारा स्थापित किए जा सके।
6	ऊर्जा अंकेक्षण	जून 2002	11 के. भी. फीडर्स का मीटर कार्य पूर्ण न होने से ऊर्जा अंकेक्षण कार्यान्वित नहीं हो सका।
7	पारेषण एवं वितरण के हानियों में कमी	नहीं दिया गया	प्रयत्न जारी है।
8	ताप विद्युत उत्पादन ईकाइयों के पावर लोड फैक्टर में सुधार	मार्च 2003	प्रयत्न जारी है।
9	अचल संपत्तियों पर तीन *प्रतिशत* प्रतिफल	मार्च 2004	सुनिश्चित नहीं हो सका क्योंकि बोर्ड सरकार द्वारा अनुदान/आर्थिक साहाय्य के रूप में श्रोत रिक्तियों को नहीं प्राप्त कर रहा है।

अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा.क्षे.उ.)

अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों में निवेश

1.15 क्रमशः मार्च 2004 एवं मार्च 2005 के अन्त में 34 अकार्यशील सा.क्षे.उ. (सभी सरकारी कम्पनियों) में कुल निवेश निम्न प्रकार थे :

(राशिः करोड़ रूपये में)

वर्ष	अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों की संख्या	अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों में निवेश			
		साधारण पूँजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	कुल
2003–04	34	160.00	6.38	540.33	706.71
2004–05	34	159.62*	6.76	542.69	709.07

* *अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 632.37 करोड़ रूपये (अन्य 76.70 करोड़ रूपये) था। वित लेखा के अनुसार आंकड़े 258.79 करोड़ रूपये हैं। अन्तर का समाधान हो रहा है।*

बजट से बर्हिगमन, अनुदान/आर्थिक साहाय्य, प्रतिभूतियाँ, बकाये का परित्याग तथा ऋणों का साधारण पूँजी में रूपान्तरण

1.16 अकार्यशील सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा बजट से बर्हिगमन, आर्थिक साहाय्य/अनुदान, प्रतिभूतियाँ, बकाये का परित्याग तथा ऋणों का साधारण पूँजी में रूपान्तरण की विवरणी **परिशिष्ट–1 तथा 3** में निहित है। वर्ष की समाप्ति पर दो अकार्यशील[1] सा.क्षे. उपक्रमों पर कुल 2.07 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियाँ बकाया थीं।

अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों के कुल स्थापना व्यय

1.17 2004–05 तक विगत तीन वर्षों की अवधि में सम्बन्धित प्रबन्धनों द्वारा दिए गए सूचनाओं के अनुसार अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों के स्थापना व्यय पर कुल देयताएँ तथा उनके वित्त पोषण के स्रोतों का वर्षवार ब्यौरा निम्न है :

(राशिः रुपये करोड़ में)

वर्ष	सा.क्षे.उ. की संख्या	स्थापना व्यय पर कुल देयताएँ	नियंत्री कंपनियों द्वारा वित्त सहायता	बकाया देयताएँ
2002–03	9	25.11	0.01	25.10
2003–04	12	39.42	0.11	39.31
2004–05	11[2]	14.74	0.07	14.67

अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों द्वारा लेखाओं का अंतिमीकरण

1.18 30 सितम्बर 2005 तक 34 अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों की लेखाएँ पिछले 10 से 28 वर्षों की अवधि के परास में बकाए में थीं जैसा कि **परिशिष्ट–2** से देखा जा सकता है।

अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम

1.19 कार्यशील सरकारी कम्पनियों के अन्तिम रूप दिए गये नवीनतम लेखाओं के आधार पर वित्तीय परिणामों का सार **परिशिष्ट–2** में निहित है। 34 अकार्यशील सरकारी कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी 100.84 करोड़ रुपये की तुलना में शुद्ध मूल्य[3] (–)70.27 करोड़ रुपये था। इन कम्पनियों को 19.01 करोड़ रुपये नगद हानि[4] एवं 171.10 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई।

लेखा परीक्षा के उल्लेख पर वसूली

1.20 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अभिलेखों के नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि बोर्ड ने तीन मामालों में कुल 40.68 लाख रूपये का राजस्व टैरिफ से कम उदग्रहण किया। लेखा परीक्षा द्वारा उठायी गई सभी आपत्तियों को बोर्ड ने स्वीकार किया और न्यून उदग्रहण की वसूली के लिए पूरक विपत्र जारी किए।

सा.क्षे. उपक्रमों को बन्द करने के संबंध में अनुशंसा

1.21 अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों की संचित हानि प्रदत्त पूँजी को 1.7 गुणा के आस–पास से ज्यादा थी और प्रत्येक वर्ष हानि हो रही थी, अतः सरकार को इनके कार्यों की सूक्ष्मता से समीक्षा करना चाहिए।

1 बिहार राज्य चर्मोउद्योग विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड।

2 23 कम्पनियों के विषय में सूचना लेखा परीक्षा को नहीं दी गई।

3 शुद्ध मूल्य अंश पूंजी में निवेश, मुक्त संरक्षित घटे संचित हानि को दर्शाति है।

4 नगद हानि वर्ष के दौरान अंवेक्षण से पहले हानि को दर्शाती है।

बिहार सरकार ने 17 कम्पनियों (पाँच कार्यशील एवं 12 अकार्यशील), जिनमें सरकार का पूंजी एवं ऋण में कुल निवेश 548.43 करोड़ रूपये था, को बन्द करने का निर्णय लिया। 15 निगमों ने पटना उच्च न्यायालय में बन्दी के लिए याचिका दायर की एवं इनमें से 3 निगमों[5] के संबंध में बन्दी के आदेश पारित हो गये। कम्पनियाँ जो बन्द होनी हैं और कम्पनियाँ जो बन्दी के लिए याचिका दायर की हैं उनकी सूची **परिशिष्ट–7** में निहित है।

सांविधिक निगमों के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति

1.22 सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक–महालेखाकार द्वारा निर्गत विभिन्न पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प.प्र.) का सरकार द्वार विधायिका के पटल पर रखने की स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम संख्या	सांविधिक निगमों के नाम	विधायिका में पृ.ले.प.प्र. की प्रस्तुतीकरण की तिथि	विधायिका में पृ.ले.प.प्र. को न प्रस्तुत करने के वर्ष		
			पृ.ले.प्र. के वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	विधायिका में प्रस्तुतीकरण मे विलम्ब के कारण
1	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	1997–98	1998–99 1999–00 2000–01	04.06.2002 23.05.2003 30.06.2004	कारण सूचित नहीं किये गये।
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973–74	1974–75 से 1998–99	1991–92–9.6.97 1992–93–2.9.98 1993–94–2.9.98 1994–95–4.12.98 1995–96–18.4.2000 1996–97–19.3.04 1997–98–19.10.04 1998–99–12.04.05	निगम द्वारा प्रतिवेदन की प्रतियाँ विधायिका को प्रस्तुतीकरण के लिए उपलब्ध नहीं करायी गयीं।
3	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2000–01	2001–02 से 2002–03	03.09.04	कारण सूचित नहीं किये गये।
4	बिहार राज्य भण्डारण निगम	1999–2000	2000–01	21.09.04	कारण सूचित नहीं किये गये।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि चार सांविधिक निगमों के 31 पृथक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों को एक वर्ष से 25 वर्षों तक विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिनमें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के तीन पृ.ले.प.प्र. और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 25 पृ.ले.प.प्र., बिहार राज्य वित्तीय निगम के दो पृ.ले.प.प्र., बिहार राज्य भण्डारण निगम का एक पृ.ले.प.प्र. अभी तक (सितम्बर 2005) पटल पर नहीं रखे गए। पृ.ले.प. को पटल पर नहीं रखे जाने के कारण विधायिका इन निगमों पर वित्तीय नियंत्रण रखने से वंचित रही।

संबंधित अधिनियमों की आवश्यकतानुसार राज्य सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष समय पर प्रस्तुतीकरण हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए।

5 बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड, एवं बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण और पुनर्गठन

1.23 वर्ष 2004–05 में राज्य सरकार ने अपने किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश, निजीकरण और पुनर्गठन का कार्य शुरू नहीं किया। झारखंड राज्य बनने पर सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों के पुर्नगठन का कार्य शुरू किया गया। 12 कंपनियों/निगमों के परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे के साथ–साथ प्रबंधन के बंटवारे का निर्णय सितंबर 2004 में लिया गया। तथापि केवल चार* कंपनियों/निगमों के संदर्भ में ही इसका कार्यान्वयन किया गया (सितंबर 2005) जिसका विवरण **परिशिष्ट–8** में निहित है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए सा.क्षे.उ. की लेखापरीक्षा के परिणाम

1.24 अक्टूबर 2004 से सितम्बर 2005 की अवधि में सात सरकारी कम्पनियों के 15 लेखाओं और एक सांविधिक निगम के दो लेखाओं पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणी निर्गत की गई। सा. क्षे. उ. के लेखाओं पर महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों का शुद्ध प्रभाव निम्न प्रकार है :

(राशिः रुपये करोड़ में)

विवरण	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगमें	
	लेखाओं की संख्या	रकम	लेखाओं की संख्या	रकम
हानि में बढ़ोतरी	3	5.08	2	49.12
हानि में कमी	–	–	1	2.16
आय/व्यय तथा सम्पत्ति एवं देयताओं का गलत वर्गीकरण	1	1.09	–	–
महत्त्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटन	2	7.60	1	55.00

ऊपर दर्शायी गयी कुछ सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा के दौरान कुछ बड़े भूल–चूक का उल्लेख नीचे किया गया है :

सरकारी कम्पनियों के मामलों में पाए गए भूल–चूक

1.25 सरकारी कंपनियों के मामलों में लेखा परीक्षा के क्रम में अवलोकित कुछ महत्वपूर्ण भूल–चूकों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

(राशिः रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	कम्पनियों का नाम	लेखा का वर्ष	भूल/चूक	राशि
1	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड	1982–83	विक्रय के लिए संदिग्ध सामग्रियों का परिहार नही करने से हानि कम दर्शाई गई।	0.34
2	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	1998–99	बंद निवेशित ईकाइयों में अक्रिय निवेश के लिए प्रावधान न करने से हानि कम दर्शाई गई।	1.36
3	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	1999–2000	बंद निवेशित ईकाइयों में अक्रिय निवेश के लिए प्रावधान न करने से हानि कम दिखाई गई।	1.39

* *बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भंडार निगम, बिहार राज्य जल–विद्युत पावर निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक निगम लिमिटेड।*

सांविधिक निगमों के मामलों में पाए गये भूल–चूक

1.26 सांविधिक निगमों के लेखा परीक्षा के दौरान कुछ महत्त्वपूर्ण भूल–चूकों को निम्न रूप से सारणीबद्ध किया गया है:

(राशि: रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	सांविधिक निगमों का नाम	लेखा का वर्ष	भूल / चूक	राशि
1	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1997–98	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अवसूलनीय कर श्रोत पर की कटौती का प्रावधान न करने से हानि कम दिखाई गई।	7.22
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1998–99	1. वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अवसूलनीय श्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान न करने से हानि कम दिखाई गई।	7.22
			2. सेवानिवृत / मृत / मार्च 1999 तक अलग हुए कर्मचारी को उपदान,छुट्टी का नगद भुगतान आदि देयों के लिए प्रावधान न करने से हानि की राशि कम दर्शाई गई।	30.68
			3. पूँजीगत उपकरणों पर ह्रास नही प्रभारित करने से ह्रास एवं हानि कम दर्शाई गई।	2.62
			4. सावधिक जमा पर अर्जित व्याज को लेखा में न लेने के कारण हानि अधिक दिखाई गई।	2.16

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यचालन परिणामों का लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकन

1.27 2000–01 तक तीन वर्षों के लिए बि. रा. वि. बो. के कार्यचालन परिणामों का लेखापरीक्षा द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित तथा बोर्ड के 2000–01 तक वार्षिक लेखाओं पर पृ.ले.प.प्र. में इंगित बड़ी अनियमितताओं तथा भूल–चूक को ध्यान में रखते हुए और सरकार से प्राप्य अर्थ साहाय्य को छोड़कर बोर्ड का शुद्ध अधिशेष घाटा एवं नियोजित पूँजी के प्रतिफल की *प्रतिशत* वापसी निम्नलिखित है :

(राशि: रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	1999–2000	2000–01	2001–02*
1	लेखा पुस्तिकाओं के अनुसार निवल घाटा	992.04	3,538.73	626.84
2	राज्य सरकार से अर्थ साहाय्य / अनुदान	629.00	834.30	682.10
3	राज्य सरकार से प्राप्त अर्थ साहाय्य के पूर्व निवल घाटा (1+2)	1,621.04	4,373.03	1,308.94
4	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी के फलस्वरूप घाटे में निवल वृद्धि।	79.42	3,289.21	लेखायें संशोधन के अन्तर्गत
5	राज्य सरकार से अर्थ सहाय्य के पूर्व लेखापरीक्षा की टिप्पणी के प्रभाव के कारण निवल घाटा (3–4)	1,700.46	7,662.24	लेखायें संशोधन के अन्तर्गत
6	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल*	(–)295.84	(–)2,629.85	(–)181.62

आँकड़े विभाजित बि.रा.वि.बो. के है। **नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल निवल अधिशेष / हानि तथा लाभ–हानि लेखे पर प्रभारित कुल ब्याज (पूंजीगत ब्याज को घटाकर) के योग का द्योतक है।*

आंतरिक लेखा परीक्षा/आंतरिक नियंत्रण

1.28 सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(4) के अन्तर्गत यह प्रतिवेदन देना है कि निगम के आकार और कार्य की प्रकृति के अनुसार पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया लागू है कि नहीं। इसके अतिरिक्त उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में आंतरिक लेखा परीक्षा/आंतरिक नियंत्रण सहित विभिन्न पहलुओं पर पूरक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है और जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है उसकी पहचान करनी है। आगे इसी अधिनियम की धारा 292 अ, जो कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 2000 के अन्तर्गत संशोधित की गई है, के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निगम, जिसकी प्रदत्त पूँजी पाँच करोड़ रुपये से कम नहीं है, को आंतरिक नियंत्रण के अनुपालन, इसकी पर्याप्तता और निदेशक मंडल के समक्ष वित्तीय प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के पूर्व उसकी समीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा समिति का गठन करना है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त किए गए 13 सरकारी कम्पनियों के ऐसे 23 प्रतिवेदनों, जो कि वर्ष 2004–05 में अंतिम रूप दिये गये लेखाओं से संबंधित हैं, के विश्लेषण से प्रकटित हुआ कि आठ कंपनियों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा पाई गई कमियाँ **परिशिष्ट–9** में निहित हैं।

लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर विचार–विमर्श की स्थिति

1.29 लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर विचार–विमर्श हेतु लम्बित समीक्षाओं एवं कंडिकाओं की सितम्बर 2004 तक की स्थिति निम्नलिखित है :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित समीक्षाओं एवं कंडिकाओं की संख्या		विचार–विमर्श के लिये लम्बित समीक्षाओं एवं कंडिकाओं की संख्या	
	समीक्षायें	कंडिकायें	समीक्षायें	कंडिकायें
1981–82	4	8	3	0
1982–83	8	18	5	1
1983–84	4	34	3	5
1984–85	3	9	3	1
1985–86	3	21	3	4
1986–87	6	29	6	8
1987–88	5	23	5	6
1988–89	4	44	4	10
1989–90	6	48	6	12
1990–91	4	39	4	9
1991–92	4	49	4	15
1992–93	5	31	5	9
1993–94	3	32	3	4
1994–95	3	19	3	6
1995–96	3	21	3	7

1996–97	3	21	2	17
1997–98	2	25	2	24
1998–99	6	15	6	15
1999–2000	3	15	3	15
2000–01	2	13	2	13
2001–02	3	9	3	9
2002–03	3	7	3	7
कुल	**87**	**530**	**81**	**198**

619–ब कम्पनियाँ

1.30 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–(ब) के अन्तर्गत आठ कम्पनियाँ थीं जिनमें से छः कम्पनियों ने प्रारम्भ से ही अपने लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं किया तथा सोन कमाण्ड एरिया डेवलेपमेंट एजेन्सीज (स्काडा) ने बन्दी हेतु सितम्बर 2000 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में आवेदन दाखिल किया। इन कम्पनियों के नवीनतम लेखाओं के आधार पर प्रदत्त पूंजी, अंश पूंजी के रूप में निवेश, ऋण एवं अनुदानों तथा संक्षिप्त कार्यचालन परिणाम की विस्तृत विवरणी **परिशिष्ट–10** में निहित है।

अध्याय – II

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षाएँ

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड तथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की निर्माण गतिविधियाँ

मुख्य अंश

राज्य योजना एवं दशम वित्त आयोग (द.वि.आ.) के अन्तर्गत 3,915 भवनों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (बि.पु.भ.नि.नि.) 2001–05 की अवधि में मात्र 2,858 भवनों का निर्माण कर सका तथा द.वि.आ. के विस्तारित कालावधि (मार्च 2001) के पश्चात् 3.35 करोड़ रूपये का अनाधिकृत व्यय किया। बि.पु.भ.नि.नि. पुलिस आधुनिकीकरण योजना (पु.आ.यो.) के अन्तर्गत 34.03 करोड़ रूपये लागत वाले 300 कार्यो को आरंभ करने में विफल रहा।

(कंडिका 2.6.1)

बि.पु.भ.नि.नि. ने सरकार की स्वीकृति के बिना द.वि.आ. के अन्तर्गत भवनों का प्लिंथ भाग बढ़ा दिया तथा 15.30 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय किया। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की स्वीकृति के बिना 64 क्वाटर्स के निरूपण में परिवर्तन कर 32 बड़े आकार के क्वाटर्स का निर्माण किया।

(कंडिका 2.6.2 तथा 2.6.3)

बि.पु.भ.नि.नि. ने पाँच जिलों के पुलिस अधीक्षकों को 54.33 लाख रूपये की अग्रिम राशि का अनाधिकृत वितरण किया।

(कंडिका 2.6.5)

बि.पु.भ.नि.नि. ने नियमों के विरूद्ध, मनोनयन के आधार पर कार्यो का आवंटन किया और 95.77 लाख रूपये का परिहार्य व्यय किया।

(कंडिका 2.6.7)

प्रभावी पर्यवेक्षण, आकलनों के पुनरीक्षण न करने तथा दोषपूर्ण निर्माण के कारण 2.78 करोड़ रूपये मूल्य के कार्य 1.05 करोड़ रूपये के व्यय के पश्चात् पाँच वर्षो से अधिक अवधि से लंबित थे।

(कंडिका 2.6.8)

बि.पु.भ.नि.नि. ने पुलिस अकादमी भवन के निरूपण में परिवर्तन के कारण 92.24 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया।

(कंडिका 2.6.11)

बि.पु.भ.नि.नि. ने मुख्य सचिव, बिहार सरकार के निर्णय की अवहेलना कर तत्काल आवश्यकता नहीं होने पर भी स्टील/सीमेंट का क्रय जारी रखा तथा 2000–05 की अवधि में 1.86 करोड़ रूपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया।

(कंडिका 2.6.13)

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम (बि.रा.पु.नि.नि.) ने 329 आवंटित पुलों के विरूद्ध 252 पुलों का निर्माण पूरा किया तथा 61 पुलों पर 137.19 करोड रूपये के व्यय के बाद भी वे एक से 22 वर्षों की अवधि के परास में निर्माणधीन थे।

(कंडिका 2.8.1)

बि.रा.पु.नि.नि. ने 37 पुलों पर स्वीकृति से 48.71 करोड रूपये का अधिक व्यय किया। इनमें से 4.92 करोड़ रूपयों का दावा सरकार को प्रस्तुत किया गया तथा 43.79 करोड रूपये के दावे अप्रस्तुत रह गए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित आकलनों को अस्वीकार कर देने के परिणामस्वरूप बि.रा.पु.नि.नि. ने छः अधूरे पुलों के निर्माण पर 11.68 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय किया।

(कंडिका 2.8.2)

बि.रा.पु.नि.नि. को दरभंगा–समस्तीपुर मार्ग के 38 कि.मि. पर अवस्थित उच्चस्तरीय पुल के निर्माण पर अनाधिकृत कार्यों तथा अनुसूचित दरों से ऊपर व्यय करने से 1.10 करोड रूपये की हानि हुई।

(कंडिका 2.8.6)

बि.रा.पु.नि.नि. ने कार्यशील पूंजी की आवश्यकता तथा स्थापना व्यय हेतु पुल विकास निधि से नियमों के विरूद्ध, 39.61 करोड रूपये का विचलन किया।

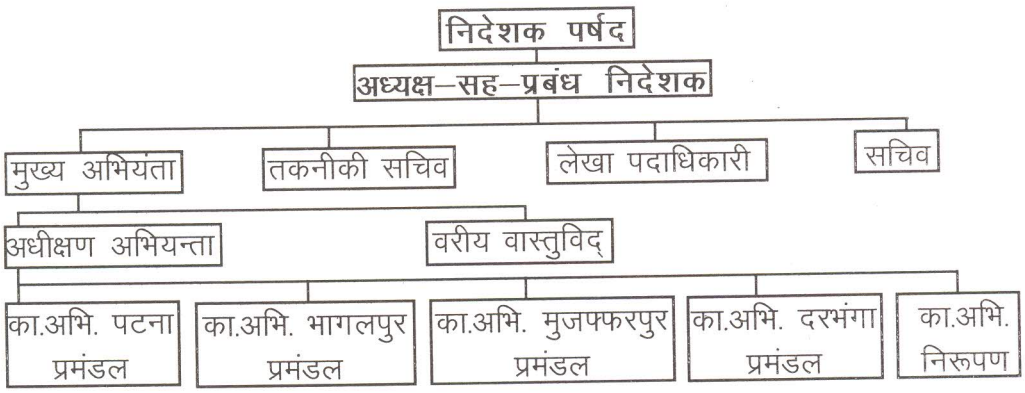
(कंडिका 2.10)

प्रस्तावना

2.1 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बि.पु.भ.नि.नि.) की स्थापना 29 जून 1974 को सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में हुई। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य बिहार पुलिस तथा अन्य के लिए राज्य सरकार की ओर से आवश्यक भवनों का निर्माण करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कम्पनी ने राज्य योजना, दशम वित्त आयोग (द.वि.आ.) तथा पुलिस आधुनिकीकरण योजना (पु.आ.यो.) के अन्तर्गत आवासीय/गैर आवासीय भवनों के निर्माण का कार्य (2000–05) हाथ में लिया।

कम्पनी का प्रबंधन निदेशक पर्षद में निहित है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अ.स.प्र.नि.) जो कम्पनी के मुख्य कार्यकारी हैं को तकनीकी मामलों में एक मुख्य अभियन्ता तथा वित्तीय मामलों में एक लेखा पदाधिकारी द्वारा सहयोग दिया जाता है। पाँच कार्यपालक अभियन्ताओं तथा एक निरूपण कार्यपालक अभियन्ता के कार्यो का पर्यवेक्षण कम्पनी मुख्यालय में पदस्थापित मुख्य अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया जाता है।

निर्माण गतिविधियों के संचालन के लिए संगठनात्मक रूप रेखा निम्न प्रकार है:



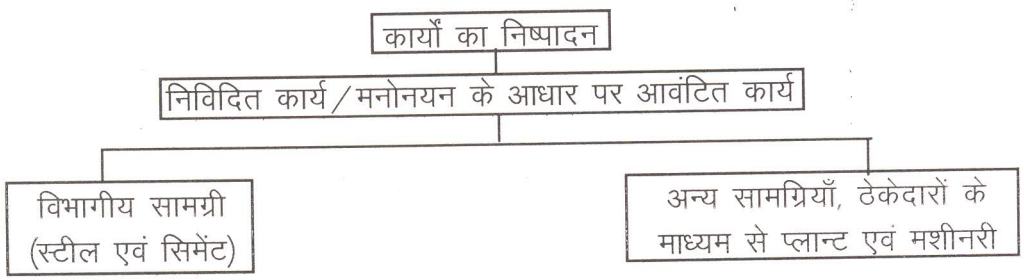
सरकार ने जुलाई 2003 में कम्पनी के समापन का निर्णय लिया।

बिहार सरकार ने जुलाई 2003 में कम्पनी द्वारा (i) उद्देश्य प्राप्ति में असफल रहने (ii) निरन्तर हानि के कारण लाभांश अदा न कर सकने तथा (iii) अपने कार्यरत कर्मचारियों को वेतन भुगतान एवं अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान के दायित्व का निर्वहन न कर सकने के कारण इसके समापन का निर्णय* लिया तथा कम्पनी को माननीय उच्च न्यायालय में समापन के लिए याचिका दायर करने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2004)।

निदेशक पर्षद ने कम्पनी के समापन के निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु सरकार से अनुरोध (नवम्बर 2004) किया। जून 2005 तक राज्य सरकार का निर्णय प्रतीक्षित था। सरकार के निर्णय के अभाव में कम्पनी ने राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2004 में यथानिदेशित, उच्च न्यायालय में समापन हेतु याचिका दायर नहीं किया।

कम्पनी ने कोई अपना कार्य नियमावली संकलित नहीं किया था तथा राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के लिए निर्धारित पैटर्न/मानकों का अनुसरण कर रही थी। कम्पनी, निर्माण कार्यों का निष्पादन सरकारी/निजी ठेकेदारों द्वारा निविदा आमंत्रित कर अथवा चयन या मनोनयन के आधार पर कार्यों–आवंटन (अर्थात् बिना निविदा आमंत्रित किये) कराती है।

कम्पनी द्वारा अनुसरित कार्य निष्पादन की प्रक्रिया को दर्शाती फ्लोचार्ट निम्नवत् है :



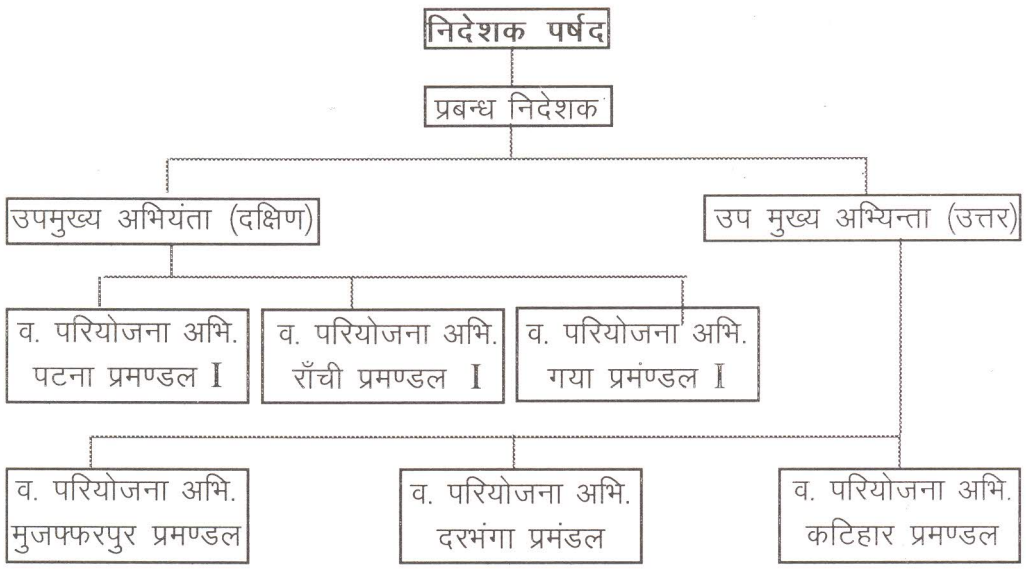
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बि.रा.पु.नि.नि.) की स्थापना जून 1975 में सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में पुलों, सड़कों एवं अन्य ढाचों के निरूपण, निर्माण, उन्नयन, प्रबंध करने, नियंत्रण एवं रख रखाव हेतु की गई थी। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पुलों पर मार्ग–कर संग्रहण का कार्य भी कम्पनी को सौंपा गया था। तथापि कम्पनी ने अपनी गतिविधियाँ मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा योजना, गैर–योजना,

* *वित्त (लोक उपक्रम व्यूरो) विभाग के संकल्प दिनांक 28 जुलाई 2003 के अनुसार*

एम.पी./एम.एल.ए. वैकल्पिक निधि तथा भारत के राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण द्वारा आवंटित पुलों के निर्माण में केन्द्रित रखा था।

कम्पनी का प्रबन्धन, निदेशक पर्षद में निहित है। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी के मुख्य कार्यकारी हैं तथा उन्हें एक वित्तीय सलाहकार सह–मुख्य लेखा पदाधिकारी (बि.स.–सह–मु.ले.प.), मुख्यालय स्तर पर दो उप मुख्य अभियन्ता, तथा प्रमंडलो में कार्यरत छः वरीय परियोजना अभियन्ताओं द्वारा सहयोग दिया जाता है। बि.स.–सह–मु.ले.प. का पद जनवरी 2004 से रिक्त है।

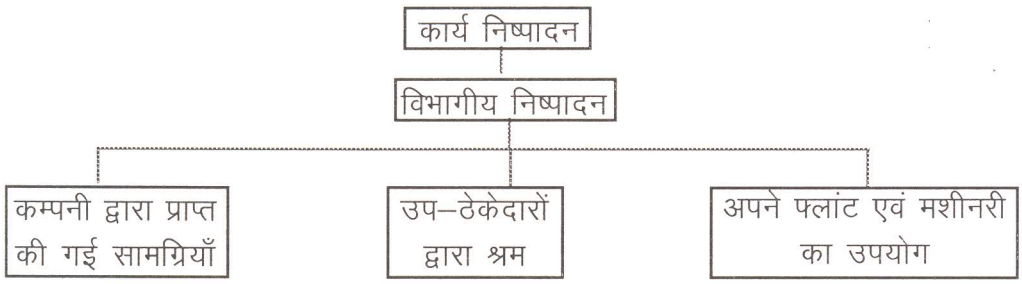
निर्माण गतिविधियों को निष्पादन हेतु संगठन तालिका निम्नवत् है :



पुल निर्माण निगम ने केवल जमा कार्यों का निष्पादन किया तथा खुली निविदाओं में भाग नहीं लिया

कम्पनी द्वारा निष्पादित कार्यो को दो वर्गों में बाँटा गया है (i) जमा कार्य तथा (ii) ठेका कार्य। राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को जमा कार्य, कम्पनी के उपरिव्यय के वहन हेतु, लागत–धन आधार अर्थात् अनुसूचित लागत तथा सेंटेज चार्ज (13.5 *प्रतिशत* औपबंधिक) के योग पर दिया जाता है। कम्पनी द्वारा ठेका कार्य खुले निविदा में भाग लेकर प्राप्त किया जाता है। समीक्षा की अवधि में कम्पनी ने मात्र जमा–कार्य का निष्पादन किया तथा कोई भी ठेका–कार्य प्राप्त नही किया क्योंकि कम्पनी ने किसी खुली निविदा में भाग नहीं लिया।

कम्पनी द्वारा अनुसरित कार्य–निष्पादन की प्रक्रिया को दर्शाती फ्लोचार्ट निम्नवत् है :



बि.पु.भ.नि.नि. तथा वि.रा.पु.नि.नि. के कार्य चालन की समीक्षा 31 मार्च 1983 तथा 1997 को क्रमशः समाप्त वर्षों के भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) बिहार सरकार के प्रतिवेदनों में समाहित किया गया था जिन पर लोक उपक्रम समिति द्वारा अभी चर्चा की जानी है। 2000–05 की अवधि में कंपनियों के निर्माण गतिविधियों की समीक्षा मार्च से मई 2005 के मध्य की गई।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.2 31 मार्च 2005 को कंपनी मुख्यालय तथा 15 वाह्य इकाइयों में से व्यवसाय व पूर्ण परियोजनाओं के आधार पर चयनित आठ (53 *प्रतिशत*) इकाइयों के कार्यों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच की गई।

लेखा परीक्षा का उद्देश्य

2.3 कंपनियों की निर्माण गतिविधियों के निष्पादन की लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन तथा आकलन हेतु किया गया कि क्याः

- अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कम्पनियाँ पर्याप्त निधि की व्यवस्था करने में समर्थ थीं;
- उत्पाद, निर्धारित लक्ष्यों/सौपें गए कार्यो के संगत थे तथा परियोजनाएँ मंजूर लागत के अन्तर्गत पूरी की गई थी;
- कम्पनियों ने पद्धतियों एवं कार्य–विधियों को यथास्थान रखा था, जिनसे कार्यो के आकलितएवं वास्तविक लागत के युक्तिसंगत होने के निर्धारण हेतु विरचना उपलब्ध हो सके;
- विभिन्न लेन–देन के अभिलेखीकरण तथा निर्धारित नियंत्रण एवं कार्य–विधि के अनुपालन के अभाव के प्रति कम्पनियों की आन्तरिक नियंत्रण पद्धति पर्याप्त तथा संवेदनशील थी;
- काल वृद्धि के जोखिम के प्रति कम्पनियाँ संवेदनशील थीं तथा भवन–निर्माण की समाप्ति एवं निर्मित भवनों को सरकार को हस्तगत करने के मामले में कम्पनियों ने पर्याप्त हस्तक्षेप एवं पर्यवेक्षण का प्रावधान किया।

लेखा परीक्षा का मापदण्ड

2.4 कम्पनियों की निर्माण गतिविधियों का निस्पादन, उनके आदेश, नियम एवं प्रणालियाँ, अपनाई गई कार्य–संहिता तथा अन्य लागू अधिनियम जैसे योजना, निष्पादन एवं ठेका प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रचलन पर आधारित था।

लेखा परीक्षा की प्रणाली

2.5 एक मार्गदर्शी अध्ययन संचालित किया गया तथा उसके परिणामों के आधार पर कम्पनी में योजना, ठेका प्रबन्धन, सामग्रियों की प्राप्ति, लागत वृद्धि तथा कार्य नियमों के पालन के मामले में अधिक जोखिम होने का निष्कर्ष निकला। इसके आलोक में अधिक जोखिम क्षेत्रों के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित प्रणाली अपनाई गईः

योजना, लक्ष्य के विरूद्ध कार्यो की भौतिक प्रगति, कार्य–आवंटन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया, प्राप्त की गई सामग्रियों की गुणवत्ता एवं दर तथा कार्य पर व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों की विस्तृत जाँच।

2.6 लेखा परीक्षा का निष्कर्ष

लेखा–परीक्षा निष्कर्षो को जून 2005 में सरकार/प्रबंधन को प्रतिवेदित की गई थीं तथा 4 अक्टूबर 2005 को आयोजित राज्य लोक–उद्यमों हेतु लेखा परीक्षा समीक्षा समिति (ए.आर.सी.पी.एस.ई.) की बैठक में विचार विमर्श की गई जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व विशेष सचिव, गृह विभाग ने तथा प्रबंधन का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बि.पु.भ.नि.नि. ने किया। बि.रा.पु.नि.नि. के मामले में सरकार का प्रतिनिधित्व सचिव, पथ निर्माण विभाग ने तथा

प्रबन्धन का प्रतिनिधित्व प्रबन्ध निदेशक ने किया। सरकार/प्रबन्धन के विचारो को ध्यान में रखकर समीक्षाओं का अन्तिम रूप दिया गया।

लेखा परीक्षा के निष्कर्षों को उत्तरवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड

सरकार से कार्य की प्राप्ति

लक्ष्य एवं प्राप्ति

2.6.1 2000–2005 की अवधि में राज्य योजना के अन्तर्गत कम्पनी ने कोई आवंटन प्राप्त नहीं किया। तथापि दो योजनाओं के अन्तर्गत 1996–2000 की अवधि में 94.55 करोड़ रूपयों* की प्राप्त निधि से अपूर्ण/छोड़े गए कार्यो का निष्पादन इसने जारी रखा। मार्च 2005 तक 3,915 भवनों के निर्माण लक्ष्य के विरूद्ध कम्पनी ने 2,858 भवनों का निर्माण पूरा किया। द.वि.आ. की कालावधि आरंभ में 31 मार्च 2000 तक थी जिसे बाद में 31 मार्च 2001 तक विस्तारित किया गया था। यह देखा गया कि कम्पनी ने 31 मार्च 2001 के बाद 3.35 करोड़ रूपये का व्यय किया जो अनाधिकृत था क्योंकि अव्यवहृत राशि को अभ्यर्पित करना था जो नहीं किया गया।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण की एक केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना का आरंभ मार्च 2001 में किया गया, जिसमें 50 *प्रतिशत* हिस्सा भारत सरकार का (50 *प्रतिशत* अनुदान तथा 50 *प्रतिशत* किश्तों में ऋण) तथा 50 *प्रतिशत* हिस्सा राज्य सरकार का है। इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर व्यय आरंभ में कम्पनी द्वारा अपने संसाधनों से किया जाता था तथा बाद में व्यय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर पाँच करोड़ रूपयों के किश्तों में सरकार द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती थी। मार्च 2005 तक कम्पनी ने 75.90 करोड़ रूपयों की उपलब्ध निधि के विरूद्ध 50 करोड़ रूपयों की प्रतिपूर्ति प्राप्त किया था।

2004–05 की अवधि के दौरान पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों के विरूद्ध कम्पनी की उपलब्धि निम्नवत् थी :–

(राशि: रूपए करोड़ में)

योजना/कार्य	अवधि	लक्ष्य		उपलब्धि (भवनों की संख्या)		
		पूंजी लागत	भवनो की संख्या	पूर्ण	अपूर्ण	आरंभ नही किया गया
लोअर सबऑर्डिनेट (एल.एस.) क्वाटर्स	2000–01 से 2004–05		1070	456	498	116
अपर सबऑर्डिनेट (यू.एस.) क्वाटर्स			370	186	124	60
जिला नियंत्रण कक्ष		75.90	39	09	18	12
महिला बैरक			23	17	05	01
नक्सल पु. स्टे. चहार दिवारी निर्माण			90	31	20	39
पुलिस लाइन			05	–	05	00
पी.एस. भवन			37	–	07	30
विविध			42	–	–	42
कुल (स)			1676	699	677	300

** राज्य योजना के अन्तर्गत 704 गैर–आवासीय भवनों के लिए 33.75 करोड़ रूपये तथा द.वि.आ. के अन्तर्गत 3915 आवासीय तथा गैर–आवासीय भवनों के लिए 60.80 करोड़ रूपये*

ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि योजना के अन्तर्गत 1,676 आवासीय/गैर–आवासीय भवनों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध, कम्पनी 699 भवनों का निर्माण कर सकी जो लक्ष्य का 41.71 *प्रतिशत* था (मार्च 2005)।

निविदा/पुन र्निविदा आमंत्रण, समझौते पर हस्ताक्षर, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने, कार्य निष्पादन में सरकार के अनुदेश प्राप्त करने तथा निर्माण निधि के विचलन इत्यादि में विलम्ब के कारण कम्पनी 34.03 करोड़ रूपए मूल्य के 300 कार्यो को आरंभ करने में विफल रही।

दोषपूर्ण योजना

संरचना रूप रेखा में विचलन

2.6.2 द.वि.आ. ने प्रत्येक 435 वर्गफीट के 3,796 इकाइयों के निर्माण की स्वीकृति दी थी जिसके विरूद्ध कम्पनी ने प्रत्येक 495 वर्गफीट के 2,732 इकाइयों का निर्माण किया। परिणाम स्वरूप प्रति इकाई लागत 1.39 लाख रूपये से बढ़कर 1.95 लाख रूपये हो गया।

कम्पनी ने 2,732 इकाइयों के निर्माण पर 15.30 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय किया

प्लींथ क्षेत्रफल और प्रति इकाई लागत में अनाधिकृत वृद्धि के कारण 3,796 इकाइयों के लक्ष्य के विरूद्ध कम्पनी 15.30* करोड़ रूपये के अतिरिक्त व्यय के बाद भी कुल 2,732 इकाइयों का निर्माण कर सकी और द.वि.आ. के अन्तर्गत लक्ष्य का मात्र 72 *प्रतिशत* प्राप्त कर सकी।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार (सितम्बर 2005) किया।

2.6.3 कम्पनी ने निर्मित 2,732 इकाइयों में से 64 लोअर सब–ऑर्डिनेट (एल.एस.) क्वार्टर (कुल लागत–प्रति इकाई 1.39 लाख रूपये की दर से 88.96 लाख रूपये) के निरूपण में परिवर्तन कर अन्य निरूपण वाले 32 क्वार्टर का निर्माण किया। प्रबंधन ने कहा कि आवश्यकता को देखते हुए (एल.एस.)क्वार्टर के निरूपण में परिवर्त्तन का निर्णय बिना निदेशक पर्षद की स्वीकृति लिए तत्कालीन अ.–सह–प्र.नि. के द्वारा लिया गया था।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अ.–सह–प्र.नि. भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत निरूपण में परिवर्त्तन करने के लिए अधिकृत नहीं थे।

प्राथमिकता सूची का अनुपालन नहीं होना

कम्पनी ने 80.62 लाख रूपये को उन भवनों के निर्माण हेतु विचलित किया जो प्राथमिकता सूची में नहीं थे।

2.6.4 निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकार ने कुछ जिलों में, जहाँ भवनों के निर्माण होने थे, थानों की एक प्राथमिकता सूची अनुमोदित की थी। कम्पनी ने चार# जिलों में 58 एल.एस. क्वार्टर के लिए उपलब्ध 80.62 लाख रूपए की राशि जिलों के वैसे थानों के निर्माण हेतु विचलन किया जो प्राथमिकता सूची में नहीं थे।

अग्रिम का अनियमित संवितरण

2.6.5 कम्पनी द्वारा अपनाई गई बिहार लो.नि.वि. संहिता के प्रावधानों की अवहेलना कर राज्य योजना के अन्तर्गत कम्पनी ने विभिन्न प्रमंडलों के कार्यपालक अभियन्ताओं को, पुलिस अधीक्षकों (पु.अ.) को उनके अधीन विभिन्न थानों में महिला हाजत व ग्रामीण थाने के निर्माण हेतु कार्य अग्रिम दने की अनुमति प्रदान की। कार्य का निष्पादन दो से तीन महीनों में प्रबंधन द्वारा अनुमोदित प्राक्कलित लागत (परिमाण विपत्र) पर होना था।

* *(1.95 लाख रूपये – 1.39 लाख रूपये) × 2732 = 15.30 करोड़*

\# *किशनगंज, पटना, साहेबगंज, और सिंहभूम*

पु.अ. के पास 36.36 लाख रूपये असमायोजित थे

लेखा–परीक्षा में पाया गया कि 1998–2003 की अवधि में चार प्रमण्डलों द्वारा पाँच पु.अ.[4] को दिए गए 54.53 लाख रूपये के अग्रिम के विरूद्ध, दो प्रमण्डलों से मात्र 18.17 लाख रूपये मूल्य के कार्यो के समायोजन विपत्र प्राप्त हुए थे तथा 36.36 लाख रूपये असमायोजित थे (सितम्बर 2005)। यह भी पाया गया कि राज्य सरकार के किसी निर्देश के बिना पु.अ. को अग्रिम दी गई थी। 17 निर्माण कार्यों (प्राक्कलित लागत–23.17 लाख रूपये) के मामले में अन्तिम विपत्र प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2005)।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2005) कि पु.अ. को अग्रिमों का संवितरण थानों में निर्माण कार्य हेतु किया गया था तथा अग्रिमों का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा। जबाव मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने अनाधिकृत तरीके से अग्रिमों का संवितरण किया था जिसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारण की आवश्यकता थी।

दोषपूर्ण ठेका प्रबंधन

2.6.6 किसी परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन, समुचित संविदा प्रबंधन पद्धति, गुणवत्ता को बरकरार रखना, स्वस्थ वित्तीय प्रबंधन तथा व्यय करते समय वित्तीय औचित्य पर निर्भर करता है। निम्नलिखित दृष्टांत इंगित करते है कि संविदा प्रबंधन पद्धति दोषपूर्ण थी तथा यह कम्पनी के हित की रक्षा करने में विफल रही।

कार्य का आवंटन

लो.नि.वि. संहिता के प्रावधानों की अवहेलना कर कंपनी ने 16.60 करोड रूपये मूल्य के 198 कार्यों का आवंटन मनोनयन के आधार पर किया

2.6.7 अन्य बातों के साथ, बिहार लो.नि.वि. संहिता का नियम 158 यह प्रावधान करता है कि ठेकेदारों को कार्य का आवंटन खुले निविदा के आधार पर किया जाना चाहिए जिससे सर्वाधिक स्पर्धा दर प्राप्त हो सके। फिर भी कम्पनी ने 0.75 लाख रूपये से 24.69 लाख रूपये के कार्यो का आवंटन मनोनय न के आधार पर (10 लाख रूपये तक अ.–सह–प्र.नि.) तथा 10 लाख रूपये से अधिक अनुवीक्षण समिति द्वारा किया गया। कार्यो का आवंटन अधिकांश मामलों में सरकारी एजेंसियों सहित विभिन्न ठेकेदारों को निविदा आमंत्रण के विरूद्ध असंतोषजनक प्रत्युत्तर मिलने अथवा कार्य के अति–आवश्यक होने के बहाने अधिसूचित दर से 2 से 10 *प्रतिशत* अधिक पर किया गया। परिणाम स्वरूप 1999–2001 की अवधि में मनोनयन के आधार पर आवंटित 237 कार्यो (19.90 करोड़ रूपये) में से 198 कार्यो (16.60 करोड रूपये) पर 95.77 लाख रूपये का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबंधन ने अवगत कराया (सितम्बर 2005) कि कार्यों का मनोनयन के आधार पर आवंटन (i) कार्यो का पुलिस स्टेशनों में अवस्थित होना तथा स्थलों का उपद्रव प्रभावित क्षेत्रों सहित ग्रामीण तथा सुदूर इलाके में होना, (ii) निविदा आमंत्रण सूचना के विरूद्ध निविदा प्राप्त नहीं होना तथा (iii) अर्हता न रखनेवाले ठेकेदारों से निविदा प्राप्त होना इत्यादि कारणों से किया गया था।

प्रबंधन का यह जबाब मान्य नहीं है क्योंकि नियम इन आधारों पर छूट की अनुमति नहीं देता है।

अपूर्ण कार्य

2.6.8 लेखा परीक्षा जाँच से स्पष्ट हुआ कि द.वि.आ. के अन्तर्गत 2001–02 की अवधि तक 2.78 करोड़ रूपयों के लिए 43 कार्यों के निष्पादन के लिए एकरारनामा किए गए थे जो प्रभावी

4. *अररिया, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा व पूर्णिया के पु.अ.*

पर्यवेक्षण के अभाव, प्राक्कलन के पुनरीक्षण न होने एवं कार्यों का आवंटन उन ठेकेदारो को देने जिनका कार्य–निष्पादन पूर्व में असंतोषजनक था, के कारण 1.05 करोड़ रूपये व्यय करने के बाद भी निम्न प्रकार अपूर्ण पड़े थे :–

क्रम सं.	कार्य का नाम	कार्यों की संख्या	व्यय (रू. लाख में)	लेखा परीक्षा का निष्कर्ष
1.	कॉंस्टेवल प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर में आठ वर्ग–कक्ष के लिए	1	21.33	यद्यपि निरूपण में परिवर्त्तन किया गया था, प्राक्कलन को पुनरीक्षित नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप ठेकेदार का भुगतान रोक दिया गया तथा ठेकेदार ने कार्य को अधूरा छोड़ दिया (जुलाई 2000)। सितम्बर 2005 तक कार्य अपूर्ण पड़ा था।
2.	4 जिलों में आवासीय/गैर–आवासीय भवन	9	8.27	कार्य का स्थानान्तरण भागलपुर प्रमण्डल से हजारीबाग प्रमण्डल किया गया (अक्टूबर 2002) तथा पुनः भागलपुर प्रमण्डल को वापस कर दिया गया (अप्रील 2003)। बार–बार प्रमण्डल बदले जाने से कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई।
3.	मुजफ्फपुर प्रमण्डल में ग्रामीण पुलिस स्टेशन तथा एल. एस. क्वार्टर का निर्माण	32	53.74	अनुवीक्षण का अभाव, दोषी ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही में विलम्ब तथा शेष कार्यों का आवंटन अन्य ठेकेदारो को नहीं करना।
4.	खगड़िया पुलिस लाइन में 12 एल. एस. क्वार्टर का तीन ब्लॉक	1	21.75	यद्यपि प्रथम ब्लॉक के कार्य का निष्पादन असंतोषजनक था, उसी ठेकेदार को शेष दो ब्लॉक का कार्य दे दिया गया जो अब तक अपूर्ण है।

प्रबंधन ने अवगत कराया कि इन भवनों को यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

निर्गत सामग्रियों के मद में ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान।

2.6.9 कम्पनी कार्यो में उपयोग के लिए ठेकेदारों को सामग्रियाँ (सीमेंट एवं स्टील) निर्गत करती है। कम्पनी का नियम यह प्रावधान करता है कि प्राक्कलित दर से ऊपर ठेकेदारों से किए गए एकरारनामा के मामले में बिड अभिलेखों में उल्लेखित निर्धारित दरों पर निर्गत विभागीय सामग्रियों के विरूद्ध बढ़ी हुई दर अनुमान्य नहीं होगी। लेखा परीक्षा में पाया गया कि 2002–03 से 2004–05 के मध्य निष्पादित 45 कार्यो के मामले में इन नियमों का स्पष्ट उल्लंघन कर कम्पनी ने विभागीय निर्गत सामग्रियों के मद में बढोतरी कर 22.57 लाख रूपये का भुगतान किया।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2005) कि लो.नि.वि./सिंचाई एवं अन्य सरकारी विभागों में समान प्रचलन का अनुसरण किया गया था।

प्रबंधन का जबाव मान्य नहीं है क्योंकि नियम ऐसे भुगतान की अनुमति नहीं देता है।

ठेकेदारों को अनाधिकृत भुगतान

2.6.10 लो.नि.वि. संहिता ठेकेदारों को आवश्यकता से अधिक निर्गत तथा वापस नहीं किए गए सामग्रियों की वसूली निर्गत दर से दुगने दर पर करने का प्रावधान करता है। इसी प्रकार संविदा के उल्लंघन के मामले में दण्ड वसूल किया जाना है। तौभी लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि 2001–05 की अवधि में कम्पनी ठेकेदार से पुलिस प्रशिक्षण अकादमी हजारीबाग में सामग्रियों का लागत (8.15 लाख रूपये) तथा मुजफ्फरपुर में ग्रामीण पुलिस स्टेशन एवं 12 एल.एस. क्वार्टर के निर्माण के मामले में दण्ड (11.05 लाख रूपये) के मद में कुल 19.20 लाख रूपये वसूल करने में विफल रही।

हजारीबाग में पुलिस अकादमी भवन का निर्माण

2.6.11 हजारीबाग प्रमंडल में द.वि.आ. एवं राज्य योजना के अन्तर्गत 3.88 करोड़ रूपये की प्राक्कलित लागत पर हजारीबाग में पुलिस अकादमी प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया। बिहार सरकार द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति दी गई (फरवरी 2000)। अनवीक्षण समिति ने इस कार्य को 2.89 करोड़ रूपये अर्थात् परिमाण विपत्र मूल्य से 14 *प्रतिशत* अधिक पर राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एजेन्सी) पटना को देने का निर्णय लिया। इसके अनुरूप एजेन्सी से कार्य को जून 2001 तक समाप्त करने के लिए एक समझौता किया गया (सितम्बर 2000), जिसे दिसम्बर 2003 तक कई बार विस्तारित किया गया। यह कार्य 3.04 करोड़ रूपये व्यय करने के बाद अपूर्ण था (अप्रील 2005)। इस कार्य हेतु 4.41 करोड़ रूपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया था जिसकी तकनीकी स्वीकृति प्रतीक्षित थी (अप्रील 2005)।

लेखा जाँच से पता चला कि :

- यद्यपि किसी निर्माण गतिविधि के लिए भू–अर्जन पूर्व आवश्यकता होती है, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई। स्थल मूलतः पद्मा में चयनित था परन्तु बिना किसी अभिलेखित कारणों के स्थल परिवर्तन मटवाड़ी प्रांगण में कर दिया गया। बाद में चूंकि मटवाड़ी प्रांगण कानूनी विवाद में था इसलिए स्थल का चयन अन्तिम रूप से विनोवा भावे विश्वविद्यालय कार्यालय के निकट राष्ट्रीय मार्ग, हजारीबाग पर किया गया। परिणाम स्वरूप मटवाड़ी प्रांगण में चहारदिवार के निर्माण तथा भवन निर्माण हेतु मिट्टी के कार्य पर 4.68 लाख रूपये के व्यय निष्फल हो गए। कम्पनी ने सरकार से किसी क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत नहीं किया।
- एक अल्पहार गृह, जिसका मूल प्राक्कलन में प्रावधान नहीं था, को ब्लॉक 'डी' में कार्य निष्पादन के क्रम में जोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त कोटा पत्थर की जगह ग्रेनाइट फ्लोरिंग तथा ढोलपुर स्टोन स्कर्टिंग का प्रावधान किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 28 चालू विपत्रों तक 45.51 लाख रूपये का अतिरिक्त लागत व्यय हुआ और उसे आगे बढ़ने की संभावना थी।
- आगे यह भी पाया गया कि परिमाण विपत्र के अतिरिक्त सम्पादित कार्य यथा मिट्टी एवं मजदूरी (41.63 लाख रूपये), फर्श निर्माण एवं प्लास्टर (10.97 लाख रूपये), सुदृढ़ीकरण एवं अल्यूमिनियम में (38.91 लाख रूपये), ढुलाई (0.73 लाख रूपये) के कारण कम्पनी ने कुल 92.24 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया।

विभाग को आवासीय भवनों के हस्तान्तरण में विलम्ब

मकान भाड़ा भत्ते का परिहार्य भुगतान

2.6.12. कम्पनी ने, द.वि.आ. एवं आधुनिकीकरण योजनाओं के अधीन जनवरी 1998 से फरवरी 2005 की अवधि में निर्मित 1,128 आवासीय क्वार्टर (एल.एस. एवं यू.एस.) को पुलिस विभाग को 34 महीने तक के विलम्ब से हस्तान्तरण किया जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को मकान भाड़ा भत्ता (19.84 लाख रूपये) का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

प्रबंधन ने कहा कि (सितम्बर 2005) आरक्षी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनकी पसंद/सुविधा के अनुरूप निर्मित नही किए गए भवनों के हस्तांतरण लेने में अनिच्छा के कारण विलंब हुआ। प्रबन्धन का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि पाँच में से एक प्रमण्डल में नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि निर्मित भवनों का ट्रांसफरी द्वारा हस्तांतरण लेने को तैयार रहने (अप्रील 2002) के बावजूद, कम्पनी द्वारा जनवरी 2003 तक लगभग 9 महीने में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सामग्रियों की अनियमित प्राप्ति

2.6.13. बिहार लो.नि.वि. ने 1997–98 से सीमेंट एवं स्टील के केन्द्रीय क्रय की पद्धति को बंद कर दिया था। फिर भी कम्पनी ने सीमेंट/स्टील के विभागीय क्रय की पुराने पद्धति को जारी रखा तथा परिणामस्वरूप 2000–01 से 2004–05 की अवधि में क्रय किए गए 23.87 करोड़ रूपये मूल्य के सीमेंट/स्टील के भंडारण, ढुलाई तथा गोदामों के संधारण पर 1.86 करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय किया।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2005) कि सरकार ने विभागीय क्रय की अनुमति दी थी। प्रबन्धन का जवाब सही नहीं है क्योंकि सितम्बर 2001 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित अधिकृत समिति की बैठक में कम्पनी को अवगत कराया गया था कि सीमेंट तथा स्टील का केन्द्रीय क्रय बन्द कर दिया गया था।

उच्चतर दर पर क्रय

2.6.14 वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 19 गोदामों के लिए 30 से 100 मे.ट. परिमाण में विभिन्न विशिष्टियों के स्टील आपूर्ति हेतु निविदाएँ आमंत्रित (अक्टूबर 2001) की गई थी। पश्चिम बंगाल के एक उपक्रम द्वारा प्रस्तावित दरों (14,574 से 16,374 रू0 प्रति मे.ट.) को अनुवीक्षण अस्वीकार कर समिति द्वारा इस आधार पर नकार दिया गया कि आपूर्तिकर्त्ता कम्पनी के लिए नया था तथा इसके उत्पादन क्षमता एवं उत्पाद गुणवत्ता के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं थी। सरकारी कम्पनियों/निजी कम्पनियों से लोक उपक्रमों की अच्छी सेवा एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्राप्त प्रमाण पत्रों को निविदादाता द्वारा प्रस्तुत सीमित कोटेशन किये जाने को नजर अंदाज कर दिया गया। तत्पश्चात् निविदा को रद्द कर दिया गया तथा सीमित कोटेशन के आधार पर कम्पनी ने आवश्यक मात्रा में स्टील (1,054 मे.ट.) का क्रय (नवम्बर 2001) अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं से उच्चतर दर (15,028 से 17,615 रूपये प्रति मे.ट.) पर किया जिसके परिणामस्वरूप 11.39 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ

2.6.15 दो आपूर्तिकर्ताओं* को सीमित कोटेशन के आधार पर 354 मे.ट. सीमेंट (ओ.पी.सी.)• की आपूर्ति करने के लिए दो आपूर्ति आदेश निर्गत (फरवरी 2001) किए गए। आपूर्ति आदेश में घटिया सामग्री आपूर्ति करने पर किसी दण्ड का प्रावधान नहीं किया गया। पहले आदेश के विरूद्ध की गई आपूर्ति घटिया स्तर का पाया गया जिसे आपूर्तिकर्त्ता द्वारा बदल दिया गया। दूसरे आपूर्ति आदेश (300 मे.ट.) के विरूद्ध आपूर्ति की गई सामग्री भी घटिया स्तर की पाई गई। इस मामले में कम्पनी ने सामग्री को बदला जाना स्वीकार नहीं किया तथा सीमेंट की आवश्यक मात्रा का क्रय दूसरे आपूर्तिकर्ता से करने का निर्णय लिया। कम्पनी के इस प्रकार के विभिन्न कार्यो में लगभग चार महीने तक विलम्ब हुआ और समय–वृद्धि, एजेंसी चार्ज, कर्मचारियों के वेतन तथा उच्चतर दर पर क्रय किए गए सिमेंट के लागत में अंतर, जिनका दावा आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति आदेश में दण्ड प्रावधान न होने के कारण नहीं किया जा सका, के कारण कम्पनी को 44.66 लाख रूपये की हानि हुई।

लेखा–परीक्षा में आगे पाया गया कि तीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं ** द्वारा सीमेन्ट जाँच प्रतिवेदन

* *जे.पी. सीमेंट और सेंचूरी सीमेंट कम्पनी।*

• *ऑडिनरी पोर्टलैन्ड सीमेंट।*

** *बी.आई.टी. मेसरा, नेशनल कॉसिल फॉर सीमेंट एण्ड विल्डिंग मेटेरियल्स, हरियाणा तथा बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना।*

में सीमेंट को घटिया स्तर का बतलाया गया था, को कम्पनी ने नजरअंदाज कर दिया तथा ब्यूरो ऑफ इन्डियन स्टैन्डर्ड द्वारा गुणवत्ता के संतोषजनक होने के सम्बन्ध में निर्गत एक वर्ष बाद प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर कम्पनी ने उसी आपूर्तिकर्ा को 2002–03 की अवधि में 40.66 लाख रूपये मूल्य के 16 आपूर्ति आदेश निर्गत किये। बी.आई.एस. सीमेंट के सामान्य गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र देती है न कि आपूर्तित विशिष्ट सामग्री लॉट और घटिया पाए गए सामग्रियों को इसके अतिरिक्त संस्थाओं द्वारा निर्गत प्रतिवेदन अधिक प्रासंगिक थे क्योंकि वे उन विशिष्ट सामग्री लॉट के सम्बन्ध में थे जिनका प्रयोग कम्पनी द्वारा निर्माण कार्य हेतु किया गया था।

आंतरिक नियंत्रण

2.7 कम्पनी का आंतरिक नियंत्रण पद्धति अपर्याप्त था तथा विभिन्न लेन देनों के अभिलेखीकरण न किए जाने से जुड़े जोखिम एवं निर्धारित नियंत्रण व कार्य विधि के अनुपालन न करने के मामले में पर्याप्त रूप से संवेदनशील नहीं था।

कम्पनी का अपना कोई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ट नहीं था। आंतरिक लेखा परीक्षा, लेखे के संकलन तथा बैंक खाता के समाधान इत्यादि के लिए सनदी लेखाकारों के फर्मो की नियुक्ति की जाती थी। आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में विस्तृत तकनीकी लेखा परीक्षा तथा व्यय के औचित्य समाहित नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्ता को सुनिश्चित करने तथा वित्तीय एवं भंडार लेन–देन पर आन्तरिक जाँच लागू करने में आंतरिक लेखा परीक्षा का उद्वेश्य विफल हुआ था।

लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि कम्पनी की लेखाएँ 1990–91 से बकाए में थी तथा सरकार के निर्देशों (नवम्बर 2002) के बावजूद, प्रबन्धन द्वारा लेखे के बकाए को समाप्त करने के लिए, प्रभावी कदम नहीं उठाए गए थे। यह भी पाया गया कि यद्यपि कम्पनी के वर्ष 1989–90 की लेखाएँ निदेशक पर्षद द्वारा जनवरी 2004 में अनुमोदित की गई थी, उसी को नामित निदेशकों द्वारा फरवरी 2005 में केवल प्रमाणिकृत किया गया अर्थात् निदेशक पर्षद के अनुमोदन के 13 महीने बाद। इसके अतिरिक्त कम्पनी के वर्ष 1988–89 की लेखा को वार्षिक आम सभा द्वारा स्वीकृति (नवम्बर 2004) में 7 महीने का विलम्ब हुआ था।

अभिलेखों का संधारण न होना

2.7.1 कम्पनी के पास कार्य/इकाई–वार व्यय के विवरण उपलब्ध नहीं थे। कम्पनी के प्रमंडलों द्वारा संधारित कार्य लेजर/ठेकेदार लेजर में प्रविष्टियाँ कार्यवार न होकर एकरारनामा के आधार पर की गई थी। एक से अधिक कार्य के संयुक्त परिमाण विपत्र के आधार पर किए गए एकरारनामा के अनुसार संधारित व्यय की प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप कार्य–वार तथा योजनावार व्यय का विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं था।

योजना/कार्य–वार व्यय संधारित नहीं थे

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2005) कि कार्य–वार व्यय विवरण संधारण हेतु कार्रवाई की जा रही थी।

लेखा परीक्षा में आगे यह भी देखा गया कि 31.3.2004 को चालू सम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम मद में सम्मिलित 146.31 करोड़ रूपये का पूंजीगत–कार्य–प्रगति असमायोजित थी जबकि कुछ कार्य (1998–2005 की अवधि में निर्मित 1128 एल.एस. तथा यू.एस.# आवासीय क्वार्टर) पूरे हो गए थे तथा सरकार को हस्तांतरित भी कर दिए गए थे। परिणाम स्वरूप चालू सम्पत्तियाँ एवं

अपर सबॉर्डिनेट

दायित्व अतिमूल्यांकित थे।

लेखा परीक्षा जाँच में यह भी पाया गया कि 1979–80 से 2000–01 की अवधि में चार प्रमण्डलों* द्वारा राज्य योजना तथा सप्तम से दशम वित्त आयोग (द.वि.आ.) के अन्तर्गत 304 कार्यों के विरूद्ध अंतिम विपत्र नहीं जमा किये गये थे (सितम्बर 2005)। इन 304 निर्माण कार्यों के मामले में से 89 पूरे किए गए भवनों को सरकार को पहले ही हस्तान्तरित किए जा चुके थे। शेष 215 कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं थी। अंतिम विपत्रों के अभाव में ठेकेदारों को निर्गत विभागीय सामग्रियाँ तथा दी गई अग्रिम राशि के समायोजन न होने से कम्पनी को हुई हानि की प्रमाणिकता लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी (सितम्बर 2005)।

प्रबंधन ने अपने जवाब (सितम्बर 2005) में लेखा परीक्षा निष्कर्षो को स्वीकार किया तथा समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

अपर्याप्त निधि प्रबन्धन

2.7.2 राज्य पुलिस के लिए आवासीय/गैर आवासीय भवनों के निर्माण के लिए कम्पनी ने गृह विभाग, राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र/राज्य सरकार से निधि प्राप्त किया। प्राप्त निधियों की स्थिति तथा विगत पाँच वर्षो में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में रोकड़–शेष, **परिशिष्ट–2** में दी गई है। अव्यवहृत निधियों को वित्त विभाग के निर्देशो (मार्च 2000) से सरकार के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा करने के बजाए ब्याज कमाने के उद्देश्य से सावधि जमा अथवा बचत बैंक खाते में विभिन्न बैंकों में रखा गया। 35.58 लाख रूपये से 61.98 करोड़ रूपए की अव्यवहृत निधियों को बिहार वित्तीय नियमों के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से 4.5 से 8 *प्रतिशत* ब्याज दर पर सावधि अथवा बचत खाते में रखने से कम्पनी ने 1999–2004 की अवधि में 16.67 करोड़ रूपये का ब्याज अर्जित किया जिसका उपयोग राजस्व प्राप्तियों के रूप में स्थापना एवं अन्य विविध व्यय (वेतन, यात्रा भत्ता, मरम्मती, इत्यादि) की 13.39 करोड़ रूपये की कमी की पूर्ति के लिए किया गया।

अव्यवहृत निधियों का अनाधिकृत अवरोधन

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2005) कि कम्पनी ने निर्माण निधि को बैंकों में अल्प सावधि जमा खातों में रखने की सही निर्धारित प्रक्रिया अपनाई है। क्योंकि (i) निर्माण निधि कम्पनी को अग्रिम के रूप में प्राप्त हुई थी, (ii) भुगतान क्षमता में कमी होगी और सरकार के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा होने से निधि के निकासी में विलम्ब होगा जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा अनुवीक्षण किए जाने वाले कार्यो सहित अन्य कार्यो की प्रगति प्रभावित होगी तथा (iii) कम्पनी ने सरकार से अव्यवहृत निधियों को सरकार के व्यक्तिगत खाता लेखा में जमा करने हेतु कोई अनुदेश प्राप्त नहीं किया था।

प्रबन्धन का जवाब सही नहीं है क्योंकि कम्पनी ने सरकार से अव्यवहृत निधि को व्यक्तिगत खाता लेखा में जमा करने का निर्देश प्राप्त (मार्च 2000) किया था जिसका कम्पनी ने अनुपालन नहीं किया। इसके साथ ही, राज्य सरकार पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण के विरूद्ध ब्याज अदा कर रही थी। कार्यों का निष्पादन कर कम्पनी कार्य व्यय पर 15 *प्रतिशत* की दर से स्थापना व अन्य व्यय की पूर्ति के लिए एजेन्सी चार्ज (विभागीय चार्ज) के रूप में अर्जित करती थी। निम्नलिखित तालिका 2003–04 को समाप्त विगत चार वर्षो में निधि उपलब्धता की स्थिति, किए गए कार्य का मूल्य, अर्जित एजेन्सी चार्ज तथा स्थापना एवं अन्य

* *भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना*

विविध व्यय पर खर्च को दर्शाता है:

(राशिः रूपये लाख में)

वर्ष	प्राप्त निधि	कुल निधि	कार्यों का मूल्य			अंत शेष	किए गए कार्य का कुल निधि से प्रतिशत	स्थापना प्रशासनिक व अन्य व्यय
			कार्य व्यय	एजेन्सी चार्ज	कुल			
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3–6)	8	9
1998–99	–	–	–	–	–	4,128.39	–	–
1999–2000	5,213.44	9,341.83	1,473.47	221.02	1,694.49	7,647.34	18.13	688.64
2000–01	9.93	7,657.27	1,763.40	264.51	2,027.91	5,629.36	26.48	439.43
2001–02	0.26	5,629.62	1,120.60	168.39	1,288.99	4,338.63	22.93	418.59
2002–03	7,090.00	11,428.63	2,032.38	304.86	2,337.24	9,091.39	20.45	438.38
2003–04	–	9,091.39	1,519.90	227.99	1,747.89	7,343.50	19.23	472.25
कुल [5]	12,313.63		7,909.75	1,186.77	9,096.52			2,457.29

कम्पनी ने उपलब्ध निधि का 18 से 26 *प्रतिशत* उपयोग किया

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यद्यपि कम्पनी के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध थी। कम्पनी 2003–04 को समाप्त विगत पाँच वर्षो में कार्यों के निष्पादन के लिए उपलब्ध निधि का मात्र 18 से 26 *प्रतिशत* का उपयोग कर सकी। यद्यपि सरकार द्वारा पूर्व में ही निधि उपलब्ध करा दी गई थी, कम्पनी ने भवनों के निर्माण का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। वर्ष 1999–2004 की अवधि में 43.39 करोड़ रूपये में से 90.91 करोड़ रूपये की निधि अव्यवहृत रही।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2005) कि भूमि की अनुपलब्धता तथा निर्माण निधियों की विलम्ब से प्राप्ति, निधि के कमतर उपयोग के कारण थे। प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के मामलों में कम्पनी ने पूर्व में ही निधि प्राप्त किया था। लेखा परीक्षा में निधियों के कमतर उपयोग के निम्नलिखित कारण पाए गए थे:

- निविदाओं के अंतिमीकरण, कार्यो के आवंटन, पुनरिक्षित आकलन का अनुमोदन, ठेकेदारो द्वारा कार्यों का निष्पादन तथा भूमि की अनुपलब्धता में विलम्ब;
- सिमेंट की अनुपलब्धता, जिसके कारण कार्य रूक गए;
- समझौते का कार्यान्वयन, ठेकेदारो के साथ विवाद जिसके कारण कार्य रूक गए, अनिच्छुक ठेकेदारों को मनोनयन के आधार पर कार्य का आवंटन जिसके फलस्वरूप कार्य में विलम्ब हुआ;
- निर्माण निधियों का वेतन भुगतान के लिए अनुचित विचलन।

2.7.3 दिसम्बर 1993 से दिसम्बर 1997 के बकाए वेतन (5.70 करोड़ रूपयों) के भुगतान के लिए, कम्पनी के कर्मचारीगण माननीय उच्च न्यायालय में गए (1998) तथा न्यायालय ने आदेश दिया कि कम्पनी अपने संसाधन से वेतन भुगतान करे तथा यदि कम्पनी के पास संसाधन नहीं थे तो वेतन अदायगी के लिए सरकार से सहायता ली जाए। कम्पनी ने निर्माण निधि का विचलन कर 5.28 करोड़ रूपये वेतन के रूप में भुगतान किया क्योंकि इसे सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2005) कि निर्माण निधि से वेतन का भुगतान अनियमित नहीं था। जबाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्माण निधि से वेतन का भुगतान अनुमान्य नहीं था।

वित्तीय स्थिति

2.7.4 वर्ष 2003–04 को समाप्त विगत चार वर्षो में कम्पनी की वित्तीय स्थिति को **परिशिष्ट–12** में दर्शाया गया है।

5. वर्ष 2004–05 को औपबंधिक खाता तैयार नहीं किया गया है।

परिशिष्ट से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2004 को 10 लाख रूपये की पूंजी के विरूद्ध कम्पनी की संचित हानि 4.63 करोड़ रूपये थी जिससे प्रदत्त पूंजी का पूर्ण विलोपन हो गया था। लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषित हानि के कारण यथा उपलब्ध निधि से निर्माण कार्य पूरा करने में कम्पनी की विफलता तथा स्थापना व्यय हेतु निधियों के विचलन थे।

विगत पाँच वर्षो में 123.14 करोड़ रूपये की निधि पर 16.06 करोड़ रूपये* की संभावित आमदनी के विरूद्ध, कम्पनी ने एजेंसी चार्ज के रूप में 11.87 करोड़ रूपये अर्जित किया जो कुल स्थापना एवं अन्य विविध व्यय का 48.29 *प्रतिशत* था।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

2.8 सरकार से कार्य की प्राप्ति

जमा कार्य

2.8.1 योजना, गैर– योजना तथा अन्य शीर्षों के अन्तर्गत पुल निर्माण हेतु निधि, राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण विभाग के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा आवंटित कुछ पुलों का वित्त–पोषण कम्पनी द्वारा सरकार के वास्ते संघारित पुल विकास निधि (पु.वि.नि.) द्वारा की जाती है।

9 पुल 10 वर्षो से अधिक अवधि से निर्माणाधीन थे

राज्य सरकार ने कम्पनी की स्थापना काल से 689.21 करोड़ रूपये की एक प्राक्कलित लागत राशि पर 329 पुलों का आवंटन किया था। इनमें से कम्पनी ने 246.92 करोड़ रूपए कि लागत पर 252 पुलों का निर्माण पूरा किया था जिसमें पु.वि.नि. से प्राप्त 23.67 करोड़ रूपए की राशि सम्मिलित थी। 61 पुलों के निर्माण कार्य प्रगति में थे जिन पर कम्पनी ने 137.19 करोड़ रूपए का व्यय किया था तथा 16 पुलों का निर्माण कार्य आरंभ नही किया गया था। ये पुल एक से 22 वर्षों की अवधि से निर्माणाधीन थे। 57 पुलों से संबंधित अभिलेखों की लेखा परीक्षा में जाँच से स्पष्ट हुआ कि सात, दो, तथा नौ पुल क्रमशः 15, 10, तथा पाँच वर्षो से निर्माणाधीन थे जबकि 39 पुल पाँच वर्षो से कम अवधि से निर्माणाधीन थे।

2000–05 की समीक्षा अवधि में सरकार ने योजना मद में 20 पुलों के निर्माण कार्य को आवंटित किया जिनमें से 16 पुलों के विरूद्ध आकलित राशि उपलब्ध करायी गई। परन्तु कम्पनी मात्र 3 पुलों का निर्माण पूरी कर सकी। 13 पुलों के निर्माण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के कारण अभिलेखित नहीं थे।

लागत वृद्धि

2.8.2 निम्न तालिका 2000–04 की अवधि में पूरे किए गए कार्य, उनका प्राक्कलित लागत तथा उन पर व्यय को दर्शाता है।

(राशिः रूपये करोड़ में)

वर्ष	पूरे किए गए कार्यों की संख्या	प्राक्कलित लागत	व्यय	अधिकाई व्यय	अधिकाई व्यय का प्राक्कलित राशि से प्रतिशत
2000–01	37	39.11	76.65	37.54	96
2001–02	13	2.01	6.21	4.20	210
2002–03	7	8.35	13.82	5.47	66
2003–04	13	10.66	12.16	1.50	14
2004–05	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	70	60.13	108.84	48.71	81

कम्पनी ने स्वीकृत राशि से अधिक का व्यय किया

**(123.14 करोड़ रूपये × 15) भाग 115 = 16.06 करोड़ रूपये*

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होगा कि पूरे किए गए कार्यो पर वास्तविक व्यय सभी वर्षों में प्राक्कलित लागत से 14 से 210 *प्रतिशत* अधिक था। सरकार के वित्तीय नियमों के प्रावधान के अनुसार, प्राक्कलित राशि से अधिकाई व्यय हेतु सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। यह पाया गया कि 31 मार्च 2005 को समाप्त पाँच वर्षो में कम्पनी द्वारा 108.84 करोड़ रूपये की लागत से 70 कार्य पूरे किए गए। 70 पुलों में से सैतीस पूरे किए गए पुलों पर 48.71 करोड़ रूपये की लागत वृद्धि हुई। 1999–2000 से 2001–02 की अवधि में पाँच पूरे किए गए पुलों के 2.56 करोड़ रूपये के प्रारंभिक प्राक्कलन के विरूद्ध कम्पनी ने 7.48 करोड़ रूपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत किया। परन्तु 30 सितम्बर 2005 तक अधिकाई व्यय की स्वीकृति नहीं मिली थी। शेष 32 पूर्ण कार्यो के मामले में कम्पनी ने 43.79 करोड़ रूपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत नहीं किया।

पूरे किये गये 37 पूलो पर 48.71 करोड रूपये की लागत वृद्धि

छः अपूर्ण पुलो के मामले में कम्पनी ने 64.04 करोड़ रूपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत किया था। इनमें से 52.36 करोड़ रूपये की प्राक्कलित राशि की स्वीकृति सरकार से मिली थी तथा 11.68 करोड़ रूपये को व्यय सामग्रियों के उच्चतर दर तथा श्रमिकों द्वारा अनुसूचित दर से अधिक दावा करने तथा अमान्य मदों पर किए गए व्यय के कारण सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

पुनरिक्षित प्राक़्कलन के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

कम्पनी ने कहा (सितम्बर 2005) कि पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत किए जाएँगे तथा कम्पनी द्वारा किए गए व्यय का दावा सरकार से किया जाएगा। इसकी संभावना नहीं लगती है क्योंकि अ.द.* के आधार पर तैयार किए गए प्राक्कलन के ऊपर व्यय को पूर्व में सरकार ने अस्वीकार कर दिया था।

परियोजनाओं का कार्यान्वयन

कार्य–चालन की प्रक्रिया

2.8.3 कम्पनी के निदेशक पर्षद ने निर्णय लिया (दिसम्बर 1986) कि कार्यों के कार्यान्वयन हेतु विभागीय कार्य प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। सरकार द्वारा कम्पनी को आवंटित कार्यों का प्राक्कलन विद्यमान अ.द. तथा उसपर 10 *प्रतिशत* ठेकेदार को देय अतिरिक्त लाभ के आधार पर आधारित था। निदेशक पर्षद ने सम्बन्धित पुलों के मामले में सभी आपूर्ति तथा श्रम पर अधिकतम सीमा–दर निर्धारण का निर्णय लिया। सभी मामले में अधिकतम सीमा दर सरकार द्वारा स्वीकृत प्राक्कलित लागत से सात *प्रतिशत* कम होना था। अधिकतम सीमा दर का पुनरीक्षण अ.द. के पुनरीक्षण के अनुसार होना था। प्रबन्ध निदेशक अधिकतम सीमा दर से 15 *प्रतिशत** अधिक पर कार्य की स्वीकृति देने में सक्षम थे। किसी भी अभिकर्त्ता को एक समय में मनोनयन के आधार पर कार्य के आवंटन के लिए अधिकतम निर्धारित सीमा 2.5 लाख रूपये की थी। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा जाँच ने निम्न रूप से प्रकटित किया:

कार्य चालन प्रक्रिया हानि से बचाव करने में अप्रयाप्त थी।

- निदेशक पर्षद के निर्णय के विरूद्ध एजेंसियो को एक बार 2.5 लाख रूपये की सीमा से अधिक पर कार्यो का आवंटन किया गया।
- अधिकतम सीमा दर से 15 *प्रतिशत* अधिक पर कार्यों का आवंटन से कम्पनी को हानि हुई क्योंकि प्रत्येक मामले में यह सरकार द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन से आठ *प्रतिशत* अधिक था। लेखा परीक्षा विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि 3.96 करोड़ रूपये मूल्य के 218 एकरारनामों में

* *अनुसूचित दर*

* *यह सरकार द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन से आठ प्रतिशत अधिक होना चाहिए।*

अधिकतम सीमा दर से 15 *प्रतिशत* अधिक पर कार्यों का आवंटन करने से कम्पनी को 27.74 लाख रूपये की हानि हुई।

प्रबंधन ने लेखा परीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (सितम्बर 2005) कि 2.5 लाख रूपये से अधिक मूल्य के वही कार्य किसी एक अभिकर्त्ता को आवंटित नही किए गए थे तथा अधिकतम सीमा दर से 15 *प्रतिशत* अधिक पर कार्य का आवंटन पृथक परिस्थितियों तथा पुल की आवश्यकता के अनुसार किया गया था। जवाब सही नहीं है क्योंकि पुल के कार्य को खंडित कर उसी अभिकर्त्ता को विभिन्न दरों पर अधिकाई राशि 2.5 लाख रूपये तक सीमित रखते हुए कार्य का आवंटन किया गया था।

कार्यों का मूल्यांकन

नमूना जाँच किये गये चार मामलों में लेखा परीक्षा अवलोकनों को नीचे दिया गया है:

बमनौल अड्डा पुल

2.8.4 काव नदी पर एक पुल के निर्माण के साथ पहुँच–पथ तथा 3.5 कि.मी. बमनौल कोआथ पथ के विकास का कार्य 93.34 लाख रूपये के प्राक्कलित लागत पर सरकार द्वारा कम्पनी को आवंटित (अगस्त 1996) किया गया था। कार्य को वर्ष 1998–99 तक पूरा कर लिया जाना था। इसके विरूद्ध सरकार ने 1996–98 के बीच 47 लाख रूपये संवितरित किया। अतिरिक्त निधि की अनुपलब्धता के कारण पुल अपूर्ण रहा।

कम्पनी को पुल के निर्माण पर 79 लाख रूपये की हानि हुई

कम्पनी ने पुल तथा पहुँच–पथ के लिए 1.11 करोड़ रूपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तावित किया (पुनरीक्षण से पूर्व लागत 66.24 लाख रूपये)। पुल 1.72 करोड़ रूपये की लागत पर पूर्ण (दिसम्बर 2001) किया गया। इस प्रकार कम्पनी को 79 लाख रूपये (1.72 करोड़ रूपये–93.34 लाख रूपये) की हानि हुई।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (सितम्बर 2005) कि पुनरीक्षित प्राक्कलन मई 2005 में लेखा परीक्षा के समाप्त होने के बाद अगस्त 2005 में प्रस्तुत किया गया था परन्तु ऐसा कोई पुनरीक्षित प्राक्कलन लेखा परीक्षा में जवाब को सत्यापित करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया।

मोतिहारी–ढाका–वेलवाघाट मार्ग के 29, 30 एवं 35 कि.मी. पर पुल

2.8.5 वर्ष 1997–98 में बाढ़ क्षति पुनर्वास योजना के अन्तर्गत कम्पनी को मोतीहारी–ढाका–वेलवाघाट मार्ग पर 31 लाख रूपये की लागत पर तीन पुलों के निर्माण का कार्य आवंटित किया गया। कार्य अप्रील 1999 में आरंभ किया गया। अक्टूबर 1999 में 1.12 करोड़ रूपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया जिसको सरकार से स्वीकृति नहीं मिली थी (मई 2005)। कम्पनी ने सरकार को अवगत कराया कि पुलों का निर्माण कार्य 2001–02 में समाप्त हो गया था। लेखा परीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने सरकार को गलत प्रतिवेदन दिया था क्योंकि निधि के अभाव में पुल अब भी अपूर्ण थे (मई 2005)।

सरकार से प्राप्त निधि के अन्तर्गत कार्य को पूरा करने के आदेश को उल्लंघित कर कम्पनी ने 31 लाख रूपये की प्राप्त राशि के विरूद्ध 1.14 करोड़ रूपये का व्यय किया।

पुल के निर्माण पर कम्पनी को 83 लाख रूपये की हानि हुई

कम्पनी ने कहा (सितम्बर 2005) कि समय–वृद्धि के कारण लागत–वृद्धि हुई। इस प्रकार प्राप्त निधि से अधिक व्यय करने के कारण कम्पनी को 83 लाख रूपये की हानि हुई।

दरभंगा–समस्तीपुर मार्ग के 38 कि.मी. पर उच्चस्तरीय पुल (मगरदही पुल)

अनाधिकृत व्यय तथा अनुसूचित दरो से ऊपर व्यय के कारण 1.10 करोड रूपये की हानि हुई

2.8.6 दरभंगा समस्तीपुर मार्ग से 38 कि.मी. पर गंडक के ऊपर एक उच्चस्तरीय पुल के निर्माण का कार्य 2.20 करोड़ रूपये की लागत पर कम्पनी को आवंटित (फरवरी 1995) किया गया। निधि की अनुपलब्धता के कारण पुल का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं किया जा सका (1998–99)। कम्पनी द्वारा प्रस्तुत 8.41 करोड़ रूपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन सरकार द्वारा 6.41 करोड़ रूपये के लिये स्वीकृत हुआ। पुल का निर्माण कार्य 2003–04 में 6.97 करोड़ रूपये की लागत पर पूरा हुआ तथा पहुँच–पथ का कार्य प्रगति पर था जिसके लिये 54 लाख रूपये की और आवश्यकता थी (अप्रैल 2005)। अतः 6.41 करोड़ रूपये की स्वीकृत निधि के विरूद्ध 7.51 करोड़ रूपये (54 लाख रूपये की आवश्यक निधि सहित) का व्यय हुआ तथा अनाधिकृत कार्य यथा पुल पर फुट पाथ, तलछट सफाई, पायों का बचाव, मशीन की मरम्मति इत्यादि के कारण कम्पनी को 1.10 करोड़ रूपये की हानि हुई।

नावानगर में काव II पुल

2.8.7 बिहार सरकार ने विक्रमगंज डुमराँव मार्ग के 16 तथा 17 मील पर काव नदी के उपर 1.07 करोड़ रूपये की लागत से तीन पुलों, एक उच्चस्तरीय (65.88 लाख रूपये) तथा दो छोटे पुल (40.87 लाख रूपये) के निर्माण का कार्य आवंटित (नवम्बर 1989) किया। 1.78 करोड़ रूपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन सरकार के यहाँ स्वीकृति हेतु लंबित था (मई 2005)। कम्पनी ने 1.28 करोड़ रूपये की निधि के विरूद्ध 2.18 करोड़ रूपये की लागत पर पुलों का निर्माण पूरा (दिसम्बर 2001) किया।

कम्पनी को 40 लाख रूपये की हानि हुई तथा 50 लाख रूपया अवरूद्ध रहे

सितम्बर 2005 तक सरकार द्वारा अधिकाई व्यय की स्वीकृति नहीं दी गई थी। परिणाम स्वरूप कम्पनी को पुनरिक्षित प्राक्कलन के विरूद्ध 40 लाख रूपये की हानि हुई तथा अनुसूचित दर से अधिक दर पर मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने से 50 लाख रूपये अवरूद्ध हो गए।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (सितम्बर 2005) कि पुनरीक्षित प्राक्कलन अगस्त 2005 में सरकार को प्रस्तुत किए गए थे परन्तु जवाब के सत्यापन में कम्पनी द्वारा कोई पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराया गया।

पुलों के उपयोग में विलम्ब

2.8.8 1988–89 तथा 1996–97 के वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) , बिहार सरकार में पुलों के उपयोग में विलम्ब का उल्लेख किया गया था। निम्न तालिका 14.25 करोड़ रूपये की लागत से 1999 से 2004 के बीच निर्मित पुलों के उपयोग में विलम्ब को दर्शाता है:

क्रम संख्या	पुल का नाम	पुल के निर्माण का कार्य पूरा होने का वर्ष	पहुंच–पथ के निर्माण का कार्य पूरा होने का वर्ष	पुल की लागत (रूपये करोड में)
1.	लगमाधर	1999–00	अपूर्ण	2.03
2.	मगरदहीघाट	2003–04	–वही–	6.97
3.	मोतिहारी–ढ़ाका –वेलवाघाट मार्ग 29 कि0 मी0	2000–01	–वही–	0.27
4.	–वही– 30 कि0मी0	2000–01	–वही–	0.56
5.	–वही– 35 कि0 मी0	2000–01	–वही–	0.28
6.	कोहुआघाट	1999–00	2000–01	4.14
			कुल	**14.25**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कम्पनी सिलसिलेवार तरीके से कार्य को पूरा करने में असफल रही तथा पुलों तक पहुँच–पथों के निर्माण में विलम्ब किया जिसके परिणाम स्वरूप पुलों का उपयोग नहीं हो सका।

पुलों के आरंभ होने में विलम्ब के कारण 14.25 करोड़ रूपये की राशि एक से पाँच वर्षों तक अवरूद्ध रही तथा आम जनता को मिलने वाले लाभ को नकार/आस्थगित कर दिया गया। इसके अलावे पुल–कर से प्राप्त राजस्व का स्थगन हुआ जिसके परिमाण का आकलन नहीं किया जा सका।

कम्पनी ने कहा (सितम्बर 2005) कि निधि की अप्राप्ति/बिलम्ब से प्राप्ति के कारण, पहुंच–पथ का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने पुलों के साथ पहुंच–पथों के निर्माण की योजना नहीं बनाई। आगे कम्पनी पहुँच–पथों को पूरा करने के लिए पु.वि.नि. का उपयोग कर सकती थी।

अन्य रोचक प्रसंग

वित्तीय प्रबंधन

2.9 कम्पनी ने पुलों के निर्माण हेतु राज्य सरकार से योजना गैर–योजना, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, सांसद/स.वि.स. निधि तथा भा.के रा.उ.प.प्र.[#] से निधि प्राप्त किया। 31 मार्च 2005 को समाप्त विगत पाँच वर्षों में प्राप्त निधियों तथा उनके उपयोग का विवरण निम्नवत है:–

(राशि : रूपये करोड़ में)

शीर्ष	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	कुल
योजना	19.48	14.28	44.99	36.90	61.68	177.33
गैर योजना	5.58	6.73	0.27	7.90	7.07	27.55
सांसद/स.वि.स.निधि	1.25	1.55	2.48	1.57	0.67	7.52
भा. के रा.उ.प.प्र.	3.58	1.35	2.10	0.21	–	7.24
नाबार्ड [*]	–	–	1.51	5.19	0.80	7.50
कुल	29.89	23.91	51.35	51.77	70.22	227.14
व्यवहृत निधि	44.83 [×]	30.05	18.15	36.79	39.28	169.10
अव्यवहृत निधि	–	–	33.20	14.98	30.94	58.04

58.04 करोड़ रूपये की निधि अव्यवहृत रही

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2001–05 की अवधि में प्राप्त 227.14 करोड़ रूपये की निधि से कम्पनी ने 169.10 करोड़ रूपये का उपयोग किया तथा शेष 58.04 करोड़ रूपये की

[#] *भारत के राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण*

[*] *कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक*

[×] *विगत वर्ष के शेष से उपयोग में लाई गई अतिरिक्त निधि/पु.वि.नि. से विचलन*

राशि उपयोग में नहीं लाई गई।

कम्पनी ने कहा (सितम्बर 2005) कि वर्ष के अन्त में निधि प्राप्ति के कारण वर्ष के दौरान उसका उपयोग नहीं किया जा सका। प्रबन्धन का जबाव सही नहीं था क्योंकि वर्ष 2003–05 में कम्पनी वर्ष के अंतिम माह से पूर्व प्राप्त निधि तथा विगत वर्ष की शेष निधि का उपयोग करने में विफल रही।

पुल विकास निधि (पु.वि.नि.)

2.10 बिहार टॉल नियम, 1979 के नियम 10 (अ) के अनुसार कम्पनी को सरकार की तरफ से पुलों पर मार्ग कर संग्रह करना था। संग्रहित राशि से संग्रहण पर हुए प्रत्यक्ष व्यय तथा 15 *प्रतिशत* उपरिव्यय के समायोजन के पश्चात् राशि को एक अलग शीर्ष से बिहार पुल विकास निधि (पु.वि.नि.) में जमा करना होता था। पु.वि.नि. में जमा की गई राशि का उपयोग सरकार द्वारा अनुमोदित नए पुलों का निर्माण, मरम्मत तथा रख–रखाव हेतु किया जाना था। किसी अन्य उद्देश्य के उपयोग के लिए सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक थी।

नियमों का उल्लंघन कर पुल विकास निधि से 39.61 करोड़ रूपये का विचलन किया गया।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2005 तक कम्पनी ने पुलों पर मार्ग कर के रूप में 65.27 करोड़ रूपये का संग्रहण किया। संग्रहित राशि में से 24.27 करोड़ रूपये का उपयोग 17 पुलों के निर्माण हेतु किया गया। 31 मार्च 2005 को पु.वि.नि. में 1.39 करोड़ रूपये शेष थे। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन कर तथा राज्य सरकार की अनुमति के बिना कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं तथा स्थापना मद में व्यय हेतु कम्पनी ने पु.वि.नि. से खाते से 39.61 करोड़ रूपये की राशि का विचलन किया।

निष्कर्ष

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड

कम्पनी निर्माण हेतु प्राप्त निधि का उपयोग नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप कम्पनी स्थापना व्यय को भी पूरा करने में समर्थ नही थी तथा इसे निर्माण कार्य हेतु प्राप्त निधि का विचलन करना पड़ा। लो.नि.वि. संहिता का उल्लंघन किया गया तथा मनोनयन के आधार पर ठेके का आवंटन किया गया जिससे प्रतिस्पर्धा दरों के लाभ से वंचित रहना पड़ा। कंपनी के पास योजना–वार व्यय के विवरण उपलब्ध नहीं थे तथा इस प्रकार आन्तरिक नियंत्रण का अभाव था। बहुत से कार्य उनके पूरे होने के निर्धारित तिथि के बहुत बाद तक अधूरे पड़े थे।

अनुशंसायें

उपलब्ध निधि का अनुकूलतम सदुपयोग अधूरे कार्यो को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए।

- ठेके का आवंटन निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम बोली लगाने वाले के पक्ष में किया जाना चाहिए।
- व्यय का योजनावार तथा कार्यवार विवरण संधारित किया जाना चाहिए जिससे वित्तीय प्रगति का अनुवीक्षण हो सके तथा लागत वृद्धि को रोका जा सके।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

कम्पनी निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध निधि का उपयोग करने में विफल रही। परिणामस्वरूप कम्पनी स्थापना व्यय को भी पूरा नहीं कर सकी तथा इसे निर्माण कार्य एवं पूंजीगत आवश्यकता के लिए कार्यरत स्थापना व्यय हेतु पुल विकास निधि में जमा–राशि का विचलन करना पड़ा। इस प्रकार कंपनी के पास पुल विकास निधि में पूँजीगत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि नहीं थी। निर्माण कार्यों में लागत वृद्धि हुई क्योंकि कंपनी अनुमोदित प्राक्कलनों के अन्दर व्यय को सीमित रखने में असफल रही। अतः पुलों पर मार्ग कर की उगाही से पु.वि.नि. में निधि सृजन करने में कंपनी असफल रही। 18 पुल पाँच वर्षों से अधिक अवधि से निर्माणाधीन थे तथा निधि उपलब्धता के बाबजूद 16 पुलों का निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया था।

अनुशंसायें

- कार्यों को अनुमोदित प्राक्कलनों के अन्दर पूर्ण करने के लिए उपलब्ध निधियों को अनुकूलतम उपयोग करना चाहिए। पुलों पर मार्ग कर से कम्पनी को निधि का सृजन करना चाहिए।
- निधियों को बिना उचित स्वीकृति के विचलित नहीं करना चाहिए।
- कार्यों पर व्यय को सरकार द्वारा अनुमोदित लागत/प्राक्कलन तक सीमित रखने के लिए कंपनी को समुचित कार्रवाई करनी चाहिए।

अध्याय– III

3. सांविधिक निगमों से सम्बन्धित समीक्षाएँ

3.1 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का लम्बित बकाया

मुख्य अंश

ऊर्जा विक्रय के लिये विविध देनदार वर्ष 2000–01 में 2,819.83 करोड़ रूपयों से बढ़कर वर्ष 2002–03 में 3,698.17 करोड़ रूपये हो गये, जबकि संग्रहण वर्ष 2000–01 में 1,011.35 करोड़ रूपयों से घट कर वर्ष 2002–03 में 786.76 करोड़ रूपये हो गया।

(कंडिका 3.1.6)

31 मार्च 2004 को राज्य सरकार के विभागों के विरूद्ध 1,844.68 करोड़ रूपयों का बकाया लम्बित था। राज्य सरकार के विभागों के साथ बकायों का समाधान नहीं किये जाने के कारण सरकार बजट में केवल 134.71 करोड़ रूपयों का प्रावधान कर सकी।

(कंडिका 3.1.10)

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (समापन के अन्तर्गत) के विरूद्ध बकायों को उपभोक्ता के चालू संयोजन में स्थानान्तरित नहीं करने के कारण 149.40 करोड़ रूपयों का बकाया अवसूलित रह गया।

(कंडिका 3.1.11)

दोषयुक्त विपत्रीकरण के फलस्वरूप तीन उच्च विभव उपभोक्ताओं के विरूद्ध 92.06 करोड़ रूपयों के बकाये को 90.41 करोड़ रूपयों से बढ़ा दिया गया।

(कंडिका 3.1.13)

न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन नहीं किये जाने के कारण कल्याणपुर सिमेन्ट लिमिटेड का बकाया बढ़कर 126.89 करोड़ रूपयों का हो गया।

(कंडिका 3.1.15)

उपभोक्ताओं के विरूद्ध समय पर नीलामवाद के मुकदमे दायर नहीं किये जाने के कारण 41.81 करोड़ रूपये कालातीत हो गये।

(कंडिका 3.1.17)

एक उच्च विभव उपभोक्ता के विपत्र में संशोधन करने एवं न्यायालय को सूचना देने में हुए विलम्ब के कारण 9.44 करोड़ रूपयों की राशि अवसूलित रह गयी।

(कंडिका 3.1.18)

औद्योगिक नीति, 1995 के अन्तर्गत दिये गये छूट की माँग राज्य सरकार से नहीं किये जाने के कारण बोर्ड को 5.60 करोड़ रूपयों की हानि हुई।

(कंडिका 3.1.19)

ऊर्जा आपूर्ति करने में बोर्ड की असमर्थता के लिये उच्च विभव उपभोक्ताओं के दावों में छूट के निर्णय में विलम्ब के परिणामस्वरूप 25.78 करोड़ रूपयों की राशि अवरूद्ध रही।

(कंडिका 3.1.20)

त्रुटिपूर्ण टैरिफ अधिसूचना के निर्गत होने के कारण ईंधन अधिभार वापस लेने से बोर्ड को 11.86 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(कंडिका 3.1.21)

चूककर्त्ता उपभोक्ताओं के बकायों को उनके चालू संयोजनों में स्थानान्तरित नही किये जाने के कारण 169.19 करोड़ रूपये की राशि अवसूलित रह गई।

(कंडिका 3.1.22)

15.80 करोड़ रूपये का अग्रिम आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों के विरूद्ध तीन से 33 वर्षों तक समायोजन किये बिना लम्बित था।

(कंडिका 3.1.24)

परिचय

3.1.1 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को आधार पर ऊर्जा की बिक्री करता है तथा विक्रय राशि की वसूली बाद में विपत्र निर्गत कर की जाती है। वसूल नहीं की गई राशि को लेखाओं में चालू परिसम्पत्तियों शीर्ष के अन्तर्गत विविध देनदारों के रूप में दिखलाया जाता है। आपूर्तिकर्त्ताओ/ठेकेदारो को दिये गये अग्रिम भी चालू परिसम्पत्तियों के अंश का निर्माण करते हैं।

31 मार्च 2002[1] को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) की चालू परिसम्पत्तियों में, ऊर्जा विक्रय (3,171.74 करोड़ रूपये) तथा ऋण एवं अग्रिम (106.95 करोड़ रूपये) से सम्बन्धित विविध रूप में कर्जदार सम्मिलित थे। जबकि बोर्ड ने अग्रिमों को वसूली योग्य समझा फिर भी इसने 1,572.62 करोड़ रूपये के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया। यह समीक्षा, विशेषतः उच्च विभव (उ.वि.) उपभोक्ताओं के लम्बित बकायों, उस पर अनुगामी कार्रवाईयों एवं उनकी वसूली की जाँच करने के उद्देश्य से की गई है।

बोर्ड के राजस्व प्रबन्धन के संगढनात्मक ढाँचे को **परिशिष्ट–13** में दिया गया है। इसके शीर्ष पर सदस्य (राजस्व) होता है जिसकी सहायता मुख्यालय स्तर पर वित्तीय नियन्त्रक (राजस्व) एवं निर्देशक (राजस्व) तथा क्षेत्र में महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता, विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, एंव विद्युत कार्यपालक अभियन्ता द्वारा की जाती है।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

3.1.2 वर्ष 2000–01 से 2004–05 तक की अवधि के लिए बोर्ड के लम्बित बकायों की समीक्षा जनवरी 2005 से मई 2005 तक की अवधि में की गई थी। इकाइयों की राजस्व उत्पादन क्षमता

1 *जिस अवधि तक की लेखाएँ तैयार की गई है*

का विचार करते हुए पाँच क्षेत्रीय बोर्डो [2] (70 *प्रतिशत*), दोनो पारेषण प्रक्षेत्रों[3] तथा 11 अंचलों [4] (50 *प्रतिशत*) के अभिलेखों की जाँच के माध्यम से लेखा परीक्षा को संचालित किया गया।

लेखा परीक्षा का उद्देश्य

3.1.3 लम्बित बकायों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्यो का मूल्यांकन यह आकलन करने के उद्देश्य से किया गया कि क्या;

- ऊर्जा की बिक्री के लिये बोर्ड की उधार नीति दक्ष थी और इसे एकरूपता से लागू किया गया था,
- लम्बित बकायों का वर्गीकरण एवं उसकी स्थिति उच्च विभव उपभोक्ताओं के विशेष सन्दर्भ में किया गया था और यह इसके कार्य की प्रकृति के अनुरूप था,
- बोर्ड ने अपने प्राप्यों का प्रबन्धन दक्षतापूर्वक किया,
- बोर्ड के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय इकाइयों में लम्बित बकायों के अनुवीक्षण के लिये नियन्त्रण तन्त्र प्रभावकारी था,
- लम्बित बकायों का अभिलेखांकन पर्याप्त एवं विश्वसनीय था,
- विविध प्रकार के उपभोक्ताओं से बकाये की वसूली के लिये बोर्ड ने प्रभावकारी उपायो और साधनों की व्यवस्था की है और आवश्यकता होने पर उनका उपयोग किया है।

लेखा परीक्षा का मापदण्ड

3.1.4 टैरिफ अनुसूची (जून 1993) के उपबन्ध 15.3 (ख) में प्रावधान है कि प्रत्येक उपभोक्ता से तीन महीनों के उपभोग के समतुल्य राशि प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए और प्रत्येक वर्ष में दो बार इस राशि की समीक्षा की जानी चाहिए। उपभोक्ताओं के लम्बित बकायों की अभिवृद्धि पर बराबर निगरानी रखा जाना चाहिए। उपभोक्ता यदि नियत तिथि के भीतर ऊर्जा विपत्र का भुगतान करने में विफल रहता है तो सात दिनों की स्पष्ट लिखित सूचना दिये जाने के पश्चात् उसका विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया जाना चाहिए। बकायों की वसूली के लिए संयोजन विच्छेदित उपभोक्ताओं के विरूद्ध तत्परता से नीलामवाद मामले[5] दायर किये जाने चाहिए। उच्च विभव उपभोक्ताओं द्वारा दाखिल किये गये दावों पर दावे दाखिल किये जाने के चार महीनों के भीतर निर्णय कर दिया जाना चाहिए। आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों को दिये गये अग्रिमों का समायोजन तत्परता से किया जाना चाहिए।

लेखा परीक्षा कार्य प्रणाली

3.1.5 निम्नलिखित कार्य प्रणालियों का एक मिला जुला उपयोग किया गया:

चुने गये कार्यालयों से प्राप्त अभिलेखों की जाँच के साथ–साथ साक्षात्कार, अभिलेख एवं बोर्ड मुख्यालय स्थित कार्यालय एवं क्षेत्र स्थित कार्यालयों से संग्रहित साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। बोर्ड के सम्बन्धित अधिकारियों से प्रारम्भिक टिप्पणियों की माँग करते हुए समीक्षा में सम्मिलित विषयों पर लेखा परीक्षा पृच्छाएँ निर्गत की गयीं।

2. *भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और सहरसा ।*
3 *गया और मुजफ्फरपुर।*
4. *भागलपुर, दरभंगा, गया, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर और सासाराम।*
5 *राजस्व बकायों की वसूली के लिए राज्य सरकार के नीलामवाद पदाधिकारी के न्यायालय में नीलामवाद मुकदमा दायर किया जाता है।*

लेखा परीक्षा का निष्कर्ष

लेखा परीक्षा के निष्कर्षों को सरकार/बोर्ड को जुलाई 2005 में प्रतिवेदित किये गये थे तथा 19 अक्टूबर 2005 को सम्पन्न राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए लेखा परीक्षा समीक्षा समिति (ए.आर.सी.पी.एस.ई.) की बैठक में इस पर विचार विमर्श किया गया, जहाँ बोर्ड का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष तथा सदस्य (वित्त) द्वारा किया गया। बोर्ड के विचारों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा को अन्तिम रूप दिया गया। जबकि सरकार के प्रतिनिधि द्वारा इसमें भाग नहीं लिये जाने के कारण सरकार के दृष्टिकोण पर विचार नहीं किया जा सका।

लेखा परीक्षा के निष्कर्ष को उत्तरवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

3.1.6 ऊर्जा विक्रय के लिये लम्बित बकाये

वर्ष 2002–03 तक के पिछले तीन वर्षो के लिए ऊर्जा विक्रय के विविध देनदारों का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशिः रूपये करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03♣ (अीपबंधिक)
i	उर्जा बिक्री के लिए कर्जदारों का आदिशेष	2,643.40	2,819.83	3,171.74
ii	वर्ष के अंत में उर्जा बिक्री के लिये कर्जदार	1,187.79	1,196.83	1,313.19
iii	उर्जा बिक्री के लिए कुल कर्जदार (i+ii)	3,831.19	4,016.66	4,484.93
iv	वर्ष की अवधि में कुल संग्रहण	1,011.35	844.92	7,86.76
v	कुल कर्जदारों के विरूद्ध संग्रहण की प्रतिशतता (iii÷iv)	26	21	18
vi	उर्जा बिक्री के लिए कर्जदारों का अन्तशेष (iii-iv)	2,819.83	3,171.74	3,698.17

ऊपर दी गयी तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

(i) 31 मार्च 2003 को समाप्त हुए तीन वर्षो की अवधि में ऊर्जा विक्रय से सम्बन्धित देनदारों में वृद्धि हुई जब कि वर्षावधि में कुल संग्रहण उत्तरोत्तर घटकर 26 *प्रतिशत* से 18 *प्रतिशत* हो गया।

बोर्ड ने बतलाया (अक्टूबर 2005) कि संग्रहण उपलब्ध ऊर्जा की कुल मात्रा पर निर्भर करता है और चूंकि विक्रय के लिये उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा पूरे वर्षो के दौरान घटती रही अतः विक्रय के लिए उपलब्ध ऊर्जा का प्रति युनिट संग्रहण भी कम हुआ। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड चालू वर्ष के बकाये को भी पूर्णतः वसूली करने में सक्षम नहीं था। बोर्ड चालू वर्ष के बकाया और विगत वर्ष के बकाया संग्रहण का कोई अलग हिसाब नहीं दे सका।

(ii) प्रत्येक वर्ष का कुल संग्रहण उस वर्ष की अवधि के ऊर्जा बिक्रय सम्बन्धी देनदारों से कम था। बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2005) कि डी.पी.एस.* की पर्याप्त राशि सम्मिलित किये जाने के कारण

♣ *बोर्ड ने वर्ष 2003–04 और 2004–05 के लिए अंतिम लेखाएँ भी तैयार नहीं किया है।*

* *विलम्ब से किये गये भुगतान के लिए अधिभार*

कुल देनदारों में वृद्धि होती रही थी। बोर्ड का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि डी.पी.एस. बकायों का ही एक भाग है।

3.1.7 बकायों का श्रेणी–वार विवरण

बोर्ड के राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार विभिन्न वर्गो के उपभोक्ताओं के विरूद्ध श्रेणीवार बकायों का विवरण इस प्रकार था:

श्रेणी	31.3.2003 को	31.3.2004 को	वृद्धि प्रतिशतता
उच्च विभव	1,050.17	1,188.51	13
निम्न विभव औद्योगिक सेवा	279.45	317.86	14
वाणिज्य	389.19	451.43	16
कृषि	223.92	264.18	18
घरेलू	665.34	808.28	21
अन्य♣	1,188.60	1,433.28	21
योग	**3,796.67**	**4,463.54**	**17**

टिप्पणी:– 31.3.2005 के आंकड़े बोर्ड द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये यद्यपि इसकी मांग की गयी थी।

ऊपर दी गयी तालिका से देखा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के बकाये में वृद्धि का *प्रतिशत* 13 से 21 के बीच रहा और अधिकतम वृद्धि अर्थात् 21 *प्रतिशत* प्रत्येक घरेलू तथा अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं में दर्ज की गयी। बोर्ड ने बतलाया (अक्टूबर 2005) कि उपभोक्ताओं की कुल संख्या में से 87 *प्रतिशत* घरेलू उपभोक्ता थे। कनीय स्तर पर तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण वे छोटी चूक करने वाले उपभोक्ताओं पर ध्यान देने में समर्थ नहीं थे। लेखा परीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि बोर्ड की दयनीय आधारभूत संरचना को सम्भालने के लिये बोर्ड ने तकनीकी एवं वित्तीय सम्वर्गो में खाली पदों को शीघ्रता से एवं विधिपूर्वक भरने का निर्णय लिया था (मई 2002)। तथापि इसका अनुसरण नहीं किया गया था (अक्टूबर 2005)।

बोर्ड ने आगे बतलाया कि सार्वजनिक प्रकाश एवं सार्वजनिक कार्यों के लिए नगरपालिका संस्थाएँ सामान्यतः भुगतान नहीं कर रही थीं और राज्य सरकार ने भी इसका दायित्व नहीं लिया। मामला सरकार के पास ले जाया गया था। बोर्ड का जवाब सही नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने वर्ष 2002–04 की अवधि में नगरपालिका संस्थाओं के लम्बित बकायों के विरूद्ध 32 करोड़ रूपयों का भुगतान किया था।

सरकार/निजी संस्थाओं के विरूद्ध बकाये

3.1.8 केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों, केन्द्रीय/राज्य लोक उपक्रमों और निजी उपभोक्ताओं के विरूद्ध लम्बित बकायों का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है:

♣ *सार्वजनिक प्रकाश, सार्वजनिक जल संस्थान, अन्तर्राज्य विक्रय, आदि।*

(राशि: रूपये करोड़ में)

श्रेणी	31.3.03 को		31.3.2004 को	
	बकाये की राशि	योग के प्रति प्रतिशतता	बाकये की राशि	योग के प्रति प्रतिशतता
केन्द्रीय सरकार के विभाग	10.03	0.26	5.04	0.11
राज्य सरकार के विभाग	1,736.00	45.73	1,844.68	41.33
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	151.80	4.00	151.90	3.40
राज्य सार्वजनिम क्षेत्र उपक्रम	18.60	0.49	18.50	0.42
निजी उपभोक्ता	1,880.25	49.52	2,443.42	54.74
योग	**3,796.68**		**4,463.54**	

बकायों के भुगतान में मुख्य चुककर्त्ता राज्य सरकार के विभाग और निजी उपभोक्ता थे।

उपर दी गयी तालिका से देखा जा सकता है कि राज्य सरकार के विभाग और निजी उपभोक्ता मुख्य चूककर्त्ता थे।

बोर्ड ने कहा कि राज्य सरकार के विरूद्ध बकायों मे शहरी स्थानीय संस्थाएँ के बकाये का वृहद अंशदान थी जिन्होने भुगतान नहीं किया। इस विषय की चर्चा सरकार से की गयी है और इसमें सुधार किया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार के विभागों के विरूद्ध बकाये

केंद्रीय सरकार के विभागों के पास रहने वाले बकायों में पूर्व मध्य रेलवे, धनबाद की 3.60 करोड़ रूपये की विवादित राशि शामिल थी।

3.1.9 केन्द्र सरकार के विभागों के विरूद्ध दिखाये गये 5.04 करोड़ रूपये के बकाये में गया पारेषण अंचल की अप्रील–जुलाई 1994 की अवधि से सम्बन्धित पावर फैक्टर सरचार्ज पर विवाद के कारण पूर्व मध्य रेलवे, धनबाद द्वारा घटायी गयी 3.60 करोड़ रूपये की राशि सम्मिलित थी। रेलवे द्वारा ईंधन प्रभार के विपत्र से (अप्रील 1997) 54.75 लाख रूपये की राशि घटा दी गई थी। परन्तु न तो उपभोक्ता का विद्युत संयोजन विच्छेदित किया गया न ही वह राशि, जो 4.15 करोड़ रूपये तक बढ़ गयी, प्राप्त की गयी (दिसम्बर 2004)।

बोर्ड ने स्पष्ट किया (अक्टूबर 2005) कि रेलवे के साथ विवाद तकनीकी मुद्दों पर था और शीघ्र ही इसे सुलझा लिए जाने की आशा थी।

4.19 करोड़ रूपये के बकाये को रेलवे से वसूल करने का प्रयास नहीं किया गया।

उपरोक्त बकाये में 1989–90 से 1999–2000 की अवधि से सम्बन्धित रेलवे के विरूद्ध लम्बित 4.19 करोड़ रूपये की राशि सम्मिलित नहीं थी जिसे बोर्ड के राजस्व अभिलेखों में ''स्थगित राशि'' के रूप में दिखलाया गया था। फिर भी सितम्बर–2005 तक इसका समाधान प्राप्त नहीं किया जा सका था।

बोर्ड ने बतलाया (अक्टूबर 2005) कि मामलों का अतिशीघ्रतापूर्वक निपटारा करने के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयो से अनुरोध किया गया है।

राज्य सरकार के विभागों के विरूद्ध बकाया

3.1.10 राज्य सरकार के विभागों के विरूद्ध बोर्ड का लम्बित बकाया 31 मार्च 2004 को 1,844.68 करोड़ रूपये था जिसके विरूद्ध वर्ष 2004–05 में इस बकाये का भुगतान करने के लिये 134.71 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया था। तथापि बोर्ड ने केवल 128.26 करोड़

रूपये का आवंटन प्राप्त किया। राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 2003 में जारी किये गये निर्देशों के बावजूद इस कम बजट प्रावधान का कारण राज्य सरकार के विभागों के साथ बकायों का समाधान नहीं किया जाना था।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2005) कि 31 मार्च 2004 को 728.00 करोड़ रूपये के लिए समाधान पूरा कर लिया गया था और सरकार को समर्पित कर दिया गया था। बकाये के 1,116.68 करोड़ रूपये के बचे हुए वृहद भाग का समाधान अभी भी बाकी है।

उपरोक्त बकाये में कोशी परियोजना, सहरसा का 199.49 करोड़ रूपया शामिल था जिसमें से 105.90 करोड़ रूपये विलम्बित भुगतान अधिभार (डी.पी.एस.) पर विलम्बित भुगतान अधिभार के कारण था जो टैरिफ के अनुसार अनुमान्य नहीं था। इस प्रकार बकाया 105.90 करोड़ रूपयों से अभिवृद्धित था।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2005) कि खाता मे सुधार करने के लिये सम्बन्धित कार्यालय को अनुदेश निर्गत किये गये थे।

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमो के विरूद्ध बकाया

149.40 करोड़ रूपये का बकाया हि. फ. का. लि. (बन्दी के अन्तर्गत) के पास था

3.1.11 केन्द्रीय सरकार के उपक्रमो के विरूद्ध लम्बित कुल 151.90 करोड़ रूपये के बकाये मे से 150.19 करोड़ रूपया (99 *प्रतिशत*) हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कारपोरेशन लिमिटेड (हि.फ.का.लि.), बरौनी समाप्ति के अन्तर्गत (149.40 करोड़ रूपये) के विरूद्ध तथा भारत वैगन इंन्जिनीयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, (भा.वै.इ.का.लि.), मोकामा (79 लाख रूपये) के विरूद्ध लम्बित थे। हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कारपोरेशन लिमिटेड, बरौनी के बकाये को, जैसा कि कंडिका 3.1.22 में कहा गया है, उपभोक्ता के चालू संयोजन पर स्थानान्तरित किया जाना था। भारत वैगन इन्जिनीयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड भुगतान करने में चूक कर रहा था, परन्तु न तो संयोजन विच्छेदित किया गया और न ही बकायों की वसूली के लिये नीलामावाद का मामला दायर किया गया, जो अक्टूबर 2005 में 1.90 करोड़ रूपये तक बढ़ गया।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2005) कि हि.फ.का.लि. के चालू विद्युत संयोजन पर 1.94 करोड़ रूपये की राशि लम्बित थी। परन्तु बोर्ड इसका संयोजन विच्छेदित नहीं कर सका क्योंकि उपभोक्ता सम्वेदनशील वस्तुओं का भंडारण कर रहा था जिसके लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता थी। बोर्ड ने यह भी कहा कि वित्तीय विवशताओं के कारण भा.वै.इ.का.लि. किश्तों में भुगतान कर रहा था। यह जवाब मान्य नहीं है क्योंकि भुगतान के लिए बोर्ड ने कोई किश्त निर्धारित नहीं किया था। बल्कि भा.वै.इ.का.लि. 1.90 करोड़ रूपये के बकाये के विरूद्ध अप्रील 2005 से अक्टूबर 2005 तक की अवधि में अपनी सुविधा के अनुसार केवल 6.50 लाख रूपयों की एक लघु राशि का भुगतान किया था।

राज्य सरकार के उपक्रमों के विरूद्ध बकाया

3.1.12 31 मार्च 2004 को राज्य सरकार के उपक्रमों के विरूद्ध लम्बित 18.50 करोड़ रूपयों के बकायों **(परिशिष्ट–14)** मे से 3.66 करोड़ रूपये की राशि मृत/परिसमापनाधीन उपक्रमों के विरूद्ध लम्बित थी, जिस की वसूली सन्देहात्मक थी। बोर्ड द्वारा इनका उम्रवार विश्लेषण नहीं किया गया है। बोर्ड ने उनके विरूद्ध नीलामवाद के मुकदमे दायर नहीं किये। लम्बित दिखलाये गये 2.34 करोड़ रूपयों के विरूद्ध 1.80 करोड़ रूपये के लिये बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड

सार्वजनिक क्षेत्र के पाँच उपक्रमों के बन्द हो जाने के कारण 1.86 करोड़ रूपया अवसूलनीय हो गये

के विभिन्न इकाइयों के विरूद्ध नीलामवाद के मुकदमे दायर किये गये थे। शेष 0.54 करोड़ रूपयों के बकाये के लिये नीलामवाद के मुकदमे दायर नहीं किये जाने के कारणों का उल्लेख अभिलेखों में नहीं था। इस प्रकार 1.86[1] करोड़ रूपयो का बकाया अवसूलनीय हो गया।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2005) कि सन्दर्भाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से राशि वसूल करने का प्रयास किया जायेगा।

निजी संस्थाओं के विरूद्ध बकाया

3.1.13 निजी उपभोक्ताओं का बकाया वर्ष 2002–03 में 1,880.25 करोड़ रूपये (49.52 *प्रतिशत*) से बढ़कर वर्ष 2003–04 में 2,443.42 करोड़ रूपये (54.74 *प्रतिशत*) हो गया। बकायों के इकट्ठा होने से बचने के उद्देश्य से बोर्ड का टैरिफ, उपभोक्ताओं से संग्रहित किये जानेवाले प्रतिभूति जमा की राशि, जो उनके द्वारा तीन महीनों में किये गये औसत उपभोग से आंकलित की जाती है, में वृद्धि करने के लिए समय–समय पर समीक्षा किये जाने का प्रावधान करता है। नियत तिथि पर भुगतान करने में विफलता की स्थिति में सूचना देने के बाद संयोजन विच्छेद कर देने का प्रावधान भी टैरिफ में है। परन्तु बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रावधानों को लागू नहीं किये जाने के कारण बकाये में वर्षो तक वृद्धि हुई।

बोर्ड के पास, वित्तीय खाता/तलपट में व्यक्तिगत बकायेदारों की कोई सूची नहीं थी। वस्तुतः राजस्व अभिलेखों और वित्तीय खातों में दिखलाये गये बकायों के बीच कोई समाधान नहीं किया जा रहा था। क्षेत्र तथा मुख्यालय, दोनो स्तरों पर बकायों का अनुवीक्षण किये जाने तथा उन पर नियन्त्रण रखे जाने का अभाव था।

तीन आपूर्ति अंचलो [2] में लम्बित बकाये की जाँच पड़ताल करने पर देखा गया कि तीन उच्च विभव उपभोक्ताओं के विरूद्ध 92.06 करोड़ का बकाया लम्बित था, जिसमें 90.41 करोड़ रूपया दोषपूर्ण विपत्रीकरण के कारण बढ़ाया हुआ था, जैसा कि **परिशिष्ट–15** में विस्तृत किया गया है।

बोर्ड ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2005) कि वर्ष दर वर्ष बकायों में वृद्धि होती रही थी, जिसकी वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

कतिपय बड़े उपभोक्ताओं से सम्बन्धित लेखा परीक्षा निष्कर्षों के विषय में नीचे चर्चा की गयी है:

विनसम इन्टरनेशनल लिमिटेड, समस्तीपुर (उपभोक्ता संख्या एम.के.पी.–4)

3.1.14 30 नवम्बर 2003 को, विनसम इन्टरनेशनल लिमिटेड समस्तीपुर के विरूद्ध 82.81 लाख रूपयों का विलम्बित भुगतान अधिभार सहित 2.01 करोड़ रूपयों के बकाया लम्बित था। उपभोक्ता के अनुरोध पर बोर्ड ने 82.81 लाख रूपयों के विलम्बित भुगतान अधिभार को छोड़ते हुए, जो बढ़कर अगस्त 2004 में 1.01 करोड़ रूपया हो गया, बकाये को 40 समान मासिक किस्तों में भुगतान करने की अनुमति (दिसम्बर 2003) दी। पुनः उपभोक्ता के अनुरोध पर बोर्ड ने ईंधन अधिभार पर विलम्बित भुगतान को भूतलक्षी प्रभाव से छोड़ दिया (अगस्त–2005)।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2005) कि उपभोक्ता के साथ अब विवाद का समाधान हो चुका है।

1 (3.66–1.80) करोड़ रूपये = 1.86 करोड़ रूपये

2 *मोतिहारी, पटना और सहरसा*

तथापि, माह सितम्बर 2005 के लिये निर्गत विपत्र से लेखा परीक्षा में देखा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों में वांछित बिहार राज्य विद्युत विनियमन आयोग के अनुमोदन के बिना टैरिफ के प्रावधानों में अनाधिकृत संशोधन करते हुए विलम्बित भुगतान अधिभार (1.01 करोड़ रूपये) तथा प्रतिभूति जमा (36 लाख रूपये) बोर्ड द्वारा छोड़ दिये गये थे, जिसके फलस्वरूप निजी उपभोक्ता को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

कल्याणपुर सिमेन्ट लिमिटेड (उपभोक्ता संख्या एच.टी.–3/ई.एच.टी.एस.)

3.1.15 कल्याणपुर सिमेन्ट लिमिटेड (के.सी.एल.) 15 एम.भी.ए. की अनुबन्धित मांग युक्त एक अतिरिक्त उच्च विभव उपभोक्ता था। उपभोक्ता के साथ हुए अनुबंध के बन्ध–1 (ग) और 3 (क) के प्रावधानों के अनुसार विद्युत आपूर्ति का माप, उपभोक्ता के परिसर के आपूर्ति बिन्दु पर बोर्ड द्वारा संस्थापित किये जाने वाले मीटर द्वारा किया जाना था। तथापि के.सी.एल. को दी जा रही ऊर्जा आपूर्ति को मापने के लिए सदस्य (तकनीकी) ने ग्रिड पर के.सी.एल. के फीडर में मीटर संस्थापित करने का आदेश (मार्च–1996) दिया, जिसे एक चेक मीटर के रूप में कार्य करना था। परन्तु जून 1996 से नवम्बर 1997 की अवधि में अनुबन्ध में यथा प्रावधानित उपभोक्ता के परिसर में संस्थापित मीटर के पठन के बदले ग्रिड में संस्थापित मीटर के पठन के आधार पर विपत्र निर्गत किया गया। उपभोक्ता ने विपत्रों पर विवाद खड़ा किया और उच्च न्यायालय में एक कानूनी याचिका प्रस्तुत किया। उपभोक्ता के परिसर में संस्थापित मीटर का पठन नहीं लिये जाने के कारणों का उल्लेख अभिलेख में नहीं था। न्यायालय ने उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर के पठन के आधार पर विपत्र तैयार करने का आदेश पारित किया (जुलाई 1997)। चूंकि बोर्ड ने उपभोक्ता के परिसर स्थित मीटर का पठन अभिलिखित नहीं किया था इसलिए वह न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन नहीं कर सका। इस बीच लम्बित बकाया, जो 1997–98 में 20.07 करोड़ रूपया था बढ़कर अगस्त 2005 में 126.89 करोड़ रूपये हो चुका था, अवसूलनीय पड़ा रहा।

नियमों के उल्लंघन के कारण 126.89 करोड रूपये का बकाया अप्राप्त रहा।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2005) कि इस उपभोक्ता से सम्बन्धित विवाद के कई अन्य मामले थे जिन्हें निर्णय के लिए बोर्ड के सम्मुख रखा जा रहा था। जवाब मान्य नही है, क्योंकि न्यायालय के आदेश के बावजूद बोर्ड इस विशिष्ट मामले का निपटारा नहीं कर सका जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, डालमियानगर (एच.टी.–30)

3.1.16 रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, डालमियानगर (1996 से विघटन में) ने भुगतान करने में चूक करना आरम्भ किया और अगस्त 1992 से ऊर्जा विपत्रों का आंशिक/नाम मात्र का भुगतान किया तथा 18.55 करोड़ रूपये बकाये के विरूद्ध मार्च 1996 में 1.78 लाख रूपये का अन्तिम भुगतान किया। परन्तु इसका विद्युत संयोजन छह वर्षो की अवधि के बाद 11 सितंबर 2002 को विच्छेदित किया गया, जब बकाया 36.94 करोड़ रूपये तक बढ़ गया। उपभोक्ता के विरूद्ध तब तक नीलामवाद का मुकदमा दायर नहीं किया गया था (अक्टूबर 2005)।

संयोजन विछेदित करने में विलंब के कारण रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड का बकाया 36.94 करोड़ रूपया तक बढ़ गया।

डालमियानगर स्थित, कम्पनी के आवासीय कॉलोनी के घरेलू उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में पटना उच्च न्यायालय (रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड का अधिकारिक परिसमापक) ने उनके विद्युत संयोजन का विच्छेदन कर दिये जाने का आदेश पारित किया था (जनवरी 1996)। न्यायालय

डालमियानगर में घरेलू उपभोक्ताओं का संयोजन विच्छेदित करने में विलंब के कारण बकाये की राशि 4.99 करोड़ रूपये हो गयी।

के आदेश के बावजूद बोर्ड ने संयोजन विच्छेदित करने में आठ वर्षो से अधिक (अप्रील 2004) का विलम्ब किया। विच्छेदन करने में हुए विलम्ब के कारणों का उल्लेख अभिलेखों में नहीं था। इस बीच चूक की राशि बढ़कर 4.99 करोड़ रूपये हो गयी।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2005) कि विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था और सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध प्रशासनात्मक कार्रवाई की गयी थी। परन्तु की गई कार्रवाई का विवरण लेखा परीक्षा को सूचित नहीं किया गया।

कालातीत दावे

3.1.17 ऊर्जा बकायों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण जिन उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिये गये है, उनसे बकाये की वसूली करने के लिये तत्परता से नीलामवाद का मुकदमा दायर किये जाने की आवश्यकता होती है। यदि तीन वर्षों के भीतर मुकदमा दायर नहीं किया जाता है तो बकाये कालातीत हो जाते हैं। इस प्रकार के मामलों में सम्बन्धित अधिकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागी होंगे और राशि की वसूली उनसे की जायेगी। लेखा परीक्षा ने अवलोकन किया (मई 2005) कि बोर्ड के पास संयोजन विच्छेदित उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकायों के कालातीत मामलों और दायर किये गये नीलामवाद मामलों का विवरण उपलब्ध नहीं था जिसके कारण बोर्ड द्वारा अनुवीक्षण एवं नियन्त्रण का प्रयोग नहीं किया जा रहा था।

उपभोक्ताओं के साथ लंबित 41.81 करोड़ रूपये का बकाया कालातीत हो गया।

उच्च विभव उपभोक्ताओं से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच से लेखा परीक्षा को पता चला कि 39.03 करोड़ रूपये सन्निहित 121 मामलो में समय पर नीलामवाद मुकदमा दायर नहीं किए जाने के कारण वसूली कालातीत हो गयी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–16** में दिया गया है। 31.92 करोड़ रूपये अन्तर्निहित 86 मामलो में नीलामवाद मुकदमे दायर ही नहीं किये गये थे तथा 7.11 करोड़ रूपये अन्तर्निहित 35 मामलो में तीन वर्षो की समय सीमा के बाद नीलामवाद मुकदमे दायर किये गये थे। न तो कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था और ना ही राजस्व की हानि के लिए उत्तरदायी सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई ही की गयी थी।

इसके अतिरिक्त 16 आपूर्ति प्रमंडलों* के, वर्ष 1994 से मई 2002 तक के कालातीत दावों से सम्बन्धित पंजियों की नमूना जाँच के दौरान लेखा परीक्षा में देखा गया कि 13 सिंचाई एवं कृषि सेवा, 56 निम्न विभव औद्योगिक सेवा, 109 गैर घरेलू सेवा और 755 घरेलू सेवा उपभोक्ताओं के विरूद्ध समय पर नीलामवाद मुकदमे दायर नहीं किये जाने के कारण 2.78 करोड़ रूपये का बकाया कालातीत हो चुका था।

बोर्ड ने 1977 से 2004 तक की अवधि के लिए उच्च विभव उपभोक्ताओं के सन्दर्भ में 139.87 करोड़ रूपयों के 159 नीलामवाद मुकदमे दायर किया था (मई 2005)। मई 2002 से दिसम्बर 2004 तक की अवधि के लिये 25 संयोजन विच्छेदित उच्च विभव उपभोक्ताओं से सम्बन्धित में 48.98 करोड़ रूपयों का नीलामवाद का मुकदमा दायर किया जाना अभी बाकी था।

* *भागलपुर (ग्रामीण), बाढ, बेतिया, छपरा (पश्चिम), फतुहा, हाजीपुर, कंकरबाग, मोतिहारी, मुंगेर, नवादा पटना सिटी, सासाराम, शेखपुरा, शेरघाटी, सुपौल, तथा रोसड़ा*

नीलामवाद मामलों का त्वरित निष्पादन के लिये सम्बन्धित जिलाधिकारियों से सम्पर्क करने हेतु सभी विद्युत अधीक्षण अभियन्ताओं, विद्युत कार्यपालक अभियन्ताओं को दिये गये अध्यक्ष के आनुदेशों (जुलाई 2003) का अनुपालन नहीं किया गया (अक्टूबर 2005) और सम्बन्धित विद्युत अधीक्षण अभियन्ताओं/विद्युत कार्यपालक अभियन्ताओं द्वारा मामलों का अनुसरण नहीं किया गया और कुछ नीलामवाद मामले 1977 से लम्बित थे।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2005) कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा ईमानदारी से किये गये प्रयासों के बावजूद नीलामवाद के मामले निष्पादन हेतु लम्बे समय से लम्बित थे, किन्तु नीलामवाद पदाधिकारियों को समय पर इन मामलों को सुनने का समय नहीं मिला और नीलामवाद पदाधिकारियों के कुछ पद वर्षो से खाली थे।

न्यायालय/बोर्ड के आदेशों से स्थगन में रखी गयी राशि

3.1.18 न्यायालय के आदेशों के आधार पर 13.28 करोड़ रूपये के बकाये तथा बोर्ड के अधिकारियों के आदेशों के आधार पर 1.87 करोड़ रूपये के बकाये 16 उच्च विभव उपभोक्ताओं के विरूद्ध लम्बित थे एवं स्थगन में रखे गये थे, जिनका विवरण **परिशिष्ट–17** में दिया गया है। वर्ष 1999 से 2003 तक की अवधि से सम्बन्धित न्यायालयाधीन मामलों की सूची से यह देखा गया कि उपभोक्ता **(परिशिष्ट–17 का क्रम संख्या–1)** 5 फरवरी 1995 से 3 अगस्त 1995 तक 39.76 करोड़ रूपये से अति–प्रभारित था। उपभोक्ता ने विपत्र का भुगतान नहीं किया तथा बोर्ड के विरूद्ध एक मुकदमा दायर किया (अगस्त 1999)। यद्यपि बोर्ड ने विपत्र को 9.44 करोड़ रूपये से सुधार दिया (दिसम्बर 2000) फिर भी पाँच वर्ष बीत जाने के बाद भी इस सुधार को न्यायालय की दृष्टि में नहीं लाया गया। मामला अभी भी लम्बित है (अक्टूबर 2005)। फलस्वरूप बोर्ड की चूक के कारण 9.44 करोड़ की राशि अवसूलित रही।

बोर्ड की चुक के कारण 9.44 करोड़ रूपये का बकाया अवसूलीत रहा।

लेखा परीक्षा की छानबीन से आगे यह पता चला (मई 2005) कि चार आपूर्ति अंचलों[#] में सात उपभोक्ता ऐसे थे जिनके बकाये को बोर्ड के अधिकारियों के आदेश पर स्थगन में रखा गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट–18** में दिया गया है। लेकिन समय–समय पर मामलों की समीक्षा नहीं की गयी। परिणामस्वरूप 1.87 करोड़ का बकाया अवसूलित/असमायोजित पड़ा हुआ था।

बोर्ड ने अपने जवाब में **परिशिष्ट–18** के क्रम संख्या 4, 5 एवं 6 पर उल्लेखित उपभोक्ताओं के विरूद्ध दिखलायी गयी राशि इस आधार पर विवादित किया कि आँकड़े उनके अभिलेखों से मेल नहीं खाते। यह जवाब सही नहीं है। आँकड़े लेखा परीक्षा को अंचलों द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत किये गये थे।

औद्योगिक नीति, 1995 के अधीन औद्योगिक उपभोक्ताओं को दी गई छूट का दावा राज्य सरकार से नहीं किया गया

3.1.19 औद्योगिक नीति, 1993/1995 के अन्तर्गत बिहार सरकार ने 1 अप्रील 1993 से 31 अगस्त 2000 की अवधि में 500 के.भी.ए. तक की अनुबन्ध मांग वाले उन औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट प्रदान करने के लिए बोर्ड को निर्देशित किया, जो औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करते हैं अथवा जिन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता में या विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों में अभिवृद्धि किया हों। बोर्ड ने सरकार के संकल्प का अनुमोदन करने के समय उन उपभोक्ताओं

[#] *मुजफ्फरपुर, पेसू (पश्चिम), पूर्णियाँ और समस्तीपुर।*

से वार्षिक न्यूनतम गारांटी (ए.एम.जी.) शूल्क, इस शर्त के साथ नहीं लगाने का निर्णय (अक्टूबर 1996) किया कि इस संदर्भ में बोर्ड की हुई क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार से *अनुरोध किया जायेगा। सरकार से राशि की मांग करने के लिये बोर्ड ने छोड़े गये राजस्व का* विवरण प्रस्तुत करने के लिए अपने अंचल कार्यालयों को निदेशित किया (अगस्त 1997)।

औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रदत्त प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार से सहायता राशि की मांग नहीं किये जाने के कारण बोर्ड को 5.60 करोड़ की हानि हुई।

यह देखा गया कि (मई 2005) कि अंचलों ने उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया। अतः उपरोक्त अवधि में उच्च विभव उपभोक्ताओं से ए.एम.जी. शुल्क नही लिये जाने के कारण हुई क्षति के लिए सरकार से दावा नहीं किया जा सका। लेखा परीक्षा द्वारा 11 अंचलो से संग्रहित (मई 2005) सूचनाओं के आधार पर 1996–97 से 1999–2000 की अवधि से सम्बन्धित 1.61 करोड़ रूपये के अतिरिक्त, समीक्षा की अवधि (2000–01 से 2004–05 तक) के दौरान 3.99 करोड़ रूपयों की कुल क्षति संगणित हुई, जिसका विवरण **परिशिष्ट–19** मे दिया गया है।

बोर्ड ने कहा कि इन उपभोक्ताओं को दी गई छूट के कारण हुई क्षति की पूर्ति करने से सरकार ने इनकार कर दिया (फरवरी 1996)। बोर्ड का यह जवाब इस तथ्य के आलोक में मान्य नहीं है क्योंकि अक्टूबर 1996 में इस योजना का अनुमोदन करते समय सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति करने से इनकार करने की बात को पूर्णतया जानते हुए भी बोर्ड ने इस क्षति की भरपाई के लिए सरकार से दावा करने के लिए आदेश दिया था। सरकार से इसका दावा करने के लिये बोर्ड ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को इस क्षति का संकलन करके बोर्ड के पास भेजने का निर्देश भी दिया था (अगस्त 1997)। बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन करते हुए न तो क्षति का संकलन किया गया और न ही सरकार से इसका दावा किया गया।

उच्च विभव उपभोक्ताओं के साथ किये गये अनुबन्ध के बन्ध–13 के अन्तर्गत लम्बित छूट के मामलों के कारण स्थगन में रखी गई राशि

3.1.20 बोर्ड की अधिसूचना (जुलाई 1994) के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने में बोर्ड की अक्षमता अथवा वैध कारणों से ऊर्जा खपत में उपभोक्ताओं की असमर्थता के कारण खपत में हुई कमी के लिये उच्च विभव उपभोक्ताओं को ए.एम.जी. में छूट प्रदान किया जाता है। छूट का दावा करने के लिये उपभोक्ता को ए.एम.जी. विपत्र की राशि का 50 *प्रतिशत* राशि जमा करने और विपत्र की नियत तिथि के 90 दिनों के भीतर दावा दाखिल करने की आवश्यकता होती है। सम्बन्धित विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक महीने के भीतर व्यवधान प्रतिवेदन समर्पित करना होता है। दावा प्रस्तुत किये जाने की तिथि से चार महीने के भीतर सम्बन्धित महा–प्रबन्धक सह–मुख्य अभियन्ता (जी.एम.–सह–सी.ई.) द्वारा मामले का निपटारा करने की आवश्यकता होती है।

यह अवलोकित किया गया (मई 2005) कि उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। मामालों का निपटारा करने में संबंधित अधिकारियों ने एक से बीस वर्षों तक का समय लिया। आदेशों में प्रवधानित एक महीने के समय के विरूद्ध कार्यपालक अभियन्ताओं ने व्यवधान प्रतिवेदन भेजने में बहुत अधिक समय लिया। वस्तुतः किसी भी विद्युत कार्यपालक अभियन्ता ने अपनी पहल पर प्रतिवेदन नहीं भेजा और क्षेत्रीय बोर्ड से बार–बार स्मार प्राप्त होने पर उन्होंने एक से सात वर्षों के विलंब के परास में प्रतिवेदन भेजा।

छूट के मामले की छान–बीन के परिणाम नीचे दिए गए है:

क्रम संख्या	मामलों की संख्या	सम्मिहित राशि (राशि करोड़ रूपये में)			लेखा परीक्षा टिप्पणी
		समीक्षा अवधि	पिछली अवधि	योग	
1	295	5.22	4.31	9.53	उच्च विभव उपभोक्तओं के छूट के दावे जहाँ उपभोक्तओं द्वारा जमा की गई ए. एम. जी. विपत्रों की 50 प्रतिशत राशि चार महीनों की अनुमोदित समय सीमा के विरूद्ध 1 से 20 वर्षों तक एरिया बोर्ड में लंबित थी (परिशिष्ट–20)। राशि अस्थगन में रखी गई थी।
2	63	1.64	13.17	14.81	छूट के मामलों की दावाओं को एरिया बोर्डों में लंबित दिखाया गया था जिन्हें ए. एम. जी. विपत्र की 50 प्रतिशत राशि जमा नहीं किए जाने के कारण तत्क्षण रद्द कर दिया जाना चाहिए था (परिशिष्ट–21)। भागलपुर एरिया बोर्ड में मामलों को अधिसूचना के बन्ध (5)[1] का उल्लंघन करते हुए स्वीकार किया गया था (क्रमांक–2 में सम्मिलित) क्योंकि वे 1986–91 की अवधि से संबंधित थे और दावे नवम्बर 2000 में दाखिल किये गये थे; इस प्रकार दावे प्रथम द्रष्टया अग्राह्य थे। राशि आनावश्यक रूप से अस्थगन में रखी हुई थी।
3	49	0.78	0.52	1.30	ए. एन. जी. विपत्रों की राशि 10 अंचलों में अस्थगन में दिखलायी गयी थी, किन्तु वे संबंधित एरिया बोडों में अभिलिखित नहीं पायी गयी जहाँ छूट संबंधित दावाओं पर कार्रवाई की जाती है (परिशिष्ट–22)। राशि अनावश्यक रूप से अस्थगन में रखी हुई थी।
4	3	0.02	0.12	0.14	जिन मामालों में संबंधित महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियन्ता द्वारा छूट प्रदान किये गये थे उन अंचलों द्वारा समायोजन विपत्र निर्गत नहीं किये गये थे। कम निर्गत किये गये थे जिसके फलस्वरूप लेखाओं में स्थगन में रखी गयी राशि अति–अभिव्यक्त थी (परिशिष्ट–23)। राशि अनावश्यक रूप से स्थगन में रखी हुई थी।
5	8	0.01	0.12	0.13	महाप्रबंध–सह–मुख्य अभियन्ता कोसी एरिया बोर्ड सहरसा द्वारा उपभोक्ताओं का ए. एम. जी. में प्रदान किया गया छूट आरोपित ए. एम. जी. से अधिक था। अधिसूचना के बन्ध (1)[2] का उल्लंघन किए जाने के कारण बोर्ड को क्षति हुई।
6	2	शून्य	0.37	0.37	अधिसूचना के बन्ध (1)[3] और (4–c) का उल्लंघन करते हुए महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियन्ता, एरिया बोर्ड दरभंगा और गया द्वारा प्रदान किये गये छूट की समीक्षा किये जाने का आदेश बोर्ड द्वारा जून 1996/अक्टूबर 1998 में दिया गया था। अभी तक समीक्षा नहीं की गयी थी।
	कुल	**7.67**	**18.61**	**26.28**	

इसके फलस्वरूप बोर्ड को 13 लाख रूपयों की हानि हुई (क्रम संख्या–5) और 25.78 करोड़ रूपये की राशि अवरूद्ध रही (क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4)।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2005) कि क्षेत्रीय बोर्ड के महाप्रबन्धकों सह–मुख्य अभियन्ताओं को उपभोक्ताओं के छूट–मामलों का शीघ्रता से निपटारा करने के लिए पुनः निदेशित किया गया है (अक्टूबर 2005)। तथापि बोर्ड ने न तो कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया है और न ही विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई किया है।

इन्डक्सन फरनेस वाले उच्च विभव उपभोक्ताओं से प्राप्तव्य इंधन अधिभार का लम्बित बकाया

3.1.21 इन्डक्सन फरनेस वाले उच्च विभव उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रील 1999 से

1 प्रावधानित करता है कि 1990–91 तक की छूट दावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है यदि वे जुलाई 1994 से तीन वर्षों के बाद प्रस्तुत किये गये थे।

2 बन्ध 1 प्रावधान करता है कि विपत्र में प्रभारित ए.एम.जी. की राशि से अधिक राशि की छूट नहीं दी जायेगी।

3 नियत तिथि के भीतर उपभोक्ता द्वारा ए. एम. जी. का 50 प्रतिशत जमा किये जाने तथा 90 दिनों के भीतर दावा किये जाने का प्रावधान करता है।

31 मार्च 2001 की अवधि में उगाही किये जाने वाले इंधन अधिभार का निम्नलिखित दर बोर्ड ने अधिसूचित किया (मार्च 2001)

1 अप्रील 1999 से 31 अगस्त 1999	190.43 पैसे प्रति के.डब्लू.एच.
1 सितंबर 1999 से 31 मार्च 2000	23.26 पैसे प्रति के.डब्लू.एच.
1 अप्रील 2000 से 31 मार्च 2001	53.58 पैसे प्रति के.डब्लू.एच.

विपत्रों को 31 मार्च 2001 से पहले निर्गत कर दिया जाना था। तथापि बोर्ड ने निर्दिष्ट किया (7 मई 2001) कि बिहार सरकार द्वारा टैरिफ अनुसूची का अनुमोदन कर दिये जाने पर इंधन अधिभार वापस हटा लिया जायेगा और इसीलिए इंधन अधिभार के विरूद्ध राशि को सम्बन्धित अंचलों द्वारा स्थगन में रखा गया था। यद्यपि बोर्ड के प्रस्ताव में उपरोक्त प्रावधान सम्मिलित था तथापि सरकारी गजट में प्रकाशित टैरिफ अधिसूचना (20 नवम्बर 2001) में इसे समावेशित नहीं किया गया था।

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) ने अंचलों को अनुदेशित किया (मई 2003) कि यदि 1 सितम्बर 1999 से 31 मार्च 2001 की अवधि के लिए इंधन अधिभार हेतु विपत्र निर्गत नहीं किये गये थे और इंधन अधिभार की वसूली नहीं की गयी थी तो बकाया इंधन अधिभार के लिए एक ताजा विपत्र निर्गत किया जा सकता है। इस आदेश के अनुपालन में इंधन अधिभार का बकाया विपत्र इस प्रकार के सभी उपभोक्ताओं को निर्गत किया गया। परन्तु उपभोक्ताओं ने बकाये विपत्रों का भुगतान नहीं किया और न्यायालय की शरण में चले गये। बोर्ड द्वारा यह इंगित किये जाने की भूल कि सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिये जाने पर इंधन अधिभार वापस हटा लिया जायेगा के परिणाम स्वरूप समीक्षा अवधि से सम्बन्धित बकाया ईंधन अधिभार की 11.86 करोड़ रूपयों की राशि, जिसे स्थगित रखा गया था, अवसूलनिय रह गयी जिसका विवरण **(परिशिष्ट–25)** में दिया गया है।

त्रुटिपूर्ण टैरिफ अधिसूचना के कारण बोर्ड को 11.86 करोड़ रूपये की क्षति हुई।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2005) कि प्रश्नाधीन अवधि से सम्बन्धित इंधन अधिभार जुलाई 2005 में वापस हटा लिया गया। परिणाम स्वरूप, त्रुटिपूर्ण अधिसूचना के कारण बोर्ड को 11.86 करोड़ रूपयों की हानि हुई।

उपभोक्ता के एक विद्युत संयोजन के बकाये की वसूली उसी उपभोक्ता के दूसरे विद्युत संयोजन से नहीं किया गया

एक विद्युत संयोजन के बकाये को उपभोक्ताओं के दूसरे चालू विद्युत संयोजन पर स्थानान्तरित नहीं किये जाने के कारण 42.54 करोड़ रूपये के विलम्बित भुगतान अधिभार की वसूली नहीं की जा सकी।

3.1.22 टैरिफ अधिसूचना संख्या 477 दिनांक 29 अक्टूबर 2002 की कंडिका–7 के अनुसार किसी विच्छेदित उपभोक्ता का लम्बित बकाया उस उपभोक्ता के दूसरे जीवित संयोजन पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। लेखा परीक्षा में देखा गया कि टैरिफ के उपरोक्त प्रावधान को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था या नौ उच्च विभव उपभोक्ताओं के मामले में अत्यधिक विलम्ब हो जाने के बाद प्रयोग में लाया गया था जिसका विवरण **परिशिष्ट–26** में दिया गया है। इसके फलस्वरूप 169.19 करोड़ रूपये की राशि अवसूलित रही। यदि बोर्ड ने विच्छेदित विद्युत संयोजन के बकायों को उन उपभोक्ताओं के अन्य जीवित संयोजनों पर स्थानान्तरित करने की कार्रवाई तत्परता से किया होता तो 42.54 करोड़ रूपयों का विलम्बित भुगतान अधिभार वसूल किया जा सकता था।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2005) कि सभी सम्बन्धित उपभोक्ता सरकारी संस्थाएँ थीं, इसलिए एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन पर बकाये का स्थानान्तरण किया जाना सम्भव नहीं था। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने पहले से भागलपुर म्यूनिसिपल कारपोरेशन के बरारी

बाटर वर्क्स के विच्छेदित विद्युत संयोजन के बकाये को उपभोक्ता के दूसरे जीवित विद्युत संयोजन पर स्थानान्तरित किया था।

आपूर्तिकर्त्ताओं के विरूद्ध बकाये का असमायोजन

3.1.23 यह देखा गया कि उर्जा और तेल के चार आपूर्तिकर्त्ताओं के विरूद्ध 28.33 लाख रूपये लम्बित थे **(परिशिष्ट–27)**। इन आपूर्तिकर्त्ताओं के विपत्रों के साथ इस बकाये का समायोजन नहीं किये जाने के कारण बोर्ड के 28.33 लाख रूपयों की निधि अवसूलित रही।

बोर्ड ने कहा कि इन उपभोक्ताओं के विरूद्ध लम्बित बकायों की वसूली का प्रयास करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेशित किया गया है (अक्टूबर 2005)।

आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों पर अग्रिमों का बकाया

3.1.24 आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों को समाग्रियों की खरीद एवं कार्य–निष्पादन करने के लिए बोर्ड और इसकी इकाइयाँ समय–समय पर अग्रिम देती हैं। सामग्रियाँ प्राप्त होने पर इन अग्रिमों का समायोजन, चालू लेखा/अन्तिम विपत्र के विरूद्ध किया जाता है। 31 मार्च 2002 को अपनी अन्तिम लेखाओं में बोर्ड ने 98.68 करोड़ रूपयों का अग्रिम लम्बित दिखलाया था। बोर्ड ने संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिये कोई प्रावधान नहीं किया था तथा इस प्रकार के सभी अग्रिमों को उपयुक्त माना था। लम्बित अग्रिमों का बोर्ड ने पक्षवार और उम्रवार विवरण प्रस्तुत नहीं किया था।

आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को भुगतित 15.80 करोड़ रूपये के अग्रिम 3 से 33 वर्षों तक असमायोजित पड़े थे।

दो लेखा ईकाइयों[1] के अभिलेखों की जाँच–पड़ताल से देखा गया कि 31 मार्च 2005 को 17.59 करोड़ रूपये की राशि असमायोजित पड़ी थी **(परिशिष्ट–28 और 29)**। बोर्ड (मुख्यालय) में लम्बित 16.19 करोड़ रूपये के अग्रिम में से 15.80 करोड़ रूपये 3 से 33 वर्ष पुराने थे। बोर्ड मुख्यालय द्वारा भुगतित अग्रिमों के समायोजन में अनुचित विलम्ब का कारण क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचनाओं की अप्राप्ति तथा उसकी संवीक्षा एवं अनुसरण का अभाव था। बी.टी.पी.एस. में आपूर्तिकर्त्ताओं और ठेकेदारों को दिये गये अग्रिमों का अभिलेख संधारण त्रुटिपूर्ण था। अन्त शेषों को वर्ष दर वर्ष क्रयादेशों के अनुसार न संधारित कर पक्षवार अग्रेनीत किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप किसी विशिष्ट क्रय आदेश के विरूद्ध बची हुई असमायोजित राशि पर निगरानी रखना कठिन था।

बोर्ड ने कहा (अक्टूबर 2005) कि सभी अग्रिम वसूल किये जाने योग्य थे अतः किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी। बोर्ड ने आगे कहा कि 2001–02 की लेखा के अनुसार बोर्ड मुख्यालय में केवल 4.13 करोड़ रूपयों का अग्रिम लम्बित था और विवरण समर्पित करने के लिए बी.टी.पी.एस. को निर्देशित किया गया है। अग्रिमों को पक्षवार तथा उम्रवार विवरण संधारित नहीं किये जाने के कारण बोर्ड के दावे का लेखा परीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका। कुछ अग्रिम 1972 से लम्बित थे।

निष्कर्ष

31 मार्च 2004 को राज्य सरकार के विभागों के बकायों (1,844.68 करोड़ रूपये) और

1 *लेखा उपनिदेशक, बोर्ड मुख्यालय (16.19 करोड़ रूपये) और बरौनी थरमल पावर स्टेशन (1.40 करोड़ रूपये)*

निजी उपभोक्ताओं के बकायों (2,443.42 करोड़ रूपये) को सम्मिलित कर बोर्ड का लंबित बकाया 4,463.54 करोड़ रूपये का था। वर्ष 2000–03 की अवधि में ऊर्जा की बिक्री के लिए बकाएदारों की वृद्धि हुई जबकि वर्ष के दौरान संग्रहण में ह्रास की प्रवृत्ति बनी रही। दोषपूर्ण विपत्रीकरण के कारण 90.41 करोड़ रूपये का बकाया अतिशयोक्त थे। समय पर नीलामवाद के मुकदमे दायर नहीं किये जाने के कारण 41.81 करोड़ रूपये का बकाया कालातीत हो गया। नीलामवाद के मामलों में अन्तर्निहित 139.87 करोड़ रूपये के बकायों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गयी। 48.98 करोड़ रूपये के नीलामवाद मामले दाखिल किया जाना अभी भी बाकी थे। औद्योगिक नीति, 1995 के अन्तर्गत उच्च विभव उपभोक्ताओं को दी गई छूट के लिए बोर्ड ने सरकार से 5.60 करोड़ रूपये की आर्थिक साहाय्य राशि का दावा नहीं किया। उच्च विभव उपभोक्ताओं की छूट–दावों का समय पर निपटारा नहीं किये जाने के कारण 25.77 करोड़ रूपये का बकाया स्थगित रखा गया था। बोर्ड द्वारा त्रुटिपूर्ण टैरिफ–अधिसूचना निर्गत किये जाने के कारण इंधन अधिभार को वापस लिए जाने के मद में बोर्ड को 11.86 करोड़ रूपये की हानि हुई। उपभोक्ता के एक संयोजन के बकाये को उसी उपभोक्ता के दूसरे चालू संयोजन पर स्थानान्तरित नहीं किये जाने के कारण 169.19 करोड़ रूपये अवसूलनीय रहे तथा डी.पी.एस. के 42.54 करोड़ रूपये अर्जित नहीं हो सके। आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों के पास 17.59 करोड़ रूपयों के अग्रिम असमायोजित पड़े थे।

अनुशंसाएँ

बोर्ड को चाहिए:–

- लम्बित बकायों की सही–सही संगणना के लिए अपने अभिलेखों के रख रखाव को सुधारे;
- समय पर नीलामवाद के मुकदमे दायर करें तथा उपयुक्त प्राधिकारियों के पास इन मामलों का अनुसरण करे;
- संयोजन विच्छेदित उपभोक्ताओं से अवसूलनीय बकायों को इन उपभोक्ताओं के दूसरे चालू संयोजनों पर स्थानान्तरण करे;
- लम्बित बकायों, विशेषतया उच्च विभव उपभोक्ताओं के लंम्बित बकायों का, अनुवीक्षण करने के लिए अपने आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र को सुदृढ़ करे;
- सरकारी विभागों के बकायों के समाधान में शीघ्रता बरतें ताकि बजट में प्रावधान किये जाएँ और सरकारी विभागों के साथ बोर्ड के लम्बित बकायों को घटाया जा सके।

मामला बोर्ड/सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 2005)। बोर्ड का जवाब प्राप्त हुआ था (अक्टूबर 2005); परन्तु सरकार का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था।

3.2 बिहार राज्य भंडारण निगम की भंडारण गतिविधियाँ

मुख्य अंश

• भंडारण क्षमता की उपलब्धता / उपयोग से संबधित निगम के कार्य निष्पादन अव–अनुकूलित पाये गये। वर्ष 2000–05 की अवधि में इसकी वार्षिक उपलब्ध क्षमता 17 *प्रतिशत* घटकर 31.47 लाख मे.ट. से 25.94 लाख मे.ट. हो गयी जबकि उपलब्ध क्षमता का उपयोग 23 *प्रतिशत* से अधिक घटकर 26.71 लाख मे.ट. से 20.45 लाख मे.ट. हो गया।

(कंडिका 3.2.6)

क्षमता उपयोग के अव्यवसायिक प्रबन्धन ने निगम को वर्ष 2000–01 में 15 लाख रूपये के लाभ से वर्ष 2004–05 में 29 लाख के घाटे की ओर अग्रसर किया। वर्ष 2000–05 की अवधि में समीक्षा के लिये चयनित 25 भंडारण केन्द्रो में निगम को 89.15 लाख रूपये का समेकित घाटा झेलना पडा। वर्ष 2000–05 के दौरान व्यय वृद्धि 13.57 रूपये से 20.05 रूपये प्रति मे.ट. प्रति वर्ष होकर भी हानियों को बढाया।

(कंडिकाएँ 3.2.6, 3.2.11 और 3.2.14)

अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता और निर्मित नये गोदामो के स्थानों के बीच असमानता थी। आश्वासित राजस्व प्रवाह का उपभोग करने के लिए एफ.सी.आई. अनुमोदित स्थानों पर ध्यान केन्द्रित करने की अपेक्षा निगम ने अपने संसाधनों को उन स्थानों पर लगा दिया जहाँ वर्तमान क्षमता की उपयोगिता केवल 52.66 *प्रतिशत* थी।

(कंडिका 3.2.12)

आन्तरिक नियन्त्रणों की एक प्रभावशाली प्रणाली की उचित व्यवस्था करने में निगम विफल रहा जिसके कारण 2000–05 की अवधि में 1.33 करोड़ रूपये के मूल्य के भंडार में कमी, भंडारण–घाटा तथा भंडार का दुर्विनियोग हुआ।

(कंडिका 3.2.8 और 3.2.16)

निगम के अपने गोदामों की क्षमता का उपयोग 57 *प्रतिशत* से 70 *प्रतिशत* तक कम था। इसके बावजूद निगम ने किराये पर लिये गये 4,335 मे.ट. भंडारण क्षमता वाले निजी भंडारों को दो वर्षों तक नहीं छोड़ा जिसके फलस्वरूप 10.06 लाख रूपये के परिहार्य किराये का भुगतान करना पडा।

(कंडिका 3.2.6 एवं 3.2.13)

परिचय

3.2.1 बिहार राज्य भंडारण निगम (निगम) को आरम्भिक रूप से कृषि उत्पाद (विकास एवं भंडारण) निगम अधिनियम, 1956 के अधीन मार्च 1957 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने इस अधिनियम को निरस्त कर दिया और इसे भंडारण निगम अधिनियम, 1962 द्वारा प्रतिस्थापित किया और इस अधिनियम के अन्तर्गत निगम एक राज्य भंडारण निगम माना जाने लगा।

निगम का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं अधिसूचित सामग्रियों के लिये वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का प्रावधान करना और जमाकर्ताओं विशेषकर मूल उत्पादकों को उनकी भंडारित सामग्रियों के विरूद्ध उधार प्राप्त करने में सहायता करना है। इस अधिनियम के अन्तर्गत निगम के विहित मुख्य कार्य राज्य में अपने गोदामों और भंडारण गृहों का अर्जन एवं उनका निर्माण करना; कृषि उत्पादों, बीजों, खादों, उर्वरकों, कृषि उपकरणों एवं अधिसूचित सामग्रियों के भंडारण के लिये निजी एवं भाड़े के भंडारों एवं गोदामों का संचालन; उनकी ढुलाई के लिये परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा अधिसूचित उद्देश्यों के लिये केन्द्रीय भंडारण निगम एवं सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना है।

उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिये निगम वर्तमान में निम्नलिखित कार्यकलापों में कार्यरत है :

- राज्य के भीतर गोदामों और भंडार गृहों का अर्जन एवं निर्माण करना।
- कृषि उत्पादों, उर्वरकों एवं अन्य अधिसूचित सामग्रियों के लिए अपने निर्मित भंडारों एवं किराये के गोदामों में भंडारण सुविधाओं का प्रावधान करना।
- भंडारों से भंडारों तक कृषि उत्पादों, उर्वरकों एवं अन्य सामग्रियों के परिवहन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना।
- यथा निर्धारित इस प्रकार के अन्य क्रियाकलापों का पालन करना।

मार्च 2005 के अन्त में निगम 176 गोदामों के साथ 47 भंडारण केन्द्र चला रही थी जिनकी कुल क्षमता 25.94 लाख मे.ट.* थी। प्रत्येक केन्द्र का प्रबन्धन एक प्रमंडलीय प्रबन्धक के पर्यवेक्षण के अधीन एक केन्द्र अधीक्षक द्वारा किया जाता है जो सीधे निगम के प्रबंध निदेशक को प्रतिवेदित करता है।

निगम के कार्य की समीक्षा पिछली बार 31 मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) बिहार सरकार में सम्मिलित की गई थी जिस पर लोक उपक्रम समिति द्वारा 2004–05 के दौरान आंशिक रूप से चर्चा की गयी।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

3.2.2 वर्ष 2000–05 की अवधि के लिये निगम के भंडारण कार्यकलापों की समीक्षा जनवरी 2005 से मई 2005 की अवधि में की गई थी। लेखा परीक्षा ने निगम के मुख्यालय एवं 47 भंडारण केन्द्रों में से उनकी क्षमता उपयोग के आधार पर चयनित 25* केन्द्रों (कुल क्षमता का 48 *प्रतिशत*) के अभिलेखों की जाँच की।

* *69 अपना गोदाम (12.72 लाख टन) और 107 किराये का गोदाम (13.22 लाख टन)*

* *1. बेतिया 2. भागलपुर 3. बेगूसराय 4. बक्सर 5. छपरा 6. दानापुर 7. डाल्टेनगंज 8. फतुहा 9. गोपालगंज 10.हाजीपुर 11. जसीडीह 12. जानकीनगर 13. कसबा 14. खगड़िया 15. लोहरदगा 16. मुजफ्फरपुर 17. मुरलीगंज 18. मधेपुरा 19. मसौढ़ी 20. नवगछिया 21. सीतामढ़ी 22. सीवान 23. सहरसा 24. त्रिवेणीगंज 25. वारसलीगंज*

लेखापरीक्षा का उद्देश्य

3.2.3 निगम की भंडारण गतिविधियों का निष्पादन लेखा परीक्षा यह आकलन करने के लिये की गयी कि क्या :

- निगम अपने गोदामों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने और निजी गोदामों को भाड़े पर लिये जाने को न्यूनतम करने में सक्षम था,
- प्रबन्धन, व्यवसाय हानि के विरूद्ध सुरक्षा करने में दक्ष था,
- अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता तथा निर्मित नये गोदामों के स्थान बेमेल नहीं थे,
- अतिरिक्त भंडारण क्षमता की योजना, कार्यान्वयन एवं उसका संपूरण लक्ष्यों के अनुसार था और गोदामों के बिलंब से पूरा होने के कारण राजस्व की हानि नहीं थी,
- उपलब्ध भंडारण क्षमता के उपयोग को अनुकूलतम बनाने के लिए निगम ने एक भरोसेमंद विपणन नीति तैयार किया था,
- कमियों, भंडारण हानियों एवं दुर्विनियोग आदि के विरूद्ध सुरक्षा के लिये एक प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विद्यमान थी,
- निगम ने अपने संसाधनों को सबसे अधिक संभावित राजस्व सृजन/उपयोग वाले स्थानों पर नया क्षमता सृजन के लिए केन्द्रित किया

लेखापरीक्षा का मापदंड

3.2.4 निगम के भंडारण गतिविधियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित लेखापरीक्षा मापदंड अपनाये गये थेः–

- क्षमता का उपयोग करने के लिए निगम के आदेश, क्षमता का उपयोग निजी क्षमता को किराये पर लेने–छोड़ने के संबंध में इसकी प्रणाली तथा इसके सिद्धान्त;
- नियमों, पद्धतियों, दिशानिर्देशों, बोर्ड के अनुदेशों, सरकार के निदेशों आदि;
- शक्तियों का प्रत्यायोजन, आन्तरिक नियन्त्रण और आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली आदि।

लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली

3.2.5 निम्नलिखित कार्यप्रणालीयों का एक मिश्रित उपयोग किया गयाः
निगम के मुख्यालय स्थित कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से संग्रहित अभिलेखों की जाँच, साक्षात्कार करना, दास्तवेजी प्रमाण तथा साक्ष्यों का विश्लेषण करना। समीक्षा के दौरान निगम के संबन्धित कार्यालयों से प्रारंभिक टिप्पणियों की मांग करते हुए लेखा परीक्षा पृच्छाएँ की गई।

लेखापरीक्षा का निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षो को सरकार/प्रबन्धन को जून 2005 में प्रतिवेदित किया गया था और उस पर 4 अक्टूबर 2005 को सम्पन्न राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति (ए.आर.सी.पी.एस.ई.) की बैठक में विचार–विमर्श किया गया जिसमें निगम के प्रबन्ध–निदेशक ने प्रबन्धन का प्रतिनिधित्व किया। प्रबन्धन के दृष्टिकोण पर विचार करते हुए समीक्षा को अन्तिम रूप दिया गया। सरकार के दृष्टिकोण को उनके प्रतिनिधि द्वारा भाग नहीं लिए जाने के कारण समाविष्ट नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा का निष्कर्ष उत्तरवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

भंडारण गतिविधियाँ

3.2.6 31 मार्च 2005 को समाप्त पिछले पाँच वर्षो के भंडारण गतिविधियों की सारांशित स्थिति नीचे दी गई तालिका में दिखलायी गई है:

क्रम संख्या	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	भंडारण केन्द्रों की संख्या	46	47	47	47	47
2	उपलब्ध वार्षिक क्षमता (लाख मे. ट. में)					
	(क). अपना भंडारण गृह	11.64	12.60	12.24	12.48	12.72
	(ख). किराये का भंडारण गृह	19.83	17.68	15.78	14.73	13.22
	योग	**31.47**	**30.28**	**28.02**	**27.21**	**25.94**
3	उपयोग की गई वार्षिक क्षमता (लाख मे. ट. में)					
	(क). अपना भंडारण गृह	8.15	8.43	7.03	7.65	8.09
	(ख). किराये का भंडारण गृह	18.56	16.72	15.40	14.06	12.36
	योग	**26.71**	**25.15**	**22.43**	**21.71**	**20.45**
4	उपलब्ध क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता					
	(क). अपना भंडारण गृह	70.02	66.90	57.43	61.30	63.60
	(ख). किराये का भंडारण गृह	93.59	94.57	97.59	95.45	93.49
	योग	**84.87**	**83.06**	**80.05**	**79.79**	**78.84**
5	2000–01 की तुलना में क्षमता के उपयोग में ह्रास (लाख मे. ट. में)	-	1.56	4.28	5.00	6.26
6	परिवहन एवं हाथालन को छोड़कर व्यय (रूपये करोड़ में)	4.27	4.86	5.42	5.35	5.20
7	व्यय प्रति मे. ट. प्रति वर्ष (रूपये में)	13.57	16.05	19.34	19.66	20.05
8	आय (भंडारण शुल्क) (रूपये करोड में)	4.42	4.47	4.28	4.56	4.91
9	आय प्रति मे. ट. प्रति वर्ष (रूपये में)	14.05	14.76	15.27	16.76	18.93
10	लाभ/हानि (रूपये करोड में)	0.15	(-) 0.39	(-) 1.14	(-) 0.74	(-) 0.29
11	लाभ/हानि प्रति मे. ट. प्रतिवर्ष (रूपये में)	0.48	(-) 1.29	(-) 4.07	(-) 2.90	(-) 1.12

ऊपर दी गयी तालिका से यह देखा गया कि :

- वार्षिक उपलब्ध क्षमता वर्ष 2000–01 में 31.47 लाख मे.ट. से घट कर वर्ष 2004–05 में 25.94 लाख मे.ट. (17.57 *प्रतिशत*) हो गयी।

उपलब्ध क्षमता और इसका उपयोग घटती हुई प्रवृती में दिखा

- उपलब्ध क्षमता का उपयोग वर्ष 2000–01 के 26.71 लाख मे.ट. (84.87 *प्रतिशत*) से घटकर वर्ष 2004–05 में 20.45 लाख मे.ट. (78.84 *प्रतिशत*) हो गया।
- स्थापना व्यय में वृद्धि होने के कारण भंडारण गतिविधियों पर व्यय प्रति मे.ट. प्रतिवर्ष, वर्ष 2000–01 में 13.57 रूपये से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 20.05 रूपये हो गया।

जब तक भंडारण गतिविधियो से प्राप्त होने वाली स्थिर राजस्व के साथ–साथ बढ़ते हुए लागत की प्रवृति को प्रतिलोमित नहीं की जाती तब तक निगम की मुख्य गतिविधियों से होने वाली क्षति में वृद्धि होते रहने की सम्भावना है।

क्षमता का उपयोग

3.2.7 निगम ने निजी भंडारण क्षमता को किराये पर लेने के लिये 80 *प्रतिशत* क्षमता उपयोग का सिद्धान्त निर्धारित किया है। 31 मार्च 2005 को समाप्त विगत पाँच वर्षो की अवधि में अपने गोदामों तथा किराये के गोदामों के माध्यम से निगम द्वारा सृजित कुल भंडारण क्षमता तथा उपलब्ध भंडारण क्षमता के उपयोग के विश्लेषण से स्पष्ट था कि क्षमता का उपयोग यद्यपि समेकित रूप में 80 *प्रतिशत* था जो मुख्यतः कुछ महीनों के कुछ भंडारण केन्द्रों में क्षमता से 120 *प्रतिशत* से अधिक भंडारण किये जाने के कारण था **(परिशिष्ट–30)**। क्षमता के 120 *प्रतिशत* से अधिक का उपयोग किया जाना वैज्ञानिक भंडारण मानक के विरूद्ध है जो कारण बनता है:

- भंडारों का अनुचित ढेर लगाया जाना और

- रासायनिक उपचार एवं अन्य कार्यो के लिए स्थान की अनुपलब्धता।

तथापि कुछ भंडारण केन्द्रों की क्षमता का उपयोग औसत उपयोग से बहुत कम था। क्षमता उपयोग कीविस्तारित जाँच (मार्च 2005) से निम्नलिखित स्पष्ट हुआः

1. 80 *प्रतिशत* से कम क्षमता का उपयोग करने वाले भंडारण केन्द्रों की संख्या वर्ष 2000–01 में 11 से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 19 हो गयी जैसा नीचे वर्णित हैः

वर्ष	80 *प्रतिशत* से कम क्षमता उपयोग करने वाले भंडारण केन्द्रों की संख्या	80 *प्रतिशत* एवं इससे अधिक क्षमता उपयोग करने वाले भंडारण केन्द्रों की संख्या
2000–01	11	14
2001–02	11	14
2002–03	18	7
2003–04	18	7
2004–05	19	6

मई 2000 से मार्च 2005 तक की अविध में 11 से 19 भंडारण केन्द्रों में 9,74,960 मे.ट. की क्षमता का कम उपयोग हुआ।

2. मसौढ़ी (5,000 मे.ट.), मुरलीगंज (4,360 मे.ट.) और कस्बा (1,000 मे.ट.) स्थित गोदाम मई 2000/जून 2001 से क्षतिग्रस्त थे। चार/पाँच वर्षो की समाप्ति के बाद भी इनकी मरम्मति के लिए निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की।

3. मुजफ्फरपुर भंडारण केन्द्र का 7,000 मे.ट. का एक अपना गोदाम, यातायात पुलिस द्वारा फरवरी 2002 में 'प्रवेश निषेध क्षेत्र' के अन्तर्गत घोषित किया गया था। निगम ने अनिवार्य सेवा एवं जनहित में वहाँ 'प्रवेश निषेध' से छूट दिये जाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

4. भंडारण क्रिया कलापों में ह्रास की प्रवृत्ति के कारण अप्रील 2001 से मार्च 2005 तक की अवधि में निगम ने 17.10 लाख मे.ट. का व्यवसाय खो दिया।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि निम्नलिखित मुख्य कारणों से निगम के व्यवसाय में गिरावट आयीः

- उन स्थानों पर भंडारण केन्द्रो का होना जहाँ मांग नहीं थी या बहुत कम मांग थी; जैसे जानकीनगर, कसबा, मुरलीगंज, मसौढ़ी।
- भंडारण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विपणन योजना का अभाव।
- फसल काटने के बाद होनेवाली क्षति को कम करने के लिए किसानों को वैज्ञानिक भंडारण का उपयोग करने के लिए उन्हें शिक्षित करने का कोई कार्यक्रम नहीं था।
- नये गोदामों का निर्माण लक्ष्य तिथि के भीतर पूरा करने में निगम विफल रहा।

प्रबन्धन ने अपने जवाब में (जुलाई 2005) उर्वरकों के भंडारण में कमी होने के कारण भंडारण गतिविधियों में कमी की प्रवृति को स्वीकार किया।

हानियों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण में विफलता

3.2.8 अप्रील 2000 से मार्च 2005 तक की अवधि में निगम के बड़े जमाकर्त्ताओं (भारतीय खाद्य निगम–77.89 लाख रूपये, इन्डियन फारमर्स फर्टिलाईजर कम्पनी

37.63 लाख रूपये, कृभको 4.37 लाख रूपये, हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कॉरपोरेशन–2.67 लाख रूपये, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड–1.90 लाख रूपये और प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड–8.79 लाख रूपये) ने कमियों, भंडारण क्षति, भंडार माल का दुर्विनियोग आदि के लिए निगम के परिवहन एवं हाथालन विपत्रों से 1.33 करोड़ रूपये वसूल कर लिया था। निगम के पास वसूलियों का पूर्ण विवरण यथा सामग्रियों की मात्रा, घटना का माह और स्थान, शामिल व्यक्ति आदि नहीं था। गया और लखीसराय में भंडार सामग्रियों के दुर्विनियोग में संलिप्त अधिकारियों के विरूद्ध निगम ने 44.18 लाख रूपयो के लिए मनीसूट दायर (जून 2003) किया। 88.82 लाख रूपये की हानि पर की गई कार्रवाई का उल्लेख अभिलेख में नहीं था।

88.82 लाख रूपये की हानि की वसूली के लिए निगम ने कोई कार्रवाई नहीं किया।

दोष पूर्ण भंडारण के कारण हानि

3.2.9 1998–99 से 2000–01 की अविध में एफ.सी.आई. का 3394 मे.ट. गेहूँ सासाराम भंडारण केन्द्र पर भंडारित था। पूरा माल क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त गेहूँ की उपरोक्त मात्रा के परिशोधन के दौरान 930.87 मे.ट. (27.4 *प्रतिशत*) की मात्रा भंडारण क्षति के रूप में पायी गयी। तदोपरान्त एफ.सी.आई. ने निगम के विरूद्ध 1.70 करोड़ रूपये का दावा किया (सितम्बर 2002) और इस क्षति के समायोजन के लिए निगम का भंडारण शुल्क का भुगतान करना बंद कर दिया।

निगम ने उत्तदायित्व निर्धारण अथवा क्षति की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किया (जून 2005)। प्रबन्धन ने अपने जवाब (जुलाई 2005) में कहा कि निगम ने 1.70 करोड़ रूपये के घाटे को रद्द करने के लिए भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध किया था।

बि.रा.व.वि.नि. से दावे का अनुसरण

3.2.10 बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.व.वि.नि.) के विरूद्ध 1996–97 तक की अविध के लिए भंडारण शुल्क का 1.31 करोड़ रूपया लम्बित है। जबकि बि.रा.व.वि.नि. ने केवल 0.84 लाख रूपये का दावा स्वीकार किया है। इसके लिए निगम ने माननीय पटना उच्च न्यायालय से एक मध्यस्थ की नियुक्ति किये जाने के लिए अनुरोध किया था जिसे जून 2004 में रद्द कर दिया गया। निगम को अन्य वैकल्पिक कानूनी उपाय करने का निर्देश दिया गया था। निगम ने अन्य कोई वैकल्पिक उपाय नहीं किया था (मई 2005)।

1.31 करोड़ रूपये के दायित्व के विरूद्ध बि.रा.व.बि.नि. ने केबल 0.84 लाख रूपये का दावा स्वीकार किया।

निगम की गतिविधिवार लाभप्रदता

3.2.11 निगम की गतिविधिवार लाभप्रदता **परिशिष्ट–31** में दी गई है। सारांशित स्थिति निम्नवत है:

(राशि: रूपये करोड़ में)

गतिविधि	2000-2001		2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-05	
	आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय
1. भंडार गृह अर्थात भंडारण	4.42	4.27	4.47	4.86	4.28	5.42	4.56	5.35	4.91	5.20
2. परिवहन एवं उतराई–चढ़ाई	6.56	5.34	5.65	5.05	6.62	6.47	13.54	12.90	16.23	14.96
3. ब्याज एवं अन्य आय	0.60	-	0.67	-	1.11	-	0.44	-	0.07	-
योग	**11.58**	**9.61**	**10.79**	**9.92**	**12.01**	**11.89**	**18.54**	**18.25**	**21.21**	**20.16**

भंडारण गतिविधि में 2000–01 में निगम का 15 लाख रूपये का लाभ 2004–05 में 29 लाख रूपये के घाटा में बदल गया।

उपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है कि निगम अपने प्रमुख क्रिया कलाप, अर्थात भंडारण में 2001–02 से घाटा उठा रहा है। निगम ने 31 मार्च 2005 को समाप्त हुए विगत पाँच वर्षो के दौरान मुख्यतः परिवहन एवं हाथालन क्रिया कलापों और जमा से हुए आय पर लाभ के कारण 4.30 करोड़ रूपये का संचयी लाभ अर्जित किया।

प्रबन्धन ने अपने जवाब (जुलाई 2005) में कहा कि भंडारण गतिविधियों में गिरावट थी और यह उर्वरकों के व्यवसाय में कमी के कारण हुआ था।

गोदामों का निर्माण

3.2.12 खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार ने एफ.सी.आई. द्वारा प्रापण हेतु उपयोग किये जाने के लिए बिहार में एक लाख मे.ट. भंडारण क्षमता का तुरंत निर्माण करने पर केन्द्रीय भंडारण निगम (के.भ.नि.)/राज्य भंडारण निगम को, भंडारण शुल्क मद में सात वर्षो की क्षमता उपयोग गारन्टी देने का निर्णय लिया (अगस्त 2002)। एफ.सी.आई. ने निर्णय लिया (अक्टूबर 2002) कि तीन लाख मे.ट. भंडारण क्षमता का सृजन बिहार में किया जायेगा जिसका 0.50 लाख मे.ट. भंडारण का निर्माण केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा और 2.5 लाख मे.ट. भंडारण का निर्माण बिहार राज्य भंडारण निगम द्वारा 33 केन्द्रों पर 31 दिसम्बर 2003 तक पूरा किया जायेगा। तत्पश्चात निगम को आवंटित क्षमता की घटाकर (जून 2004) 20 केन्द्रों पर 1.22 लाख मे.ट. कर दिया गया जिसके कारणों का उल्लेख अभिलेखों में नहीं था।

14,140 मे.ट. अप्राधिकृत क्षमता के निर्माण पर 3.56 करोड़ रूपये का निरर्थक व्यय।

भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) की उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निगम ने गोदामों का निर्माण तीन चरणों में करने का निर्णय किया (नवम्बर 2002)। प्रथम चरण में आठ केन्द्रों पर 30,640 मे.ट. भंडारण क्षमता का, तथा मुजफ्फरपुर में 10,000 मे.ट. भंडारण क्षमता (एफ.सी.आई. द्वारा अनुमोदित नहीं) का निर्माण कार्य लिया गया। सीतामढ़ी में 2,500 मे.ट. की अनुमोदित क्षमता के विरूद्ध 6,640 मे.ट. का कार्य प्रथम चरण में निर्माणाधीन था **(परिशिष्ट–32 एवं 33)**। प्रथम चरण का कार्य अभी भी प्रगति में है (मार्च 2005) और अन्य चरणों का कार्य, प्रथम चरण के कार्य पूरा कर लिए जाने के बाद आरम्भ किया जायेगा। इस प्रकार निगम ने एफ.सी.आई. द्वारा आश्वासित सात वर्षों की किरायेदारी का उपयोग करने के लिए, उसके द्वारा अनुमोदित स्थानों पर ध्यान केन्द्रित करने की अपेक्षा 10,000 मे.ट. मुजफ्फरपुर में तथा 4,140 मे.ट. सीतामढ़ी में अतिरिक्त क्षमता के निर्माण की ओर अपने संसाधनों (3.56 करोड़ रूपये) का दिशापरिवर्तन किया जहाँ केवल वर्तमान क्षमता का उपयोग क्रमशः 52.66 *प्रतिशत* और 77.84 *प्रतिशत* था।

पाँच केन्द्रों पर निगम भंडारण क्षमता का निर्माण कर रहा था जो अनुमोदित क्षमता से 22,860 मे.ट. कम था।

इस संदर्भ में यह भी देखा गया कि निगम पाँच केन्द्रो[1] पर गोदामों का निर्माण करा रही थी जिनकी भंडारण क्षमता भूमि की अनुपलब्धता के कारण अनुमोदित एवं आवंटित क्षमता 45,000 मे.ट. से 22,860 मे.ट. कम थी। आश्वसासित राजस्व लाभ प्राप्ति के लिए निगम इन केन्द्रों पर शेष आवंटित क्षमता (22,860 मे.ट.) का निर्माण करने हेतु उपयुक्त भूमि प्राप्त करने में विफल रहा। भूमि अर्जन के मामले विभिन्न स्तरों पर लम्बित थे एवं निकट भविष्य में भूमि अर्जन की सम्भावना कम थी। इस प्रकार भूमि अर्जित करने में निगम की विफलता के कारण जनवरी 2004 से प्रतिवर्ष 80.92 लाख* रूपयों के आश्वस्त राजस्व का अवसर फलित नहीं हो सका।

1. बेतिया, भागलपुर, पूर्णिया, रक्सौल, सासाराम,

** 22,860 मे.ट x 29.50 रूपये/मे.ट./माह x 12 महीना*

प्रबन्धन ने अपने जवाब (जुलाई 2005) में कहा की सीतामढ़ी में निर्मित क्षमता पूरा कर लिया गया है तथा उसे सात वर्षों की आश्वसित योजना के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया है और मुजफ्फरपुर स्थित निर्माणाधीन 10,000 मे.ट. क्षमता वाले गोदाम को ग्रामीण भंडारण योजना के अधीन लाया जायेगा क्योंकि मुजफ्फरपुर स्थित 7,000 मे.ट. की क्षमता वाला मालीघाट गोदाम प्रवेश निषिद्ध क्षेत्र मे होने के कारण अनुपयोगी हो चुका है और इसे शीघ्र ही बन्द कर दिये जाने की सम्भावना है।

मुजफ्फरपुर में 10,000 मे.ट. क्षमता वाले गोदाम का निर्माण कराने के लिए प्रबन्धन का दिया गया जवाब मान्य नहीं है, क्योकि मुजफ्फरपुर में भंडारण का झुकाव गिरावट की ओर रहा है (क्षमता उपयोग सितम्बर 2000 में 20,078 मे.ट. से घट कर फरवरी 2005 में 6,599 मे.ट. हो गया)।

गोदामों को किराये पर लेना और छोड़ना

3.2.13 ग्राहको की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये निगम या तो अपने गोदामों का निर्माण कर रहा था या भंडारण स्थान दूसरो से किराये पर ले रहा था। गोदामों का जब क्षमता उपयोग तीन–चार महीनों तक 60 *प्रतिशत* से कम हो जाता है तब उन्हें किराये से छोड़ने की आवश्यकता होती है। अप्रील 2000 से मार्च 2005 तक की अवधि में निगम ने 51,565 मे.ट. भण्डारण स्थान किराये पर लिया और 1,21,280 मे.ट. भण्डारण स्थान को छोड़ा।

31 मार्च 2005 को समाप्त हुये विगत पाँच वर्षों के लिए मुजफ्फरपुर भंडारण केन्द्र की उपलब्ध क्षमता, उपयोग की गई क्षमता और रिक्त भंडारण स्थान को दर्शाती हुई सरांशित स्थिति **परिशिष्ट–34** में दी गई है।

लेखा परीक्षा जाँच में प्रकटित हुआ कि 19,755 मे.ट. की कुल क्षमता को प्राप्त करने के लिए मुजफ्फरपुर भंडारण केन्द्र में अपनी भंडारण क्षमता 8,820 मे.ट. (अप्रील 2001 और मई 2003) को जोड़ा गया और सितम्बर 2002 से जनवरी 2005 तक औसत स्थान क्षमता 6,935 मे.ट. थी। इस प्रकार सितम्बर 2002 से 4,335 मे.ट. के किराये का भंडारण स्थान रखना उचित नहीं था और सितम्बर 2002 से जनवरी 2005 तक इस क्षमता के लिए भुगतित 10.06 लाख रूपये का किराया परिहार्य था।

घाटा उठाने वाले भंडारण केन्द्र

3.2.14 लेखा परीक्षा में नमूना जाँच के लिये चयनित निगम के 25 भंडारण केन्द्र एक से पाँच वर्षों तक घाटा उठाये जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

*(क) सभी पाँच वर्षो में घाटा उठाने वाले केन्द्रों की संख्या	–	5
(ख) पाँच में से चार वर्षो में घाटा उठाने वाले केन्द्रों की संख्या	–	3
(ग) पाँच में से तीन वर्षो में घाटा उठानेवाले केन्द्रों की संख्या	–	3
(घ) पाँच मे से दो वर्षो में घाटा उठानेवाले केन्द्रों की संख्या	–	9

घाटा उठानेवाले भंडारण केन्द्रो की उपलब्ध क्षमता और उपयोग की गई क्षमता का सारांश नीचे दी गई तालिका प्रस्तुत करती है:

* *क. (गोपालगंज, जसीडीह, मसौढ़ी, नवगछिया और कसबा)*
ख. (दानापुर, सिवान और त्रिवेणीगंज)
ग. (छपरा, जानकी नगर और मुरलीगंज)
घ. (भागलपुर, बेगूसराय, डालटेनगंज, फतुहा, हाजीपुर, लोहरदगा, मधेपुरा, नवादा और साहेबगंज)

क्रम संख्या	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	वार्षिक उपलब्ध क्षमता (लाख मे.ट. में)	14.86	14.43	13.60	12.89	11.79
2	वार्षिक उपयोग की गई क्षमता (लाख में.ट. में)	11.60	11.21	9.13	8.26	7.03
3	वार्षिक उपयोग की गई क्षमता का प्रतिशतता	78.01	77.70	67.10	64.10	59.60
	घाटा (–) लाख रूपये में	(-) 7.65	(-) 21.16	(-) 18.27	(-) 12.67	(-) 29.40

यह देखा जा सकता है कि क्षमता उपयोग वर्ष 2000–01 में 78.01 *प्रतिशत* से उत्तरोतर घटते हुए 2004–05 की अवधि में 59.60 *प्रतिशत* हो गयी।

2000–01 से 2004–05 की अवधि में इन केन्द्रों ने 89.15 रूपयों का कुल घाटा उठाया। प्रबन्धन द्वारा घाटे के कारणों का विशलेषण नहीं किया गया था।

भंडारण केन्द्रों का अलाभकारी संचालन

निगम को आठ भंडारण केन्द्रों के संचालन में 34.65 लाख रूपये की हानि हुई।

3.2.15 जाँच किये गये 25 भंडारण केन्द्रों, जहाँ 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले विगत पाँच वर्षो की अवधि में भंडारण केन्द्रों का क्षमता उपयोग अगाध रूप से कम था, में से 8 भंडारण केन्द्रों के भंडारण कार्यकलापों में कुल उपार्जन एवं व्यय तथा औसत मासिक भंडारण क्षमता, औसत मासिक उपयोग की *प्रतिशतता* का विवरण **परिशिष्ट–35 एवं 36** में दिया गया है।

इन केन्द्रों के भंडारण कार्यकलापों पर पिछले पाँच वर्षो में 87.30 लाख रूपये का व्यय हुआ था जबकि कुल उपार्जन केवल 52.65 लाख रूपये था जिसके फलस्वरूप 34.65 लाख रूपये का घाटा हुआ।

इन अलाभकारी भंडारण केन्द्रो को चालू रखे जाने के औचित्य का उल्लेख अभिलेखों में नहीं पाया गया।

प्रबन्धन ने अपने जवाब में कहा कि इन गोदामों को ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण क्षमता उपलब्ध कराने के लिए रखा गया है।

आन्तरिक नियन्त्रण एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा

3.2.16 भंडार सामग्रियों के भौतिक सत्यापन (भौ.स.) के लिए निगम द्वारा विहित कालावधि निम्नलिखित थी :

(i) पाक्षिक, भंडारण गृहों के कर्मचारियों द्वारा स्वयं,
(ii) वार्षिक, अन्तर प्रमंडलीय कर्मचारियों द्वारा

निगम ने भंडार सामग्रियों का पाक्षिक भौतिक सत्यापन स्थानीय कर्मचारियों द्वारा और वार्षिक सत्यापन अन्तर प्रमंडलीय कर्मचारियों द्वारा किया जाना विहित किया था। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि भंडार का वार्षिक सत्यापन नहीं किया गया था तथा इसके अभाव में गया एवं लखीसराय भंडारण केन्द्रों में दुर्विनियोग के मामलों का पता लगा था। यह स्थिति अधिक हानियुक्त खतरों से परिपूर्ण, दुर्बल एवं अक्रियात्मक आन्तरिक नियन्त्रण का संकेतक थी। निगम ने यद्यपि आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभाग का सृजन किया था, फिर भी अभी तक इसका प्रचालन नहीं किया गया क्योंकि इसके लिए किसी लेखा परीक्षक को पदस्थापित नहीं किया गया था।

निगम ने किसी प्रबंधकीय सूचना प्रणाली को विकसित नहीं किया था।

निगम ने प्रभावी शासन हेतु विविध प्रकार की सूचनाओं/आँकड़ों के संग्रहण समेकितीकरण एवं विश्लेषण के लिए किसी विस्तृत प्रबन्धन सूचना प्रणाली की व्यवस्था नहीं की थी। फिर भी भंडारण केन्द्र प्रत्येक माह में कस्टम रिपोर्ट* एवं लाभ–हानि लेखा निगमीय कार्यालय को भेज रहा है। इस प्रतिवेदन में भंडारण हानि से सम्बन्धित सूचनाओं का अभाव रहता है। विश्लेषण करने अथवा निर्णय लेने के प्रयोजन के लिए प्रबन्धन द्वारा इस मासिक कस्टम रिपोर्ट एवं मासिक लाभ–हानि लेखाओं का उपयोग नहीं किया गया था। प्रमंडलीय कार्यालय, कोई आवर्ति प्रतिवेदन/विवरण निगमीय कार्यालय को नहीं भेज रहे थे। एक प्रभावकारी प्रबन्धन सूचना प्रणाली के अभाव में प्रबन्धन, भंडारण केन्द्रो में कर्मचारियो के पदस्थापन, भंडारण क्षमता को किराये पर लेने एवं छोड़ने तथा भंडारण केन्द्रों की लाभप्रदता को उन्नत बनाने के लिए एक तत्पर, प्रभावकारी और समयोचित निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था।

निष्कर्ष

भण्डारण कार्यकलापों के सम्बन्ध में निगम का कार्य निष्पादन अवअनुकूलीय पाये गये। जब कि 2000–05 की अवधि में भंडारण क्षमता के उपयोग में महत्वपूर्ण ह्रास व्याप्त थी, भंडारण कार्यकलाप पर प्रति मे.ट. व्यय पिछले चार वर्षों की अवधि में आय से अधिक हुआ था। सात वर्षो की आश्वसित योजना के अन्तर्गत सृजित क्षमता और एफ.सी.आई. द्वारा अनुमोदित येाजना के बीच असमानता थी। पाँच केन्द्रो में क्षमता योजना की अपेक्षा कम थी जब कि दो केन्द्रो में सृजित क्षमता योजना से अधिक थी। निगम को प्रथम चरण के अतिरिक्त क्षमता के निर्माण कार्य को पूरा करना अभी भी बाकी था। भंडारण, कमी एवं दुर्विनियोजन के कारण हुए घाटे के बावजूद निगम एक भरोसेमंद आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को विकसित करने मे विफल रहा।

अनुशंसाएँ :

निगम को चाहिए कि:

- अपने गोदामो की क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए गोदामों को किराये पर लेने और छोड़ने की पद्धति को सुसंगठित करे;
- क्षमता उपयोग/राजस्व उत्पादन को अनुकूल बनाने के लिए भंडारण क्षमता की वृद्धि को तर्क संगत बनावे;
- अधिक राजस्व उत्पादन हेतु, भंडारण क्षमता उपयोग को बढ़ाते हुए इसके प्रमुख गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करे;
- भंडारण गतिविधयों पर बढ़ते हुए व्यय के आलोक में अलाभकारी गोदामों में कर्मचारियो की स्थापना का पुर्ननिर्धारण करे;
- सात वर्षों की गारंटी योजना के अन्तर्गत, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार नये गोदामों का निर्माण करे; और
- अनुचित भंडारण, कमी एवं दुर्विनियोजन के कारण होने वाली क्षति को कम करने के लिये अपने आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करे।

* *भंडार प्राप्तियों एवं निर्गत प्रपत्र के लिए प्रयुक्त एक शब्द*

अध्याय IV

4. कार्य सम्पादन पर लेखा परीक्षा का प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों/निगमों के कार्य सम्पादन के नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों का समावेश किया गया है।

सरकारी कंपनियाँ

बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड

4.1 मानक से अधिक छीजन के कारण हानि

पुस्तकों के मुद्रण में मानक से अधिक छीजन के कारण कंपनी को 1.03 करोड़ रूपये की हानि।

बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, पटना (कंपनी) राज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए सभी विषयों के पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन, मुद्रण एवं बिक्री करता है। विगत तीन वर्षो में पुस्तकों की औसत बिक्री पर मुद्रण की आवश्यकता आधारित होती हैं। कंपनी आवश्यकता के अनुसार निजी मुद्रकों को पुस्तकों के मुद्रण हेतु कागज (छीजन के प्रावधान सहित), ठप्पे इत्यादि की आपूर्ति करती है। कंपनी के द्वारा निर्धारित छीजन मानक 2.5 से 3.5 *प्रतिशत* है।

2002-04 के दौरान कंपनी ने निजी मुद्रकों को पुस्तकों के आकार एवं संख्या के अनुसार 56 जी.एस.एम• का कागज वजन कर आपूर्ति किया। परन्तु मुद्रण के बाद पुस्तकों को संख्या में प्राप्त किया गया और उनका वजन नहीं किया गया जिससे कागज की वास्तविक खपत एवं छीजन सुनिश्चित नही हो सकी। कंपनी का जबाव था (मई 2005) कि प्रत्येक पुस्तक का वजन करना संभव नहीं था। इस प्रकार कंपनी के पास कागज के वास्तविक खपत की मात्रा सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

नमूना जाँच के लिए लेखा परीक्षा ने 2002–04 के दौरान मुद्रित की गई प्रथम कक्षा से दशम् कक्षा तक के गणित एवं हिन्दी की 20 पुस्तकों (दो पुस्तके प्रति कक्षा) का वजन किया। यह पाया गया कि चुनी हुई पुस्तकों की 209.66 लाख प्रतियों के मुद्रण हेतु कंपनी ने 1.38 लाख किलोग्राम छीजन को सम्मिलित कर 44.05 लाख कि.ग्रा. कागज की आपूर्ति की जिसमें 42.67 लाख कि.ग्रा. कागज की मात्रा मुद्रकों के पास मुद्रण के लिए उपलब्ध रही। लेखा परीक्षा द्वारा गणना की गई कि 1.03 करोड़ रूपये मूल्य के 3.56 लाख कि.ग्रा. कागज का अतिरिक्त खपत पुस्तकों के वास्तविक वजन पर आधारित मानकीय खपत के अतिरिक्त हुआ।

• *ग्राम स्क्यार प्रति मीटर*

कंपनी ने आगे कहा (सितम्बर 2005) कि 2.5–3.5 *प्रतिशत* निर्धारित किया गया छीजन केवल मुद्रण के लिए था और इसके अतिरिक्त 8–10 *प्रतिशत* का छीजन काट–छाँट के लिए दिया गया था जैसा कि इस उद्योग एवं एन.सी.ई.आर.टी. (नेशनल कांउसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग) में किया जाता है और इसलिए लेखा परीक्षा में इंगित की गयी कमी सीमा के पूर्णतया अंदर थी।

जबाव निम्नांकित आधारों पर स्वीकार्य नहीं है:

(i) कंपनी ने छीजन निर्धारण के लिए न तो किसी प्रकार का व्यावहारिक विश्लेषण किया ना ही इसने काट–छाँट छीजन के लिए किसी मानक को अंगीकार (निदेशक मंडल में) किया।

(ii) कागज के खपत एवं छीजन पर उचित नियंत्रण के लिए पुस्तकों का वजन करने की कोई व्यवस्था कम्पनी के पास नहीं है।

(iii) प्रबंधन अतिरिक्त छीजन के समर्थन में कोई आद्यौगिक मानक संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा।

इस प्रकार प्रभावी आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था नहीं होने से केवल लेखा परीक्षा में चुने गए नमूनों पर अधिक छीजन के कारण कंपनी को 1.03 करोड़ रूपये की परिहार्य हानि हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2005); उत्तर प्राप्त नही हुआ (सितम्बर 2005)।

4.2 निगमीय अभिशासन

परिचय

4.2.1 निगम अभिशासन अवधारणाओं और मूल्यों का एक समुच्चय है जिससे निदेशक मंडल द्वारा कंपनियों को अंशधारकों के सर्वोतम हित में निदेशित एवं नियंत्रित किया जाता है।

4.2.2 कंपनी अधिनियम, 1956 का संशोधन दिसम्बर 2000 में किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निदेशक उत्तदायित्व विवरण (धारा 217) को अंशधारकों के लिए निदेशक प्रतिवेदन के साथ संलग्न करने का प्रावधान किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 217 (2अअ) के अनुसार निदेशक मंडल अंशधारकों को यह प्रतिवेदन देता है कि उन्होने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा एवं कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनकी पहचान के लिए लेखा अभिलेखों के रख–रखाव में उचित एवं पर्याप्त सतर्कता बरती है।

इसके अतिरिक्त उक्त संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292–अ के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, जिसकी चुकता पूंजी पाँच करोड़ रूपये से कम नहीं है, मंडल स्तर पर एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगी।

4.2.3 इसी तरह का प्रावधान भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के द्वारा जारी किए गए सूचीबद्ध कंपनियों हेतु सूचीकरण एकरारनामा के खण्ड 49 के द्वारा किया गया है। सूचीकरण एकरारनामा यह भी प्रावधान करता है कि सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में कार्यकारी एवं

अकार्यकारी निदेशकों का अनुकूलतम संयोजन होगा और निदेशक मंडल में सम्मिलित अकार्यकारी निदेशक, निदेशक मंडल के 50 *प्रतिशत* से कम नही होगें। यह इसका भी प्रावधान करता है कि सूचीबद्ध कंपनियो को, जिनकी चुकता पुंजी तीन करोड़ रूपये और उससे ज्यादा या निवल संपति 25 करोड़ रूपये और उससे ज्यादा अगर किसी भी वक्त है, उसकी अधिक से अधिक मार्च 2002 तक एक योग्य और स्वतंत्र लेखा परीक्षा समिति होगी।

4.2.4 निगमीय अभिशासन के प्रमुख अवयवों मे सम्मिलित है:

- निदेशक मंडल से संबंधित मामले
- निदेशको का प्रतिवेदन तथा
- लेखा परीक्षा समिति का गठन

16 कार्यशील सरकारी कंपनियों में से लेखा परीक्षा ने 11 असूचीबद्ध कंपनियों* (कोई भी कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं थी) की समीक्षा, इन कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन को जांचने के उद्देश्य से की जो निगमीय अधिशासन एवं उनसे संबंधित मामलों को प्रभावित करते हैं। समीक्षा के परिणामों की चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है।

निदेशक मंडल

4.2.5 निदेशक मंडल की बैठक

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 285 के अनुसार निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तीन पंचांग मास में कम से कम एक बार होनी चाहिए और कम से कम ऐसी चार बैठकें प्रत्येक वर्ष में होनी चाहिए। चूंकि निदेशक मंडल सुशासन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है अतः यह अनिवार्य है कि निदेशक मंडल उचित रीति से गठित हो और इसकी बैठकें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित रूप से हो तथा यह विचाराधीन मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दे सके।

न्यूनतम अपेक्षित बैठकों के विरूद्ध वर्ष 2002 से 2004 तक आयोजित की गई बैठकों की संख्या **परिशिष्ट 37** में दी गई है।

यह देखा गया कि नौ° कंपनियों के निदेशक मंडल ने अपेक्षित संख्या में बैठकें आयोजित नहीं की।

* *बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.म.वि.नि.लि.) बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.प.वि.नि.लि.), बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.ख.वि.नि. लि.), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बि.रा.पु.नि.नि.लि.), बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (बि.रा.सा. एवं वि.नि.लि.)बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड (बि.रा.अ.वि.नि.लि.), बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.पि.व.वि. एवं वि.नि.लि.), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (बि.रा.खा. एवं अ.आ.नि.लि.), बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड (बि.रा.ज.वि.नि.लि.), बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (बि. रा.पा.पु.प्र.नि.लि.) और बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड (बि.रा.बी.नि.लि).*

° *बि.रा.म.वि.नि.लि., बि.रा.ख.वि.नि.लि., बि.रा.पु.नि.नि.लि., बि.रा.अ.वि.नि.लि., बि.रा.खा. एवं अ.आ.नि.लि., बि.रा.ज.वि.नि.लि., बि.रा.पा.पु.प्र.नि.लि., बि.रा.औ.वि.नि.लि., बि.रा.बी.नि.लि.*

कमी का परास 25 से 100 *प्रतिशत* तक रहा। बि.रा.पु.बि.नि. में निदेशक मंडल गठित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप 13 सितम्बर 2000 से 8 सितम्बर 2003 तक निदेशक मंडल की बैठक आयोजित नही की जा सकी। इसके अलावा 2003 के दौरान केवल दो बैठकें की जा सकी।

4.2.6 निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक मंडल सुशासन को लागू करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है अतः यह अनिवार्य है कि मंडल के सभी सदस्य बैठक में भाग लें। लेखा परीक्षा जाँच ने यह खुलासा किया कि 10# कंपनियों के सरकार द्वारा नामित निदेशक 2002–04 में आयोजित अधिकांशतः बैठको में उपस्थित होने में असफल रहे जिससे कंपनियों को ऐसे बैठकों के दौरान उनके निपुण/पेशेवर विचारों से वंचित रहना पड़ा।

4.2.7 अंशधारकों को निदेशकों का प्रतिवेदन (डी.आर.एस.)

पाँच * कंपनियों ने ए.जी.एम. के सामने रखे गऐ लेखाओं में निदेशकों का प्रतिवेदन सम्मिलित नहीं किया। इसी प्रकार तीन कंपनियों$ के वार्षिक प्रतिवेदनों ने सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन कर ए.जी.एम. में लेखा परीक्षा समिति के गठन को प्रकटित नहीं किया।

4.2.8 लेखांकन अभिलेखों का रख–रखाव

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 और 619–ब, जो नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पढ़ा गया, के अनुसार कंपनियों के प्रत्येक वर्ष के वित्तिय लेखाओं को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के अन्दर पूर्ण कर लेना होता है। उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ मास के अन्दर ही विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

उचित वित्तीय नियंत्रण लागू करने के लिए यह निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व होता है कि कंपनी के वार्षिक लेखा को पूर्ण कराएँ और अन्य किसी बकाया लेखाओं को पूर्ण एक कालबद्ध कार्यक्रम में पूरा कराए।

किसी भी कंपनी ने अपने लेखाओं को समय पर पूरा नहीं किया और उनके बकाये लेखाओं की अवधि का परास 3 से 22 वर्ष तक था **(परिशिष्ट-38)**।

बि.रा.सा. एवं वि.नि.लि., बि.रा.ज.वि.नि.लि., बि.रा.प.वि.नि.लि., बि.रा.अ.वि.नि.लि., बि.रा.बी.नि., बि.रा.पु.नि.नि., बि.रा.म.वि.नि., बि.रा.ख.वि.नि., बि.रा.पि.व.वि.नि.लि., बि.रा.खा. एवं अ.आ.नि.लि.

* *बि.रा.ज.वि.नि.लि., बि.रा.पा.पु.प्र.नि.लि., बि.रा.बी.नि.लि., बि.रा.पु.नि.नि.लि, बि.रा.ख.वि.नि.लि.*

$ *बि.रा.ख.वि.नि.लि., बि.रा.खा. एवं अ.आ.नि.लि., बि.रा.सा. एवं वि.नि.लि.*

4.2.9 निदेशकों के पदों पर रिक्तियों की स्थिति

कंपनियों में अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक / नामित निदेशक के पद **परिशिष्ट 39** में दिए गए विवरण के अनुसार रिक्त रहे। यह देखा गया कि:

- बि.रा.अ.बि.नि.लि. को छोड़कर किसी भी कंपनी का निदेशक मंडल उनके पार्षद अर्न्तनियम में दी गई संख्या के अनुसार पूर्णतः गठित नहीं किया गया है।
- बि.रा.ज.वि.नि. में निदेशकों के दो पद तीन वर्षों से ज्यादा से रिक्त पड़े हैं (जुलाई 2005)।
- बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (बि.रा.पा.पु.प्र.नि.लि.) के संदर्भ में 15 निदेशको की आवश्यकता के विरूद्ध वर्तमान में पाँच निदेशक नियुक्त हैं।
- बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल का पुर्नगठन मई 2005 में कुल ग्यारह की क्षमता के विरूद्ध दस निदेशकों से हुआ है। इसके अलावे बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड में निदेशको के चार पद रिक्त है (जुलाई 2005) और बि.रा.म.वि.नि. में निदेशको के चार पद 23 अक्टुबर 2002 से रिक्त हैं (जुलाई 2005)।

लेखा परीक्षा समिति

4.2.10 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292–अ के अनुसार यह अनिवार्य है कि प्रत्येक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, जिसकी चुकता पुंजी पाँच करोड़ रूपये से कम नही है, एक निदेशक मंडल की समिति का गठन करेगी जो लेखा परीक्षा समिति के नाम से जानी जाएगी तथा जिसमें कम से कम तीन निदेशको और निदेशको की ऐसी संख्या द्वारा गठित हो जिनको निदेशक मंडल के द्वारा तय किया जायेगा और जिसकी कुल सदस्यों का दो तिहाई वैसे निदेशक होगे जों प्रबन्ध निदेशक या पूर्ण कालिक निदेशक न हो। यह इसका भी प्रावधान करती है कि लेखा परीक्षा समिति के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करेगें। समिति का अध्यक्ष एक स्वंतत्र निदेशक होगा। इस धारा की उपधारा 6 समिति के कार्यों के विस्तृत कार्यक्षेत्र का प्रावधान करती है। आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था, लेखा परीक्षा के विस्तृत क्षेत्र और लेखा परीक्षकों के अवलोकनों पर लेखा परीक्षा समिति को लेखा परीक्षकों के साथ समय समय पर चर्चा करना आवश्यक है।

समिति को अर्द्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणियों को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व समीक्षा करने और कंपनी में आन्तरिक लेखा परीक्षा के प्रावधानों के अवलोकनों का अनुपालन सुनिश्चित करना सांविधिक रूप से आवश्यक है। इससे आगे उक्त अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि धारा 292–अ के अनुपालन में कोई चूक होती है तो कंपनी एवं प्रत्येक अधिकारी जो दोषी हैं को कुछ काल के लिए कारावास जिसकी अवधि एक वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है या जुर्माना जो पचास हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों के लिए दण्डनीय होंगे। लेखा परीक्षा जाँच ने प्रकटित किया कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292–अ के अनुपालन में कमियाँ थी जो निम्नांकित हैं:

4.2.11 लेखा परीक्षा समिति की संरचना

- यद्यपि लेखा परीक्षा समितियाँ बि.रा.ख.वि.नि. (दिसम्बर 2003) एवं बि.रा.खा. एवं अ.आ.नि (जुलाई 2004) द्वारा गठित की गई थी उन्हें मार्च 2005 से निदेशक मंडल के पुर्नगठन के बाद पुर्नगठित नहीं किया गया।
- बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड (बि.रा.अ.वि.नि.लि.) ने लेखा परीक्षा समिति का गठन अभी तक नहीं किया है (अगस्त–2005)।
- यद्यपि लेखा परीक्षा समिति का गठन दिसम्बर 2000 में कंपनी अधिनियम 1956 में हुए संशोधन के तुरंत बाद करना था, बि.रा.सा. एवं वि.नि.लि. ने इसे मई 2004 में गठित किया एवं इसकी अंतिम बैठक जनवरी 2005 में हुई थी। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292–अ का अनुपालन नहीं किया जा सका क्योंकि लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वंतत्र निदेशक नहीं था।

4.2.12 लेखा परीक्षा समिति की बैठक

बि.रा.ख.वि.नि.लि. के द्वारा दिसम्बर 2003 में लेखा परीक्षा समिति का गठन करने के बाद कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

- बि.रा.खा. एवं अ.आ.नि.लि. के द्वारा जुलाई 2004 में लेखा परीक्षा समिति के गठन के बाद भी लेखा परीक्षा समिति की बैठक नहीं बुलाई गई थी।

4.2.13 लेखा परीक्षा समिति द्वारा चर्चा

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 अ (6) के अनुसार बि.रा.सा. एवं वि.नि.लि. की लेखा परीक्षा समिति ने आन्तरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता एवं नि.म.ले.प./कंपनी के सांविधिक/आन्तरिक लेखा परीक्षक द्वारा इंगित की गई अनियमितताओं की समीक्षा नहीं की। बि.रा.सा. एवं वि.नि.लि. के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति को कपट एवं कपट संबंधित जोखिमों को जांचने के लिए विशेषरूप से आदेश नही दिया गया था।

सामान्य

4.2.14 वार्षिक आम सभा (ए.जी.एम.) में उपस्थिति

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 के अनुसार प्रत्येक कंपनी, निदेशको के प्रतिवेदन एवं कंपनी के वार्षिक लेखाओं पर विचार करने के लिए प्रत्येक वर्ष अन्य सभाओं के अलावा एक सामान्य सभा को वार्षिक आम सभा के रूप में आयोजित करेगी।

सभा आयोजित करना निदेशकों का सांविधिक कर्तव्य है। वार्षिक आम सभा को अनुबद्ध समय के अन्दर आयोजित करने में हुई चूक जुर्माना के साथ दण्डनीय है।

नमूना जाँच की गई कंपनियों में वार्षिक आम सभा के आयोजन और उनमें निदेशकों की उपस्थिति की स्थिति **परिशिष्ट–40** में दी गई है।

परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि:

- बि.रा.ज.वि.नि. में वर्ष 2002 के दौरान कोई वार्षिक आम सभा आयोजित नही की गई थी, जबकि बि.रा.म.वि.नि. में वर्ष 2002 से 2004 तक कोई भी वार्षिक आम सभा आयोजित नहीं की गई थी। बि.रा.बी.नि.लि. में वार्षिक आम सभी करीब 33 महीनों के अंतराल के बाद आयोजित की गई थी।
- सभी कम्पनियों में सरकार द्वारा मनोनीत निदेशकों की उपस्थिति अपर्याप्त थी।

यह कंपनियों के निगमीय अधिशासन के प्रति निदेशकों का उत्साहहीन रवैया दर्शाता है।

अपर्याप्त निगमीय अधिशासन का प्रभाव

4.2.15 पूर्ववर्ती कंडिकाएं यह दर्शायेगी कि कंपनियों ने न केवल कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया बल्कि उनके प्रशासन में गम्भीरता की भी कमी थी। असक्षम निगमीय अधिशासन ने निम्नांकित रूप में प्रभावित किया:

- 16 सरकारी कंपनियों के नवीनतम पूर्ण किए गए लेखोंओं के अनुसार 11 कंपनियों ने सितम्बर 2005 तक कुल 57.19 करोड़ रूपये की हानि उठाई।
- 30 सितम्बर 2005 को 16 कार्यशील कंपनियों की 106 लेखायें 3 से 22 वर्षों के बकाये के परास में थी।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों की बारम्बार टिप्पणियों के बावजूद आठ कंपनियों के द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं आन्तरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये।
- लोक उपक्रमों में लेखा परीक्षा समिति का गठन/पुनर्गठन आवश्यकता के अनुरूप नही किया गया।
- जहाँ लेखा परीक्षा समिति का गठन हुआ था वहाँ भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

सरांश

4.2.15 अच्छे निगमीय अधिशासन के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के संबंधित प्रावधानों का सख्त अनुपालन आवश्यक है। निहित प्रावधानों का अनुसरण न करना उक्त अधिनियम के दण्ड प्रावधानों को भी आकर्षित करता है।

सांविधिक निगम

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

4.3 सामग्रियों की विलम्बित आपूर्ति पर दन्ड शूल्क की वसूली नहीं होने एवं अवरूद्ध निधि पर ब्याज नुकसान के कारण हानि

सामग्रियों की विलंबित आपूर्ति पर दन्ड शूल्क की वसूली नहीं होने और अवरूद्ध निधि पर ब्याज नुकसान के कारण बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 1.98 करोड़ रूपये की हानि हुई।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) ने 15.21 करोड़ रूपये मूल्य के 13,021 रेल खम्भों के क्रय के

लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को अप्रील 2000 से अक्टूबर 2002 के बीच तीन क्रय आदेश दिया। क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार रकम को अग्रिम में जमा करना था और आपूर्त्ति को अग्रिम भुगतान की तिथि के एक मास के अन्दर पूरा करना था। विलम्ब की स्थिति में प्रत्येक पखवाड़े या उसके किसी भाग के लिए विलम्बित किए गए माल के मूल्य का एक *प्रतिशत* दण्ड शुल्क लगाना था।

लेखा परीक्षा में अवलोकित किया गया कि बोर्ड ने उपरोक्त वर्णित आदेशों के विरूद्ध अप्रील 2000 से फरवरी 2003 की अवधि में 14.99 करोड़ रूपये का अग्रिम भुगतान किया। सेल ने यद्यपि अप्रील 2000 से दिसम्बर 2003 की अवधि में 12.53 करोड़ रूपये मूल्य के 10,570 रेल खम्भों की आपूर्ति की जबकि 2.68 करोड़ रूपये मूल्य के 2,451 रेल खम्भों की आपूर्ति नहीं की गई थी (सितम्बर 2005)। कुल आपूर्ति किए गए 10,570 खम्भों में से केवल 225 खम्भों की आपुर्ति तय अवधि में की गई थी फिर भी 10,345 खम्भों की आपुर्ति 5 से 376 दिनों के विलम्ब से की गई (परिशिष्ट 41 में विस्तारित) लेखा परीक्षा विश्लेषण ने खुलासा किया कि :

(i) बोर्ड ने क्रय आदेश के अनुरूप बिलम्बित आपूर्ति के लिए 1.10 करोड़ रूपये का दण्ड नहीं लगाया।
(ii) बोर्ड ने 2.46 करोड़ रूपये के अवशेष अग्रिम की राशि को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जिसे मई 2000 से मार्च 2005 के बीच निधि का अवरूद्धीकरण हुआ और परिणाम स्वरूप 88.09# लाख रूपये के ब्याज की हानि हुई।
(iii) बोर्ड ने आगे की आपूर्तियों में अवशेष अग्रिम का समायोजन नहीं किया। दिनांक 10 अप्रील 2000 के आदेश का शेष अग्रिम 79.66 लाख रूपये, जिसके विरूद्ध अंतिम आपूर्ति 13 जुलाई 2001 में प्राप्त की गयी, को निश्चित रूप से आदेश संख्या 78 दिनांक 16 अक्टुबर 2002 के विरूद्ध समायोजित किया जा सकता था।

इस प्रकार माल के विलम्बित आपूर्ति के लिए दण्ड शुल्क से संबंधित क्रय आदेश की शर्तों को लागू नहीं करने तथा शेष अग्रिम की वसूली/समायोजन नहीं करने से 2.46 करोड़ रूपये का अवरूद्धीकरण हुआ और दण्ड एवं ब्याज के रूप में 1.98 करोड़ रूपये की हानि हुई।

मामला सरकार/बोर्ड को प्रतिवेदित किया गया (अप्रील 2005); उनके उत्तर अप्राप्त थे। (सितम्बर 2005)।

4.4 अविवेकी निर्णय के कारण ट्रांसफर्मर के क्रय में हानि

अविवेकी निर्णय के कारण बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने ट्रांसफर्मर क्रय में 19.79 लाख रूपये की हानि उठाई।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) ने 200 कि.भी.ए. के 368 वितरण ट्रांसफर्मर की आपूर्ति के लिए खुली निविदा# (सितंबर 2003) आमंत्रित की। उसमें कारखाना दर, गन्तव्य स्थान तक का ढुलाई

निम्नलिखित का 12 प्रतिशत

(1) 79.66 लाख रूपये जून 2000 से मार्च 2005 तक (4 वर्ष 10 माह)	–	46.15 लाख रूपये
(2) 2.31 लाख जुन 2001 से मार्च 2005 तक (3 वर्ष 10 महीने)	–	1.03 लाख रूपये
(3) 163.67 लाख मार्च 2003 से मार्च 2005 (2 वर्ष 1 महीने)	–	40.91 लाख रूपये
	कुल	**88.09 लाख रूपये**

एन.आइ.टी सं.179/पी0 आर0/बी.एस.इ.बी./03

भाड़ा, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर एवं प्रवेश कर को इंगित करते हुए मूल्य को उद्धृत करना था। छः प्रतिष्ठानों (चार बिहार से बाहर की, तथा दो स्थानीय लघु उद्योग इकाइयों) ने बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग लिया। केवल उत्पाद कर, बिक्री कर और ढुलाई भाड़े को सम्मिलित कर ट्रांसफरमर का न्यूनतम लागत मूल्य 79,002.35 रूपये था तथा सभी प्रतिष्ठान इस दर पर आपूर्ति करने को सहमत थे। बिहार से बाहर के प्रतिष्ठानों के लिए प्रवेश कर आठ *प्रतिशत* की दर से आरोप्य था। निविदा (जनवरी 2004) के खुलने की तिथि से 365 दिनों के लिए प्रस्ताव मान्य था और सभी प्रतिष्ठान ट्रांसफर्मर की आपूर्ति चार से छः महीनों में करने को तैयार थे।

लेखा परीक्षा में यह दृष्टिगोचर हुआ कि बोर्ड ने दो स्थानीय प्रतिष्ठानों का प्रस्ताव इस आकलन के आधार पर रद्द कर दिया कि वे ट्रांसफरमर की आपूर्ति छः महीने के अन्दर नहीं कर पाएँगे। आगे बोर्ड ने केन्द्रीय क्रय समिति (के.क्र.स.) की बैठक में निर्णय किया (मई 2004) कि राज्य के बाहर के प्रतिष्ठानों को अलग से प्रवेश कर का भुगतान लागत मूल्य के उपर नहीं दिया जाएगा। के.क्र.स. ने यह भी निर्णय किया कि राज्य के बाहर के प्रतिष्ठानों को लागत मूल्य में प्रवेश कर सम्मिलित करते हुए ट्रांसफरमर की आपूर्ति करने को कहा जाएग तथा असफल होने पर पूरी मात्रा के लिए एक लघु निविदा तुरंत आमंत्रित की जाय।

राज्य के बाहर के प्रतिष्ठानों ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया एवं तद्नुरूप 368 ट्रांसफर्मर की पूरी मात्रा के लिए लघु निविदा आमंत्रित की गई (जुन 2004)। इस लघु निविदा पर उन सभी चार प्रतिष्ठानों ने (राज्य के बाहर की) भाग लिया जिन्होंने पूर्व की निविदा में दर उद्धृत किया था। राजस्थान ट्रांसफर्मर एवं स्विचगीयर (आर.टी.एस.), जयपुर ने 83,982.50 रूपये प्रति ट्रांसफार्मर के न्यूनतम लागत मूल्य पर आठ *प्रतिशत* अतिरिक्त प्रवेश कर के साथ दर उद्धृत किया जिससे कुल लागत 90,701* रूपये प्रति इकाई हो गई। बोर्ड ने आर.टी.एस. जयपुर को उपरोक्त दर पर ट्रांसफर्मर की निविदित मात्रा आपूर्ति करने का आदेश दिया (जुलाई/अगस्त 2004)।

यदि बोर्ड ने प्रतिष्ठानों के पूर्व के प्रस्ताव पर कार्यवाही किया होता और अतिरिक्त प्रवेश कर का भुगतान कर दिया होता तो मूल्य में हुई वृद्धि के कारण 19.79 लाख रूपये के अतिरिक्त व्यय को टाला जा सकता था।

आगे यह देखा गया कि बोर्ड ने उसी निविदा के विरूद्ध 71 अतिरिक्त ट्रांसफर्मरों का क्रय इन्टरनेशनल ट्रांसफार्मर प्राईवेट लिमिटेड, लखनऊ, आनन्द ट्रांसफर्मर प्राईवेट लिमिटेड, फैजाबाद, और इस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड, गाजियाबाद से अत्यावश्यक कार्य को पूरा करने के लिए किया परन्तु जुलाई 2004 से जनवरी 2005 की अवधि में क्रय किये गए 439 ट्रांसफार्मरों में से 74 ट्रांसफार्मर अनुपयोगी पड़े थे। चूंकि इन ट्रांसफार्मरों का क्रय अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था तथा उनका उपयोग नहीं होना अक्षम संपत्ति प्रबंधन को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप 67.12# लाख रूपये का अवरूद्धीकरण हुआ।

मामला सरकार/बोर्ड को प्रतिवेदित किया गया (मई 2005); उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2005)।

* *83,982.50+83,982 का 8% = 90,701.10 रूपये*

\# *74×90,701=67.12*

4.5 प्री–स्ट्रेस्ड कंक्रीट (पी.एस.सी.) खंभो के क्रय पर अधिकाई व्यय

बोर्ड ने स्वयं के निदेशों का अनुपालन नही करने के कारण 29.43 लाख रूपये का अधिकाई व्यय किया।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) ने निर्णय लिया (मार्च 2003) कि पी.एस.सी. खंभों के क्रय के लिए गंतव्य से नजदीक की निर्माण इकाइयों को प्राथमिकता दी जायेगी।

लेखा परीक्षा में देखा गया (मई 2004) कि बोर्ड के मुख्य अभियंता (भंडार एवं क्रय) ने सबसे नजदीकी निर्माण इकाइयाँ मिथिला कंक्रीट एण्ड इंजीनियरिंग, दरभंगा एवं शेखपुरा कंक्रीट, शेखपुरा को अनदेखा करते हुए विजय कंक्रीट वर्क्स, छपरा को मिथिला एरिया बोर्ड, दरभंगा, और मगध एरिया बोर्ड, गया के लिए 200 कि.ग्रा. कार्यशील भार के क्रमशः 5,000 एवं 3,000 पी.एस.सी खंभो की आपूर्ति का आदेश दिया जो कि बोर्ड के मार्च 2003 के निर्देशो के विरूद्ध था। इस विचलन के कारणों को अभिलेखित नही किया गया था। यह भी देखा गया कि विजय कंक्रीट वर्क्स, छपरा की प्रति इकाई लागत मूल्य नजदीकी आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तावित लागत मूल्य से 270 से 440 रूपये अधिक था।

इस प्रकार स्वयं के ही निर्देशों का पालन नही करने से तथा अधिक लागत पर खंभो को क्रय करने से बोर्ड ने 8,000 पी.एस.सी. खंभो के क्रय पर 29.43* लाख का अधिकाई व्यय किया।

मुख्य अभियंता (भंडार एवं क्रय) ने कहा (मार्च 2005) कि स्थानीय इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गऐ खंभे मिथिला एरिया की आवश्यकता को पूरा करने के लिए काफी नहीं थे तथा मगध एरिया के अधिकार क्षेत्र में कोई खंभा निर्माण निजी इकाई नहीं थी इसलिए आदेश उत्तर बिहार की इकाइयों को दिया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मिथिला क्षेत्र में एक आपूर्तिकर्त्ता मिथिला कंक्रीट एण्ड इंजीनीयरिंग, दरभंगा ने पूर्व में एक आदेश (7,000 खंभो) की पूर्ण आपूर्ति की थी तथा अधिकाई व्यय को टालने के लिए मगध क्षेत्र में उत्तर बिहार की इकाइयों के बदले सबसे नजदीकी आपूर्तिकर्ता शेखपुरा कंक्रीट, शेखपुरा को स्वीकार करना चाहिए था।

मामला सरकार/बोर्ड को प्रतिवेदत किया गया (जुन 2005); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टुबर 2005)।

4.6 उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण से हानि

उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण के कारण बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 5.26 करोड़ रूपये की हानि हुई।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) ने अधिसूचना जारी किया (जनवरी/मई 2001) कि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता, जिन्हें शहरी फीडर से आपूर्ति की जा रही थी, को घरेलू एवं व्यावसायिक उपयोग

* विवरण ***परिशिष्ट–42*** में

के लिए डोमेस्टिक सर्विस (डी.एस.–II) एवं नॉन–डोमेस्टिक सर्विस (एन.डी.एस.–II) में क्रमशः वर्गीकृत करना था। लेखा परीक्षा में देखा गया कि पाँच[1] विद्युत आपूर्ति प्रमंडलो में जून 2001 से मई 2005 तक शहरी फीडरों से आपूर्ति पाने वालो ग्रामीण उपभोक्ताओं को डी.एस.–I एवं एन.डी.एस.–I में वर्गीकृत किया गया जिसका विद्युत शुल्क दर डी.एस.–II एवं एन.डी.एस. –II के उपभोक्ताओं से कम था तथा तद्नुरूप विपत्र भी दिया गया। इन उपभोक्ता को डी.एस.–II तथा एन.डी.एस.–II वर्ग के अन्तर्गत उर्जा उपभोग के लिए मीटर पठन के अनुसार अथवा खराब/क्षतिग्रस्त/जले हुए मीटरों की परिस्थिति में टैरिफ के प्रावधानों के अनुरूप न्यूनतम 144 इकाई/प्रति माह की दर से विपत्र देना चाहिए था।

इस प्रकार बोर्ड ने उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण के कारण 6.44 करोड़ रूपये के बदले 1.18 करोड़ रूपये विद्युत शुल्क लिया जिससे 5.26 करोड़ रूपये (जैसा **परिशिष्ट-43** में वर्णित है) की हानि हुई।

मामला सरकार/बोर्ड को प्रतिवेदित किया गया (अप्रील 2005); उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2005)।

4.7 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के तापीय विद्युत गृहों में अप्रभावी प्रदूषण नियंत्रण

परिचय

तापीय विद्युत गृहों (ता.वि.गृ.) को प्रमुख प्रदूषण उद्योगों में से एक के रूप में जाना जाता हैं। वायु का प्रदूषण सस्पेंडेड पार्टीकुलेट मैटर (एस.पी.एम) तथा So_2 एवं No_X[2] गैसों के उत्सर्जन से, भूमि का प्रदूषण कोयलों के घोलों[3] से तथा जल का प्रदूषण कोयला के घोलों के नदियों में बहने से होता है।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पास दो ता.वि.गृ. बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (बी.टी.पी.एस.) तथा मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन (एम.टी.पी.एस.) हैं जो कि क्रमशः बरौनी एवं कॉटी में अवस्थित हैं। बी.टी.पी.एस. की सात इकाइयों में से केवल दो[4] ही कार्यरत हैं। एम.टी.पी.एस. में दो इकाइयाँ हैं तथा दोनो ही इकाइयाँ अक्टूबर 2003 से बन्द है।

ता.वि.गृ. में प्रदूषण नियंत्रण उपाय

ता.वि.गृ. को प्रदूषण नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रीसीपिटेटरों (ई.एस.पी.) की स्थापना 100*मि.ग्रा./मी.*^{3} तक भिन्नकण द्रव्य का उत्सर्जन कम करना, ओपासिटी मीटर/उचित व्यासमापन के साथ सतत् निगरानी व्यवस्था की स्थापना, चिमनी की ऊँचाई की आवश्यकता की समीक्षा करना, भारत सरकार की अधिसूचना (मार्च 2003) के अनुसार कोयले का लाभकारी उपयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारण (के.वि.प्रा.) के मैट्रिक्स के अनुसार कोयला कंपनियों के साथ इंधन आपूर्ति समझौता कर स्वयं का कोयला धुलाई संयंत्र की स्थापना तथा पिट हेड के समीप कोयला धुलाई संयत्र की स्थापना के लिए निजी उद्यमियों का चयन, कोयला लाभकारी प्लांटो

1. भागलपुर (ग्रामिण), बेगुसराय, हाजीपुर, जमूई, झंझारपुर
2. No_X का अर्थ No_2, No_3 या N_2o_5 हो सकता है।
3. कोयले की राख एवं जल का मिश्रण,,
4. 6 और 7 इकाइयॉ

की स्थापन, शुष्क फ्लाइऐश का कर्षण/शुष्क निष्पादन व्यवस्था को अपनाना या मध्यम (35–40 *प्रतिशत*) ऐश कन्सनट्रेशन स्लरी डिस्पोजल व्यवस्था, अथवा क्षीण स्थिति में 100 *प्रतिशत* ऐश वाटर के पुर्नसंचरण व्यवस्था जो स्थान के विशेष वातावरण पर निर्भर हो एवं ता.वि.गृ. में दो अलग–अलग एश पौण्ड[@] का निर्माण करना आवश्यक होता है।

पर्यावरण की रक्षा के लिए उपरी मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए एवं कोयला आधारित ता.वि.गृ. द्वारा विमुक्त फ्लाई ऐश को ढेर बनने से रोकने के लिए भारत सरकार ने अधिसूचना (सितंबर 1999) जारी किया कि ता.वि.गृ. ड्राइ एश/फ्लाई ऐश को परिसर के बाहरी उपयोगकर्ताओं को दें अथवा ऐसे उपयोगकर्ताओं को फलाइ ऐश तक अबाधित पहुँच प्रदान करें। फ्लाई एश का प्रयोग ईंट भठ्ठो में, सड़क एवं बांधों के निर्माण में, सीमेंट निर्माण इकाइयों में तथा जमीन भरने के रूप में होना था।

प्रदूषण नियंत्रण में बोर्ड की उपलब्धियाँ

बी.टी.पी.एस की इकाइयाँ 6 एवं 7 तथा एम.टी.पी.एस. की इकाई 1 एवं 2 में उनकी स्थापना के समय इ.एस.पी को लगाया गया था। एम.टी.पी.एस. में स्टॉक इमीशन मॉनिटरिंग टेस्टों तथा एम्बीयंट एयर क्वालिटी टेस्टों को एक निजी एजेंसी (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) के द्वारा अक्टूबर 2003 में उसकी बन्दी होने तक किये गए।

बी.टी.पी.एस. में स्टैक इमीशन मॉनिटरिंग जनवरी 2002 तक विभाग द्वारा किया गया तथा उसके बाद रोक दिया गया जिसके कारण अभिलेख में नहीं थे। बी.टी.पी.एस. के पास एम्बीयंट एयर क्वालिटी पर कोई प्रतिवेदन नहीं था।

बी.टी.पी.एस. या एम.टी.पी.एस. में ओपासिटी मीटर/उचित अंशांकन के साथ सतत् निगरानी व्यवस्था नहीं है।

विभिन्न मानकों के आधार पर बी.टी.पी.एस. (जनवरी 2002 का अद्यतन प्रतिवेदन) तथा एम.टी.पी.एस. (अगस्त 2003 का अद्यतन प्रतिवेदन) से प्रदूषण का स्तर नीचे सारणी में संक्षिप्त किया गया है:

जाँच	प्रदूषण	सी.पी.सी.बी. मानक	वास्तविक	
			एम.टी.पी.एस.	बी.टी.पी.एस.
एस.इ.एम.*	एस.पी.एम.	150 मि.ग्रा./मी.^{3}	324 मि.ग्रा./मी.^{3}	310 मि.ग्रा./मी.^{3}
	So^2	उल्लेखित नहीं	125.7 मि.ग्रा./मी.^{3}	102 मि.ग्रा./मी.^{3}
	No_x	उल्लेखित नहीं	47.3 मि.ग्रा./मी.^{3}	87 मि.ग्रा./मी.^{3}
ए.ए.क्यु.#	एस.पी.एम.	500 म्यू.ग्रा./मी.^{3}	315 मि.ग्रा./मी.^{3}	उपलब्ध नहीं
	So^2	120 म्यू.ग्रा./मी.^{3}	29.8 मि.ग्रा./मी.^{3}	
	No_x	120 म्यू.ग्रा./मी.^{3}	19.9 मि.ग्रा./मी.^{3}	

@ कोयला के घोलों को संग्रहण एवं सुखाने के लिए

* *स्टैक इमीशन मॉनिटरिंग। एस.एम. मानक भारत के राजपत्र के अनुसार,समान्य उत्सर्जन मानक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित 19 मई 1993 के अनुसार।*

\# *एम्बीयंट ऑफ एयर क्वालिटी। सी.पी.सी.बी. की 11 अप्रील 1994 की औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नेशनल ए.ए.क्यु मानक के अनुसार, 24 घंटों में तीन स्थानों पर लिए गये माप का औसत।*

एम.टी.पी.एस. में चिमनी कार्य का पूरा नही होना

गंगा के प्रदूषण पर एक जन हित याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की गई थी जिसमें बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद (बि.रा.प्र.नि.प) को ता.वि.गृ. सहित गंगा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषित करने वाले उद्योगों की जाँच करने का निर्देश दिया गया। बि.रा.प्र.नि.प ने एम.टी.पी.एस. की जाँच की तथा पाया कि वायु प्रदूषण अनुमत सीमा के ऊपर था। इस प्रतिवेदन के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने एम.टी.पी.एस. को निर्देश दिया कि या तो वर्तमान चिमनी की ऊँचाई 125 मीटर से बढ़ाकर 220 मीटर कर दी जाये अथवा एक नयी 220 मीटर ऊँची चिमनी भारत सरकार के अधिसूचित नियमों और मानकों के अनुसार बनायी जाए। तद्नुरूप एक नयी 220 मीटर ऊँची आर.सी.सी.[6] चिमनी के खाका एवं निर्माण का कार्यादेश 8.99 करोड़ की लागत पर अप्रील 1995 में गैमन इंडिया लिमिटेड, मुम्बई (संविदाकार) को दिया गया।

इसी बीच जनवरी 1996 में के.प्र.नि.प[7] ने निर्णय किया कि के.वि.प्रा. के द्वारा 1 जुलाई 1984 के पूर्व स्वीकृत ता.वि.गृ. में वर्त्तमान चिमनीनियों की ऊँचाई भारत सरकार के द्वारा अगस्त 1990 में अधिसूचित विनियमों के अनुसार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसके आलोक में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में चिमनी की ऊँचाई को बढ़ाकर 220 मीटर करने से छूट के लिए एक अधियाचना दायर किया तथा स्वयं ही कार्य रोक दिया। मामला न्यायालय के अधीन है तथा कार्य अपूर्ण है। ना तो कार्यादेश निरस्त किया गया और न ही गतिशील अग्रिम की वसूली की गई। फिर भी संवेदक ने 3 लाख रूपये प्रतिमाह की दर से निष्क्रिय स्थापना की क्षति पूर्ति के लिए 93 लाख रूपये (नवम्बर 1997 तक) की माँग की जिसे बि.रा.वि.बो. के द्वारा न तो स्वीकार किया गया और न ही अस्वीकार किया गया है।

स्टैक उत्सर्जन में एस.पी.एम. की सान्द्रता के.प्र.नि.प के मानक से दुगनी थी जिसे चिमनी की ऊँचाई बढ़ाकर कम किया जा सकता था। इस प्रकार आवश्यक ऊँचाई की चिमनी के निर्माण को रोकना न्यायोचित नहीं था क्योंकि वर्तमान ऊँचाई प्रदूषण नियंत्रण में अप्रभावी है।

कोयले की गुणवत्ता

बि.रा.वि.बो. के वि.ता. गृहों को कोयले की आपूर्ति सी.इ. के द्वारा किया जाता है। स्वयं का कोयला धुलाई संयत्र स्थापित करने का या निजी उद्यमियों को कोयला धुलाई संयत्र और कोयला लाभकारी संयंत्र स्थापित करने के लिए चुनने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इसके अतिरिक्त बि.रा.वि.बो. के वि.ता.गृहों के ब्वायलरों की संरचना ग्रेड–डी स्टौक कोयले का उपयोग करने के लायक है जबकि इन ता.वि. गृहों पर उपयोग होने वाला कोयला निम्न ग्रेड का है जैसे इ.एफ. और जी. (अश्रेणी कृत)। इस कारण मानक के अनुसार कोयले का उपयोग तथा प्रदूषण ज्यादा है। क्योंकि कोयला कंपनियों के साथ इंधन आपूर्ति समझौता नहीं किया गया था, अतः अच्छे गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

[6] रिइन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट।

[7]. सेन्ट्रल पौल्युसन कंट्रोल बोर्ड

ऐश पॉण्ड का निर्माण ।

बी.टी.पी.एस. अथवा एम.टी.पी.एस. में ड्राई फ्लाई ऐश का कर्षण/ड्राई डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में उत्पन्न फ्लाई ऐश/बॉटम ऐश को ऐश पॉण्ड में घोल के रूप में भेजा जाता है, जो जमने के बाद सुख जाता है। राख के उपयोगकर्ता ड्राई ऐश को ऐश पॉण्ड से उठा लेते हैं। बी.टी.पी.एस. तथा एम.टी.पी.एस. दोनों में यह व्यवस्था है।

बी.टी.पी.एस. के पास 143 एकड़ तथा 102 एकड़ के दो ऐश पॉण्ड हैं तथा एम.टी.पी.एस. के पास 290 एकड़ का केवल ऐक एश पॉण्ड है। एम.टी.पी.एस. में एक दूसरा एश पॉण्ड का निर्माण होना है। भारत सरकार की अधिसूचना[8] के अनुसार ऐश डिस्पोजल व्यवस्था न तो बी.टी.पी.एस. के द्वारा न ही एम.टी.पी.एस. के द्वारा अपनायी गई है।

कोयला राख का निपटारा

बी.टी.पी.एस. तथा एम.टी.पी.एस. ने स्थानीय समाचारपत्रों में ईंट भट्ठों, सीमेंट निर्माणकर्ताओं को, सड़क तथा बाँध निर्माण के लिए, एवं गहरे क्षेत्रों को भरने हेतु कोयला राख के निःशुल्क उठाव के लिए सूचना प्रकाशित किया।

2003–04 के दौरान बी.टी.पी.एस. में केवल 14.69 हजार टन राख का निपटारा हुआ तथा ऐश पॉण्ड में करीब 30 लाख टन शेष था। एम.टी.पी.एस. में 2001–02 तक करीब 4.36 लाख टन राख का निपटारा हुआ था तथा ऐश पॉण्ड में मार्च 2004 तक शेष राख करीब दस लाख टन था। इस प्रकार दोनों संयंत्रो में राख का निपटारा संतोषजनक नहीं था जिससे राख का बड़ा जमाव हो गया।

निष्कर्ष

बी.टी.पी.एस. तथा एम.टी.पी.एस. में प्रदूषण नियंत्रण हेतु आधारभूत संरचना अपर्याप्त है। एस.पी.एम. तथा फ्लु गैसों के उत्सर्जन को जाँचने की सुविधा अपर्याप्त है अतः निरन्तर उत्सर्जन जाँच इच्छा के अनुसार नहीं है। एम.टी.पी.एस. में चिमनी की ऊँचाई प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक ऊँचाई से कम है जिस कारण एस.पी.एम. का स्टैक उत्सर्जन के.प्र.नि.प के मानक से दुगना से ज्यादा था। बी.टी.पी.एस. तथा एम.टी.पी.एस. दोनों में राख निपटारा अप्रभावी था तथा उत्पन्न मात्रा की तुलना में नगण्य था। कोयला कंपनियों के साथ लाभकारी कोयले की आपूर्ति के लिए इंधन आपूर्ति इकरारनामा नहीं की गई जिससे अच्छे गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो सकी।

मामला बोर्ड/सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुन 2005); उनके उत्तर अप्राप्त थे।

[8] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 14 सितम्बर 99 को जारी किया गया।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

4.8 बसों के क्रय पर अधिक व्यय

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विलम्बित निर्णय एवं अविवेकी कर प्रबंधन के कारण 1.61 करोड़ रूपये तथा इसके प्रयोजनार्थ एक अध्ययन की अनुशंसा के विपरीत क्रय के कारण 2.69 करोड़ रूपये का अधिक व्यय।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) की दयनीय वित्तीय स्थिति के आलोक में बिहार सरकार ने निगम को पुनरूत्थान पैकेज के विरूद्ध सेवानिवृत्ति लाभों के समापन, छँटनी की क्षतिपूर्ति तथ बसों की संख्या में वृद्धि आदि के लिए 105.82 करोड़ रूपये विभिन्न चरणों में दिया (1998– 99 के दौरान 66 करोड़ रूपये अर्थ सहाय्य के रूप में, तथा 1999–2000 से 2003–04 के बीच 39.82 करोड़ रूपये ऋण के रूप में)। निगम ने प्रथम चरण में 250 बसों के लक्ष्य के विरूद्ध 130 बसें क्रय की। नवम्बर 2000 में करीब 500 नयी बसों को क्रय करने का निश्चय किया गया जिन्हें 31 जुलाई 2001 तक या उसके पहले सड़क पर आ जाना था, जिसे बाद में संशोधित कर अक्टुबर 2002 तक कर दिया गया। इस उद्देश्य के लिए 60.51 करोड़ रूपये का पुनर्आवंटन और चिन्हित कर दिया गया। एक वर्ष से अधिक के अनियमित विलम्ब के उपरांत निगम ने दूसरे चरण में (500 से ज्यादा के लक्ष्य के विरूद्ध) 467 नई बसें (116 डीलक्स एवं 351 सेमी–डीलक्स) तीन भागों में क्रय किया, जिसके लिए तीन क्रय आदेश टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव लिमिटेड (टेल्को) को अगस्त 2002 (55 चेचिस), जनवरी 2003 (181 चेचिस) तथा मई 2003 (231 चेचिस) दिया गया।

बसों की खरीद पर लेखा परीक्षा निष्कर्ष आगे की कंडिकाओं में वर्णित है।

(क) उत्पाद कर में वृद्धि के कारण परिहार्य व्यय

समुचित कोष होते हुए भी, निगम पहल की कमी, निर्णय लेने में विलंब, क्रय संबंधी अनुमोदित दिशा निर्देश के न होने तथा कार्यकारी की असफलता से उत्पन्न प्रक्रिया संबंधित विलम्बों के कारण क्रय करने के समय–सूची को पालन करने में असफल रहा। बैठकों का स्थगन, क्रय समिति के संधटको में परिवर्तन, क्रय समिति एवं सदस्यों द्वारा समाधान किए जा चुके मुद्दो को पुनः उठाने से क्रय आदेश में और विलम्ब हुआ। निगम के द्वारा विलम्बित कार्यवाही के चलते उत्पाद कर में 1 मार्च 2003[1] से 11,312[2] रूपये प्रति चेचिस की दर से हुई वृद्धि के कारण 382[3] चेचिस की आपूर्ति पर 43.21 लाख का अधिकाई व्यय हुआ।

यदि क्रय पूरा करने के लिए विहित समय सीमा का पालन किया जाता तो निगम उत्पाद कर पर हुई वृद्धि के कारण 43.21 लाख रूपये के अधिकाई व्यय को टाल सकता था।

(ख) अविवेकी कर प्रबन्धन।

निगम ने झारखण्ड राज्य के जमशेदपुर में बसों का ढांचा निर्मित करवाने का निर्णय किया और

1 भारत सरकार का केन्द्रीय बजट – 2003–04

2 उत्पाद कर – 10,000 + बिहार विक्री कर: 12 *प्रतिशत*, टर्न ओवर टैक्स : 1 *प्रतिशत*

3 231+151 जनवरी 2003 के आदेश का शेष

सभी चेचिस की सुपूर्दगी एक्स रीजनल सेल्स ऑफिस, पटना में ली और 467 बसों के क्रय एवं ढाँचा निर्माण में 12 *प्रतिशत* बिहार बिक्री कर एवं एक *प्रतिशत* टर्न ओवर टैक्स सम्मिलित कर 51.32 करोड़ रूपये का व्यय किया (विवरण **परिशिष्ट–44** के अनुसार)। निगम केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (के.बि.क.अधि.) की धारा 7 (2) के अन्तर्गत स्वयं को डीलर के रूप में निबंधित करा सकता था एवं चार *प्रतिशत* की दर से विक्रय कर की रियायत प्राप्त कर सकता था। यदि निगम ने स्वयं को के.बि.क. के अन्तर्गत निबंधित कराया होता एवं चेचिसों की सुपुर्दगी जमशेदपुर में लिया होता तो उसी क्रय के लिए उसे मात्र 50.14 करोड़ रूपये (चार *प्रतिशत* के.बि.क. एवं पाँच *प्रतिशत* प्रवेश कर) व्यय करने होते।

इस प्रकार के.बि.क. के अन्तर्गत स्वयं को निबंधित नहीं करा पाने के कारण निगम ने 1.18 करोड़ रूपये (51.32 करोड़ रूपये–50.14 करोड़ रूपये) का अधिकाई व्यय किया।

(स) डीलक्स बसों के क्रय पर अधिकाई व्यय

द्वितीय चरण में नये बसों के क्रय के समय विभिन्न प्रकार की बसों का आदर्श क्रय संयोजन को निर्धारित करने हेतु एक लागत–लाभ विश्लेषण [4] किया गया (मार्च 2002)। लागत–लाभ अध्ययन ने अनुशंसा की कि निगम को केवल सेमी–डीलक्स बसों का क्रय करना चाहिए क्योंकि वे ज्यादा राजस्व प्राप्त करेंगी। यद्यपि अनुशंसा स्वीकृत की गई थी, (मार्च 2002) तथापि क्रय करने का निर्णय अनुशंसा के विपरीत, बिना अभिलेखित आधार या औचित्य का लिया गया। कुल 467 बसें (116 डीलक्स + 351 सेमी–डीलक्स) 51.32[5] करोड़ रूपये की लागत पर क्रय की गई। यदि निगम ने केवल सेमी–डीलक्स बसों का क्रय किया होता, जैसा कि लागत–लाभ अध्ययन में दिखाया गया था, तो 467 बसों की लागत 48.63 करोड़ रूपये होती (विवरण **परिशिष्टि–44** के अनुसार)। इस प्रकार निगम ने 2.69 करोड़ रूपये (51.32 करोड़ रूपये–48.63 करोड़ रूपये) का अधिकाई व्यय किया जिसका उपयोग 26 अतिरिक्त सेमी–डीलक्स बसों को क्रय करने में किया जा सकता था।

मामला निगम/सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2005); उनके उत्तर अप्राप्त थे।

सामान्य

4.9 *निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया।*

लेखा परीक्षा के दौरान पाए गए और स्थल पर नहीं निपटाए गए लेखा परीक्षा टिप्पणियों को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के कार्यालय प्रधान एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। सा.क्षे.उ. के कार्यालय प्रधानों को संबधित विभागों के प्रधानों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदन का उत्तर छः हफ्तों के अन्दर देना होता है। 54 सा.क्षे.उ. से संबंधित मार्च 2005 तक जारी किए गए 1,707 निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 8,276 कंडिकाएँ सितम्बर 2005 के अन्त तक बकाया रह गयी थी। सितम्बर 2005 तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखा परीक्षा टिप्पणियों का विभागवार विवरण **परिशिष्ट–45** में दिया गया है।

4. एक तकनीकि दल जिसमें भंडार एवं क्रय नियंत्रक, उप प्रमुख मैकेनिकल इंजीनियर तथा संचालन के प्रमुख शामिल थे।

5. चेचिस–29.10 करोड़ रूपये + बॉडी बिल्डींग–22.22 करोड़ रूपये।

उसी प्रकार सा.क्षे.उ. के कार्य कलापों पर प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं को प्रधान सचिव/संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव को अर्द्धसरकारी पत्रों के माध्यम से उसके तथ्यों और आंकड़ो की सम्पुष्टि हेतु एवं छः हफ्तों की अवधि के भीतर उन पर टिप्पणियों के लिए अग्रसारित किया जाता है। फिर भी यह देखा गया कि अप्रील से जुलाई 2005 के दौरान विभिन्न विभागों को अग्रसारित किए गए आठ प्रारूप कंडिकाओं तथा तीन समीक्षाओं, जैसा कि **परिशिष्ट 46** में वर्णित है, के उत्तर नहीं दिए गए (सितम्बर 2005)।

यह अनुशंसित किया जाता है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि (क) विहित सीमा के अन्दर निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं के उत्तर भेजने में असफल अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने की प्रक्रिया विद्यमान हो (ख) एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूली हेतु कार्रवाई और (ग) लेखा परीक्षा प्रेषणों पर उत्तर देने की प्रणाली मजबूत की जाए।

विक्रम चन्द्र

(विक्रम चन्द्र)
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार

पटना
दिनांक 4 MAR 2006

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. ना. कौल

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 08 MAR 2006

शुद्धि पत्र

31 मार्च 2005 को समाप्त हुये वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

क्रमांक	पृष्ठ संख्या	कंडिका संख्या / सन्दर्भ	अशुद्ध	शुद्ध
1.	विषय सूचि के पूर्व पृष्ट पर	वेबसाइट पता	http:\\www.cag.gov.in \states\bihar\2005	http:\\www.cag.gov.in.
2.	vi	विषय सूचि में परशिष्ट–3 वाले अंतिम पंक्ति में चिह्न	*	----
3.	vi	विषय सूचि में परशिष्ट–30 वाले प्रथम पंक्ति	मई 2001 से मार्च 2006	मई 2000 से मार्च 2005
4.	iv	विषय सूचि में परशिष्ट–34 वाले प्रथम पंक्ति	वर्ष 2001–06	वर्ष 2000–05
5.	iv	विषय सूचि में परशिष्ट–35 वाले प्रथम पंक्ति में	वर्ष 2001–02 से 2005–06	2000–01 से 2004–05
6.	xii, xiv	विहंगावलोकन पृष्ट पर हेडर	31 मार्च 2004 को समाप्त	31 मार्च 2005 को समाप्त.....
7.	13	1.27 / फुट नोट चिन्ह	आंकड़े विभाजित वि.रा.वि. बो. के हैं	*आंकड़े विभाजित वि.रा.वि.बो. के हैं
8.	14	1.29 / दूसरी पंक्ति	सितम्बर 2004	सितम्बर 2005
9.	24	2.6.8 / सारणी के कंमाक 2 के प्रथम स्तम्भ की प्रथम पंक्ति	4 जिलों	4 जिलों *
10.	24	4 जिलों से सम्बधिंत फुट नोट	––	* झारखण्ड राज्य के दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज जिले • उपलब्ध निधि
11.	35	अनुशंसायें / प्रथम पंक्ति	उपलबध निधि	लिमिटेड
12.	90	परिशिष्ट–I के कंमाक 34 की पहली पंक्ति	लिमिटेड*	----
13.	90	परिशिष्ट –I का फुट नोट	पटना उच्च न्यायलय द्वारा निगम की बंदी के आदेश दिये गये	(ब) व्यय*
14.	109	परिशिष्ट –6 के सारणी के अंतिम से पॉचवी पंक्ति	(ब) व्यय	कंमाक 3 से 8 तक की कम्पनियों ने पटना उच्च न्यायलय में परिसमापन के लिये अर्जी दायर की हैं।
15.	117	परिशिष्ट –10 में फुट नोट	––	
16.	163	परिशिष्ट –43 में फुट नोट	बिल की जाने वाली राशि	बिल* की जाने वाली राशि
17.	––	पिछले आवरण पृष्ट पर वेबवसाइट पता	http://www.cag.gov.in /states/bihar/2005	http:\\www.cag.gov.in.

परिशिष्ट – 1

(कंडिका 1.3, 1.4, 1.5 एवं 1.16 में संदर्भित)

31 मार्च 2005 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में अद्यतन प्रदत्त पूंजी, बजट वर्हिगमन, बजट से दिये गए ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शानेवाली विवरणी

(कोष्ठक के अंदर दिये गए अंक वर्ष में आय–व्ययक वर्हिगमन के द्योतक है)

(कॉलम 3(क) से 4(छ) तक की राशि लाख रुपये में)

		चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2004–2005 के अन्त तक बकाया ऋण				2004–05 के ऋण/इक्विटी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ)/3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
	कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
	कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	162.46 (65.20)		---	138.94 (4.23)	301.40 (69.43)	--	--	--	2,792.55	--	--	2,792.55	7.53:1 (7.52:1)
2.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	174.75 (125.25)	---	---	---	174.75 (125.25)	--	--	--	213.84	2.50	--	216.34	**0.72:1** **(0.72:1)**
	प्रक्षेत्रवार योग	**337.21** **(190.45)**		---	**138.94** **(4.23)**	**476.15** **(194.68)**	--	--	--	**3,006.39**	**2.50**	--	**3,009.89**	**4.48:1** **(4.48:1)**
	इलेक्ट्रॉनिक्स													
3	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	407.77 (159.14)	---	---	---	407.77 (159.14)	---	---	--	593.48	--	--	593.48	1.05 :1 (1.05:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**407.77** **(159.14)**	---	---	---	**407.77** **(159.14)**	--	---	--	**593.48**	--	--	**593.48**	**1.05:1** **(1.05:1)**
	वन													
4	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	175.08	54.00	---	---	229.08	--	--	--	--	--	--	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग	**175.08**	**54.00**	---	---	**229.08**	--	--	--	--	--	--	--	--

		चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2004–2005 के अन्त तक बकाया ऋण				2004–05 के ऋण/इक्विटी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ)/3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
	खनन													
5	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	997.35	---	---	---	997.35	--	--	--	--	--	--	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग	**997.35**	**---**	**---**	**---**	**997.35**	--	--	--	--	--	--	--	--
	निर्माण													
6	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	10.00	---	---	---	10.00	--	--	--	42.90	--	--	42.90	4.29:1 (4.29:1)
7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	350.00	---	---	---	350.00	--	--	--	--	--	--	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग	**360.00**	**---**	**---**	**---**	**360.00**	--	--	--	**42.90**	--	--	**42.90**	**0.12:1 (0.12:1)**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास													
8	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	975.00	---	---	---	975.00	--	--	**800**	--	--	1347.66	1347.66	1.38:1 (0.97:1)
9	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1,336.00	---	---	---	1,336.00	--	--	**70**	--	--	1,996.63	1,996.63	1.49:1 (1.44:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**2,311.00**	**---**	**---**	**---**	**2,311.00**	--	--	**870**	--	--	**3,344.29**	**3,344.29**	**1.45:1 (1.24:1)**
	जन–वितरण													
10	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	526.58	---	---	---	526.58	--	--	--	431.01	160.87	--	591.88	1.12:1 (1.12:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**526.58**	**---**	**---**	**---**	**526.58**	--	--	--	**431.01**	**160.87**	--	**591.88**	**1.12:1 (1.12:1)**

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2004–2005 के अन्त तक बकाया ऋण				2004–05 के ऋण / इक्विटी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ) / 3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
	पर्यटन													
11	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	500.00	---	---	---	500.00	--	--	--	--	--	--	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग	**500.00**	**---**	**---**	**---**	**500.00**	--	--	--	--	--	--	--	--
	उर्जा													
12	बिहार राज्य जल विद्युत पावर निगम लिमिटेड	9,904.00	---	---	---	9,904.00	--	**302.00**	--	12,434.00	--	--	12,434.00	1.26:1 (1.22:1)
13	तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड	10,000.00	---	---	---	10,000.00	--	--	--	60,889.00	--	4,145.00	65,034.00	6.5:1 (6.5:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**19,904.00**	**---**	**---**	**---**	**19,904.00**	--	**302.00**	--	**7,33323.00**	**--**	**4,145.00**	**77,468.00**	**3.89:1 (3.87:1)**
	वित्त													
14	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	1,500.00 (12.35)	---	---	---	1,500.00 (12.35)	--	--	--	2,547.34	--	4,951.38	7,498.72	4.96:1 (5.02:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**1,500.00 (12.35)**	**---**	**---**	**---**	**1,500.00 (12.35)**	--	--	--	**2,547.34**	**--**	**4,951.38**	**7,498.72**	**4.96:1 (5.02:1**
	विविध प्रक्षेत्र													
15	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	47.67	---	---	---	47.67	--	--	--	--	--	--	--	--
16	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	100.00	---	---	---	100.00	--	--	--	14.50	--	--	14.50	0.14:1 (0.14:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**147.67**	**---**	**---**	**---**	**147.67**	--	--	--	**14.50**	**--**	**--**	**14.50**	**0.1:1 (0.1:1)**
	योग (अ)	**27,166.66 (361.94)**	**54.00**		**138.94 (4.23)**	**27,359.60 (366.17)**	---	**302.00**	**870.00**	**79,958.62**	**163.37**	**12,440.67**	**92.562.66**	**3.34:1 (3.3:1)**

		चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2004–2005 के अन्त तक बकाया ऋण				2004–05 के ऋण/इक्विटी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ)/3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
B	**कार्यशील सांविधिक निगम**													
	उर्जा													
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	---	---	---	---	--	--	75,760.38	6,468.32	2,52,625.67	--	39,133.85	2,91,759.52	--
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	---	---		--	75,760.38	6,468.32	2,52,625.67	--	39,133.85	2,91,759.52	--
	परिवहन													
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	7,475.57	2,651.78	---	---	10,127.35	--	153.00	---	8,102.22	--	--	8,102.22	0.8:1 (0.78:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**7,475.57**	**2,651.78**	---	---	**10,127.35**	--	**153.00**	---	8,102.22	--	--	8,102.22	**0.8:1 (0.78:1)**
	वित्त													
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	3,994.77	---	---	3,789.04	**7,783.81**	--	1,609.42	--	12,751.00	--	19, 506.50	32,257.50	4.1:1 (4.1:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**3,994.77**	---	---	**3,789.04**	**7,783.81**	--	**1,609.42**	--	**12,751.00**	--	**19, 506.50**	**32,257.50**	**4.1.1 (4.1:1)**
	विविध													
4.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	68.55	---	---	68.55	**137.10**	--	--	**380.94**	--	--	**380.94**	**380. 94**	**2.78:1**
	प्रक्षेत्रवार योग	**68.55**	---	---	**68.55**	**137.10**	--	--	**380.94**	--	--	**380.94**	**380.94**	**2.78:1**
	योग (ब)	**11,538.89**	**2,651.78**	---	**3,857.59**	**18,048.26**	--	**77,522.80**	**6849.26**	**2,73,478.89**	--	**59,021.29**	**3,32,500.18**	**18.4:1 (28:1)**
	कुल योग (अ+ब)	**38,705.55 (361.94)**	**2,705.78**	---	**3,996.53 (4.23)**	**45,407.86 (366.17)**	--	**77,824.80**	**7,719.26**	**3,53,437.51**	**163.37**	**71,461.96**	**4,25,062.84**	**9.3:1 (13.16:1)**

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2004–2005 के अन्त तक बकाया ऋण				2004–05 के ऋण/इक्विटी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ)/3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
स	**अकार्यशील कम्पनियाँ**													
	कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1,000.00	---	---	---	1,000.00	--	--	---	4,967.89	---	--	4,967.89	4.97:1 (4.97:1)
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	672.36	---	---	---	672.36	--	--	---	175.35	---	--	175.35	0.26:1 (0.26:1)
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई लिमिटेड	1,000.00	---	---	---	1,000.00	--	--	---	855.42	---	--	855.42	0.86:1 (0.86:1)
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	756.52 (7.00)		---	---	756.52 (7.00)	--	--	---	1,259.99	---	--	1,259.99	1.65:1 (1.28:1)
5.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	161.37	49.00	---	---	210.37	--	--	---	41.80	70.00	---	111.80	0.53:1 (0.77:1)
6.	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	---	---	57.03 (238.90)	---	57.03 (238.90)	--	--	---	---	---	154.10	154.10	0.52:1 (0.52:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**3,590.25 (7.00)**	**49.00**	**57.03 (238.90)**	---	**3,696.38 (245.90)**	--	--	---	**7,300.45**	**70.00**	**154.10**	**7,524.55**	**1.9:1 (1.85:1)**
	उद्योग (विविध)													
7.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	718.48	---	---	---	718.48	--	--	---	1040.00	---	183.00	1,223.00	1.70:1 (1.70:1)
8.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1,404.00	---	---	---	1,404.00	--	--	---	6,702.00	---	217.95	6,919.95	4.93:1 (4.93:1)
9.	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	---	---	163.00	---	163.00	--	--	---	609.34	---	--	609.34	3.74:1 (3.74:1)

		चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2004–2005 के अन्त तक बकाया ऋण				2004–05 के ऋण/इक्विटी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ)/3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
10.	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	---	---	776.92	---	776.92	--	--	---	---	---	1,071.61	1,071.61	1.38:1 (1.38:1)
11.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	---	---	88.00	59.00	147.00	--	--	---	918.00	---	--	918.00	6.24:1 (6.24:1)
12.	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लिमिटेड	---	---	115.00 (25.00)	---	115.00 (25.00)	--	--	---	---	---	366.33	366.33	2.62:1 (2.62:1)
13.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	---	---	114.57 (59.72)	---	114.57 (59.72)	--	--	---	---	---	81.15	81.15	0.47:1 (0.47:1)
14.	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	---	---	107.35 (41.55)	---	107.35 (41.55)	--	--	---	---	---	46.16	46.16	0.31:1 0.31:1
15.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	---	---	107.35	50.00	157.33	--	--	---	---	---	213.84	213.84	1.36:1 (1.36:1)
16.	बिहार सॉलभेंट एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड	20.00	---	68.15	20.07	108.22	--	--	---	---	---	88.69	88.69	0.82:1 (0.82:1)
17.	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	---	---	21.47	9.52 (78.69)	30.99 (78.69)	--	--	---	---	---	105.08	105.08	0.95:1 (0.95:1)
18.	मगध मिनरल्स लिमिटेड	---	---	0.07 (36.15)	---	0.07 (36.15)	--	--	---	---	---	46.58	46.58	1.29:1 (1.29:1)
19.	भवानी ऐक्टीव कार्बन लिमिटेड	---	---	9.43	---	9.43			---	---	---		---	---
20	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लिमिटेड	1,000.00	---	---	---	1,000.00	--	---	---	1,242.55	---	170.00	1,412.55	1.41:1 (1.41:1)
21	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	700.00	---	---	---	700.00	--	--	---	105.10	---		105.10	0.15:1 (0.15:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**3,842.48**	**-**	**1,571.31 (162.42)**	**138.59 (78.69)**	**5,552.38 (241.11)**	**--**	**---**	---	**1,0617.00**	---	**2,590.39**	**13207.39**	**2.28:1 (2.27:1)**

		चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2004–2005 के अन्त तक बकाया ऋण				2004–05 के ऋण / इक्विटी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ) / 3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
अभियंत्रण														
22.	कुमारधुबी मेटल कॉस्टिंग एवं इन्जिनियरिंग लिमिटेड	---	---	110.00	107.00	217.00	--	--	---	---	---	663.44	663.44	3.06:1 (3.06:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	**110.00**	**107.00**	**217.00**	**--**	**--**	**---**	---	---	**663.44**	**663.44**	**3.06:1 (3.06:1)**
	इलेक्ट्रानिक्स													
23	बेलट्रान विडियो सिस्टम लिमिटेड	---	---	504.71	---	504.71	--	--	---	---	---	450.87	450.87	0.89:1 (0.89:1)
24	बेलट्रान माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	---	---	248.24	---	248.24	--	--	---	---	---		---	---
25	बेलट्रान इन्फारमेटिक्स लिमिटेड	---	---	0.28	---	0.28	--	--	---	---	---		---	---
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	**753.23**	---	**753.23**	**--**	**--**	---	---	---	**450.87**	**450.87**	**0.60:1 (0.60:1)**
	टेक्सटाईल्स													
26	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	537.00	---	---	---	537.00	--	--	---	223.66	---	--	223.66	0.42:1 (0.42:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**537.00**	---	---	---	**537.00**	**--**	**--**	---	**223.66**	---	**--**	**223.66**	**0.42:1 (0.42:1)**
	हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प													
27	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	999.98	---	---	---	999.98	--	--	---	115.78	---	--	115.78	0.12:1 (0.12:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**999.98**	---	---	---	**999.98**	**--**	**--**	---	**115.78**	---	**--**	**115.78**	**0.12:1 (0.12:1)**

		चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2004–2005 के अन्त तक बकाया ऋण				2004–05 के ऋण/इक्विटी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ)/3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
	चीनी													
28	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2,000.00	---	---	---	2,000.00	--	--	---	31,406.27	---	--	31,406.27	15.7:1 (15.7:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**2,000.00**	---	---	---	**2,000.00**	**--**		---	**31,406.27**	---	**--**	**31,406.27**	15.7:1 (15.7:1)
	सीमेंट													
29	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	---	---	0.07	---	0.07	--	--	---	3.17	---	--	3.17	45.29:1 (45.29:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	**0.07**	---	**0.07**	**--**	**--**	---	**3.17**	---	**--**	**3.17**	**45.29:1 (45.29:1)**
	औषधि, रसायन एवं औषध													
30	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1,500.00 (77.88)	---	---	---	1,500.00 (77.88)	--	2.50	---	422.01	---	--	422.01	0.27:1 (0.26:1)
31	बिहार मेज प्रोडक्टस लिमिटेड	---	---	0.07 (73.68)	---	0.07 (73.68)	--	--	---	---	---	2.16	2.16	0.03:1 (0.03:1)
32.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	---	---	400.00	---	400.00	--	--	---	127.99	---	--	127.99	0.32:1 (0.32:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**1,500.00 (77.88)**	**---**	**400.07 (73.68)**	---	**1,900.07 (151.56)**	**--**	**2.50**	---	**550.00**	---	**2.16**	**552.16**	**0.27:1 (0.27:1)**
	वित्त प्रबंध													
33.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	106.51 (37.69)	---	---	---	106.51 (37.69)	--	--	---	---	---	---	---	---
	प्रक्षेत्रवार योग	**106.51 (37.69)**	---	---	---	**106.51 (37.69)**	**---**	**--**	---	---	---	--	---	
	विविध प्रक्षेत्र													
34	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड*	200.00	---	---	---	200.00	--	--	---	121.77	---	--	121.77	0.61:1 (0.61:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**200.00**	**---**	**---**	**---**	**200.00**	**--**	**--**	**---**	**121.77**	**---**	**--**	**121.77**	**0.61:1**

*पटना उच्च न्यायालय द्वारा निगम की बंदी के आदेश दिए गए।

		चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2004–2005 के अन्त तक बकाया ऋण				2004–05 के ऋण/इक्विटी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ)/3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
														(0.61:1)
	योग (स)	12,776.22 (122.57)	49.00	2,891.71 (475.00)	245.59 (78.69)	15,962.50 (676.26)	--	2.50	--	50,338.10	70.00	3,860.96	54,269.06	3.26:1 (3.2:1)
	कुल योग (अ+ब+स)	51,481.77 (484.51)	2,754.78	2,891.71 (475.00)	4,242.12 (82.92)	61,370.38 (1042.43)	--	77,827.30	--	4,03,775.61	233.37	75,322.92	4,79,331.89	7.68:1 (10.4:1)

नोटः–

1. वर्ष 2004–05 की समाप्ति पर बकाया ऋण केवल दीर्घकालीन ऋणों को प्रदर्शित करते हैं।
2. आकड़े औपबन्धिक है एवं निगमों/कम्पनीयों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।
3. सभी लोक उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 4557.42 करोड़ रूपये (अन्य 860.03 रूपये) था। वित्तिय लेखाओं के अनुसार आकडे 10551.19 करोड़ था। आकड़ों के अंतर का समाधान किया जा रहा है।
4. पटना उच्च न्यायालय द्वारा क्रम संख्या स–10, स–27, स–34 में निगमों की बंदी के आदेश दिए गए हैं।

परिशिष्ट–2

(कंडिका संख्या 1.6, 1.7, 1.13, 1.18 एवं 1.19 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों, जिनकी लेखायें सम्पूर्ण हो गयी थी, उनके अद्यतन वर्षों का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(कॉलम 7 से 12 और 15 की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	उपलब्ध मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
अ	**कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ**														
	कृषि एवं समवर्गी														
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	कृषि	18.7.1977	1994-95	2004-05	(-) 716.33	---	370.83	(-) 3,464.31	1,180.01	(-)431.17	---	10	1,332.23	131
2.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	पशु एवं मत्स्य पालन	23.3.1980	1992-93	1996-97	(-) 22.16	---	174.75	(-) 191.54	174.19	(-) 4.77	---	12	--	43
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 738.49**	---	**545.58**	**(-) 3,655.85**	**1,354.20**	**(-) 435.94**	**--**	**22**	**--**	**174**
	इलेक्ट्रॉनिक्स														
3.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	21.2.1978	1994-95	2004-05	(-) 106.78	---	565.50	(-) 585.90	799.57	(-) 14.68	----	10	0	68
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 106.78**	---	**565.50**	**(-) 585.90**	**799.57**	**(-) 14.68**	**---**	**10**	**0**	**68**
	वन														
4	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन एवं पर्यावरण	10.2.1975	1998-99	2002-03	359.88	---	229.08	--	205.18	398.68	194.31	6	3,542.37	648
	प्रक्षेत्रवार योग					**359.88**	---	**229.08**		**205.18**	**398.68**	**194.31**	**6**	**3,542.37**	**648**

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	उपलब्ध मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	खनन														
5.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	खनन् एवं भूगर्भ	12.6.1972	2000-2001	2004-05	929.04		997.35	703.82	2,067.55	929.04	44.93	4	3,154.58	529
	प्रक्षेत्रवार योग					**929.04**		**997.35**	**703.82**	**2,067.55**	**929.04**	**44.93**	**4**	**3,154.58**	**529**
	निर्माण														
6.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	गृह (पुलिस)	26.6.1974	1989-90	2004-05	(-) 101.87	---	10.00	(-) 153.35	(-)100.95	(-)100.95	---	15	30.27	408
7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	सड़क निर्माण	11.6.1975	1993-94	2004-05	(-)32.21	---	350.00	(-) 753.56	655.50	(-) 32.21	---	11	74.28	624
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 134.08**	---	**360.00**	**(-) 906.91**	**554.55**	**(-) 134.08**	**---**	**26**	**104.55**	**1032**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास														
8	बिहार राज्य अल्प–संख्यक वित्त निगम लिमिटेड	अल्पसंख्यक कल्याण	22.3.1984	2001-02	2004-05	(-) 25.13	**---**	1280.00	(-) 189.64	2039.88	(-) 25.13	--	3	30.84	21
9	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड .	कल्याण	17.6.1993	1994-95	2003-04	39.65	135.50 लाख रुपये से आय अधिक बताई गई	275.00	54.91	1,313.40	106.00	8.07	10	107.84	18
	प्रक्षेत्रवार योग					**14.52**	---	**1,555.00**	**(-) 134.73**	**3,353.28**	**80.87**	**8.07**	**13**	**138.68**	**39**
	जन वितरण														
10	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति	22.4.1973	1982-83	2004-05	(-) 244.15	हानि 193.73 लाख रूपये से कम वर्णित	402.00	(-) 1,596.40	2,328.97	167.57	7.20	22	13,594.40	1610
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 244.15**	---	**402.00**	**(-) 1,596.40**	**2,328.97**	**167.57**	**7.20**	**22**	**13,594.40**	**1,610**

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	उपलब्ध मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	पर्यटन														
11	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	28.11.1980	1994-95	2004-05	81.16		295.00	65.69	467.50	81.16	17.36	10	105.84	275
	प्रक्षेत्रवार योग					**81.16**		**295.00**	**65.69**	**467.50**	**81.16**	**17.36**	**10**	**105.84**	**275**
	ऊर्जा														
12	बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड .	ऊर्जा	31.3.1982	1995-96	2004-05	(-) 1430.44	---	8,926.00	(-) 548.07	12833.65	(-) 878.82	---	9	296.06	140
13	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	26.11.1987	1993-94	2000-01	--	---	10,000.00		58,852.10		---	11	--	अनुपलब्ध
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 1430.44**	---	**18926.00**	**(-) 548.07**	**71,685.75**	**(-) 878.82**	**--**	**20**	**296.06**	**140**
	वित्त														
14	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	उद्योग	30.1.1975	2000-01	2004-05	(-) 2,735.31	**---**	1,512.35	(-) 10,023.48	18506.94	(-) 1010.29	---	4	--	64
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 2735.31**	---	**1,512.35**	**(-) 10,023.48**	**18,506.94**	**(-) 1010.29**	**---**	**4**		**64**
	विविध														
15.	बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	शिक्षा	2.4.1985	1995-96	2004-05	(-) 304.52	---	47.67	263.74	329.71	(-) 304.52	--	9	1,135.86	240
16.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	उद्योग	6.3.1983	1991-92	2000-01	1.87	---	94.50	(-) 11.56	88.33	1.87	2.12	13	--	8
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 302.65**	---	**142.17**	**252.18**	**418.04**	**(-) 302.65**	**2.12**	**22**	**--**	**248**
	योग (अ)					**(-) 4,307.30**	---	**25,530.03**	**(-) 16,429.65**	**101,741.53**	**(-) 1,119.14**		**158**	--	

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	उपलब्ध मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ब	सांविधिक निगमें														
	ऊर्जा														
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	ऊर्जा विभाग	1.4.1958	2001-02	2004-05	(-)62,683.69	----	---	(-)3,75,549.92	(-)51,892.18	(-)18,161.89		3	1,33,680.22	16,658
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)62,683.69**	---	---	**(-)3,75,549.92**	**(-)51,892.18**	**(-)18,161.89**		3	**1,33,680.22**	**16,658**
	परिवहन														
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड	परिवहन विभाग	1.5.1959	2001-02	2004-05	(-)5,085.59	---	10,127.35	(-)62,443.17	(-)38,546.00	(-)2,346.08	-	3	1,292.25	4,730
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)5,085-59**	**---**	**10,127.35**	**(-)62,443.17**	**(-)38,546.00**	**(-)2,346.08**	**-**	**3**	**1,292.25**	**4,730**
	वित्त														
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	उद्योग विभाग	2.11.1954	2003-04	204-05	(-)6389.71		7,783.81	(-)45,540.92	39,864.14	112.44	3.21	1	723.58	421
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)6389.71**		**7,783.81**	**(-)45,540.92**	**39,864.14**	**112.44**	**--**	**1**	**723.58**	**421**
	विविध														
4.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	सहकारिता	29.3.1957	2000-01	2003-04	196.44		137.10	717.49	1,868.72	196.44	--	4	1,098.31	316
	प्रक्षेत्रवार योग					**196.44**	**---**	**137.10**	**717.49**	**1,868.72**	**196.44**	**--**	**4**	**1,098.31**	**316**
	योग (ब)					**(-)68,211.81**	---	**18,048.26**	(-)4,82,816.52	(-)48,705.32	(-)20,199.09	--	**11**	--	--
	कुल योग (अ+ब)					**(-)72,519.11**	---	**43,578.29**	(-)4,99,246.17	53,036.21	(-)21,318.23	--	**169**	--	--

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्नन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	उपलब्ध मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
स	**अकार्यशील कम्पनियाँ**														
	कृषि एवं समवर्गी														
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	जल संसाधन	12.4.1973	1978-79	1997-98	216.84	---	500.00	(-) 1,119.69	2670.29	242.30	9.07	6	--	15
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	पशुपालन एवं मतस्य	13.3.1972	1991-92	2001-02	4.39	---	672.36	(-) 900.07	568.69	4.39	0.77	3	--	--
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम	लघु सिंचाई	3.6.1975	1982-83	1993-94	(-) 26.39	---	560.00	(-) 85.78	953.41	(-) 13.27	---	2	0.52	--
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	कृषि	28.4.1966	1986-87	1995-96	(-) 192.79	---	741.52	(-) 1416.00	510.80	(-) 142.86	---	8	--	--
5.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	कृषि	8.10.1980	1990-91	1996-97	(-) 74.12	---	182.00	(-) 416.70	(-) 14.68	(-) 31.45	---	4	6.58	--
6.	बिहार कीट–नाशक लिमिटेड	उद्योग	27.2.1983	1986-87	1991-92	(-) 103.12	---	57.04	(-) 103.12	234.98	(-) 86.74	---	8	--	69
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 175.19**	---	**2,712.92**	**(-) 4,041.36**	**4,923.49**	**(-) 27.63**	**--**	**111**	**--**	**--**
	उद्योग (विविध)														
7.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	29.10.1961	1989-90	2002-03	(-) 94.46		718.48	(-) 1,513.63	349.21	7.69	2.20	15	1626.94	119
8.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	5.11.1960	1986-87	---	(-) 588.92	हानि 1,079.05 लाख रुपये से बढ़ी	1,404.00	(-) 2,290.78	2,724.94	(-) 317.13	-	18	--	--
9.	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	उद्योग	19.1.1978	----	----	---	---	--	---	---	---	----	28	--	--

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्नन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षो से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	उपलब्ध मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	उद्योग	08.07.1977	1985-86	1997-98	(-) 6.09	---	156.12	(-) 31.06	143.61	(-) 6.09	----	अप्रैल 2004 से कंपनी परि समापन की प्रक्रिया में	--	--
11.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	उद्योग	20.4.1982	1983-84	1986-87	(-) 149.39	---	146.59	(-) 213.06	615.00	(-) 76.48	---	21	--	252
12.	बिहार राज्य गलेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स उद्योग लिमिटेड	उद्योग	2.4.1984	1985-86	1997-98	(-) 8.48	---	15.52	(-) 51.08	350.00	(-) 17.60	---	18	--	38
13.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	उद्योग	18.6.1983	1984-85	1988-89	(-) 0.91	---	40.37	(-) 1.45	69.00	---	---	20	--	16
14.	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	उद्योग	27.2.1982	1985-86	1991-92	(-) 1.33	---	42.41	(-) 2.09	59.32	(-) 1.33	---	19	--	14
15.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रेट लिमिटेड	वन एवं पर्यावरण	27.1.1984	1988-89	1993-94	(-) 31.56	---	103.30	(-) 66.59	249.15	(-) 15.86	---	16	--	--
16.	बिहार सौलभेंट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	वन एवं पर्यावरण	अगस्त 1979	1986-87	1995-96	(-) 32.31	---	66.22	(-) 32.31	167.23	(-) 25.86	---	18	--	--
17.	सिन्थेटिक रेजिन्स (ईस्टर्न) लिमिटेड	उद्योग	14.12.1982	1983-84	1987-88	(-) 0.69	---	9.00	(-) 0.73	17.41	(-) 0.69	---	21	--	12
18.	मगध मिनरल्स लिमिटेड	उद्योग	22.11.1984	----	----	----	---	----	----	---	---	----	21	--	5
19.	भवानी ऐक्टीव कार्बन लिमिटेड	उद्योग	26.3.1985	1985-86	1989-90	(-) 1.38	---	2.39	(-) 1.38	1.05	(-) 1.38	---	19	--	--
20.	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	23.3.1974	1982-83	2004-05	(-) 37.09	---	514.00	(-) 291.89	256.19	(-) 37.09	---	22	--	419

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	उपलब्ध मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	जल संसाधन	22.8.1974	1986-87	2004-05	125.38	---	700.00	(-) 278.67	(-)1,026.64	125.49	---	18	1870.12	1479
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 827.23**	---	**3,918.40**	**(-) 4,774.72**	**3,975.47**	**(-) 366.33**	**---**	**274**	**--**	**--**
	अभियंत्रण														
22.	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इन्जिनियरिंग लिमिटेड	उद्योग	25.10.1983	1994-95	1995-96	(-) 238.84	---	217.00	(-) 815.97	91.13	(-) 151.00	---	10	1089.25	--
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 238.84**	---	**217.00**	**(-) 815.97**	**91.13**	**(-) 151.00**	**---**	**10**	**--**	**--**
	इलेक्ट्रॉनिक्स														
23.	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	उद्योग	19.9.1984	1987-88	1998-99	(-) 54.51	---	121.45	(-) 21.77	101.98	(-) 9.57	---	17	75.46	--
24.	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	उद्योग	30.1.1986	1989-90	2002-03	(-) 9.57	---	125.84	(-) 49.33	52.48	(-) 9.57	---	15	41.38	--
25.	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड	उद्योग	1.3.1988	---	---	---	---	---	---	---	---	---	18	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 64.08**	---	**247.29**	**(-) 71.10**	**154.46**	**(-) 19.14**		**50**	**--**	**--**
	वस्त्र														
26	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	उद्योग	21.2.1978	1987-88	1995-96	(-) 9.18	---	498.05	(-) 32.22	372.35	(-) 9.18	---	17	--	40
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 9.18**	---	**498.05**	**(-) 32.22**	**372.35**	**(-) 9.18**	**---**	**17**	**--**	**--**
	हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प														
27	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प लिमिटेड	उद्योग	21.5.1974	1983-84	1996-97	(-) 9.52	---	627.98	(-) 43.81	707.51	1.46	0.21	मार्च 2004 से बंदी की प्रक्रिया में	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 9.52**	---	**627.98**	**(-) 43.81**	**707.51**	**1.46**	**0.21**		**--**	**--**

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्नन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	उपलब्ध मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	चीनी														
28.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	ईख	26.12.1974	1984-85	1996-97	(-) 919.85	---	997.00	(-) 7,231.46	(-) 1,023.69	(-) 320.24	---	20	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 919.85**	---	**997.00**	**(-) 7,231.46**	**(-) 1,023.69**	**(-) 320.24**		**20**	**--**	**--**
	सीमेन्ट														
29.	बिहार राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड	उद्योग	17.10.1981		---	---	---	---	---	---	---	----	24	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग					-	---	-	-	-	-	-			
	औषधि, रसायन एवं औषध														
30.	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	22.2.1978	1985-86	1992-93	(-) 16.83	---	361.62	(-) 73.84	687.48	(-) 16.83	---	19	--	78
31.	बिहार मेज प्रोडक्ट लिमिटेड	उद्योग	2.9.1982	1983-84	1987-88	(-) 2.70	---	66.59	(-) 6.14	80.11	---	---	21	--	--
32.	बिहार औषधि एवं रसायन लिमिटेड	उद्योग	12.8.1983	1985-86	1991-92	(-) 3.02	---	93.67	(-) 16.09	115.65	(-) 3.02	---	19	--	48
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 22.55**	---	**521.88**	**(-) 96.07**	**883.24**	**(-) 19.85**		**59**	**--**	**--**
	वित्त प्रबन्ध														
33.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	पंचायती राज	20.4.1974	1984-85	1991-92	(-) 1.19	---	144.20	(-) 2.69	585.60	22.52	3.85	20	--	129
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 1.19**	---	**144.20**	**(-) 2.69**	**585.60**	**22.52**	**3.85**	**20**	**--**	**--**
	विविध														

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	उपलब्ध मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	उद्योग	29.12.1974	1991-92	1999-00	(-) 10.50	---	200.00	(-) 0.95	375.36	0.93	0.25	मई 2004 से परि समापन की प्रक्रिया में	494.35	54
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 10.50**	**---**	**200.00**	**(-) 0.95**	**375.36**	**0.93**	**0.25**	**--**	**494.35**	**54**
	कुल (स)					**(-)2,278.13**	---	**10,084.72**	**(-) 17,110.35**	**11,044.92**	**(-) 888.46**		**586**	**--**	**--**
	कुल योग (अ+ब+स)					**(-) 74,797.24**		**53,663.01**	**(-) 5,16,356.52**	**64,081.13**	**(-) 22,206.69**		**755**	**--**	**--**

टिप्पणी: (1) नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियॉ (पूँजीगत कार्य में प्रगति सहित) जोड़ वित्तीय कम्पनियों एवं निगमों को छोड़कर जहॉ यह प्रदत्त पूँजी, मुक्त संरक्षित बॉण्ड, प्रदत्त एवं उधार (पूनर्वित्त को सम्मिलित कर) के आदि एवं अंतशेषों के औसत का प्रतिनिधित्व करती है।

(2) पटना उच्च न्यायालय द्वारा क्रम संख्या –स.–10, स.–27 एवं स.–34 में निगमों की बंदी के आदेश दिए गए हैं।

परिशिष्ट–3

(कंडिका 1.5 एवं 1.16 में संदर्भित)

वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थ साहाय्य, प्राप्त प्रतिभूतियाँ, बकाए की माफी, ऋण जिस पर मोहलत दी गई एवं वर्ष के दौरान ऋणों का संघारण पूंजी में रूपान्तरण तथा मार्च 2005 के अंत तक प्राप्य अर्थ साहाय्य तथा बकाये प्रतिभूतियों को दर्शाने वाली विवरणी।•

(कॉलम 3 (क) से 7 तक की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में बकाए					वर्ष में बकायों का परित्याग				ऋण जिस पर मोहलत प्रदान की गई	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किए गए ऋण
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	बैंकों से नकद उधार	अन्य स्रोतों से ऋण	बैंक द्वारा खोले गए लेटर ऑफ क्रेडिट	एकरारनामा के अन्तर्गत भुगतान बन्धन	कुल योग	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ब्याज माफ	दाण्डिक ब्याज माफ	कुल योग		
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
अ	**कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ**															
1.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड	--	--	--	--	--	(1,926.63)	--	--	(1,926.63)	--	--	--	--	--	--
2	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	(1,200.00)	--	--	(1,200.00)	--	--	--	--	--	--
	कुल – अ	-		-		--	**(3,126.63)**	---	---	**(3,126.63)**	--	--	--	--	--	--
ब	**कार्यशील सांविधिक निगमें**															
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	-	-	-	-	-	(13,876.51)	-	-	(13,876.51)	--	--	--	--	--	--
2	बिहार राज्य वित्तीय निगम	-	--	-	-	-	(9,752.00)	-	-	(9,752.00)	--	--	--	--	---	--
	कुल – ब	-	--	--	-	-	**(23,628.51)**	-	-	**(23,628.51)**	--	--	--	--	--	--
	सकल योग (अ+ब)		--	-	-	--	**(26,755.14)**	-	-	**(26,755.14)**	--	--	--	--	--	-
स	**अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ**															
1	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड					62.48 (62.48)				62.48 (62.48)	--	--	--	--	--	-
2	**बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.**					145.0 (145.00)				145.00 (145.00)	--	--	--	--	--	-

• आँकड़े कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए सूचनाओं पर आधारित है।

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में बकाए					वर्ष में बकायों का परित्याग				ऋण जिस पर मोहलत प्रदान की गई	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किए गए ऋण
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	बैंकों से नकद उधार	अन्य स्रोतो से ऋण	बैंक द्वारा खोले गए लेटर ऑफ क्रेडिट	एकरारनामा के अन्तर्गत भुगतान बन्धन	कुल योग	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ब्याज माफ	दाण्डिक ब्याज माफ	कुल योग		
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
	कुल – स	-	-	--	-	207.48 (207.48)	-	-	-	207.48 (207.48)		-	-	-	-	-
	सकल योग (अ+ब+स)	-	--	-	-	207.48 (207.48)	(26,755.14)	-	-	207.48 (26,962.62)	--	--	--	--	--	--

परिशिष्ट–4
(कंडिका 1.7 से संदर्भित)
सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि: रुपये करोड़ में)

1. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड			
विवरण	1999-2000→	2000-01	2001-02
(अ) दायित्व			
साधारण पूँजी	--	--	--
सरकार से ऋण	4,938.34	2,011.45	2,201.00
अन्य दीर्घकालीन ऋण (बांड सहित)	241.67	0.45	0.45
आरक्षित एवं अधिशेष (मूल्य ह्रास को छोड़कर)	5738.73	4222.78	5069.83
पूंजीगत दायित्व	1016.73	2667.51	3411.28
कुल (अ)	**11,935.47**	**8902.19**	**10682.56**
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
कुल अचल सम्पत्तियाँ	3,016.33	2016.02	2,101.11
घटे मूल्य ह्रास	1,688.82	1196.54	1,333.86
निवल अचल सम्पत्तियाँ	1,327.51	819.49	767.25
पूँजीगत कार्य प्रगति में	228.92	186.68	238.36
चालू सम्पत्तियाँ	5,462.76	3087.90	3,545.31
निवेश	269.98	205.27	219.86
सरकार से प्राप्त आर्थिक सहाय्य	-	1470.59	2152.69
अप्रयुक्त परिसम्पत्तियाँ	-	3.60	3.60
विविध व्यय	-	-	-
घाटा	4646.30	3128.66	3755.49
कुल – ब	**11935.47**	**8902.19**	**10682.56**
(स) नियोजित पूँजी*	1280.46	(-)128.71	(-)518.91
2. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम			
विवरण	2001-02	2002-03	2003-04
(अ) दायित्व			
पूँजी (पूँजी ऋण एवं अंश पूँजी सहित)	101.27	101.27	101.27
उधार (सरकार)	65.66	77.11	72.41
(अन्य)	2.87	-	-
निधि**	0.30	0.30	0.30
व्यापार बकाया एवं अन्य चालू दायित्व (प्रावधान सहित)	492.08	684.28	723.39
कुल – अ	**662.19**	**862.96**	**904.37**
ब – परिसम्पत्तियाँ			
कुल अचल सम्पत्तियाँ	68.58	74.65	111.37
घटे मूल्य ह्रास	52.18	54.12	59.70

→ अविभाजित बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के आंकडे।

* नियोजित पूँजी निवल अचल सम्पत्तियाँ (पूँजीगत कार्य सहित) एवं कार्यचालन पूँजी के योग को निरूपित करती है। जबकि परिवर्त्तित लागत एवं निवेश की राशि को चालू परिसम्पत्तियों छोड़कर कार्यचालन पूँजी की गणना की गई है।

** मूल्य ह्रास निधि को छोड़कर।

निवल अचल सम्पत्तियाँ	16.40	20.53	51.67
पूँजीगत कार्य (चेसिस लागत सहित) प्रगति में	-	-	-
निवेश	-	-	-
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	90.22	229.59	192.87
संचित हानियाँ	555.56	612.84	659.83
कुल – ब	**662.19**	**862.96**	**904.37**
स – नियोजित पूँजी#	(-) 385.46	(-) 434.16	(-) 478.85

3. बिहार राज्य वित्तीय निगम♦

विवरण	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**
(अ) दायित्त्व			
प्रदत्त पूँजी*	77.88	77.83	77.83
सुरक्षित कोष, अन्य सुरक्षित	10.05	10.05	10.05
उधार	115.31	114.31	223.23
बाण्डस एवं ऋण पत्र	107.62	99.64	87.53
राज्य सरकार द्वारा अन्य भुगतेय	0.14	0.14	0.14
अन्य दायित्व एवं प्रावधान	638.88	682.81	365.12
कुल – अ	**949.88**	**984.78**	**763.90**
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
रोकड़ एवं बैंक शेष	22.19	26.26	15.99
निवेश	0.06	0.06	0.05
ऋण एवं अग्रिम	295.44	289.35	285.23
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	0.79	0.60	0.61
चालू सम्पत्तियाँ	5.28	4.53	5.60
लाभांश हानि खाता	1.01	1.03	1.01
घाटा	625.11	662.95	455.41
कुल – ब	**949.88**	**984.78**	**763.90**
(स) नियोजित पूँजी**	310.86	301.85	398.64

4. बिहार राज्य भण्डारण निगम ♠

विवरण	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**
(अ) दायित्त्व			
प्रदत्त पूँजी	1.37	1.37	1.37
संचित एवं अधिशेष	15.60	13.47	12.76
व्यापारिक बकाये एवं अन्य दायित्त्व (प्रावधान के साथ)	5.41	4.79	7.26
कुल – अ	**22.38**	**19.63**	**21.39**
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
सकल परिसम्पत्तियां	5.55	7.60	7.78
घटे मूल्य ह्रास	2.30	2.56	2.89

नियोजित पूँजी निवल अचल संपत्ति (पूँजीगत कार्य सहित) एवं कार्यचालन पूँजी का योग है।

♦ निगम द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

* प्रदत्त पूंजी में अंश आवेदन पूंजी सम्मिलित है।

** नियोजित पूँजी प्रदत्त पूंजी, रिजर्व (उन रिजर्वो को छोड़कर जो कि बाहरी निवेश से समर्थित है), बांड, उधार एवं जमा (पुनर्वित सहित) वर्ष शुरूआती एवं अंतिम आंकड़ों के योग का माध्य है।

♠ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

निवल अचल सम्पत्तियाँ	3.25	5.04	4.89
पूँजीगत कार्य प्रगति में	1.02	1.25	1.51
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	18.11	13.34	14.99
लाभ एवं हानि लेखा			
कुल – ब	**22.38**	**19.93**	**21.39**
3. नियोजित पूँजी [π]	16.97	14.84	14.13

π नियोजित पूँजी निवल अंचल सम्पत्तियाँ (पूँजीगत कार्य सहित) एवे कार्यचालन पूँजी के योग को निरूपित करती है।

परिशिष्ट–5
(कंडिका 1.7 से संदर्भित)
सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम की विवरणी

(राशि: रुपये करोड़ में)

1.	**बिहार राज्य विद्युत बोर्ड▲**			
क्रम सं.	विवरण	**1999-00**	**2000-01**	**2001-02↑**
1	(अ) राजस्व प्राप्तियाँ	2,286.17	2,742.65	1,336.80
	(ब) सरकार से साहाय्य	629.00	834.30	682.10
	कुल	**2915.17**	**3576.95**	**2,018.90**
2	राजस्व व्यय (शुद्ध पूंजीगत व्यय), अमूर्त्त परिसम्पत्तियों का अपलेखन सहित परन्तु मूल्य ह्रास एवं ब्याज को छोड़कर	2,799.99	3,366.99	1,644.90
3	वर्ष का कुल बचत (–) घाटा (1–2)	115.18	209.96	374.00
4	पिछले वर्ष से सम्बन्धित समायोजन	(-) 226.29	(-) 2643.80	(-) 420.00
5	वर्ष का अन्तिम बचत/(–) घाटा (3+4)	(-) 111.11	(-) 2433.84	(-) 46.00
6	विनियोजन			
(क)	मूल्य ह्रास	184.73	196.01	135.62
(ख)	पूँजीगत ऋण पर ब्याज	522.24	625.04	371.76
(ग)	अन्य ऋण, बाण्ड, अग्रिम आदि पर ब्याज	196.96	305.29	96.09
(घ)	ऋण एवं वित्तीय भरों पर कुल ब्याज (ख+ग)	719.20	930.33	467.85
(ङ)	पूंजीकृत ब्याज घटाएँ	23.00	21.45	22.63
(च)	राजस्व में भारित शुद्ध ब्याज (घ–ङ)	696.20	908.88	445.22
(छ)	कुल विनियोजन (क+च)	880.93	1,104.89	580.84
7	राज्य सरकार से प्राप्त सहायता के लेखाकरनण से पूर्व बचत(+)/घाटा (–) (5'6(छ)–1(ख))	(-) 1621.04	(-) 494.65	(-) 1308.94
8	शुद्ध बचत/(–)घाटा 5–6(छ)	(-) 992.04	(-) 3,538.73	(-) 626.84
9	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल*	(-) 295.84	(-) 2,629.85	(-) 181.62
10	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	--	--	--
2.	**बिहार राज्य पथ परिवहन निगम►**			
	विवरण	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**
	प्रचालन			
(क)	राजस्व	18.94	21.01	55.98
(ख)	व्यय	50.14	54,98	81.26
(ग)	बचत(+)/घाटा(–)	(-) 31.30	(-) 33.96	(-) 25.28
	अप्रचालन			
(क)	राजस्व	7.75	4.45	8.36
(ख)	व्यय	27.40	27.77	30.07
(ग)	बचत(+)/घाटा(–)	(-) 19.65	(-) 23.32	(-) 21.71
	राजस्व	26.69	25.46	64.34
	व्यय	77.54	82.74	111.33
	बचत(+)/घाटा(–)	(-) 50.85	(-) 57.28	(-) 46.99

▲ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

↑ विभाजित विद्युत बोर्ड के आंकड़े।

* नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल निवल बचत/घाटा तथा लाभ एवं हानि लेखे पर प्रभारित कुल ब्याज (पूंजीकृत ब्याज को छौड़कर) का द्योतक हैं

► निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

	पूंजी एवं ऋण पर ब्याज	27.39	27.77	30.07
	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	(-) 23.46	(-) 29.51	(-) 16.92
3.	**बिहार राज्य वित्तीय निगम▼**			
	विवरण	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**
1	आय			
i)	ऋण पर ब्याज	11.17	12.28	7.24
ii)	अन्य आय	0.91	0.96	0.92
	कुल – 1	**12.08**	**13.24**	**8.16**
2.	**व्यय***			
i)	(अ) दीर्घकालीन ऋण एवं अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज	47.50	44.51	7.51
	(ब) अक्रियाशील कम्पनियों के लिए प्रावधान	--	--	0.12
	(स) अन्य व्यय	7.51	7.02	6.92
	कुल – 2	**55.01**	**51.53**	**14.55**
3.	कर के पूर्व लाभ (+)/हानि(–) (1–2)	(-) 42.93	(-) 38.29	(-) 6.39
4.	कर का प्रावधान	---	-	
5.	अन्य विनियोजन	---	-	
6.	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि#	---	-	
7.	लाभांश	---	-	
8.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	(-) 4.57	6.22	1.12
9.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	1.47	2.06	0.28
4.	**बिहार राज्य भण्डार निगम◄**			
	विवरण	**2000-01**	**2001-02**	**2002-03**
1.	आय			
(अ)	भण्डारण प्रभार	4.47	4.28	4.55
(ब)	अन्य आय	6.34	7.74	13.96
	योग – 1	**10.81**	**12.02**	**18.51**
2.	**व्यय**			
(अ)	स्थापना प्रभार	2.80	3.07	3.32
(ब)	अन्य आय	6.02	8.82	14.69
	योग–2	**8.82**	**11.89**	**18.02**
3	कर के पूर्व लाभ(+)/हानि(–)	1.98	0.13	0.49
4.	पूर्वावधि समायोजन	0.25	0.34	0.54
5.	अन्य विनियोजन	1.00	--	--
6.	लाभांश के लिये उपलब्ध राशि	0.73	--	--
7.	वर्ष के लिए लाभांश	--	--	--
8.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	1.98	0.13	0.49
9.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	8.68	0.87	3.47

▼ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

* वर्ष के अक्रियाशील सम्पत्तियों के लिये प्रावधान को व्यय शीर्ष के अन्तर्गत अलग से दिखाया जाय।

\# उपलब्ध लाभांश चालू वर्ष के लाभ से विशेष संरक्षित के समयोजन के पश्चात् है।

◄ निगम द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

परिशिष्ट–6
(कंडिका 1.12 में संदर्भित)
सांविधिक निगमों के प्रचालन निष्पादन को दर्शानेवाली विवरण

1. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड◊

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05♠
प्रतिष्ठापित क्षमता			
(क) थर्मल	540	540	540
(ख) हाइड्रो	19.2	19.2	--
(ग) गैस	--	--	--
(घ) अन्य	--	--	--
योग	559.2	559.2	540
सामान्य अधिकतम मांग			
	(एम. के. डब्लू. एच.)		
उत्पादित उर्जा			
(क) थर्मल	535.094	356.647	153.491
(ख) हाइड्रो	8.430	4.265	--
(ग) गैस	--	--	-
(घ) अन्य	--	--	-
योग	543.524	356.647	153.491
घटाव : अनुषांगिक खपत			
(क) थर्मल (प्रतिशतता)	81.879 (15.30)	60.03 (17.50)	30.792 (20.06)
(ख) हाइड्रो (प्रतिशतता)	1.074 (12.74)	0.58 (13.60)	--
(ग) गैस (प्रतिशतता)	--	--	--
(घ) अन्य (प्रतिशतता)	--	--	--
योग (प्रतिशतता)	82.953 (15.26)	60.61 (16.95)	30.792 (20.06)
उत्पादित ऊर्जा	461.65	296.03	122.69
क्रय की गई ऊर्जा	5,681.84	5,546.22	6,147.47
बिक्री हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा	6,143.49	5,842.25	6,270.17
बिक्री की गई ऊर्जा (म्यू.)	3,640.00	3,682.82	अप्राप्त
संचरण एवं वितरण हानि	2,503.49	2,459.43	अप्राप्त
प्लान्ट लोड फैक्टर (प्रतिशतता)	14.20	9.33	4.07
बिक्री हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा से संचरण एवं वितरण हानि की प्रतिशतता	40.75	36.96	अप्राप्त
विद्युन्मय गांवो/शहरों की संख्या	1233	1414	823
उर्जान्वित किए पम्प–सेटो एवं कुओं की संख्या	1074	1314	728
सब–स्टेशनों की संख्या 220 एवं 132/83 कि. वो.	4+43	4+44	5+44
संचरण/विरतण लाईन (कि.मी. में)		4,691.73	4,691.73
(क) उच्च/मध्य वोल्टेज (220 कि. वो.)	957.02	957.02	957.02
(ख) निम्न वोल्टेज (132 कि. वो.)	3,648.71	3,648.71	3,648.71
समबद्ध भार (एम वी ए में)	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)	21.02	19.47	अप्राप्त
कर्मचारियों की संख्या	19446	17072	16658

◊ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

♠ विभाजित विद्युत बोर्ड के आंकड़ो अनुसार।

उपभोक्ता/कर्मचारी अनुपात	1:108, 1:104		अप्राप्त
वर्ष के दौरान कर्मचारी पर कुल व्यय (रुपये करोड़ में)	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
कुल राजस्व व्यय में कर्मचारी पर व्यय की प्रतिशतता	--	--	--
बिक्री की गई इकाईयाँ	(एम के डब्लू एच)		
(अ) कृषि	939.21	946.98	--
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अश का प्रतिशत	25.80	25.71	--
(ब) औद्योगिक	762.60	694.13	--
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अंश का प्रतिशत	20.95	18.85	--
(स) वाणिज्यिक	272.22	281.50	--
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अंश का प्रतिशत	7.48	7.64	--
(द) घरेलू	1106.20	1144.70	--
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अंश का प्रतिशत	30.39	31.08	--
(च) अन्य	559.77	615.51	--
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अंश का प्रतिशत	15.38	16.71	--
कुल	**3640.00**	**3682.82**	**--**
विवरण	(के डब्लू एच प्रति पैसे)		
(अ) राजस्व (सरकार से अर्थ सहाय्य को छोडकर) (रूपये करोड़ में)	1315.05	--	--
(ब) व्यय (रूपये करोड़ में)	1534.79	--	--
(स) लाभ (+)/हानि(–) (रूपये करोड़ में)	712.11	--	--
(द) सरकार से अर्थ सहाय्य का औसतन दावा (रुपये में)	34.81	--	--
(च) मांगी गई औसतन ब्याज (रुपये में)	527.17	—	--

- राजस्व व्यय में मूल्य ह्रास को सम्मिलित किया गया लेकिन लम्बी अवधि के ऋणों पर ब्याज को छोड़ दिया गया।

2. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम°

विवरण	2001-02	2002-03	2003-04
धारित वाहनों की औसत संख्या	1,540	873	362
चालू वाहनों की औसत संख्या	178	158	284
उपयोग में लाई गई वाहनों की प्रतिशतता	12	18	78
कर्मचारियों की संख्या	5,978	5,300	4,962
कर्मचारी/वाहन अनुपात	1:34	1:27	1:17
वर्ष के अन्त तक प्रचालित मार्गों की संख्या	143	145	255
मार्ग किलोमीटर	31,431	3,1659	55,220
प्रचालित किलोमीटर (लाख में)			
(क) सकल	156.46	148.82	250.50
(ख) प्रभावी	152.54	144.49	246.19
(ग) डेड	3.92	4.33	4.31
सकल कि. मी. से डेड कि. मी. की प्रतिशतता	2.51	2.91	1.72
प्रति बस प्रतिदिन तय की गई औसत किलोमीटर	236.00	251.00	238.00
प्रति कि. मी. संचालित औसत राजस्व (पैसे)	1173	1411	2234
पिछले वर्ष की संचालन राजस्व में वृद्धि(+)/कमी(–)(%)	0.33	(+) 12.02	(+) 58.37
प्रति किलोमीटर लाभ (+)/हानि (–) पैसे	3237	3694	3244
पिछले वर्ष के व्यय पर संचालन व्यय में वृद्धि (+)/कमी (–) (%)	(-) 13.49	(+) 11.23	(-) 12.18
प्रति किलोमीटर लाभ(+)/हानि(–) (पैसे)	(-) 3,385.00	(-) 3848.00	(-) 1815.00
संचालित डिपो की संख्या	32	32	32
प्रति लाख कि. मी. पर ब्रेक डाउन की औसत संख्या	1.39	0.12	0.78
प्रति लाख कि.मी. पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.09	0.08	0.02
प्रचालित यात्री कि.मी. (करोड़ में)	1.53	56.78	71.05
ओकुपेन्सी अनुपात (प्रतिशत में)	66	62	57
प्रति लिटर प्राप्त कि. मी.			
(क) डीजल	4.04	3.99	4.07
(ख) इंजन ऑयल	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

° निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार। 2004–05 के लिये आकड़े उपलब्ध नहीं करवाये गये।

3. बिहार राज्य भण्डारण निगम•

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05
शामिल केन्द्रों की संख्या	46	46	46
वर्ष के अंत तक सृजित किया गया भण्डारण क्षमता (लाख टन में)	1.01	1.01	--
निजी गोदाम	12.12	12.19	12.60
किराये का गोदाम	15.92	15.03	13.26
योग	28.04	27.22	25.86
वर्ष के दौरान उपयोग किये गये क्षमता का औसत (लाख टन में)	22.42	21.77	20.28
उपयोग का प्रतिशतता	80	80	78
(क) प्रतिवर्ष प्रति मैट्रिक टन औसत राजस्व (रुपये)	493	736	अप्राप्त
(ख) प्रतिवर्ष प्रति मैट्रिक टन औसत व्यय (रुपये)	51.42	अप्राप्त	अप्राप्त

4. बिहार राज्य वित्तीय निगम ▫

(लाख रुपये में)

विवरण	2001-02		2002-03		2003-04 (प्रावधानित)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में लंबित आवेदन	--	--	--	--	--	--
प्राप्त आवेदन पत्र	--	--	--	--	--	--
कुल	--	--	--	--	--	--
स्वीकृत आवेदन पत्र	--	--	--	--	--	--
रद्द/वापस लिये गये/अस्वीकृत आवदेन पत्र	--	--	--	--	--	--
वर्ष के अंत तक लंबित आवेदन पत्र	--	--	--	--	--	--
वर्ष के दौरान संवितरित ऋण	2	4.34	1	1.57	--	--
वर्ष के अन्त तक बकाया ऋण	6,307	1,83,518.05	6,256	2,10,194.00	6,185	2,38,941.14
वर्ष के अंत में अतिदेय ऋण	--	--	--	--	--	--
(अ) मूलधन	6,307	26,560.74	6,256	26,532.24	6,185	26,429.94
(ब) ब्याज	6,307	1,55,761.15	6,256	1,82,969.20	6,185	2,12,205.53
योग	**6,307**	**1,82,321.89**		**2,09,501.44**	**6,185**	**2,38,635.47**
सर्टिफिकेट केसों में अदायगी की निहित राशि	--	--	--	--	--	--
कुल बकाया ऋण पर अतिदेय राशि की प्रतिशतता	--	99.34	--	99.67	--	99.87

• निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

▫ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार। 2004–05 वर्ष के लिये आंकड़े उपलब्ध नहीं करवाये गये।

परिशिष्ट–7
(कंडिका 1.21 में संदर्भित)
बंद की जाने वाली बिहार की सरकारी कम्पनियों के नाम

क्रम सं.	कम्पनियों के नाम	प्रदत्त पूंजी	बिहार सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम एवं ऋण
1	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लिमिटेड	1000.00	1242.55
2	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	999.98	115.78
3	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1577.88	422.01
4	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	718.48	1040.00
5	बिहार राज्य चीनी निगम निगम लिमिटेड	2000.00	31406.27
6	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	763.52	1259.99
7	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	537.00	223.66
8	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	210.37	41.80
9	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	229.08	0.00
10	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	144.20	0.00
11	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	100.00	14.50
12	बिहार राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड	566.91	593.48
13	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1404.00	6702.00
14	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	700.00	105.10
15	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	10.00	42.90
16	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	350.00	0.00
17	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	200.00	121.77
	योग	**11511.42**	**43331.81**

बिहार की सरकारी निगमों जिन्होंने परिसमापन के लिए पटना उच्च न्यायालय में अर्जी दायर किया

क्रम संख्या	कम्पनियों के नाम
1.	बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम लिमिटेड
2.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड
3.	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड
4.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड
5.	बिहार राज्य चीनी निगम निगम लिमिटेड
6.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड
7.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड
8.	बिहार फिनिस्ड लेदर लिमिटेड
9.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड
10.	बिहार राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड
11.	बिहार पेपर मिल लिमिटेड*.
12.	बेलट्रान विडियो सिस्टम लिमिटेड
13.	बेलट्रान माईनिंग सिस्टम लिमिटेड
14.	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड
15.	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड

* पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निगम का परिसमापन किया जाना है।

परिशिष्ट –8
(कंडिका 1.23 से संदर्भित)
कम्पनियों, जिनके परिसंपत्तियों, दायित्वों और प्रबंधन के बंटवारे के संदर्भ में निर्णय लिया गया है, को दर्शाने वाली विवरणी।

क्रम सं.	कम्पनियों/निगमों के नाम	अस्तियों, दायित्वों और प्रबंधन के बटवारे का आधार	निर्णय का कार्यान्वय
1	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	78:22	निर्णय कार्यान्वित
2	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	बटवारे से पहले के नौ वर्षो में निगम के बिहार तथा झारखण्ड के कार्यक्षेत्र में हुए लाभ के आधार पर बटवारा	निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।
3	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	संबंधित क्षेत्र में अप्राप्त ऋणों के आधार पर बटवारा	निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।
4	बिहार राज्य भंडार निगम	98:2	निर्णय कार्यान्वित
5	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1) अंश, अस्तिया एवं दायित्वो (होटल अशोक, रांची को लेकर) का 3:1 अनुपात में बटवारा 2) अचल संपत्तियों का "जहाँ है वाहाँ है" के आधार पर	निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।
6	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	संबंधित क्षेत्रो में अप्राप्त ऋणों के आधार पर बटवारा	निर्णय अप्राप्त
7	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	संबंधित क्षेत्र में अप्राप्त ऋणों के आधार पर पर बटवारा	निर्णय अप्राप्त
8	बिहार राज्य जल विद्युत पावर निगम लिमिटेड	दोनो राज्यों में विद्यमान अस्तियों के आधार पर बटवारा 69:31 अनुपात में	निर्णय कार्यान्वित
9	बिहार राज्य टेक्स्ट–बुक प्रकाशन निगम लिमिटेड	जनसंख्या के आधार पर बटवारा	निर्णय कार्यान्वित
10	बिहार राज्य वित्तीय निगम	संबंधित क्षेत्र के अप्राप्त ऋणों के आधार पर बटवारा 69:31 अनुपात में	निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।
11	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	इसके बटवारे के संबंध में दोनो सरकारो के बीच कोई सहमति नहीं हो पाई	निर्णय अप्राप्त
12	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	3:1	निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।

परिशिष्ट–9

(कंडिका 1.28 से संदर्भित)

कम्पनियों के आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रेक्षण

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	लेखा के वर्ष	संप्रेक्षण
1	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि.	1996-97 से 2001-02	आन्तरिक अंकेक्षण कार्य सनदी लेखाकारों की एक फर्म को दिया गया। आन्तरिक अंकेक्षणों द्वारा प्रमाणित लेखे निदेशक बोर्ड द्वारा अंगीकृत लेखों से भिन्न थे।
2	बिहार राज्य टेक्स्ट–बुक प्रकाशन निगम लि.	1995-96	निगम ने आन्तरिक अंकेक्षण कार्य करने के लिए सनदी लेखाकारी की एक फर्म को नियुक्त किया है। आन्तरिक अंकेक्षणों द्वारा प्रमाणित लेखे निर्देशक बोर्ड द्वारा अंगीभूत लेखों से भिन्न थे।
3	बिहार राज्य इलेक्ट्रौनिक्स विकास निगम लिमिटेड	1993-94 एवं 1994-95	निगम की आंतरिक अंकेक्षण पद्धति को उसके कार्यकलापों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप मजबूत करने की आवश्यकता है।
4	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1993-94 एवं 1994-95	निगम में स्टोर्स की खरीद, कच्चा माल पूर्जों सहित लिनेन, क्रौकरी, उपस्कर एवं अन्य समरूप सम्पत्तियों से संबंधित आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया अपर्याप्त है।
5	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2000-01	निगम की आन्तरिक अंकेक्षण पद्धति उसके कार्यकलापों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं है एवं उसमें मजबूती अपेक्षित है जिसके लिए विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों की आवश्यकता हैं जिसका पालन आन्तरिक लेखापरीक्षक करेंगें।
6	बिहार राज्य बीज निगम	1994-95	यद्यपि निगम में आन्तरिक अंकेक्षण स्कंध है परन्तु वह अकार्यशील है। इस स्कंध के कर्मचारियों को अन्य कार्य दिए गए हैं। कई वर्षों की समाप्ती के बाद आन्तरिक अंकेक्षण का कार्य सनदी लेखाकारों की एक फर्म को दिया गया। इस तरह की प्रक्रिया आन्तरिक अंकेक्षण की मूल भावना को पूर्ण नहीं करती।
7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि.	1992-93एवं 1993-94	निगम की कोई आंतरिक अंकेक्षण पद्धति नहीं है।
8	बिहार राज्य निर्माण निगम लि.	1986-87	निगम की एक आन्तरिक अंकेक्षण पद्धति है, जो कि हमारे विचार से, उसके कार्यकालापों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं है एवं इसको मजबूत करना चाहिए जिससे वह निगम के सभी कार्यकलापो देख सके।

परिशिष्ट–10

(कंडिका 1.30 में संदर्भित)

अद्यतन अन्तिमीकरण किये हुए लेखाओं के अनुसार 619 (ब) कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणाम को दर्शानेवाली विवरणी

(कॉलम 5 से 19 की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	स्थिति (कार्यशील /अकार्य शील)	लेखा वर्ष	प्रदत्त पूंजी	इक्विटी द्वारा			ऋण द्वारा			अनुदान द्वारा			इक्विटी ऋण एवं अनुदान के रूप में कुल निवेश			लाभ (+)/ हानि (–)	संचित लाभ(+) / हानि (–)
					राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	बिहार एयर प्रोडक्टस लि.	कार्यशील	1997-98	79.99	-	79.99	-	-	19.70	85.85	-	-	-	-	79.99	105.55	15.53	(-) 29.81
2	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. लि.	कार्यशील	1993-94	5.00	-	05.00			72.49	-	-	-	-	-	--		(-) 22.75	(-) 133.62
3	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. खगौल लि.	अकार्यशील	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. डेहरी लि.	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ	-	-	-	-	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	--
5	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. आरा लि.	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	स्थिति (कार्यशील /अकार्य शील)	लेखा वर्ष	प्रदत्त पूंजी	इक्विटी द्वारा			ऋण द्वारा			अनुदान द्वारा			इक्विटी ऋण एवं अनुदान के रूप में कुल निवेश			लाभ (+)/ हानि (–)	संचित लाभ(+) / हानि (–)
					राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ		
6	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. औरंगाबाद लि.	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	स्काडा एग्रो बिजनेस लि. मोहनियाँ	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ	-	-													
8	स्काडा एग्रो फॉरेस्ट्री कं. खगौल	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ	-	-													

परिशिष्ट–11

(कंडिका संख्या 2.7.2 से संदर्भित)

बिहार पुलिय भवन निमार्ण निगम लिमिटेड की प्राप्त निधि की स्थिति और नगद शेष को दर्शाती विवरणी

(राशिः लाख रूपये में)

वर्ष	निर्माण निधि उपलब्ध	नगद शेष			
		सावधी जमा	व्यक्तिगत खाता में चालू/बचत बैंक/जमा	नगद	योग
1998-99 (अन्तिम शेष)	4,128.39				
1999-2000	5,213.44	6,198.39	2,057.30	3.43	8,259.12
2000-2001	9.93	4,525.39	1,634.33	2.86	6,162.58
2001-2002	0.26	2,883.20	1,884.86	2.83	4,770.89
2002-2003	7,090.00	226.73	6,997.56	0.99	7,225.28
2003-2004	-	35.58	5,682.61	2.35	5,720.54

परिशिष्ट –12

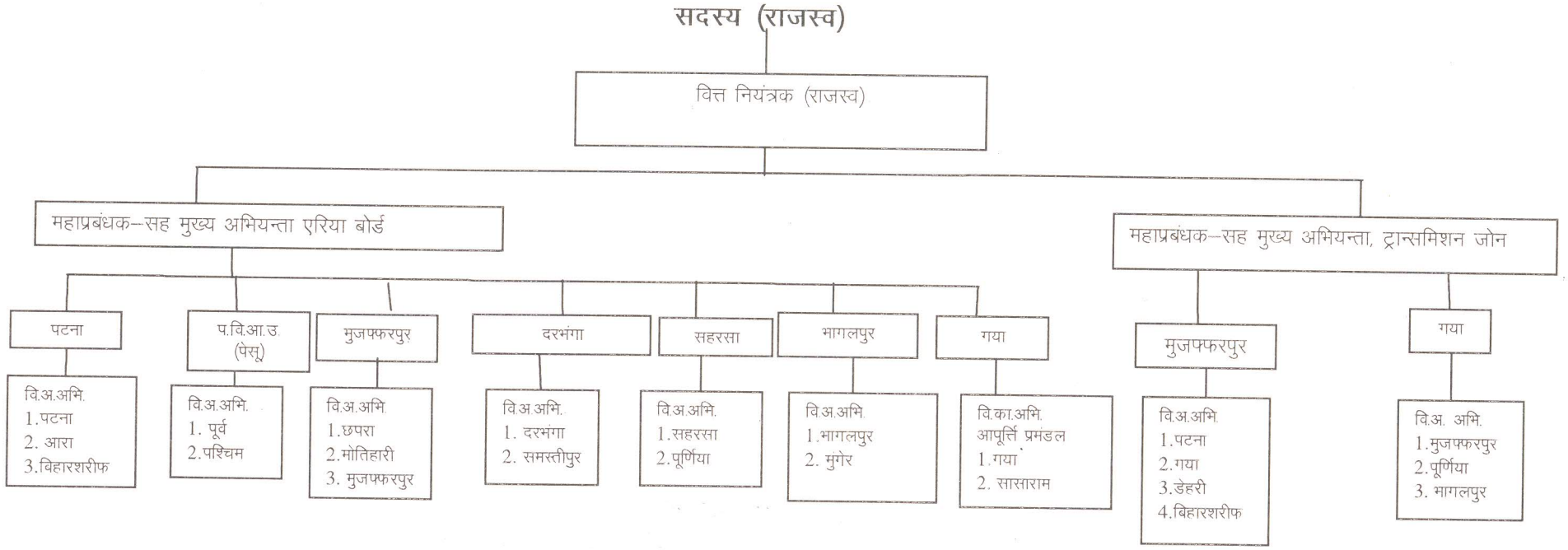
(कंडिका संख्या 2.7.4 से संदर्भित)

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति

(राशिः लाख रूपये में)

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
			अन्तिम	
निधि का स्रोत				
अंशधारी का निधि (अ)	10.00	10.00	10.00	10.00
सुरक्षित ऋण	42.90	42.90	42.90	42.90
(बिहार सरकार से) (ब)	52.90	52.90	52.90	52.90
कुल (अ) + (ब)				
निधि का उपयोग				
स्थिर सम्पत्ति, निवल सम्पत्ति	60.61	62.91	20.92	19.02
घटेः ह्रास	37.76	41.82	3.19	2.62
(स)	22.85	21.09	17.73	16.40
निवल चालू सम्पत्ति				
चालू सम्पत्ति	17,714.45	18,072.88	25,465.04	25,609.05
घटेः चाले दायित्व	18,168.37	18,409.63	25,722.19	26,035.36
(द)	(-) 453.92	(-) 336.75	(-) 257.15	(-) 426.31
संचित हानियाँ (इ)	483.97	368.56	292.32	462.81
(स) + (द) + (इ)	52.90	52.90	52.90	52.90
नियोजित पूँजी	(-) 473.97	(-) 358.56	(-) 282.32	(-) 452.81

परिशिष्ट –13
कंडिका संख्या 3.1.1 से संदर्भित
बि.रा.वि. बोर्ड का संगठनात्मक ढ़ाँचा



परिशिष्ट–14

(कंडिका 3.1.12 में सन्दर्भित)

31 मार्च 2004 को राज्य सरकार के उपक्रमों के विरूद्ध लम्बित बकायों को दर्शानेवाली विवरणी

(राशिः रूपये लाख में)

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	राशि
1.	बिहार राज्य आवास बोर्ड	887.29
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	330.03
3.	बिहार राज्य जल–विद्युत निगम लिमिटेड	84.62
4.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	234.13
5.	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	42.65
6.	बिहार राज्य जल पथ निगम	46.59
7.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	71.76
8.	बिहार राज्य खादय एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	3.28
9.	बिहार राज्य कृषि विप्रणन परिषद	48.33
10.	स्काडा	28.07
11.	बिहार राज्य चर्म उधोग निगम लिमिटेड	8.96
12.	बिस्कोमान	48.20
13.	नागरिक उड्यन प्राधिकरण	4.17
14.	बिहार राज्य खादी बोर्ड	4.86
15.	बिहार लोक सेवा आयोग	0.10
16.	गेट पब्लिक लाईब्रेरी	0.29
17.	औद्योगिक विकास प्राधिकरण	5.00
18.	बिहार राज्य हस्तकरण एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1.57
	योग	**11,849.90**

परिशिष्ट–15

(कंडिका 3.1.13 में सन्दर्भित)

लम्बित बकायों के अतिश्योक्त अंको को दर्शानेवाली विवरणी

(राशि: लाख रूपये में)

क्रम संख्या	आपूर्ति अंचल का नाम	उपभोक्ता का नाम / संख्या	बकाये की राशि	स्फीत राशि	अभ्युक्तियाँ
1.	सहरसा	मे. विशाल रोलिंग मिल प्राईवेट लिमिटेड पटुआहा–पी.टी.ए.–1	138.91 (5 / 02)	102.44	विधुत संयोजन विच्छेदित (27.10. 99) किन्तु 5 / 02 तक विपत्रित
2.	मोतिहारी	मे. प्रभा इलक्ट्रोकास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड रक्सौल, एच.टी.एस.एस.–2	218.58 (5 / 01)	182.16	विधुत संयोजन विच्छेदित (5 / 01) और सूचना अवधि के लिए विपत्र (5 / 02) तथा गलत नीलामवाद का मुकदमा दायर (1 / 03)
3.	पटना	मे. जे.एम.डी. एलायज लिमिटेड बिहटा–ए. पी.–1,645	8,848.18 (3 / 05)	8,756.42	लोड निर्धारण में भूल के कारण
	योग		**9,205.67**	**9,041.02**	

परिशिष्ट–16

(कंडिका 3.1.17 में सन्दर्भित)

विच्छेदित उच्च विभव उपभोक्ताओं के विरूद्ध लम्बित बकायों को दर्शानेवाली विवरणी

क्रम संख्या	आपूर्ति अंचल का नाम	दायर नीलामवाद मामला (1)		अभी मुकदमा दायर नहीं किया गया (मार्च 2005) (2)		कालातीत हो चुके दावे						कुल योग (6)=(1)+(2)+(5)	
						तीन वर्षो के बाद मुकदमा दायर किया गया (3)		मुकदमा दायर ही नहीं किया गया (4)		योग (5)=(3)+(4)			
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	पटना	17	31,18,49,638	शून्य	शून्य	2	9,50,783	3	49,37,115	5	58,87,898	22	31,77,37,536
2.	आरा	4	5,69,57,128	2	65,71,057	2	40,65,658	शून्य	शून्य	2	40,65,658	8	6,75,93,843
3.	नालन्दा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	13	1,82,56,473	13	1,82,56,473	13	1,82,56,473
4.	सासाराम	7	9,98,68,390	3	37,03,05,899	2	95,11,430	3	22,67,884	5	1,17,79,314	15	48,19,53,603
5.	गया	9	8,64,34,907	शून्य	शून्य	5	101,08,513	9	93,54,705	14	19,46,63,218	23	10,58,98,125
6.	छपरा	12	2,51,75,250	2	26,92,970	1	31,28,798	2	28,79,541	3	60,08,339	17	3,38,76,559
7.	मोतिहारी	16	4,39,57,617	3	27,13,559	3	90,69,968	4	6,30,166	7	97,00,134	26	5,63,71,310
8.	मुजफ्फरपूर	23	35,28,27,682	3	25,89,930	9	1,53,43,170	10	74,62,111	19	2,28,05,281	45	37,82,22,893
9.	समस्तीपूर	17	4,41,19,541	2	1,12,88,108	शून्य	शून्य	7	1,39,31,780	7	1,39,31,780	26	6,93,39,429
10.	दरभंगा	7	2,68,50,835	शून्य	शून्य	2	59,20,968	8	18,45,66,005	10	19,04,86,973	17	21,73,37,808
11.	पेसू पूरब	3	18,14,555	3	8,09,37,726	शून्य	शून्य	21	7,17,20,939	21	7,17,20,939	27	15,44,73,220
12.	पेसू–पश्चिम	12	18,22,59,389	5	51,25,663	1	45,48,035	1	20,58,832	2	66,06,867	19	19,39,91,919
13.	मुंगेर	2	16,70,863	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	1,65,329	1	1,65,329	3	18,36,192
14.	भागलपूर	8	4,90,65,971	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	8	4,90,65,971
15.	पूर्णियाँ	21	10,19,64,655	2	75,72,697	8	84,94,589	4	9,10,255	12	94,04,844	35	11,89,42,196
16.	सहरसा	1	1,38,90,554	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	1,38,90,554
	योग	**159**	**1,39,87,06,975**	**25**	**48,97,97,609**	**35**	**7,11,41,912**	**86**	**31,91,41,135**	**121**	**39,02,83,047**	**305**	**2,27,87,87,631**

परिशिष्ट–17

(कंडिका संख्या 3.1.18 में सन्दर्भित)

न्यायालय के आदेश पर स्थगित रखी गई बकायों को दर्शानेवाली विवरणी

क्रम संख्या	आपूर्ति अंचल का नाम	उपभोक्ताओं का नाम/संख्या	राशि	अभ्युक्तियाँ
1.	मुजफ्फरपुर	मे. गणेश फउन्ड्री एन्ड कास्टिंग एच.टी.–11	9,44,40,478	केस नं0 मिस/8/99
2.	मुजफ्फरपुर	मे. महुआ को ऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज एच.टी.–9	6,07,750	सी.डब्लू.जे.सी./2962/216
3.	मुजफ्फरपुर	मे. लुम्बिनी वभिरेज, हाजीपुर एच.टी.–25	28,95,100	बोर्ड का पत्रांक 872, दिनांक 23.3.2001
4.	मुजफ्फरपुर	मे. शक्ति ट्यूब्स, हाजीपुर एच.टी.–04	3,22,224	अनुबंध मांग मे विवाद
5.	पूर्णियाँ	मे. वॉनके. स्अील पी–260	3,05,58,530	एल.पी.ए./77/2000
6.	पेसू (पश्चिम)	मे. गंगोत्री इलेक्ट्रो कास्टिंग 196861 एच.टी.	24,56,228	सी.डब्लू.जे.सी./9080/03
7.	पेसू (पश्चिम)	मे. भोला राम स्टील–223706 एच.टी.	11,90,496	सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 923/2000
8.	समस्तीपुर	मे. केशव शीत गृह प्रा. लिमिटेड	1,93,808	2001–02 से
9.	समस्तीपुर	मे. जय माती दी मेटल प्रा. लिमिटेड	1,49,249	सी.डब्लू.जे.सी. 11001/2000
	योग		**13,28,13,863**	

परिशिष्ट–18

(कंडिका संख्या 3.1.18 में सन्दर्भित)

बिहार राज्य विधुत बोर्ड के अधिकारियों के आदेश पर स्थगित रखे गये बकाये को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	आपूर्ति अंचल का नाम	उपभोक्ता का नाम/संख्या	आस्थगन में रखी गई राशि	अभ्युक्तियाँ
1.	समस्तीपुर	मे. विनसम इन्टरनेशनल	51,72,464 19,47,460	विशेष कार्यपदाधिकारी (राजस्व), बिहार राज्य विधुत बोर्ड का पत्र संख्या 2649 दिनांक 19.12.2003 और 839 दिनांक 22.2.2004 द्वारा
2.	मुजफ्फरपुर	मे. भारत वैगन एन्ड इन्जिनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड– 189/52 एच. टी.	65,89,503	अवधि ज्ञात नहीं
3.	मुजफ्फरपुर	मे. के.भी.आई.सी, हाजीपूर एच.टी. 34	16,76,971	
4.	मुजफ्फरपुर	अवर प्रमंडल पदाधिकारी (फोन्स) सीतामढ़ी– एच.टी. 4/7	1,11,632	
5.	पेसू (पश्चिम)	मे. जगदम्बा इसपात–238708 एच.टी.	19,34,112	
6.	पेसू (पश्चिम)	मे. होटल सत्कार–14024–एच.टी.	4,14,420	
7.	पूर्णियाँ	मे. पूजा एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड– पी.–102	8,99,209	2002–03
	योग		**1,87,45,771**	

परिशिष्ट–19

(कंडिका संख्या 3.1.19 मे सन्दर्भित)

औद्योगिक नीति के अन्तर्गत, औद्योगिक उपभोक्ताओं को दी गई छूट का दावा राज्य सरकार से नहीं करने के कारण हुई क्षति को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम एवं उपभोक्ता संख्या	अनुबध मांग	कनेक्शन की तिथि	वर्ष	राशि	अभ्युक्तियाँ
	पटना आपूर्ति अंचल					
1.	मे. गोल्डेन पोलीमेक्स प्रा. लिमिटेड	350 के.भी.ए.	19.4.96	1996–97	6,17,413	छूट स्वीकृत
				1997–98	5,35,157	छूट स्वीकृत
				1998–99	7,52,534	छूट स्वीकृत
				1999–2000	3,56,627	छूट स्वीकृत
2.	मे. बाहुली सीमेन्ट लिमिटेड	165 के.भी.ए.	2.5.95	1996–97	33,600	छूट स्वीकृत
				1997–98	2,09,759	छूट स्वीकृत
				1998–99	1,68,501	छूट स्वीकृत
				1999–2000	4,27,423	छूट स्वीकृत
3.	मे. निर्माण रीरोलर प्रा. लिमिटेड	350 के.भी.ए.	18.4.98	1998–99	13,60,799	छूट स्वीकृत
				1999–2000	10,28,894	छूट स्वीकृत
				2000–01	7,22,598	छूट स्वीकृत
				2001–02	7,83,916	छूट स्वीकृत
4.	मे. कम्पास पोलीमैक्स (ई.) प्रा. लिमिटेड	150 के.भी.ए.	16.9.98	1998–99	2,36,429	छूट स्वीकृत
				1999–2000	3,62,536	छूट स्वीकृत
				2000–01	4,01,142	छूट स्वीकृत
5.	मे. उज्वल वायर प्रोडक्ट	150 के.भी.ए.	20.12.99	1999–2000	79,911	छूट स्वीकृत
				2000–01	88,733	छूट स्वीकृत
6.	मे. मोडर्न वूड ईन्डस्ट्रीज	100 के.भी.ए.	2.7.97	2000–01	1,36,231	छूट स्वीकृत
			25.8.200	2001–02	4,96,700	छूट स्वीकृत
7.	मे. मल्टीप्लाई वूड इन्डस्ट्रीज	85 के.भी.ए.	6.10.98	2000–01	54,463	छूट स्वीकृत
				2001–02	1,86,561	छूट स्वीकृत
	उप–योग				**90,39,987**	
	पेसू (पश्चिम)					
8.	मे. प्रतिभा स्टील ट्रेडर्स 243797 एच. टी.	100 के.भी.ए.	14.11.99	1999–2000	2,70,56	स्थगन में रखा
				2000–01	2,96,658	स्थगन में रखा
				2001–02	2,61,717	स्थगन में रखा
9.	मे. भोला राम स्टील 223706 एच. टी.	500 के.भी.ए.	28.3.98	1998–99	10,10,018	स्थगन में रखा
				2000–01	4,87,083	स्थगन में रखा
				2001–02	5,16,291	स्थगन में रखा
				2002–03	6,68,659	स्थगन में रखा
10.	मे गुप्ता न्यूट्रीसनर प्रा. लिमिटेड 220290 एच.टी.	225	7.10.97	1997–98	1,03,596	स्थगन में रखा
		450 के.भी.ए.	18.7.2000	1998–99	1,06,083	स्थगन में रखा
	पेसू (पूरब)					
11.	मे. नेस्को स्टील प्रा. लिमिटेड –233938 एच.टी.एस.	100 के.भी.ए.	4.11.99	2000–01	76,611	छूट स्वीकृत
				2001–02	64,324	छूट स्वीकृत
				2002–03	77,136	छूट स्वीकृत
				2003–04	1,14,207	छूट स्वीकृत
				2004–05	63,621	आरोपित नहीं
12.	मे. शक्ति टेकनो प्लास्ट 234823 एच.टी.	80 के.भी.ए.	18.11.99	1999–2000	28,382	छूट स्वीकृत
				2001–02	59,338	आरोपित नहीं
				2002–03	1,55,091	छूट स्वीकृत
				2003–04 (11/04 तक)	38,900	आरोपित नहीं

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम एवं उपभोक्ता संख्या	अनुबध मांग	कनेक्शन की तिथि	वर्ष	राशि	अभ्युक्तियाँ
13.	मे. श्याम वायर प्रोडक्ट 234667 एच.टी.	100 के.भी.ए.	17.11.99	1999–2000	55,904	आरोपित नहीं
				2000–01	28,837	छूट स्वीकृत
				2001–02	93,934	छूट स्वीकृत
				2002–03	2,31,971	छूट स्वीकृत
				2003–04	2,02,742	छूट स्वीकृत
				2004–05 (16.11.2004 तक)	62,113	आरोपित नहीं
14.	मे. रेनबो इन्डस्ट्रीज 251800 एच.टी.	100 के. भी. ए.	22.2.2000	2000–01	26,380	छूट स्वीकृत
				2001–02	1,16,264	छूट स्वीकृत
				2002–03	1,35,912	छूट स्वीकृत
				2003–04	2,12,436	बन्ध–13 के अधीन दावा लम्बित
				2004–05 (2/05 तक)	1,91,681	आरोपित नहीं
15.	मे0 पाटलिपुत्रा स्टील लिमिटेड – 252071 एच.टी.	500 के.भी.ए.	1.6.2000	2001–02	3,86,196	छूट स्वीकृत
				2002–03	4,67,473	छूट स्वीकृत
				2003–04	4,20,361	छूट स्वीकृत
				2004–05	5,48,886	आरोपित नहीं
16.	मे. खेतान प्लास्ट इन्डस्ट्रीज– 254044 एच.टी.	100 के.भी.ए.	10.8.2000	2000–01	35,415	छूट स्वीकृत
				2001–02	9,858	छूट स्वीकृत
				2002–03	3,017	छूट स्वीकृत
				2003–04	1,28,206	छूट स्वीकृत
				2004–05	67,608	आरोपित नहीं
17	मे. कलजन स्टील 209934– एच.टी.	335 के.भी.ए.	17.9.97	1997–98	5,04,721	छूट स्वीकृत
				1998–99	7,04,022	छूट स्वीकृत
				1999–2000	7,60,377	छूट स्वीकृत
				2000–01	9,29,129	छूट स्वीकृत
				2001–02	6,72,167	छूट स्वीकृत
				2002–03 (16.7.02 तक)	1,53,160	छूट स्वीकृत
	मुजफ्फरपुर आपूर्ति अंचल					
18	मे. एस.एस.एफ. इन्डस्ट्रीज, हाजीपुर एच. टी.–22	224 के.भी.ए.	15.4.97	1999–2000	3,02,995	आरोपित नहीं
				2000–01	3,63,282	आरोपित नहीं
				2001–02	2,52,445	आरोपित नहीं
				2002–03	शून्य	शून्य
				2003.04	1,23,047	आरोपित नहीं
19.	मे. अमृत फीडर्स लिमिटेड हाजीपुर एच. टी.–24	380 के.भी.ए.	16.10.97	2001–02	2,19,768	आरोपित नहीं
20.	मे. लुम्बिनी बीभरेजेज हाजीपुर, एच.टी.–25	500 के.भी.ए.	16.1.98	1999–2000	6,66,660	आरोपित नही
				2000–01	3,96,267	आरोपित नही
				2001–02	4,19,840	आरोपित नही
				2002–03	3,21,552	आरोपित नहीं
21.	मे. बीकानेर प्लास्टो फ्लेक्सी प्रा. लिमिटेड हाजीपुर, एच.टी.–27	100 के.भी.ए.	18.12.98	1999–2000	1,02,071	आरोपित नही
				2000–01	30,203	आरोपित नही
				2002–03	1,02,902	आरोपित नही
				2003–04	1,47,920	आरोपित नहीं
22.	मे. ग्रीन पोलीट्यूब लिमिटेड हाजीपुर, एच.टी.–32	200 के.भी.ए.	25.1.2000	1999–2000	56,302	आरोपित नही
				2000–01	2,52,111	आरोपित नही
				2001–02	27,141	आरोपित नही

				2002–03	52,284	आरोपित नही
क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम एवं उपभोक्ता संख्या	अनुबध मांग	कनेक्शन की तिथि	वर्ष	राशि	अभ्युक्तियाँ
				2003–04	61,433	आरोपित नहीं
23.	मे. जयन्ती ईन्डस्ट्रीज एच.टी.–26	150 के.भी.ए.	27.5.98	1999–2000	2,71,740	आरोपित नहीं
24.	मे. हर्बल ईन्डस्ट्रीज बी.एल.एच.टी–18 (134 के.भी.ए.)	189.52 के.भी.ए. 180.76 के.भी.ए. 152.95 के.भी.ए. 216.30 के.भी.ए. 222.48 के.भी.ए. 237.93 के.भी.ए.	1.12.99	1999–2000 2000–01 2001–02 2002–03 2003–04	1,18,639 43,872 89,614 2,24,355 3,36,383	आरोपित नही आरोपित नही आरोपित नही आरोपित नही आरोपित नहीं
25.	मे. गणेश उद्योग एच.टी.–13	150 के. भी. ए.	7.6.2000	2000–01 2001–02 2002–03 2003–04	1,00,867 2,97,714 2,78,168 3,38,220	आरोपित नही आरोपित नही आरोपित नही आरोपित नहीं
	मोतिहारी आपूर्ति अंचल					
26.	मे. पोर्ट स्टील कम्पलेक्स (प्रा.) लिमिटेड, रक्सौल–3एच. टी.	400 के. भी. ए.	20.11.97	1997–98 1998–99 1999–2000	3,52,518 3,53,562 30,10,265	वसूल नहीं किया गया नीलाम वाद मुकदमा दायर वसूल नहीं किया गया नीलावाद मुकदमा दायर वसूल नही किया गया नीलामवाद मुकदमा दायर
	सासाराम आपूर्ति अंचल					
27.	मे. हनुमान जी फ्लॉअर मिल्स, कुदरा एच.टी–3	200 के. भी. ए.	7.9.95	1995–96 1996–97 1997–98 1998–99 1999–2000 (9.2.2000 तक)	34,790 3,55,058 2,00,818 1,83,603 3,46,831	आरोपित नही आरोपित नही आरोपित नही आरोपित नही आरोपित नहीं
	गया आपूर्ति अंचल					
28.	मे. शिव शक्ति रीरोलिंग मिल प्रा. लिमिटेड–औरंगाबाद ए.बी.–2 एच.टी.	140 के.भी.ए.	27.9.95	27.9.95 से 26.9.2000 तक	18,65,458	छूट स्वीकृत
29.	मे. जय बजरंग रीरोलिंग मिल्स, बारूण–बी.एन–एच.टी.–3111	250 के. भी. ए.	22.9.93	1993–94 1994–95 1995–96 1996–97	4,56,333 9,44,607 11,10,368 11,10,368	छूट प्रदान नहीं किया गया। उपभोक्ता ने पटना उच्चन्यायालय में मुकदमा दायर किया और जीत गया। बोर्ड ने न्यायालय में अपील किया है।
	समस्तीपुर आपूर्ति अंचल					
30.	मे. महावीर पेट्रो प्रोडक्ट प्रा. लिमिटेड, बरौनी 9ए/225 एच. टी.	75 के. भी. ए.	17.10.95	1995–96 1996–97 1997–98 1998–99 1999–2000 2000–01	30,068 1,13,968 1,17,789 93,363 18,496 14,997	स्थगन में रखा गया

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम एवं उपभोक्ता संख्या	अनुबध मांग	कनेक्शन की तिथि	वर्ष	राशि	अभ्युक्तियाँ
31.	मे. पूजा रीरोलिंग मिल्स प्रा. लिमिटेड, बरौनी एस.एम./243	260 के.भी.ए.	3.6.96	1996–97	5,94,896	वसूल नही किया गया
				1997–98	7,97,108	,नीलामवाद मुकदमा दायर किया गया
				1998–99 (2.6.99 तक)	9,08,778	
32.	मे. नीओ कार्बन प्रा. लिमिटेड, बरौनी टीकेई–37 एच. टी.	233 के.भी.ए.	7/99	1999–2000	4,55,392	छूट स्वीकृत नहीं किया गया
				2000–01	1,70,248	
				2001–02	1,54,121	
				2002–03	3,42,910	
				2003–04	1,98,618	
				2004–05 (6/04 तक)	1,63,094	
33.	मे. ग्रेफाईट इन्डिया लिमिटेड बरौनी–बी.आर.एच.टी.	375 के.भी.ए.	9/99	1999–2000	4,00,322	छूट स्वीकृत नहीं किया गया
				2000–01	7,45,845	
				2001–02	5,37,344	
				2002–03	6,46,204	
				2003–04	2,75,350	
				2004–05	1,85,497	
34.	मे. राकेश मुकेश कोल्ड स्टोर एन्ड आईस प्लान्ट लिमिटेड– उलावो 602 एच.टी.एस.	150 के.भी.ए.	10.4.2000	2000–01	2,25,777	स्थगन में रखा गया
				2001–02	2,48,903	छूट स्वीकृत नहीं किया गया
				2002–03	1,67,706	
				2003–04	6,97,199	
				2004–05	2,39,395	
	भागलपुर आपूर्ति अंचल					
35.	मे. जोधानी फूड प्रा. लिमिटेड बी.जी.पी. 398 एच.टी.	404 के.भी.ए.	14.3.200 1.7.2003	1999–2000	56,713	आरोपित नहीं किया गया
				2002–03	5,92,019	वसूल नहीं किया
				2003–04	3,57,467	आरोपित नहीं किया गया
	सहरसा आपूर्ति अंचल					
36.	मे. अशोका विनीर प्रोडक्टस, मधेपुरा एम.डी.पी.–एच.टी.	110 के.भी.ए.	1.8.2000	2000–01	1,70,843	छूट स्वीकृत
				2001–02	2,62,643	आरोपित नहीं किया गया
				2002–03	2,34,176	
				2003–04	2,48,846	
	पूर्णियाँ आपूर्ति अंचल					
37.	मे. अरूण राईस मिल के.–108	85 के.भी.ए.	13.10.95	1995–96	1,24,847	छूट स्वीकृत
				1996–97	2,57,832	
				1997–98	5,02,630	
				1999–2000	42,410	
38.	मे. पूर्णियाँ कोल्ड स्टोरेज जी.बी.–1647	160 के.भी.ए.	28.5.98	1998–99	3,64,224	छूट स्वीकृत
				1999–2000	2,93,969	
				2000–01	2,71,756	
				2001–02	4,90,123	
				2002–03	3,04,058	
39.	मे. प्राण सुख कोल्ड स्टोरेज जी.बी.–1042	250 के.भी.ए.	7.4.2000	2000–01	2,11,537	छूट स्वीकृत
				2001–02	2,57,408	
				2002–03	3,36,667	
				2003–04	4,04,355	
				2004–05	5,93,578	
40.	मे. आर.के.एस. इन्डस्ट्रीज पी.–7	75 के.भी.ए.	31.8.2000	2000–01	16,378	छूट स्वीकृत

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम एवं उपभोक्ता संख्या	अनुबध मांग	कनेक्शन की तिथि	वर्ष	राशि	अभ्युक्तियाँ
41.	मे. कटिहार कोल्ड स्टोरेज–के.टी. 12	135 के.भी.ए.	7.3.97	1998–99	2,49,422	छूट स्वीकृत
				1999–2000	1,17,320	
				2000–01	77,629	
				2001–02	47,661	
42.	मे. पवनपुत्र टवाईन मिल प्रा. लिमिटेड, के.टी–16	160 के.भी.ए.	16.9.98	1998–99	1,60,435	छूट स्वीकृत
				1999–2000	34,192	
				2000–01	35,910	
43.	मे. पिन्की पैनेल प्रोडक्ट्स आर–297	100 / 150 के.भी.ए.	1.4.98	1998–99	1,26,987	छूट स्वीकृत
				1999–2000	1,32,996	
				2000–01	3,38,613	
				2001–02	3,17,669	
				2002–03	2,28,584	
44.	मे. एस.एल. जूट टवाईन मिल्स, के एन. जी–4709	150 के.भी.ए.	28.9.99	1999–2000	1,43,904	छूट स्वीकृत
				2000–01	3,01,909	
				2001–02	3,70,062	
45.	मे. संजय प्लाईवुड इन्डस्ट्रीज, के.एन.जी.–4165	150 के.भी.ए.	21.11.99	1999–2000	1,28,868	छूट स्वीकृत
				2000–01	3,72,209	
				2001–02	4,86,561	
				2002–03	3,11,635	
46.	मे. जय दुर्गा टिम्बर एफ.बी.जी.–336	84 के.भी.ए.	25.4.98	1998–99	1,65,053	छूट स्वीकृत
				1999–2000	84,361	
				2000–01	90,185	
				2001–02	1,99,753	
				2002–03	2,37,452	

सार

क्रम संख्या	आपूर्ति अंचल का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	घाटे की राशि
1.	पटना आपूर्ति अंचल	7	90,49,987
2.	पेसू (पश्चिम)	3	46,67,656
3.	पेसू (पूरब)	7	78,85,900
4.	मुजफ्फरपुर	8	69,05,615
5.	गया	1	18,65,458
6.	मोतिहारी	1	50,98,012
7.	भागलपुर	1	11,07,824
8.	समस्तीपुर	5	85,43,387
9.	सासाराम	1	11,01,100
10.	सहरसा	1	9,16,508
11.	पूर्णियाँ	10	91,31,142
	योग	**45**	**5,59,72,589**

2000–01 से 2004–05 की अवधि में घाटे की राशि =3,99,01,976 रूपया
इससे पहले की अवधि (1996–97 से 1999–2000) में घाटे की राशि =1,60,70,613 रूपया
5,59,72,589 रूपया

परिशिष्ट–20

(कंडिका संख्या 3.1.20 में सन्दर्भित)

वार्षिक न्यूनतम गारंटी (ए एम जी) विपत्रो के छूट की राशि के 50 प्रतिशत राशि को स्थगन में रखे गये लम्बित मामलों को दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	पेसू क्षेत्र		केन्द्रीय क्षेत्र		मगध क्षेत्र		मिथिला क्षेत्र		तिरहुत क्षेत्र		भागलपूर क्षेत्र		कोसी क्षेत्र		योग	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1990–91 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	1,45,005	शून्य	शून्य	3	1,45,005
1991–92 से 1993–94 तक	2	1,80,419	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	4,72,548	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4	6,52,967
1994–95	4	4,14,180	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	2,42,881	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5	6,57,061
1995–96	6	12,11,624	1	1,77,105	शून्य	शून्य	1	2,65,418	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	1,16,983	9	1,77,11,030
1996–97	6	12,52,460	1	15,09,656	1	25,607	1	2,68,463	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	6	8,35,799	15	38,91,985
1997–98	14	92,91,629	3	8,39,857	1	1,24,729	1	3,09,910	2	47,507	1	5,70,419	5	93,24,359	27	2,05,08,410
1998–99	13	19,13,009	4	22,11,625	2	2,82,533	शून्य	शून्य	1	33,620	1	8,35,504	7	1,01,97,656	28	1,54,73,947
1999–2000	9	12,13,782	5	36,24,908	2	3,85,983	1	2,67,472	3	1,37,395	2	15,79,077	4	6,30,677	26	78,39,294
2000–01	14	23,18,840	10	31,57,438	3	2,49,918	1	2,84,705	4	3,24,038	1	6,71,617	4	5,83,581	37	75,90,137
2001–02	11	15,90,684	6	35,46,464	3	3,00,144	3	4,14,010	5	4,45,487	1	10,54,984	7	26,70,083	36	1,00,21,856
2002–03	16	37,34,882	12	41,19,536	3	4,45,310	2	3,54,293	10	15,07,802	1	8,60,329	4	15,48,305	48	1,25,70,457
2003–04	22	43,90,969	12	57,36,406	3	4,20,356	3	4,33,913	9	9,45,902	1	7,94,659	7	14,35,508	57	1,41,57,713
योग	**117**	**2,75,12,478**	**54**	**2,49,22,995**	**18**	**22,34,580**	**16**	**33,13,613**	**34**	**34,41,751**	**11**	**65,11,594**	**45**	**2,73,42,951**	**295**	**9,52,79,962**

समीक्षा अवधि के लिये छूट के दावे (1999–2000 का दावा / 2000–2001 में तथा 2003–04 का दावा 2004–05 में किया) = 5,21,79,457 रू0
पिछली अवधि के लिए छूट के दावे (1990 –91 से 1998–99 के पहले) 1999–2000 में किये गये = 4,31,00,505 रू0
9,52,79,962 रू0

परिशिष्ट–21

(कंडिका संख्या 3.1.20 में संदर्भित)

वार्षिक न्यूनतम गारंटी (ए एम जी) विपत्रों की 100 प्रतिशत राशि को स्थगन में रखे गये छूट के लम्बित मामलों को दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	पेसू क्षेत्र		मगध क्षेत्र		मिथिला क्षेत्र		तिरहुत क्षेत्र		भागलपूर क्षेत्र		कोसी क्षेत्र		योग	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1990–91 तक	3	5,01,331	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	7*	1,38,92,875	शून्य	शून्य	10	1,43,94,206
1991–92 से 1993–94 तक	2	2,05,119	शून्य	शून्य	1	2,53,772	शून्य	शून्य	7	4,28,94,225	शून्य	शून्य	10	4,33,53,116
1994–95	1	3,11,253	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	1,00,85,397	शून्य	शून्य	4	1,03,96,650
1995–96	1	3,31,347	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	45,81,831	शून्य	शून्य	2	49,13,178
1996–97	शून्य	शून्य	1	31,508	1	1,65,694	शून्य	शून्य	1	65,55,581	शून्य	शून्य	3	67,52,783
1997–98	शून्य	शून्य	3	11,00,776	1	2,55,943	शून्य	शून्य	2	1,24,82,775	शून्य	शून्य	6	1,38,39,494
1998–99	2	48,54,191	3	10,87,027	1	4,72,608	शून्य	शून्य	2	3,15,53,839	शून्य	शून्य	8	3,79,67,665
1999–2000	शून्य	शून्य	3	4,69,433	1	6,57,908	शून्य	शून्य	1	89,32,848	शून्य	शून्य	5	1,00,60,189
2000–01	शून्य	शून्य	3	8,27,049	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	11,16,307	4	19,43,356
2001–02	1	72,293	1	8,21,616	शून्य	शून्य	2	10,52,989	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4	19,46,898
2002–03	1	4,69,499	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	9,51,984	1	3,61,003	शून्य	शून्य	5	17,82,486
2003–04	1	55,101	शून्य	शून्य	1	6,57,541	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	7,12,642
योग	**12**	**68,00,134**	**14**	**43,37,409**	**6**	**24,63,466**	**5**	**20,04,973**	**25**	**13,13,40,374**	**1**	**11,16,307**	**63**	**14,80,62,663**

समीक्षा अवधि के लिए छूट के दावे (1999–2000 का दावा 2000–01 में 2003–04 का दावा 2004–05 मे किया) = 13,16,17,092 रूपये
पिछली अवधि के लिये छूट दावे (1990–91 से 1998–99 के पहले) 1999–2000 मे किया गया = 1,64,45,571 रूपये
14,80,62,663 रूपये

* इसमें 1986–91 की अवधि से सम्बन्धित नवम्बर 2000, गंगा नहर पम्प योजना सूरजगढ़ा के 1,28 ,24,004 रूपयों के तीन छूट–दावे सम्मिलित थे।

परिशिष्ट–22

(कंडिका संख्या 3.1.20 मे सन्दर्भित)

छूट के मामले का निपटारा लम्बित रहने के कारण स्थगन में रखी गई वार्षिक न्यूनतम गारंटी की राशि को दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	पेसू पूरब	पेसू पश्चिम	पटना	छपरा	मोतिहारी	मुजफ्फरपूर	दरभंगा	सासाराम	भागलपूर	पूर्णियाँ	योग
1990–91 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1,17,170 (2)	81,017 (1)	1,98,187 (3)
1991–92 से 1993–94 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1994–95	2,09,229 (1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2,09,229 (1)
1995–96	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1996–97	शून्य	शून्य	3,69,965 (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3,69,695 (2)
1997–98	शून्य	शून्य	14,58,805 (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	14,58,805 (2)
1998–99	2,02,371 (1)	शून्य	1,21,1526 (2)	शून्य	5,57,400 (1)	10,07,452 (1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	29,78,749 (5)
1999–2000	9,37,099 (3)	शून्य	शून्य	शून्य	5,89,975 (2)	1,33,299 (1)	46,736 (1)	शून्य	शून्य	शून्य	17,07,109 (7)
2000–2001	50,110 (2)	शून्य	45,602 (1)	59774 (1)	शून्य	15,530 (1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1,71,016 (5)
2001–02	207524 (4)	शून्य	11,23,114 (1)	54733 (1)	शून्य	2,54,327 (1)	शून्य	1,16,170 (1)	शून्य	शून्य	16,39,698 (8)
2002–03	133,501 (3)	8,66,059 (2)	12,89,128 (1)	67626 (1)	शून्य	3,20,737 (1)	28,220 (1)	शून्य	शून्य	शून्य	27,05,271 (9)
2003–04	34,947 (1)	132461 (1)	4,67,999 (1)	शून्य	2,31,102 (1)	3,68,777 (1)	1,81,604 (1)	शून्य	शून्य	शून्य	15,33,060 (7)
योग	**17,74,781 (15)**	**9,98,520 (3)**	**59,65,869 (10)**	**182133 (3)**	**13,78,477 (4)**	**21,00,122 (7)**	**2,56,560 (3)**	**1,16,170 (1)**	**1,17,170 (2)**	**81,017 (1)**	**1,29,70,819 (49)**

समीक्षा अवधि के लिए छुट के दावे (1999–2000 का दावा 2000–01 में, 2003–04 का दावा 2004–05 में किया) = 52,14,665

पिछली अवधि के लिये छुट दावे = 77,56,154

(1990–91 से 1998–99 के पहले) के छूट का दावा 1999–2000 में किया गया **1,29,70,819**

परिशिष्ट–23

(कंडिका संख्या 3.1.20 में सन्दर्भित)

उच्च विभव उपभोक्ताओं की छूट की दावों का निपटारा करने के बाद जारी नहीं किए गये/कम जारी किए गये समयोजन विपत्र

क्रम संख्या	आपूर्ति अंचल का नाम	उपभोक्ता का नाम/उप. संख्या	छूट आदेश संख्या/तिथि	अवधि	आस्थगन में रखी गई ए.एम.जी. विपत्र की राशि	छूट स्वीकृत	शेष राशि	विलम्बित भुगतान अधिकार जो आरोपित किया जाना था (31.3.05)	योग	अभ्युक्तियाँ
1.	पटना	मे. बालाजी वायर प्रोडक्स एफ.डी–952	5825/30.9.2004	1998–99	80,726	37,376	43,350	60,690	1,04,040	–
			5826/30.9.2004	2001–02	79,781	18,620	61,161	41,589	1,02,750	–
2.	पेसू (पश्चिम)	मे. एस्काजय इस्पत–182516 एच.टी.	1159/5.4.2000	1993–94	1,80,509	3,35,357	(–)1,54,848	6,74,194	9,92,210	समायोजन विपत्र 5/05 में निर्गत किया गया, किन्तु वि.भु.अ. 2/05 तक को आरोपित किया गया, था जैसा कि लेखा परीक्षा ज्ञापन में दिया गया था (2/05) 0.36 लाख रूपयों से कम।
				1995–96	4,91,421	18,,557	1,56,204	–	–	
				1996–97	2,34,301	78097	4,72,864	2,87,415	4,43,619	
				1997–98	2,06,271	76,777	1,29,494	2,12,370	3,41,864	
3.	छपरा	मे. सासामूसा सुगर वर्क्स, गोपालगंज	28.9.2004	2001–02	1,11,070	61,045	50,025	35,017	85,042	–
	योग				**13,84,079**	**6,25,829**	**7,58,250**	**13,11,275**	**20,69,525**	

समीक्षा अवधि के लिए स्थगन में रखी गयी राशि (2001–02 का दावा 2002–03 में किया गया)= 1,90,851 रूपये
पूर्व की अवधि (1993–94 से 1998–99 तक) के लिए स्थगन में रखी गयी राशि = 11,93,228 रूपये
13,84,079 रूपये

परिशिष्ट–24

(कंडिका संख्या 3.1.20 में सन्दर्भित)

कोसी एरिया बोर्ड के अधीन उच्च विभव उपभोक्ताओं को अधिक छूट दिये जाने सम्बन्धी विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	अपभोक्ता का नाम/उपभोक्ता संख्या	छूट का आदेश	अवधि	वार्षिक न्यूनतम शुल्क की विपरित राशि (ऊर्जा शुल्क+मांग शुल्क)	स्वीकृत छूट की राशि (ऊर्जा शुल्क+मांग शुल्क)	अधिक राशि
1.	मे. वॉनके स्टील, पूर्णियाँ–पी 260	1745/11.6.01	1997–98	12,48,066+0	15,66,422+5,70,992	8,89,348
2.	मे. आई.ओ.सी, फारबीसगंज –एफ बी जी–3611 एच.टी.	1096/30.4.02	1998–99	1,27,532+0	1,27,532+27,250	27,250
3.	एन. एफ रेलवे फारबीसगंज एफ बी जी–306–एच.टी.	495/11.2.05	2000–01 2001–02 2002–03	10,269+0 6,566+0 49,769+0	10,269+3,625 6,566+1,625 49,769+16,125	3,625 1,625 16,125
4.	बिस्कोमान कोल्ड स्टोरेज, फारबिसगंज, एफ.बीजी. 2468–एच.टी.	1102/30.4.02	1996–97 2000–01	2,07,295+0 38,023+0	2,07,295+29,500 38,023+46,000	29,500 46,000
5.	बारसोई रेलवे स्टेशन, बारसोई–20	उपलब्ध नहीं	1996–97 1999–2000	1,94,659+0 2,77,344+0	1,94,659+40,125 2,69,675+12,500	40,125 12,500
6.	मनिहारी रेलवे स्टेशन–के.टी.–6	4482/31.10.2000	1996–97 1998–99 2000–01	84,208+0 46,086+0 34,454+0	2,75,918+2,000 46,086+9,500 34,454+13,750	1,93,710 9,500 13,750
7.	मे. सन बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड कटिहार	1287/17.5.04	2002–03	4,90,773+0	4,90,773+19,875	19,875
8.	मे. विष्णु फ्लाअर मिल प्रा. लिमिटेड, कटिहार	493/11.2.05	2003–04	2,02,965+0	98,680+10,375	10,375
	योग					**13,13,308**

समीक्षा अवधि के लिए छूट के दावे (1999–2000 दावा किया 2000–01 में 2003–04 का, दावा कि या 2004–05 में) =11,89,433 रूपये
पूर्व की अवधि के लिये छूट के दावे (1996–97 का दावा 1997–98 से 1998–99 में,) किया 1999–2000 में) = 1,23,875 रूपये
13,13,308 रूपये

परिशिष्ट–25

(कंडिका संख्या 3.1.21 में सन्दर्भित)

इन्डक्शन फरनेस के मालिकों के विरूद्ध लम्बित इंधन अधिभार को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	आपूर्ति अंचल का नाम	उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ता संख्या	बकाया ईंधन अधिभार की राशि (9/99 से 3/01)
1.	पटना	मे. पटवारी स्टील प्रा. लिमिटेड	एफ–01	64,33,050
2.	पटना	मे. जे. जी. फउन्ड्री लिमिटेड	एफ.डी.–1401	59,64,671
3.	पटना	मे. सिमरन मेटल्स लिमिटेड	एफ.बी.–02	9,75,123
4.	पटना	मे. नालन्दा ईलेक्ट्रो स्टील प्रा. लिमिटेड	एफ.बी.–03	33,05,012
5.	पटना	मे. कैम्पोर कोनकास्ट लिमिटेड	बी.टी.–3359	64,56,976
6.	पटना	मे. जे. एम. डी. एल्वायज	ए.पी.–1643	86,00,511
7.	पटना	मे. बालमुकुन्द कोनकास्ट लिमिटेड	बी.टी.–3540	1,63,32,062
8.	पेसू (पश्चिम)	मे. गंगोत्री ईलेक्ट्रो कास्टिंग लिमिटेड	1,96,861 एच. टी.	71,30,900
9.	पेसू (पश्चिम)	मे. जगदम्बा इस्पात लिमिटेड	2,38,708 एच.टी.	61,88,340
10.	पेसू (पूरब)	मे. दीना मेटल लिमिटेड	1,48,264 एच.टी.	1,35,12,559
11.	पेसू (पूरब)	मे. दीना आयरन एन्ड स्टील लिमिटेड	2,13,223 एच.टी.	1,20,89,182
12.	मुजफ्फरपुर	मे. गणेश फाउन्ड्री	एच.टी.–11	71,01,513
13.	मुजफ्फरपुर	मे. दीपक ईलेक्ट्रो कास्टिंग	एच.टी.–12	37,89,304
14.	मोतिहारी	मे. त्रिशूल ईलेक्ट्रो कास्टिंग	3–एच.टी.एस. एस.	22,93,336
15.	मोतिहारी	मे. प्रभा ईलेक्ट्रो कास्टिंग	2–एच.टी.एस. एस.	25,04,805
16.	मुंगेर	मे. बालाजी इनगौट प्रा. लिमिटेड	के. एच.आर.–34	75,23,868
17.	समस्तीपुर	मे. जयमंगला स्टील	बी. आर.–2712	29,33,391
18.	पूर्णियाँ	मे. सुपर इण्डक्टो स्टील	एम.के.–14	39,63,155
19.	पूर्णियाँ	मे. वाँके स्टील	पी.–260	15,18,276
	योग			**11,86,16,034**

परिशिष्ट–26

(कंडिका संख्या 3.1.22 में सन्दर्भित)

उपभोक्ता के एक संयोजन से सम्बन्धित बकायें को उसी उपभोक्ता के दूसरे संयोजन पर स्थानान्तरण किये जाने वाले बकाये के विवरण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम / उपभोक्ता संख्या	विच्छेदन की तिथि	लम्बित बकाये की राशि	उपभोक्ता का दूसरा चालू कनेक्शन	स्थानान्तरण की तिथि	विलम्बित भुगतान अधिभार की हानि
भागलपुर आपूर्ति अंचल						
1.	बरारी बी.जी.बी.–1	4.1.98	10,21,50,873 (4,88,06,743+5,34,44,130)	48001 / 1014	30.9.2004	2,24,51,105 (11 / 02 से 9 / 04 तक)
पेसू (पूरब)						
2.	पटना (पी.डब्ल्यूबी.) 20785	28.12.95	1,05,98,971	61501	स्थानान्तरित नही किया गया	61,47,403 (11 / 02 से 3 / 05 तक)
3.	पी.डब्ल्यू.बी. 60892	28.12.95	1,23,54,253	72677	स्थानान्तरित नही किया गया	71,65,467 (11 / 02 से 3 / 05 तक)
4.	पी.डब्ल्यू.बी. 92171	8.10.96	1,32,82,438	17047	स्थानान्तरित नही किया गया	77,03,814 (11 / 02 से 3 / 05 तक)
5.	पी.डब्ल्यू.बी. 60847	3 / 92	50,23,547	288465	स्थानान्तरित नही किया गया	29,13,657 (11 / 02 से 3 / 05 तक)
6.	पी.डब्ल्यू.बी.60877	29.3.96	92,86,169	90683	स्थानान्तरित नही किया गया	53,85,978 (11 / 02 से 3 / 05 तक)
7.	पी.डब्ल्यू.बी. 61105	6.9.88	6,57,367	106721	स्थानान्तरित नही किया गया	3,81,273 (11 / 02 से 3 / 05 तक)
मुंगेर आपूर्ति अंचल						
8.	कार्यपालक अभियन्ता, यांत्रिक, भागलपुर, डी.के.–1	2.12.99	5,21,18,637 (52,31,098+4,68,87,539)	एच.जी.–1	स्थानान्तरित नही किया गया	21,44,751 11 / 02 से 14.7.04 तक)
पूर्णियाँ पारेषण अंचल						
9.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड बरौनी, ई.एच.टी.–2	3.6.99	1,48,64,27,687 1,73,00,000 1,46,91,27,687 (63,99,21,525+82,92,06,162)	बी.आर.–1688 (समस्तीपूर आपूर्ति अंचल)	स्थानान्तरित नही किया गया	37,11,54,499 (11 / 02 से 3 / 05 तक)
	योग		**1,69,18,99,942**			**42,54,47,977**

परिशिष्ट–27

(कंडिका संख्या 3.1.23 में सन्दर्भित)

आपूर्तिकर्त्ताओं की देयताओं के विरूद्ध उनके असमायोजित बकायों को दर्शानेवाली विवरणी

क्रम संख्या	आपूर्ति अंचल का नाम	उपभोक्ता का नाम / उपभोक्ता संख्या	तिथि जब से लम्बित है	बकाये की राशि रूपये में	आपूर्तिकर्त्ताओं की आदेयता की राशि करोड़ रू0 में
1.	पूर्णियाँ	डब्लू.बी.एस.ई.बी.	12 / 1986 (सम्बन्ध विच्छेदित)	12,75,217	डब्लू. बी. एस. बी. से 3 / 01 तक ऊर्जा का क्रय किया गया था।
2.	सासाराम	बी.एस.एच.पी.सी. लिमिटेड डेहरी–एच.टी.–28	2.8.1993 (सम्बन्ध विच्छेदित)	11,86,079	5.01 (3 / 02)
3.	भागलपुर	एन.टी.पी.सी.–कहलगाँव सी.ओ.एल.–61; सी.ओ.एल.–65	3 / 95 (सम्बन्ध विच्छेदित)	1,58,728	1,436.76
4.	समस्तीपुर	इन्डियन आयल कारपोरेशन, बरौनी	2 / 2002	2,12,805	
		योग		**28,32,829**	

परिशिष्ट–28

(कंडिका संख्या 3.1.24 में सन्दर्भित)

बोर्ड मुख्यालय द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारो को दिए गये अग्रिम को दर्शानेवाली विवरणी

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि (रूपयें मे)	वर्ष
	25 वर्षो से अधिक पुराने अग्रिम		
1.	आईओन एक्सचेन्ज (इन्डिया) लिमिटेड	3,26,000	1972
2.	एस.एफ. इन्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	20,750	1975
3.	ग्रीव्स कॉटन एन्ड कम्पनी	1,65,850	1975
4.	ज्योति लिमिटेड, बरौदा	1,09,180-7	1975
5.	हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	25,00,000	1976
6.	पावर लाईन कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	2,42,660	1976
7.	वोल्टा लिमिटेड, पटना	2,44,983	1977
8.	इलेक्ट्रिक कम्पनी ऑफ इन्डिया लिमिटेड	18,546	1977
9.	ठनसटुमेशन लिमिटेड, कोटा	56,60,000	1978
10.	डेसेइन, न्यू दिल्ली	2,00,000	1978
11.	टाटा इन्जीनियरिंग एन्ड लोकोमोटिव्स लिमिटेड	3,58,262	1978
12.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद	3,67,552	1978
13.	आईओन एक्सचेन्ज (इंन्डिया) लिमिटेड	5,97,000	1979
14.	कन्ट्रोल एन्ड स्विचगियर प्रा. लिमिटेड	4,74,080	1979
15.	भेल (बी.एच.ई.एल.)	90,00,000	1979
16.	प्रदीप लैम्प वर्क्स. पटना	25,000	1979
17.	प्रदीप लैम्प वर्क्स. पटना	1,36,980	1979
18.	प्रदीप लैम्प वर्क्स. पटना	1,40,675	1979
19.	महीन्द्रा स्पाईडर लिमिटेड, कलकत्ता	4,79,397	1979
20.	भारत पम्प एन्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद	41,527	1979
21.	ईगलिश इलेक्ट्रिट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	5,53,737	1979
	योग	**2,19,62,179.7**	
22.	टाटा रोबिन्स प्राईवेट लिमिटेड	1,64,000	1980
23.	सीमेन्स इन्डिया लिमिटेड	31,68,396	1980
24.	हाईटेन्सन इन्सुलेटर फैक्ट्रीए राँची	2,64,195	1980
25.	सन्तोष एन्ड कम्पनी, न्यू दिल्ली	2,70,817-32	1981
26.	ब्लू स्टार लिमिटेड, कलकत्ता	27,750	1981
27.	ईगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड	1,82,000	1981
28.	आई.एल, कोटा	2,00,000	1982
29.	बी.एस.एल. एन्ड क्रॉम्पटन एनर्जि लिमिटेड	9,40,000	1982
30.	भेल (वी.एच.ई.एल)	34,02,650	1982
31.	लारसेन एन्ड टुर्बो कलकत्ता	2,24,962	1982
32.	एलिमेक इन्टरनेशनल लिमिटेड, कलकत्ता	3,89,781	1982
33.	बी.एच.ई.एल.	20,00,000	1982
34.	लारसेन एन्ड टर्बोए कलकत्ता	1,84,680	1982
35.	ब्लू स्टार लिमिटेड, कलकत्ता	30,750	1983
36.	ग्रीव्स कॉटन एन्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	46,538	1983
37.	ब्लू स्टार लिमिटेड कलकत्ता	45,795	1983
38.	हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	27,40,000	1983
39.	हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	27,40,000	1983

40.	इस्जिक जॉन थामपसन, कलकत्ता	9,04,500	1983
क्रम संख्या	**पार्टी का नाम**	**राशि (रूपये मे)**	**वर्ष**
41.	पैटरसन इंजीनियरिंग कम्पनी (इन्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता	2,70,000	1983
42.	इस्जिक जॉन थामपसन. कलकत्ता	18,10,175	1984
43.	क्राम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड, बम्बई	16,98,240	1984
44.	सैम इन्जीनियरिंग एन्ड लोको लिमिटेड, बैंगलोर	2,90,000	1984
45.	औटो मेजरमेल्ट लिमिटेड, मद्रास	1,01,450	1984
46.	वेंकटेश्वरा ट्रान्स. (प्री.) लिमिटेड	29,60,000	1984
47.	टाटा एक्सपोर्टस लिमिटेड	27,73,979	1984
48.	सतलज कन्स्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड	61,48,800	1984
49.	ऑटो मेजरमेल्ट लिमिटेड, मद्रास	1,01,450	1984
50.	पार्योनियर कन्सट्रक्शन कम्पनी, लखनऊ	4,00,000	1984
51.	पावर लाईन कन्सट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	2,14,020	1984
	योग	**3,46,94,928-32**	
	15 वर्षो से अधिक पुराने अग्रिम		
52.	बेस्ट एण्ड कम्पटन इंजीनियरिंग, लि. मद्रास	86,250	1986
53.	पायोनियर कन्सट्रक्शन कम्पनी, लखनऊ	8,11,000	1986
54.	पायोनियर कन्सट्रुक्शन कम्पनी, लखनऊ	32,82,000	1986
55.	सेल्समेन्स इन्डिया लिमिटेड	4,40,000	1986
56.	आसीस फाउन्डेशन एन्ड कन्सट्रक्सन लिमिटेड, बम्बई	2,40,000	1987
57.	उषा ब्रेको लिमिटेड, कलकत्ता	1,62,444	1987
58.	पायोनियर कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड लखनऊ	5,05,050	1987
59.	द जेनरल इले एक कम्पनी ऑफ इन्डिया लिमिटेड	13,57,500	1987
60.	भोल्टास लिमिटेड	28,80,000	1987
61.	भेल (बी.एच.ई.एल.) बैंगलोर	7,56,000	1987
62.	(भेल) डेसेइन प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली	1,25,000	1987
63.	वेन्टा लोकोमोटिव लिमिटेड, हैदराबाद	4,39,000	1987
64.	पायोनियर कन्सट्रक्शन कम्पनी, लखनऊ	3,59,000	1987
65.	बिहार ट्रान्समिशन लिमिटेड, प टना	1,78,500	1987
66.	भेल (बी.एच.ई.एल.), नई दिल्ली	1,51,248	1987
67.	(भेल) बी.एच.ई.एल., नई दिल्ली	10,92,515.2	1987
68.	मेसोनेईलम इन्डिया लिमिटेड, मद्रास	1,44,063	1987
69.	भेल (एम.ई.सी) इन्डिया लिमिटेंड, बम्बई	58,000	1987
70.	भेल (आर.ई.सी.) इन्टरनेशनल लिमिटेड, बम्बई	15,81,180.82	1987
71.	भेल (बी.एच.ई.एल.), नई दिल्ली	3,96,000	1987
72.	भोल्टास लिमिटेड	1,17,20,000	1987
73.	भेल (बी.एच.ई.एल), नई दिल्ली	31,01,000	1987
74.	भेल (बी. एच. ई.एल)	7,60,000	1988
75.	भेल (बी.एच.ई.एल)	12,95,985	1988
76.	भेल (बी.एच.ई.एल), नई दिल्ली	10,01,433.2	1988
77.	इन्डयोर प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली	3,30,000	1988
78.	भेल (बी.एच.ई.एल), हरद्वार	1,35,000	1988
79.	वोल्टास लिमिटेड	90,000	1988
80.	टेलर इन्सटूमेन्ट कम्पनी	3,00,000	1988
81.	टाटा कन्सलटिंग इन्जीनियर्स, बैंगलोर	1,95,000	1988
82.	स्वामिस प्रा. लिमिटेड	1,02,850	1988
83.	इन्डयोर प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली	6,10,000	1988
84.	सीमेन्स लिमिटेड	2,40,626	1988

85.	लाईट एन्ड कम्पनी लिमिटेड	14,45,500	1988
86.	एन.जी.ई.एफ. लिमिटेड	33,00,000	1989
क्रम संख्या	**पार्टी का नाम**	**राशि (रूपयें मे)**	**वर्ष**
87.	त्रिवेणी स्टुचरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद	6,32,645	1989
88.	इनकैब इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता	5,26,175	1989
89.	भेल (बी.एच.ई.एल), झांसी	15,48,607	1989
90.	क्राम्पटन ग्रीव्स, लिमिटेड	9,25,860	1989
	योग	**4,33,05,432.22**	
	10 वर्षो से अधिक पुराने अग्रिम		
91.	भारत बिजली लिमिटेड कलकत्ता	12,33,445	1990
92.	आर./एम. वर्क्स	35,00,000	1990
93.	क्राम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड	10,07,230	1990
94.	एन.जी.ई.एफ. लिमिटेड, कलकत्ता	36,76,500	1992
95.	सी.एम.सी. लिमिटेड, कलकत्ता	23,52,356	1992
96.	सैन इन्जि. एन्ड लोको मोटिव कम्पनी लिमिटेड	6,40,000	1992
97.	टेल्क लिमिटेड, केरल	24,51,000	1992
98.	एन.जी.ई.एफ. लिमिटेड	36,76,500	1992
99.	एसिया ब्राउन बोवेन लिमिटेड	5,63,000	1993
100.	क्राम्पटन ग्रीव्स	5,33,600	1993
101.	आइओन एक्सचेंज (इन्डिया) लिमिटेड	2,10,000	1993
102.	भारत बिजली लिमिटेड, कलकत्ता	10,89,800	1993
103.	देसेईन प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली	12,73,387.5	1993
104.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	6,54,000	1993
105.	सीमेन्स इन्डिया लिमिटेड	1,43,260	1994
106.	स्कैन्टी इन्डिया लिमिटेड	2,45,990	1994
107.	नेशनल प्रोडक्टिविटी काउन्सिल	30,000	1994
108.	एशिया ब्राउन बोवने लिमिटेड	4,66,900	1994
109.	क्राम्पटन ग्रीव्स	4,00,200	1994
	योग	**2,41,47,168.5**	
	7 वर्षो से अधिक पुराने अग्रिम		
110.	भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड	3,70,000	1995
111.	टाटा एक्सपोर्टस लिमिटेड	3,08,000	1995
112.	भारत बिजली लिमिटेड, कलकत्ता	5,62,386	1995
113	जी.ई.सी., अल्सथन	18,78,084	1995
114.	गैमन इन्डिया लिमिटेड	89,87,500	1995
115.	जी.ई.सी. अल्सथन इन्डिया लिमिटेड	8,94,565	1995
116.	भेल (बी.एच.ई.एल)	20,18,100	1995
117.	क्राम्पटन ग्रीव्स	66,700	1995
118.	जी.ई.सी. अल्सथन	6,63,526	1995
119.	एल्कोन ईन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड	7,75,620	1995
120.	मेकन लिमिटेड, राँची	1,53,000	1996
121.	टेल्क लिमिटेड, केरला	4,91,600	1996
122.	डेसेइन वेइज टेकनिक प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली	2,85,000	1996
123.	भारत बिजली लिमिटेड, कलकत्ता	4,91,600	1996
124.	रिपेयरींग.–आर.आर. पावर इन्जिनियरिंग लिमिटेड, कलकत्ता	10,00,305	1996
125.	ए.बी.बी.ए.बी.सी. लिमिटेड, कलकत्ता	8,22,149	1997
126.	इस्को (आई.आई.एस.सी.आ), कलकत्ता	23,01,365	1997

	योग	**2,20,69,500**	
	5 वर्षों से अधिक पुराने अग्रिम		
127.	मेकन लिमिटेड, राँची	1,50,000	1998
128.	मेकन लिमिटेड, राँची	1,50,000	1998
क्रम संख्या	**पार्टी का नाम**	**राशि (रूपयें मे)**	**वर्ष**
129.	इन्डयोर प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली	19,40,000	1998
130.	भेल (बी.एच.ई.एल.)	20,35,500	1998
	योग	**92,75,500**	
	3 वर्षों से अधिक पुराने अग्रिम		
132.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटि अथारिटी	12,00,000	2000
133.	एन्ड्रयू यूले एवं कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	6,72,734.82	2000
134.	एन्ड्रयू यूले एन्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	5,47,674.91	2000
135.	एन.जी.ई.ई.लि., कलकत्ता	50,000	2000
	योग	**24,70,409.73**	
	2 वर्षों से अधिक परन्तु 3 वर्षों से कम पुराने अग्रिम		
136.	सी.एम.सी. लिमिटेड, कोलकत्ता	34,79,855	2002
137.	यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड, नोयडा	4,70,000	2002
	योग	**39,49,855**	
		16,18,74,973.5	

परिशिष्ट- 29

(कंडिका संख्या 3.1.24 में संदर्भित)
31.03.2005 को बी टी पी एस. के आपूर्त्तिकर्ताओं/ठीकेदारों के पास लंबित अग्रिमों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	आपूर्त्तिकर्ताओं/ठीकेदारों का नाम	तिथि को शेष	राशि (रूपये में)
1	मे. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	31.3.2004	2,09,467
2	मे. टाटा कमर्सियल एजेन्सीए, बेगुसराय	12.2.2002	25,843
3	मे. आई.टी. आई.,लाखनऊ	1.3.2004	2,881
4	मे. शंकर लाल नारायण प्रसाद, बेगूसराय	31.3.2004	34,363
5	मे. स्कोदो इन्डिया प्रा. लिमिटेड,चेन्नई	18.4.2001	22,94,391
6	मे. बिहारी कास्टिक एन्ड केमिकल्स लिमिटेड,रेहला	18.4.2001	4,84,259
7	मे. ए.ओ. एन्ड कम्पनी लिमिटेड,बरौनी	18.4.2001	5,82,951
8	मे. लेखिनी, बेगूसराय	18.4.2001	16,675
9	मे. कनोरिया केमिकल्स इन्डस्ट्रीजए कलकत्ता	19.4.2001	8,22,592
10	मे. भोल्टास लिमिटेड, विस्टूपूर, जमशेदप ूर	24.4.2001	95,344
11.	मे. हिन्दुस्तान कामर्स इन्डस्ट्रीज, बेगूसराय	8.8.2001	12,14,945
12	मे. लोअर बाजार डिजल्स	14.9.2001	67,040
13	मे. ओरियेन्ट रेफ्रीजेरेशन, पटना	6.6.2001	65,474
14	में. ए. के. इन्टरप्राइजेज, धनबाद	21.6.2001	27,811
15	में. इलेक्ट्रो मेकानिक, बेगूसराय	22.6.2001	41,80-9
16	में. ब्लू स्टार लिमिटेड,कलकत्ता	10.7.2001	2,14,342
17	में. कूलकर्णी इन्जीनियरिंग कं.	20.7.2001	9,20,120
18	में. लोयाल इन्डस्ट्रीज इन्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	25.7.2001	4,63,867
19	में. भोईथ इन्डिया प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद	28.8.2001	28,52,031
20	में. टी.सी.आई., बेगूसराय	10.9.2001	58,525
21	में. एल. एन्ड टी. पटना	10.9.2001	46,500
22	में. सेल (एस.ए.आई.एल.)	22.10.2001	6,57,698
23	में. हिन्दुस्तान साल्ट इन्डिया लिमिटेड	29.10.01	16,57,330
24	आई.ओ.सी.,बरौनी	15.12.03	7,00,000
25	में. ई.ई.सी.आ.,जमशेदपूर	11.2.04	2,87,892
26	में. टेक्नो सेल्स कारपोरेशनए कलकत्ता	17.1.2002	1,13,523
27	में. हिन्दुस्तान इन्जीनियरिंग वर्क्सए कलकत्ता	2.3.2002	4,00,438
28	में. की. स्टोन प्रा. लिमिटेड	17.5.2002	4,16,625
29	में. यू.डी. प्रा. लिमिटेड,कलकत्ता	5.2.2002	3,55,617

क्रम संख्या	आपूर्त्तिकर्ताओं / ठीकेदारों का नाम	तिथि को शेष	राशि (रूपये में)
30	मैं. हिन्दुस्तान कामर्स इन्डस्ट्रीज	8.5.2002	10,83,218
31	मैं. फ्लावर प्रा. लिमिटेड	4.6.2002	2,06,440
32	मैं. शंकर लाल नारायण प्रसादए बेगूसराय	1.11.02	34,363
33	मैं. हिन्दुस्तान ट्रेडिंग, बेगूसराय	1.11.02	53,011
34	मैं. एस.के. इन्डस्ट्रीज, हावड़ा	1.11.02	77,080
35	मैं. ए.के. इलेक्ट्रिकल्स्, पटना	21.2.2002	2,23,258
36	मैं. मनोरमा इन्टरप्राईजेज, मुजफ्फरपूर	8.5.2003	2,03,667
37	मैं. नाथ एन्ड सन्स, बेगुसराय	19.7.03	45,549
38	मैं. बिहार कमर्सियल इनर्जी, बेगूसराय	8.8.03	18,2004
39	मैं. आई. ओन.एक्सचेन्ज प्रा. लिमिटेड	23.8.03	8,53,374
40	मैं. मीनाक्षी साइन्स कारपोरेशन, बेगूसराय	6.9.03	27,234
41	मैं. एवरीडे इन्डिया प्रा. लिमिटेड,पटना	9.7.04	26,104
42	एनकोन (इन्डिया) दादर वेस्ट, मुम्बई	21.9.04	3,18,240
	योग		**1,39,98,755**

परिशिष्ट- 30

(कंडिका संख्या 3.2.7 में संदर्भित)

मई 2000 से मार्च 2005 की अवधि में जिन भंडारण केन्द्रों का क्षमता उपयोग 120 प्रतिशत से अधिक था उन भंडारण केन्द्रों का नाम एवं महीने की संख्या दशाने पाली विवरणी।

क्रम संख्या	भंडारण केन्द्रों का नाम	महीनों की संख्या	क्षमता उपयोग क प्रतिशतता
1.	मोतिहारी	11	124 से 155
2.	सीतामढ़ी	11	124 से 171
3.	जसीडीह	10	124 से 163
4.	वारसलीगंज	10	125 से 170
5.	जहानाबाद	9	121 से 158
6.	बेगूसराय	6	123 से 161
7.	खगड़िया	10	124 से 145
8.	गढ़वा	10	130 से 169
9.	नवादा	9	130 से 150
10.	हाजीपुर	6	132 से 150
11.	सहरसा	3	130 से 195
12.	डालटेनगंज	6	130 से 141
13.	फतुआ	9	123 से 170
14.	दानापुर	2	123 से 128
15.	सासाराम	1	129
16.	नौगछिया	5	150 से 209
17.	लखीसराय	9	122 से 188
18.	साहेबगंज	4	122 से 153
19.	बरौनी	1	125
20.	रक्सौल	6	131 to 198
21.	बेतिया	2	137 to139
22.	सिमडेगा	1	170

परिशिष्ट- 31

(कंडिका संख्या 3.2.11 में संदर्भित)
निगम की गतिविधिवार लाभप्रदता

(राशि– करोड़ रूपये में)

वर्ष	विवरणी	गतिविधियाँ			
		भंडारण	परिवहन एवं हस्तन (साज सम्हाल)	ब्याज एवं अन्य	योग
2000-01	(क) आय	4.42	6.56	0.60	11.58
	(ख) व्यय				
	(i) गोदाम भाड़ा	1.17	-	-	-
	(ii) स्थापना व्यय	2.49	-	-	-
	(iii)अन्य विविध व्यय	0.61	-	-	-
	योग	4.27	5.34	--	9.61
	(ग) लाभ(+)/हानि(–)	0.15	1.22	0.60	1.97
	(घ) कुल आय की तुलना में लाभ(+)/हानि (–) की प्रतिशतता	1.30	10.54	5.18	17.01
2001-02	(क) आय	4.47	5.65	0.67	10.79
	(ख) व्यय				
	(i) गोदाम भाड़ा	1.16	-	-	-
	(ii) स्थापना व्यय	2.86	-	-	-
	(iii)अन्य विविध व्यय	0.83	-	-	-
	योग	4.86	5.06	--	9.92
	(ग) लाभ(+)/हानि(–)	(-) 0.39	0.59	0.67	0.87
	(घ) कुल आय की तुलना में लाभ(+)/हानि (–) की प्रतिशतता	(-) 3.61	5.47	6.21	8.06
2002-03	(क) आय (ख) व्यय	4.28	6.62	1.11	12.01
	(i) गोदाम भाड़ा	1.08	-	-	-
	(ii) स्थापना व्यय	3.07	-	-	-
	(iii)अन्य विविध व्यय	1.27	-	-	-
	योग	5.42	6.47	--	11.89
	(ग) लाभ(+)/हानि(–)	(-) 1.14	0.15	1.11	0.12
	(घ) कुल आय की तुलना में लाभ(+)/हानि (–) की प्रतिशतता	(-) 9.49	1.25	9.24	1.00
	(क) आय	4.56	13.54	0.44	18.54
	(ख) व्यय				
	(i) गोदाम भाड़ा	0.94	-	-	-
	(ii) स्थापना व्यय	3.28	-	-	-
	(iii)अन्य विविध व्यय	1.02	-	-	-
	योग	5.35	12.90	--	18.25

वर्ष	विवरणी	गतिविधियाँ			
		भंडारण	परिवहन एवं हस्तन (साज सम्हाल)	ब्याज एवं अन्य	योग
2003-04	(ग) लाभ(+)/हानि(–)	(-) 0.79	0.64	0.44	0.29
	(घ) कुल आय की तुलना में लाभ(+)/हानि (–) की प्रतिशतता	(-) 4.26	3.45	2.37	1.56
2004-05	(क) आय	4.91	16.23	0.07	21.21
	(ख) व्यय				
	(i) गोदाम भाड़ा	1.14	--	--	--
	(ii) स्थापना व्यय	3.35	--	--	--
	(iii)अन्य विविध व्यय	0.71	--	--	--
	योग	5.20	14.96	--	20.16
	(ग) लाभ(+)/हानि(–)	(-)0.29	1.27	0.07	1.05
	(घ) कुल आय की तुलना में लाभ(+)/हानि (–) की प्रतिशतता	(-)1.37	5.99	0.33	4.95

परिशिष्ट- 32

(कंडिका संख्या 3.2.12 में संदर्भित)

केन्द्र के नाम, सात वर्षों की गारन्टी योजना के अधीन भारत सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनुमोदित क्षमता एवं कार्य के प्रगति को दर्शानेवाली विवरणी।

(क्षमता: मे. टन में और मूल्य/भुगतान: लाख रूपये में)

केन्द्र का नाम	क्षमता अनुमोदित	क्षमता निर्माणाधीन	ली गई अधिक क्षमता	ली गई कम क्षमता	एकरारनामा का मुल्य (सिविल कार्य)	07.04.05 तक का भुगतान	एकरारनामा का मूल्य (पी.ई.बी. रूफिंग कार्य)	भुगतान	कुल एकरारनामा मूल्य	कुल भुगतान	कार्य की स्थिति प्रतिशतता में
(1) मुजफ्फरपुर	शून्य	10,000	10,000	--	157.44	107.74	91.84	82.65	249.28	190.39	76.38
(2) आरा	1,000	100	--	--	74.08	57.12	6.81	6.13	80.89	63.25	78.19
(3) बेतिया	10,000	5,000	--	5,000	83.78	21.37	44.67	33.50	128.45	54.87	42.71
(4) भागलपुर	10,000	3,000	--	7,000	80.07	18.05	27.96	--	108.03	18.05	16.71
(5) फारवीसगंज	5,000	500	--	--	100.96	48.76	44.67	26.17	145.63	74.93	51.45
(6) पूर्णिया	5,000	3,500	--	1,500	80.58	61.08	28.85	25.96	109.43	87.04	79.54
(7) रक्सौल	10,000	5,640	--	4,360	94.11	37.59	53.64	--	147.75	37.59	25.44
(8) सासाराम	10,000	5,000	--	5,000	101.44	31.88	47.70	--	149.14	31.88	21.37
(9) सीतामढ़ी	2,500	6,640	4,140	--	109.28	48.92	62.45	53.91	171.73	102.83	59.88
योग	**53,500**	**44,780**	**14,140**	**22,860**	**881.74**	**432.51**	**408.23**	**228.32**	**1]289.97**	**660.83**	

परिशिष्ट –33

(कंडिका संख्या 3.2.12 में सन्दर्भित)

सात वर्षीय गारंटी योजना के अधीन बिहार में गोदामों के निर्माण की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	केन्द्र	जिला	अनमोदित क्षमता मे. टन में	बि.रा. भं.नि. द्वारा प्रथम चरण में प्रस्तावित	निर्माण कार्य की प्रगति	निर्माण कार्य पूरा होने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्तियाँए यदि कोई हो	अप्रील 2005 में कार्य की स्थिति प्रतिशतता में
1.	भागलपुर	भागलपुर	3,000	3,500	3500 मे. टन गोदाम के लिए पाईलिंग एवं फाउन्डेशन का काम पूरा किया। पी. ई. बी. सिस्टम खड़ा करने के लिए ऐंकर बोल्ट फिक्सिंग पूरा किया। भराई के लिए सुपर स्ट्रक्चर ब्रीक वर्क पुरा किया गया तथा वाह्य पथ के लिए कच्चा कार्य करना था।	सितम्बर 2005	पी. ई. बी. सिस्टम के लिए रोड परमिट भेज दिया गया है और अप्रील के अन्तिम सप्ताह तक इसकी प्रतीक्षा है। राज्य में विधान सभा चुनावों के कारण परिवहन विलंबित रहा। इसके अतिरिक्त भूमि के एक भाग काए आर. ई. ओ. विभाग द्वारा अंतिक्रमण भी किया गया है जिसके लिए यथाशीघ्र निपटारा किये जाने के लिए जिलाधिकारी, भागलपुर से अनुरोध किया गया है।	16.71
2	आरा	भोजपुर	1,000	1,201	सूपर स्ट्रक्चर कार्य एवं रूफिंग सिस्टम कार्य के लिए पी. एस. ई. बी. स्ट्रेक्चरल निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और वाह्यपथ रोड के निर्माण के आलावा फिनिशिंग का कार्य हाथ में है (करना है)।	सितम्बर 2005	गोदाम फिनिशिंग का काम पूरा होने पर है और गोदाम अप्रैल 2005 के मध्य में हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।	78.19
3	सासाराम	रोहतास	10,000	5,950	पी. ई. बी. रूफिंग सिस्टम के लिए उठाव का काम हाथ में है। रोड के लिए सब ग्रेड का काम करना है।	सितम्बर 2005	परिसर को चुनाव कार्यों (विधान सभा चुनाव 2005) के लिए लिया गया था इसके कारण कार्य की प्रगति रूक गई थी। तथापि कार्य पुन: शुरू हो चुका है और इसे जून 2005 के अन्त तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है।	21.37
4	फरविसगंज	अररिया	5,000	3860	पी. ई. बी. रूफिंग सिस्टम के लिए उठाव और रूफ शीटिंग कार्य पूरा हो चुका। फ्लोरिंग फिनिशिंग और वाह्यपथ रोड का काम करना है।	सितम्बर 2005	राज्य विधान सभा चुनाव के कारण प्रगति बाधित हुई। मार्च 2005 के अन्त तक कार्य पूरा होने की संभावना है।	51.45
5	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	5,000	3,846	पी. ई. बी. रूफिंग सिस्टम के लिए इरेक्सन और रूफ शीटिंग कार्य पूरा हो चुका। फ्लोरिंग फिनिशिंग और वाह्यपथ रोड का काम होना है।	सितम्बर 2005	राज्य विधान सभा चुनाव के कारण प्रगति बाधित हुई। तथापि मार्च के अन्त तक कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।	79.54
6	रक्सौल	पूर्वी चम्पारण	9,000	6,651	पाईलिंग और पाईल कैप का निर्माण पूरा हो चुका है। फ्लोरिंग के लिए फिटिंग और कम्पैक्सन पूरा कर लिया गया है। ऐंकर बोट फिक्सिंग पूरा हो चुका है। गोदाम के फ्लोरिंग और पेरिफेरल रोड के लिए सुपरस्ट्रक्चर ब्रिक वर्क और सब ग्रेड वर्क किया जाना है।	सितम्बर 2005	पी. ई. बी. स्ट्रक्चर के परिवहन और हाउलेज के लिए रोड परमिट भेजा जा चुका है और फरवरी 2005 के अन्तिम सप्ताह तक कार्य स्थल पर सामग्रियों के प्राप्त होने की संभावना है। तथापि इस कार्य में राज्य विधानसभा चुनावों के कारण बाधा उत्पन्न होन से प्रगति में देर होने की संभावना है।	25.44
7	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	2,500	7,920	पी. ई. बी. रूफिंग सिस्टम के सुपर स्ट्रक्चर उठाव का कार्य पूरा हो चुका है और फिनिशिंग कार्य और	सितम्बर 2005	राज्य विधान सभा चुनावों के कारण प्रगति बाधित हुई एवं जून 2005 के अन्त तक पूरा होने की संभावना है।	59.88

					फ्लेरिंग कार्य होना है।			
8	बेतिया	पश्चिमी चम्पारण	10,000	5,940	रूफिंग सिस्टम वर्क के लिए पी. ई. बी. स्ट्रक्चर पूरा कर लिया गया है और फिनिशिंग कार्य होना है।	सितम्बर 2005	राज्य विधान सभा चुनावों के कारण प्रगति बाधित हुईए मई 2005 के अन्त तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है।	42.71
क्रम संख्या	**केन्द्र**	**जिला**	**अनमोदित क्षमता मे. टन में**	**बि.रा. भं.नि. द्वारा प्रथम चरण में प्रस्तावित**	**निर्माण कार्य की प्रगति**	**निर्माण कार्य पूरा होने की सम्भावित तिथि**	**अभ्युक्तियाँए यदि कोई हो**	**अप्रील 2005 में कार्य की स्थिति प्रतिशतता में**
9	अरवल	अरवल	5,000	-	शुरू नहीं किया गया	-	सरकारी भूमी उपलब्ध नही एवं वैकल्पिक उपाय किये जा रहे हैं।	-
10	खगरिया	खगरिया	5,000	-	शुरू नहीं किया गया	-	कृषि फार्म में भूमि उपलब्ध एवं प्रस्ताव सरकार के पास लंबित।	-
11	जमुई	जमुई	5,000	-	शुरू नहीं किया गया	-	सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं एवं वैकल्पिक उपाय किये जा रहे हैं।	-
12	शेखपूरा	शेखपूरा	5,000	-	शुरू नहीं किया गया	-	सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं एवं वैकल्पिक उपाय किये जा रहे हैं।	-
13	नालन्दा	नालन्दा	5,000	-	शुरू नहीं किया गया	-	सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं एवं वैकल्पिक उपाय किये जा रहे हैं।	-
14	विक्रम	रोहतास	1,0000	-	शुरू नहीं किया गया	-	सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं एवं वैकल्पिक उपाय किये जा रहे हैं।	-
15	भभुआ	कैमूर	5,000	-	शुरू नहीं किया गया	-	सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं एवं वैकल्पिक उपाय किये जा रहे हैं।	-
16	गोपालगंज	गोपालगंज	5,000	-	शुरू नहीं किया गया	-	सरकारी भूमि के लिए वार्त्ता जारी हैए भूमि के लिए राज्य उपाय भी खोजे जा रहे हैं।	-
17	छपरा	सारण	15,000	-	शुरू नहीं किया गया	-	सरकारी भूमि के लिए वार्त्ता चल रही है एवं भूमि के लिए वैकल्पिक उपायों की खोज की जा रही है।	-
18	शिवहर	शिवहर	5,000	-	शुरू नहीं किया गया	-	सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं एवं वैकल्पिक उपाय किये जा रहे हैं।	-
19	हाजीपूर	वैशाली	10,000	-	शुरू नहीं किया गया	-	सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं एवं वैकल्पिक उपाय किये जा रहे हैं।	-
20	बगहा	पश्चिमी चम्पारण	5,000	-	शुरू नहीं किया गया	-	सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं एवं वैकल्पिक उपायों की खोज की जा रही है।	-
	योग		12,25,000	38,868		-		-

परिशिष्ट –34

(कंडिका संख्या 3.2.13 में सन्दर्भित)

वर्ष 2000–05 की अवधि में मुजफ्फरपुर, भागलपुर और सीवान के भंडारण केन्द्रों में उपलब्ध क्षमतायें क्षमता का उपयोग एवं खाली पड़ी क्षमता के संबंध में एक सारांशित स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी।

वर्ष	उपलब्ध क्षमता		उपयोग		रिक्त		न्यूनतम एवं अधिकतम		अभ्युक्तियॉं
	कुल	मासिक औसत	कुल	मासिक औसत	कुल	मासिक औसत	उपयोग	रिक्त क्षमता	
1. मुजफ्फरपुर भंडारण केन्द्र									
2000-01 (5/00 to 3/01)	1,82,971	16,634	1,83,356	16,669	-	-	13432-18727	268-2027	9/2000 से 12/2000 एवं 2/01 एवं 3/01 एवं क्षमता उपयोग 100 प्रतिशत से अधिक; 11/00 में 814 मे. टन 1/01 में 2000 मे. टन एवं 2/01 में 2081 मे. टन क्षमता को किराया मुक्त किया।
2001-02	2,00,376	16,698	1,66,809	13,901	33,567	2,797	11606-16895	81-5092	6/01 और 8/01 में 197 मे. टन और 137 मे. टनउपलब्ध क्षमता से अधिक स्टाक था।
2002-03	1,91,063	15,922	1,51,202	12,600	39,861	3,322	11100-15427	128-4483	7/02 में 1156 मे. टन और 9/02 में 187 मे. टन किराया मुक्त किया;
2003-04	2,32,860	19,405	1,46,464	12,205	86,396	7,200	9076-15284	1084-10679	6/04 में 951 मे. टन और 2/05 में 3344 मे. टन किराया मुक्त किया। क्षमता उपयोग 1/05 में एवं 2/05 में 100 प्रतिशत से अधिक था।
2004-05	12,11,792	17,649	1,41,680	11,807	70,112	5,842	9043-19348	145-10471	
2. भागलपुर भंडारण केन्द्र									
2000-01	1,17,240	9,770	86,402	7,200	30,838	2,570	4434 -9655	365-5586	अपनी क्षमता 8720 मे. टनए किराये पर ली गई क्षमता 1300 मे.टन। जनवरी 2001 में 1000 में. टन किराया मुक्त किया। मई 2001 में 101 प्रतिशत क्षमता उपयोग। अधिक स्टाक 77 मे. टन। फरवरी 2003 में 300 मे. टन किराया मुक्त किया।
2001-02	1,08,240	9,020	92,255	7,688	15,985	1,332	6094 -9097	246-2926	
2002-03	1,07,640	8,920	55,375	4,615	52,265	4,355	1668 -5979	3043-7052	
2003-04	1,04,640	8,720	18,881	1,574	85,759	7,146	1557 -1632	7088-7163	
2004-05	1,04,640	9,720	13,923	1,160	90,717	7,560	1557-1502	7163-7210	
3. सीवान भंडारण केन्द्र									
2000-01	83,408	6,951	47,848	3,988	35,560	2,963	2649-5606	1025-4059	नवम्बर 2000 और जनवरी 2001 में 926 मे.टनकिराया मुक्त किया।
2001-02	66,524	5,544	45,280	3,774	21,244	1,770	1558-5101	526-4069	फरवरी 2002 में 500 मे. टन किराया मुक्त किया। दिसंबर 03 में 120 प्रतिशत उपयोगए 7/03 में 1287 मे. टन और 12/03 में 1300 मे. टन किराया मुक्त किया।
2002-03	61,524	5,127	42,973	3,581	18,551	1,546	1130-4769	358-3997	7/04ए 12/04 और 1/05 में 100 प्रतिशत एवं उससे अधिक उपयोग
2003-04	44,741	3,728	20,260	1,688	24,481	2,040	1116-3043	34-4011	जनवरी 05 में 120 प्रतिशत तक।
2004-05	26,070	2,173	19,226	1,602	6,844	570	1039-2460	312-1424	

परिशिष्ट –35

(कंडिका संख्या 3.2.15 में सन्दर्भित)

वर्ष 2000–01 से 2004–05 तक के लिये आठ भंडारण केन्द्रों की कुल आय के साथ साथ गोदाम किराया और स्थापना पर होने पाले व्यय को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि : लाख रुपये में)

क्रम संख्या	भंडारण केन्द्रों का नाम	भंडारण शुल्क	परिवहन हस्तन शुल्क	कुल आय	गोदाम किराया	स्थापना व्यय	कुल व्यय	भंडारण गतिविधि की प्रतिशतता		
								गोदाम किराया	स्थापना व्यय	कुल व्यय
1	त्रिवेणी गंज									
	2000-01	2.13	0.04	2.17	0.83	0.64	1.47	38.97	30.05	69.01
	2001-02	2.29	शून्य	2.29	1.08	1.34	2.42	47.16	58.52	105.68
	2002-03	1.85	शून्य	1.85	1.11	0.93	2.04	60.00	50.27	110.27
	2003-04	2.69	शून्य	2.69	1.61	1.14	2.75	59.85	42.38	110.27
	2004-05	2.22	0.02	2.24	1.56	1.01	2.57	70.27	45.49	115.76
2	मुरलीगंज									
	2000-01	0.01	शून्य	0.01	शून्य	1.55	1.65	शून्य	1,650.00	1,650.00
	2001-02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2.27	2.27	--	*	--
	2002-03	0.63	शून्य	0.63	शून्य	1.95	1.95	शून्य	309.52	309.52
	2003-04	2.64	शून्य	2.64	शून्य	2.21	2.21	शून्य	83.71	83.71
	2004-05	3.83	शून्य	3.83	0.01	2.61	2.62	0.26	68.14	68.40
3	कस्बा									
	2000-01	0.98	शून्य	0.98	0.35	0.96	1.31	35.71	97.96	133.67
	2001-02	0.40	शून्य	0.40	0.35	0.90	1.25	87.5	225.00	312.50
	2002-03	0.04	शून्य	0.04	0.18	0.53	0.71	450.00	1,325.00	1,775.00

* आय नहीं, परन्तु स्थापना पर व्यय।

क्रम संख्या	भंडारण केन्द्रों का नाम	भंडारण शुल्क	परिवहन हस्तन शुल्क	कुल आय	गोदाम किराया	स्थापना व्यय	कुल व्यय	भंडारण गतिविधि की प्रतिशतता		
								गोदाम किराया	स्थापना व्यय	कुल व्यय
	2003-04	0.29	शून्य	0.29	0.34	0.69	1.03	117.24	237.93	355.17
	2004-05	0.20	शून्य	2.20	0.31	0.73	1.04	155.00	365.00	520.00
4	नौगछिया									
	2000-01	0.68	शून्य	0.68	0.63	1.80	2.43	92.65	264.70	357.35
	2001-02	0.16	शून्य	0.16	0.44	1.60	2.04	275.00	1000.00	1275.00
	2002-03	1.07	शून्य	1.07	0.41	1.12	1.53	38.32	104.67	142.99
	2003-04	1.20	1.39	2.59	0.53	1.48	2.01	49.53	138.32	187.85
	2004-05	5.04	8.70	13.74	1.43	2.57	4.00	28.37	50.99	79.36
5	लोहरदग्गा									
	2000-01	4.61	16.11	20.72	1.52	4.01	5.53	32.97	86.98	114.16
	2001-02	3.82	9.56	13.38	1.58	3.50	5.08	41.36	91.62	132.98
	2002-03	1.11	24.97	26.08	0.76	2.32	3.08	68.47	209.01	277.48
	2003-04	1.65	45.77	47.42	0.91	2.56	3.47	55.15	155.15	210.30
	2004-05	3.11	68.37	71.48	1.08	4.03	5.11	34.72	129.58	164.30
6	गोपालगंज									
	2000-01	1.69	0.01	1.70	1.56	0.59	2.15	92.31	34.91	127.22
	2001-02	1.01	0.28	1.29	1.17	1.47	2.64	115.84	145.54	261.38
	2002-03	0.74	शून्य	0.74	0.73	1.14	1.87	98.65	154.05	252.70
	2003-04	1.32	शून्य	1.32	0.79	0.49	1.28	59.85	37.12	96.97
	2004-05	1.58	शून्य	1.58	1.46	1.54	3.00	92.40	97.46	189.87
7	मसौढ़ी									
	2000-01	0.97	शून्य	0.74	शून्य	1.90	1.90	शून्य	195.88	195.88

क्रम संख्या	भंडारण केन्द्रों का नाम	भंडारण शुल्क	परिवहन हस्तन शुल्क	कुल आय	गोदाम किराया	स्थापना व्यय	कुल व्यय	भंडारण गतिविधि की प्रतिशतता		
								गोदाम किराया	स्थापना व्यय	कुल व्यय
	2001-02	0.50	शून्य	1.32	शून्य	3.04	3.04	शून्य	608.00	608.00
	2002-03	0.05	शून्य	0.74	शून्य	2.89	2.89	शून्य	578.00	578.00
	2003-04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3.14	3.14	शून्य	*	
	2004-05	0.18	शून्य	0.18	शून्य	0.92	0.92	शून्य	511.11	511.11
8	**जानकी नगर**									
	2000-01	0.02	शून्य	0.02	शून्य	0.57	0.57	शून्य	285.00	285.00
	2001-02	0.02	शून्य	0.02	शून्य	0.56	0.56	शून्य	280.00	280.00
	2002-03	0.61	शून्य	0.61	शून्य	0.54	0.54	शून्य	275.00	275.00
	2003-04	0.91	शून्य	0.91	शून्य	0.54	0.54	शून्य	59.34	59.34
	2004-05	0.40	0.34	0.74	शून्य	0.69	0.69	शून्य	172.50	172.50
कुल योग				**52.65**			**87.30**			

* आय नहीं, परन्तु स्थापना पर व्यय।

परिशिष्ट –36

(कंडिका संख्या 3.2.15 में सन्दर्भित)

आठ भंडार केन्द्रों की क्षमतायें, औसत मासिक भंडारण क्षमतायें तथा औसत मासिक उपयोग को दर्शानेवाली विवरणी

विवरण	त्रिवेणीगंज	मुरलीगंज	कसबा	जानकी नगर	मसौढ़ी	नवगछिया	लोहरदगा	गोपालगंज	योग
1. 31.03.2005 को क्षमता									
(i) अपना	-	4,360	1,000	1,000	5,000	-	-	-	11,360
(ii) किराये पर ली गई	1,541	-	406	-	-	954	880	1,000	4,781
(iii) योग	1,541	4,360	1,406	1,000	5,000	954	880	1,000	16,141
2. औसत मासिक भंडारण क्षमता (मे. टन में)	1,316	4,360	1,485	1,000	5,000	917	1,482	1,266	16,826
3. औसत मासिक उपयोग (मे. टन में)	844	450	852	100	201	117	1,100	768	4,431
4. उपयोग की औसत प्रतिशतता (क्रमांक 3 से क्रमांक 2)	64	10.32	57.37	10	4.02	12.75	74.22	59.72	26.33
5. विगत पाँच वर्षों की भंडारण से कुल आय (लाख रूपये में)	11.18	7.11	1.91	1.96	1.70	8.15	14.30	6.34	52.65
6. कार्य चालन में व्यय (परिवहन एवं हस्तन को छोड़कर) (लाख रूपये में)	11.25	10.70	5.34	2.90	11.89	12.01	22.27	10.94	87.30
7. भंडारण गतिविधियों में पाँच वर्षों में हुई हानि (लाख रूपये में)	0.07	3.59	3.43	0.94	10.19	3.86	7.97	4.60	34.65

परिशिष्ट–37

(कंडिका संख्या 4.2.5 में संदर्भित)

निदेशक मंडल की आयोजित की गई बैठकों की संख्या को दिखाने वाली विववरणी

क्रम संख्या	स.क्षे.ऊ.का नाम	प्रति वर्ष बैठकों की आवश्यक संख्या	आयोजित बैठक / वर्ष		
			2002	2003	2004
1.	बि.रा.म.वि.नि. लिमिटेड	4	0	1	1
2.	बि.प.वि.नि. लिमिटेड	4	4	6	4
3.	बि.रा.ख.वि.नि. लिमिटेड	4	0	2	4
4.	बि.रा.पु.नि.नि. लिमिटेड	4	0	2	5
5.	बि.रा.सा.ए.वि.नि. लिमिटेड	4	8	4	5
6.	बि.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड	4	4	5	3
7.	बि.रा.बै.क्ला.वि.नि. लिमिटेड*	2	2	2	2
8.	बि.रा.खा. एवं अ.आ.नि. लिमिटेड	4	3	4	5
9.	बि.रा.ज.वि.रा.नि. लिमिटेड	4	0	1	3
10.	बि.रा.पा.पु.नि. लिमिटेड	4	3	3	1
11.	बि.रा.बी.नि. लिमिटेड	4	1	1	2

* *बि.रा.बै.क्ला.वि.नि. लिमिटेड धारा 25, कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निबंधित है।*

परिशिष्ट–38
(कंडिका संख्या 4.2.8 में सन्दर्भित)
लेखाओं के अंतिमीकरण में हुए बिलम्ब को दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	सा.क्षे.ऊ.का नाम	वर्ष जिनके लेखे बकाये है।	वर्षो की संख्या जिनके लेखे बकाये है।
1.	बि.रा.खा. एवं अ.आ.नि.	1983–84 से 2004–05	22
2.	बि.रा.म.वि.नि.	1993–94 से 2004–05	12
3.	बि.रा.पु.नि.नि.	1994–95 से 2004–05	11
4.	बि.रा.बी.नि. लिमिटेड	1995–96 से 2004–05	10
5.	बि.रा.बै.क्ला.वि.वि.नि. लिमिटेड	1995–96 से 2004–05	10
6.	बि.रा.प.वि.नि.	1995–96 से 2004–05	10
7.	बि.रा.ज.वि.नि.	1996–97 से 2004–05	9
8.	बि.रा.टे.बु.प.नि.	1996–97 से 2004–05	9
9.	बि.रा.ख.वि.नि.	2001–02 से 2004–05	4
10.	बि.रा.सा.एवं बि.नि.	2001–02 से 2004–05	4
11.	बि.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड	2002–03 से 2004–05	3

परिशिष्ट–39
(कंडिका संख्या 4.2.9 में संदर्शित)
सा.क्षे.ऊ. के निदेशकों की रिक्तियों को दर्शाती विवरणी।

क्रम संख्या	सा.क्षे.ऊ.का नाम	पार्षद अर्न्तनियम के अनुसार निदेशको की क्षमता	वर्ष के दौरान नियुक्तों की संख्या		
			2002	2003	2004
1.	बि.रा.खा. एवं अ.आ.नि.	7	5	3	5
2.	बि.रा.म.वि.नि. लिमिटेड	9	5	5	5
3.	बि.रा.पु.नि.नि.	9	5	5	5
4.	बि.रा.बी.नि.	11	10	10	10
5.	बि.रा.वि.व.वि.पि.व.नि.	11	10	10	10
6.	बि.रा.प.वि.नि.	11	7	7	7
7.	बि.रा.ज.वि.नि	7	5	5	5
8.	बि.रा.टे.बु.नि.	15	5	5	5
9.	बि.रा.ख.वि.नि. लिमिटेड	3 से कम नहीं	–	12	12
10.	बि.रा.सा.एवं वि.नि. लिमिटेड	9	7	6	6
11.	बि.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड	9	9	9	9

परिशिष्ट – 40
(कंडिका संख्या 4.2.14 सन्दर्भित)
वार्षिक आम सभा के निदेशकों की उपस्थिति को दर्शाती विवरणी।

क्र.सं0	सा.क्षे.ऊ.का नाम	वार्षिक आम सभा के निदेशकों की उपस्थिति की स्थिति
1.	बि.रा.ख.वि.नि0	कोई भी नामांकित निदेशक ने 2003 और 2004 मेंआयोजित वा.आ.सभा में उपस्थित नही हुए जबकि आठ स्वतंत्र निदेशको में से एक वाआ.सभा में उपस्थित हुए।
2.	बि.रा.अ.वि.नि0	केवल दो नामित निदेशको 2002 एवं 2004 में आयोजित वाआ.सभा में उपस्थित हुए और आठ संख्या के विरूद्ध तीन नामित निदेशक 2003 में वाआ.स. में उपस्थित हुए।
3.	बि.रा.बै.व.वि.न.	छः निदेशको के विरूद्ध केवल दो और एक सरकार द्वारा नामित निदेशक 2003 और 2004 में आयोजित वाआ.स.में उपस्थिति हुए।
4.	बि.रा.सा.एवं वि.नि. लिमिटेड	सरकार द्वारा नामित निदेशको में से सिवाए एक के किसी ने 2002–2004की वा.आ.स.में भाग नहीं लिया। आगे कोई भी अकार्यकारी निदेशक वाआ.सभा में उपस्थित नहीं हुआ।
5.	बि.रा.ज.वि.नि.	2002 के कैलेण्डर वर्ष के दौरान कोई वाआ.सभा नहीं की गई। 2 महीनों के बाद वा.आ.सभा सितम्बर 2003 में आयोजित की गई। यद्यपि निदेशक मण्डल में सरकार द्वारा नामित चार निदेशक थे, तथापि 15 सितम्बर 2003 एवं 28 सितम्बर 2004 को आयोजित वाआ.सभा में केवल एक ही निदेशक उपस्थित थे।
6.	बि.रा.प.वि.नि.	स्वतंत्र निदेशको सहित सरकार द्वारा नामित छः निदेशकों में से पाँच निदेशक वर्ष 2002–04 में आयोजित वा.आ.सभा में उपस्थित नहीं हुए।
7.	बि.रा.पा.पु0.नि.	1 जुलाई 2002 को वाआ.सभा करने के उपरांत दूसरी वाआ.सभा 19 महीनो के अंतराल के बाद 1 मार्च 2004 को आयोजित चार निदेशको में से दो ने आयोजित वा.आ.सभा में उपस्थित नहीं हुए।
8.	बि.रा.म.वि.नि.	2002, 2003, 2004 के दौरान कोई वाआ.सभा आयोजित नहीं की गई।
9.	बि.रा.बी.नि.	2002, और 2003 के दौरान कोई वाआ.सभा आयोजित नहीं की गई। 2004 के दौरान सतरहवीं वाआ.स. 33 महीनों के अंतराल के बाद 3 अक्टुबर 04 को आयोजित की गई। बि.रा.बी.नि.ने 1993–94 के वार्षिक लेखाओं को 3 अक्टुबर 2004 को आयोजित कंपनी के सतरहवीं वाआ.सभा में पार्षद अर्न्तनियम में प्रावाधित कोरम के बिना पुरा किया और अंगीकृत किया।
10.	बि.रा.पु.नि.नि.	सरकार द्वारा नामित तीन निदेशको में से दो निदेशक 2004 में आयोजित वा.आ.सभा में उपस्थित नहीं हुए।
11.	बि.रा.खा. एवं अ.आ.नि.	सरकार द्वारा नामांकित चार निदेशको में से दो निदेशक 2003 एवं 2004 में आयोजित वा.आ.सभा में उपस्थित नही हुए।

परिशिष्ट – 41
(कंडिका संख्या 4.3 में सन्दर्भित)
खंभों की आपुर्ति की विवरणी

(राशिः रूपये लाख में)

क्रय आदेश संख्या एवं दिनांक	मैटेरियल		अग्रिम भुगतान		मैटेरियल की आपूर्ति			विलम्ब	दंड की राशि	अन्तिम के विरूद्ध मैटेरियल की अनापूर्ति	
	संख्या में मात्रा	राशि	राशि	दिनांक	मात्रा	राशि	अवधि			मात्रा	राशि
25 10.04.2000	4,500	431.99	431.99	12.04.2000 13.05.2000	3,560	352.33	17.04.2000 13.07.2000	20 दिन से 86 दिन	35.93	940	79.66
32 12.05.2001	1,313	163.11	159.87	31.05.2001	1294	157.56	18.02.2002 11.07.2002	233 दिन से 376 दिन	33.79	19	2.31
78 16.10.2002	7,208	925.75	906.99	18.01.2002 25.7.2003	5716	743.32	23.11.2002 17.12.2003	5 दिन से 267 दिन	40.25	1492	163.67
योग	**13,021**	**1520.85**	**1498.85**		**10570**	**1253.21**			**109.37**	**2451**	**245.64**

परिशिष्ट –42
(कंडिका संख्या 4.5 में सन्दर्भित)
बोर्ड को हुई हानि की गणना
(राशि–लाख रूपये में)

आपूर्तिकर्त्ता	पी.ओ.संख्या / दिनांक मात्रा	आपूर्ति किया गया			नजदीकी आपूर्तिकर्त्ता		अंतर (रू0)	अधिकाय व्यय
		स्थान	मात्रा	दर (रू0)	नाम	दर (रू0)		
मेसर्स विजय कंक्रीट वर्क्स छपरा	56 / 12.12.2003 (3000)	(मिथिला क्षेत्र) सकरी	4,500	1,704	मेसर्स मिथिला कंक्रीट एवं इंजीनियरिंग, दरभंगा	1,264	440	4,500×440 रूपये=19.8.लाख रूपये
	56 / 12.12.2003 (2000)	समस्तीपुर	500	1,600		1,294	306	500×306 रूपये=1.53 लाख रूपये
	56 / 12.12.2003 (3000)	(मगध क्षेत्र) गया	3,000	1,696	मेसर्स शेखपुरा कंक्रीट, शेखपुरा	1,426	270	300.×27 रूपये=8.1.लाख रूपये
योग			8,000					29.43 लाख रूपये

परिशिष्ट–43
(कंडिका संख्या 4.6 में सन्दर्भित)
उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण से बोर्ड को हुई हानि को दर्शाती विवरणी

(राशिः लाख रूपये में)

विद्युत आपूर्ति डिवीजन का नाम	अवधि	उपभोक्ताओं का वर्ग	उपभोक्ताओं की संख्या	बिल की जाने वाली राशि	बिल किया गया	अंतर
(1) भागलपुर (ग्रामीण) सब डिवीजन कहलगाँव	2001–02 (जून से मार्च) अप्रील 2002 से जून 2004	डी.एस	974	29.60	6.04	23.56
		एन.डी.एस	222	13.35	2.11	11.24
		डी.व.एस	322	26.43	5.39	21.04
		एन.डी.एस	30	4.87	0.77	4.10
				74.25	**14.31**	**59.94**
(2) बेगुसराय	2001–02 (जून से मार्च)	डी.एस	382	11.61	2.51	9.10
		एन.डी.एस	19	1.33	0.18	1.15
	2002–03	डी.एस	258	9.41	2.03	7.38
		एन.डी.एस	16	1.34	0.18	1.16
		डी.एस	199	7.26	1.57	5.69
		एन.डी.एस	09	0.76	0.10	0.66
	2004–05	डी.एस	143	5.94	1.13	4.81
		एन.डी.एस	09	0.76	0.10	0.66
				38.41	**7.8**	**30.61**
(3) हाजीपुर	2001–02 (जून से मार्च) 2002–05	डी.एस	1935	53.99	12.77	41.22
		डी.एस	1935	199.19	45.98	153.21
				253.18	**58.75**	**194.43**
(4) जमुई	2001–02 (जून से मार्च) 2002–03	डी.एस	770	23.41	5.06	18.35
		एन.डी एस	13	1.11	0.12	0.99
		डी.एस	962	35.09	7.59	27.50
		एन.डी.एस	13	1.11	0.12	0.99
	2003–04	डी.एस	1063	38.78	8.32	30.40

	2003–04	डी.एस	1063	38.78	8.32	30.40
		एन.डी.एस	09	0.76	0.10	0.66
	2004–05	डी.एस	1137	141.48	8.57	132.0
		एन.डी.एस	09	0.76	0.10	0.66
				242.50	**30.44**	**212.06**
(5) झंझारपुर	दिसम्बर 1996 से मई 2001	डी.एस	153	14.63	2.23	12.40
		एन.डी.एस	02	0.31	0.06	0.25
	जून 2001 से मई 2005	डी.एस.	153	20.49	4.55	15.94
		एन.डी.एस	02	0.67	0.09	0.58
				36.10	**6.93**	**29.17**
	कुल योग			**644.14**	**118.23**	**526.21**

* न्यूनतम 114 यूनिट प्रतिमाह विजली खपतके आधार पर गणना की गई।

परिशिष्ट–44
(कंडिका संख्या 4.8 में सदर्भित)
467 बसों की कीमत (116 डीलक्स+351 सेमी डीलक्स) की गणना को दर्शाती विवरणी

प्रकार	बीजक कीमत	बी.एस.टी.@ 12%	कुल	टी.ओ.टी.@ 1%	कुल लागत /चेसिस	ढॉचा निर्माण लागत/चेसिस	सी.एस0टी. 10%	कुल ढॉचा निर्माण लागत	लागत /बस
1	2	3	4=2+3	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10=6+9
सेमी. डीलक्स	5,42,32640	65,079168	6,07,405568	6,074056	6,13,479624	3,80,500	38,050	4,18,550	10,32,029624
डीलक्स	5,43,55346	65,226415	6,08,779875	6,087799	6,14,857.67	5,90,000	59,000	6,49,000	12,63,867674

बिना उत्पाद कर	65 सेमी डीलक्स @	1032029624 रूपये	=6708192556 रूपये
	2.डीलक्स @	1263867.674 रूपये	=2527735348 रूपये
	286 सेमी डीलक्स @	(1032029624+11,312रूपये)	=29839570440 रूपये
	96 डीलक्स @	(1263867.674+11,312 रूपये)	=12241724870 रूपये
कुल	**467 बसें**		रूपये 51,31,72,23214 =51.32 करोड़ (अ)

467 बसों की कीमत (सभी सेमी डीलक्स)

ढॉचा निर्माण लागत	467 @ 4,18,500	19.55 करोड़ रूपये
चेसिस लागत	382 @ 6,24,79163	23.87 करोड़ रूपये
	85 @ 6,13,47963	5.21 करोड़ रूपये
		48.63 करोड़ रूपये (ब)

(अ)–(ब) = 2.69 करोड़ रूपये

467 बसों की कीमत यदि सी.एस.टी.भुगतान किया जाता।

प्रकार	बीजक	ढाँचा निर्माण लागत	कुल लागत	सी.एस.टी.@ 4%	कुल	प्रवेश कर @ 5 प्रतिशत	कुल
1	2	3	4=2+3	5	6=4+3	7	8=6+7
सेमी डीलक्स	5,42,32640	3,80,500	9,22,82640	36,913056	9,59,739456	47,986973	10,07,726429
डीलक्स	5,43,55346	5,90,000	11,33,55346	45,342138	11,78,895598	58,944779	12,37,840377

65 @1007726429 रूपये =655.005 लाख

2.@1237840377 रूपये =247.56 लाख

286 @(1007226429+उत्पाद कर, सीएस.टी. & प्रवेश कर – 10920) रूपये =291319 लाख

96 @(1237840377+उत्पाद कर, सीएस.टी. & प्रवेश कर – 10920) रूपये =119875 लाख

कुल –5014.15 लाख = 50.14 करोड़ रूपये (स)

(अ)–(स) = 1.18 करोड़ रूपये

परिशिष्ट–45
(कंडिका संख्या 4.9 में संदर्भित)
विभागवार बाकी निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सा.दो.उ. की संख्या	बाकी निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बाकि कंडिकाओं की संख्या	(नि.प्र.)वर्ष जब से कंडिकाएँ बाकी है।
1.	उद्योग	28	148	734	1990–91
2.	वन एवं पर्यावरण	3	51	311	1990–91
3.	कृषि	3	43	227	1990–91
4.	उर्जा	3	1118	5076	उपलब्ध नहीं
5.	पशुपालन	2	15	56	1990–91
6.	जल संसाधन	2	10	59	1990–91
7.	गन्ना	1	28	198	1990–91
8.	खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य	1	93	592	1990–91
9.	पर्यटन	1	17	47	1990–91
10.	मानव संसाधन विकास	1	5	13	1990–91
11.	पथ र्मिाण	1	37	197	1990–91
12.	गृह	1	13	48	1990–91
13.	कल्याण	2	6	56	1990–91
14.	पंचायती राज	1	4	7	1990–91
15.	खान एवं भू विज्ञान	1	28	135	1990–91
16.	लघु सिचाई	1	6	33	1990–91
17.	परिवहन	1	61	396	1990–91
18.	सहकारिता	1	24	91	1990–91
	कुल	**54**	**1707**	**8276**	

परिशिष्ट–46

(कंडिका संख्या 4.9 में संदर्भीत)

विभागवार प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं की संख्या, जिनके जबाब अप्राप्त है को दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिकाओं की संख्या	समीक्षाओं की संख्या	जारी होने की अवधि
1.	उर्जा	5	1	4/05 से 7/05
2.	सहकारिता	–	1	6/05
3.	पथ निर्माण गृह (आरक्षी)	–	1	6/05
4.	शिक्षा	1	–	0/05
.5.	परिवहन	1	–	4/05
6.	वित्त	1	–	7/05